निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL REPORT

2012-13

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी)

निदेशक बोर्ड की 51वीं वार्षिक रिपोर्ट

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए

तुलन पत्र और लेखे

मिशन

लघु जमाकर्ताओं का विशेष रूप से
ध्यान रखते हुए निक्षेप बीमा के माध्यम से
बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास अर्जित करके
वित्तीय स्थिरता में सहयोग देना।

विज़न

एक सक्षम और प्रभावी निक्षेप बीमा प्रदाता के
रूप में पहचान बनाना जो पणधारकों की
आवश्यकताओं के प्रति
संवेदनशील हो।

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
1.	प्रेषण पत्र	iv-v
2.	निदेशक बोर्ड	vi
3.	संगठन तालिका	vii
4.	निगम में संपर्क सूत्र	viii
5.	निगम के प्रमुख अधिकारी	ix
6.	संक्षेपाक्षर	x-xi
7.	विशेषताएं	xii-xiv
8.	निबीप्रगानि का विहंगावलोकन	1-5
9.	प्रबंध चर्चा और विश्लेषण	6-16
10.	निदेशकों की रिपोर्ट	17-28
11.	निदेशकों की रिपोर्ट के सबंध में संलग्नक	29-53
12.	लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	55
13.	तुलन-पत्र और लेखे	56-68

निदेशक
Director

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी)
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)

निबीप्रगानि/सवि/ 1842 /01.01.016/2013-14 21 जून, 2013

प्रेषण पत्र
(भारतीय रिज़र्व बैंक को)

मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव
सचिव विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय
केंद्रीय कार्यालय भवन
शहीद भगत सिंह मार्ग
मुंबई - 400 001

महोदय,

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के तुलन-पत्र, लेखे तथा निगम की कार्यपद्धति संबंधी रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के उपबंधों के अनुसरण में निदेशक बोर्ड ने मुझे इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक हस्ताक्षरित प्रतिलिपि भेजने का निदेश दिया है :

(i) 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए निगम की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित निगम के तुलन-पत्र तथा लेखे, और

(ii) 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए निगम की कार्यपद्धति के संबंध में निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट।

2. निगम की वार्षिक रिपोर्ट की मुद्रित प्रतियाँ आपको शीघ्र प्रेषित की जाएंगी।

भवदीया,

कुमुदिनी हाजरा

(कुमुदिनी हाजरा)
सचिव

अनुलग्नक : यथोक्त

निदेशक
Director

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी)
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)

निबीप्रगानि/सवि/ 1843 /01.01.016/2013-14 21 जून, 2013

प्रेषण पत्र
(भारत सरकार को)

सचिव,
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
(बैंकिंग प्रभाग)
जीवन दीप भवन
संसद मार्ग
नई दिल्ली - 110 001

महोदय,

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के तुलन-पत्र, लेखे तथा निगम की कार्यपद्धति संबंधी रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के उपबंधों के अनुसरण में निदेशक बोर्ड ने मुझे इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक हस्ताक्षरित प्रतिलिपि भेजने का निदेश दिया है :

(i) 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सहित निगम के तुलन-पत्र तथा लेखे, और

(ii) 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए निगम की कार्यपद्धति के संबंध में निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट।

2. उल्लिखित सामग्री (अर्थात् तुलन-पत्र, लेखे और निगम की कार्यपद्धति संबंधी रिपोर्ट) की प्रतियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की गई हैं। उनकी तीन अतिरिक्त प्रतियाँ भी इस पत्र के साथ भेजी जा रही हैं।

3. कृपया उक्त अधिनियम की धारा 32(2) के अंतर्गत संसद के प्रत्येक सदन (अर्थात् लोकसभा और राज्यसभा) में दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की तारीख / तारीखें सूचित करें। निगम की वार्षिक रिपोर्ट की मुद्रित प्रतियाँ आपको यथा शीघ्र प्रेषित की जाएंगी।

भवदीया,

कुमुदिनी हाजरा

(कुमुदिनी हाजरा)
सचिव

अनुलग्नक : यथोक्त

निदेशक मंडल

अध्यक्ष

डॉ. ऊर्जित आर. पटेल **उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक**	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (ए) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित (18.01.2013 से)

निदेशक

श्री जसबीर सिंह **कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक**	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (बी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित (21.09.2012 से)
डॉ. शशांक सक्सेना **निदेशक, वित्त मंत्रालय** **वित्तीय सेवाएं विभाग** **भारत सरकार**	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (सी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित (12.06.2008 से)
डॉ. प्रकाश बक्शी **अध्यक्ष,** **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक**	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (डी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित (19.08.2011 से)
श्री बी.एल.पटवर्धन **परामर्शदाता,** **सारस्वत कोआपरेटिव बैंक लि.**	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (डी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित (12.10.2011 से)
श्री कमलेश विकमसे **सनदी लेखाकार**	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (ई) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित (05.09.2011 से)
श्री जी.शिवकुमार **प्रोफेसर, आईआईटी, मुंबई**	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (ई) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित (20.09.2011 से)

संगठन तालिका

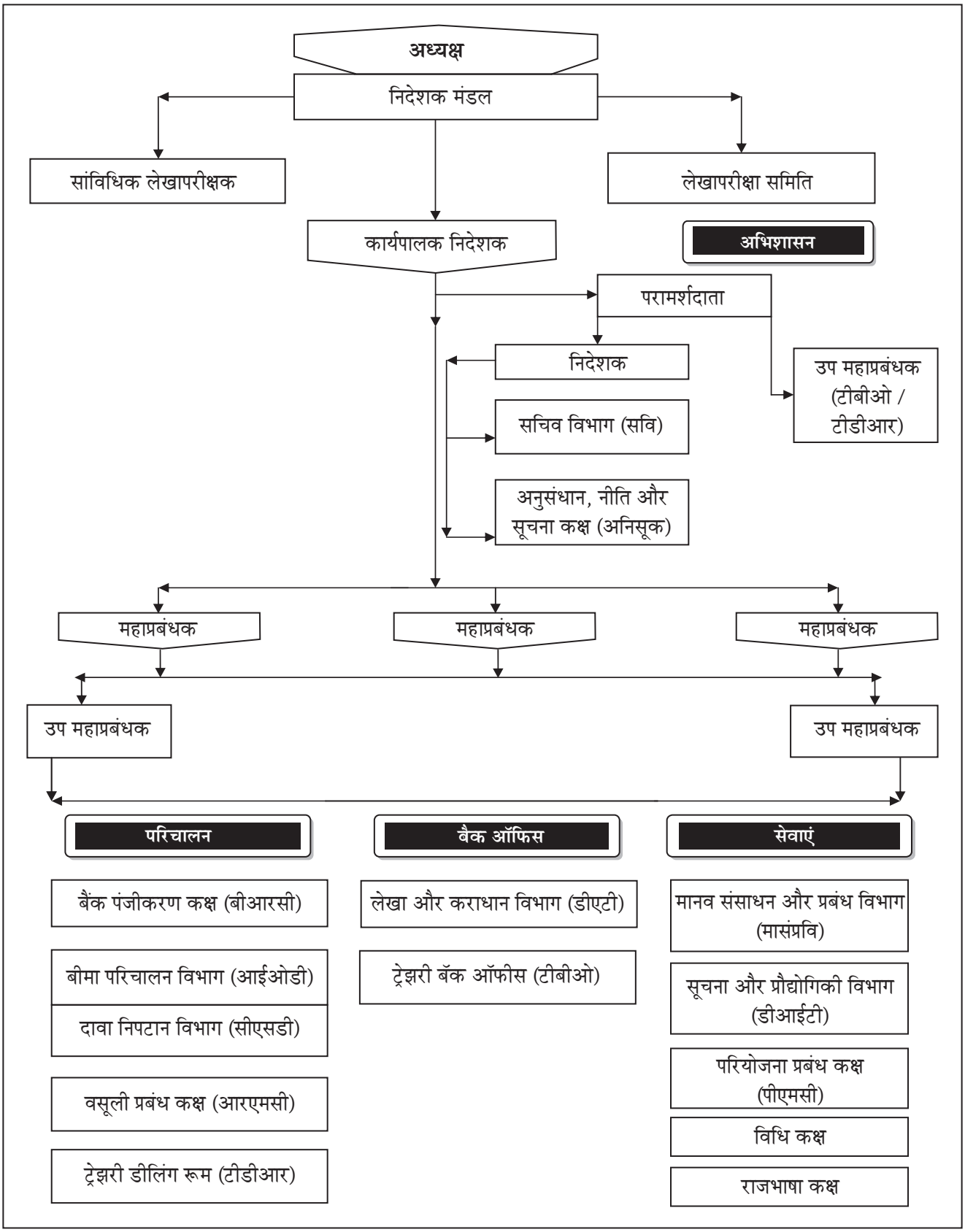
अध्यक्ष
निदेशक मंडल
सांविधिक लेखापरीक्षक
लेखापरीक्षा समिति
कार्यपालक निदेशक
अभिशासन
परामर्शदाता
निदेशक
उप महाप्रबंधक (टीबीओ / टीडीआर)
सचिव विभाग (सवि)
अनुसंधान, नीति और सूचना कक्ष (अनिसूक)
महाप्रबंधक
महाप्रबंधक
महाप्रबंधक
उप महाप्रबंधक
उप महाप्रबंधक
परिचालन
बैंक ऑफिस
सेवाएं
बैंक पंजीकरण कक्ष (बीआरसी)
बीमा परिचालन विभाग (आईओडी)
दावा निपटान विभाग (सीएसडी)
वसूली प्रबंध कक्ष (आरएमसी)
ट्रेझरी डीलिंग रूम (टीडीआर)
लेखा और कराधान विभाग (डीएटी)
ट्रेझरी बॅक ऑफीस (टीबीओ)
मानव संसाधन और प्रबंध विभाग (मासंप्रवि)
सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी)
परियोजना प्रबंध कक्ष (पीएमसी)
विधि कक्ष
राजभाषा कक्ष

निगम में संपर्क सूत्र

फैक्स सं. **022 - 2301 5662**
022 - 2301 8165

तार **CREDITGUARD**

टेलीफोन संख्या

022-2308 4121	सामान्य
022-2306 2161	प्रीमियम
022-2306 2162	दावे
022-2301 9570	सूअअ
022-2302 1150	ग्राहक देखरेख कक्ष

प्रधान कार्यालय

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
भारतीय रिज़र्व बैंक,
दूसरी मंज़िल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने,
भायखला, मुंबई – 400 008.
भारत

(i)	कार्यपालक निदेशक	022-2301 9460
(ii)	महाप्रबंधक	022-2301 9645
(iii)	निदेशक	022-2301 9570
(iv)	महाप्रबंधक	022-2301 8840
(v)	महाप्रबंधक	022-2302 1150
(vi)	उप महाप्रबंधक	022-2302 1149
(vii)	उप महाप्रबंधक	022-2302 1146
(viii)	उप महाप्रबंधक	022-2301 9792

ईमेल : dicgc@rbi.org.in
वेबसाईट : www.dicgc.org.in

निगम के प्रमुख अधिकारी

कार्यपालक निदेशक

श्री जसबीर सिंह

परामर्शदाता

श्रीमती जया मोहंती

महाप्रबंधक

श्री एम.के.सामंतरे

श्री राजेश कुमार

श्रीमती मोलिना चौधरी

श्रीमती प्रतिभा राघवन

सचिव और निदेशक

श्रीमती कुमुदिनी हाजरा

उप महाप्रबंधक

श्री द्विजराज सेठी

श्री एम.कृपानन्दम

श्री वी.के.मौर्य

मुख्य लोक सूचना अधिकारी

श्रीमती कुमुदिनी हाजरा

बैंकर

भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

कर परामर्शदाता

मेसर्स पी.सी.घड़ियाली एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

206, अरुण चेंबर्स, ताड़देव
मुंबई - 400 034

लेखा परीक्षक

मेसर्स सारडा एंड पारीक
सनदी लेखाकार

महाबीर अपार्टमेंट, तीसरी मंजिल,
598, एम.जी.रोड, सनसिटी सिनेमा के पास,
विले पार्ले (पूर्व)
मुंबई - 400 057

बीमांकक

मेसर्स के.ए.पंडित
परामर्शदाता और बीमांकक

दूसरी मंज़िल, चर्चगेट हाउस,
वीर नरीमन रोड, फोर्ट,
मुंबई - 400 001

संक्षेपाक्षर

एएमसी	:	आस्ति प्रबंधन कंपनी
एपीआरसी	:	एशिया पैसिफिक रीजनल कमेटी
एएस	:	लेखांकन मानक
बीसीबीएस	:	बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति
बी.आर.एक्ट	:	बैंकिंग विनियमन अधिनियम
सीए	:	सनदी लेखाकर
सीबीएस	:	कोर बैंकिंग सिस्टम
सीईओ	:	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सीएफएसए	:	वित्तीय क्षेत्र निर्धारण समिति
सीएसटीएटी	:	सीमाशुल्क उत्पाद और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण
सीजीसीआई	:	क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन आफ इंडिया लि.
सीजीएफ	:	ऋण गारंटी निधि
सीजीओ	:	ऋण गारंटी संगठन
सीआरआर	:	नकदी आरक्षित अनुपात
सीएसएए	:	नियंत्रण स्वमूल्यांकन लेखापरीक्षा
डीसीसीबी	:	जिला केंद्रीय सहकारी बैंक
डीएफआई	:	विकास वित्तीय संस्था
डीआईसी	:	निक्षेप बीमा निगम
डीआईसीजीसी	:	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
डीआईएफ	:	निक्षेप बीमा निधि
डी-एसआईबी	:	घरेलू प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण बैंक
एफसी	:	वित्तीय समूह
एफएचसी	:	वित्तीय धारिता कंपनी
एफआई	:	वित्तीय संस्थान
एफआईएमएमडीए	:	भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाजार तथा व्युत्पन्न (डेरीवेटिव्स) संघ
एफएमआई	:	वित्तीय बाजार संबंधी बुनियादी ढ़ाँचा
एफएसबी	:	वित्तीय स्थिरता बोर्ड
एफएसडीसी	:	वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद
एफएसएलआरसी	:	वित्तीय क्षेत्र विधाई सुधार आयोग
जीएएपी	:	सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत
जीएफ	:	सामान्य निधि
जीओआई	:	भारत सरकार
जी-एसआईबी	:	वैश्विक रूप से प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण बैंक
जी-एसआईएफआई	:	वैश्विक रूप से प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान

आईएडीआई	:	इंटरनेशनल एसोसिएशन आफ डिपाजिट इंश्योरर्स
आईसीएआई	:	इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया
आईएफआर	:	निवेश उच्चावचन रिज़र्व
आईआर	:	निवेश रिज़र्व
आईआरडीए	:	बीमा विनियामक और विकास प्राधिकारी
आईआरएफ	:	अंतर-विनियामक फोरम
आईटी	:	सूचना तकनीकी
केए	:	प्रमुख विशेषताएं
एलएबी	:	स्थानीय क्षेत्र बैंक
एलटीयू	:	बड़े आयकरदाता इकाई
एमओयू	:	समझौता ज्ञापन
नाबार्ड	:	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनबीएफसी	:	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनबीएफसी (डी)	:	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (जमाराशि स्वीकार करने वाली)
एनईएफटी	:	राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण
पीएफआरडीए	:	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकारी
पीएसबी	:	सरकारी क्षेत्र के बैंक
आरबीआई	:	भारतीय रिज़र्व बैंक
आरसीएस	:	सहकारी समितियों के पंजीयक
आरआर	:	आरक्षित अनुपात
आरआरबी	:	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरआरपी	:	वसूली और समाधान योजना
एसबीआई	:	भारतीय स्टेट बैंक
एससी	:	अनुसूचित जाति
एसईबीआई	:	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एसआईएफआई	:	प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान
एसएलजीएस	:	लघु ऋण गारंटी योजना
एसएलआर	:	सांविधिक चलनिधि अनुपात
एसएल (एसएसआई) जीएस	:	लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना
एसटी	:	अनुसूचित जनजाति
एसटीसीबी	:	राज्य सहकारी बैंक
टीएएफसीयूबी	:	शहरी सहकारी बैंकों के लिए कार्यबल
यूसीबी	:	शहरी सहकारी बैंक
यूके	:	यूनाइटेड किंगडम
यूएसए	:	संयुक्त राज्य अमेरिका
यूटी	:	केंद्रशासित प्रदेश

विशेषताएं - I : निक्षेप बीमा एक नज़र में

(₹ बिलियन में)

वर्ष के अंत में	1962	1972	1982	1992-93	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1 **पूँजी** *	0.01	0.02	0.15	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
2 **निक्षेप बीमा**																					
(i) निक्षेप बीमा निधि **	0.01	0.25	1.54	3.12	2.99	20.22	31.07	33.10	37.06	42.50	55.14	59.08	78.18	91.03	109.79	133.62	161.55	201.52	247.04	300.93	361.20
(ii) बीमाकृत बैंक (संख्या में)	276	476	1683	1931	2296	2438	2583	2676	2728	2715	2629	2595	2547	2531	2392	2356	2307	2249	2217	2199	2167
(iii) निर्धारणीय जमाराशियाँ @	18.95	74.58	423.60	2443.75	4506.74	4923.80	6099.62	7040.68	8062.60	9687.52	12131.63	13182.68	16198.15	17909.19	23443.51	29847.99	33985.65	45879.67	49524.27	57674.00	66210.60
(iv) बीमाकृत जमाराशियाँ @	4.48	46.56	317.74	1645.27	3376.71	3705.31	4396.09	4985.58	5724.34	6740.51	8288.85	8709.40	9913.65	10529.88	13725.97	18050.81	19089.51	16823.97	17358.00	19043.00	21583.65
(v) कुल खातों की संख्या (मिलियन में)	7.7	34.1	159.8	354.3	435.1	410.9	464.2	441.7	446.2	481.7	600.2	544.0	649.5	537.3	716.9	1038.9	1348.9	1423.9	1051.6	1073.0	1481.75
(vi) पूर्णत: संरक्षित खाते (मिलियन में)	6.0	32.8	158.1	339.5	427.3	371.3	454.4	430.2	432.5	464.5	578.2	518.9	619.5	505.5	682.9	961.7	1204.0	1266.9	976.9	996.0	1393.08
(vii) योजना के प्रारंभ से प्रदत्त दावे	–	0.01	0.03	1.78	1.94	1.96	2.09	2.25	2.62	6.77	8.63	10.44	14.85	20.50	25.94	27.55	29.84	36.38	40.17	43.05	45.05

* निगम की सामान्य निधि के तहत है।

** बीमांकिक और अधिशेष दोनों राशियाँ शामिल हैं।

@ 2009-10 से नए रिपोर्टिंग फार्मेट के अनुसार आकड़े दिए गए हैं।

विशेषताएं - II : ऋण गारंटी एक नजर में

(₹ बिलियन में)

वर्ष के अंत में	1962	1972	1982	1992-93	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
ऋण गारंटी																						
(i) ऋण गारंटी निधि *	–	–	0.89	9.07	17.75	29.26	6.79	7.58	11.88	11.33	12.62	13.93	15.11	2.50	3.45	3.49	3.67	3.85	2.98	3.10	3.00	3.25
(ii) गारंटीकृत अग्रिम																						
क) छोटे उधारकर्ता	–	2.08	48.40	263.48	172.61	39.39	32.41	2.78	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
ख) लघु उद्योग	–	–	38.22	155.03	112.71	33.76	28.13	0.39	0.05	0.01	0.01	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
(iii) प्राप्त दावे (वर्ष के लिए)																						
क) छोटे उधारकर्ता	–	–	0.25	8.83	18.41	18.42	1.84	2.18	2.19	0.22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) लघु उद्योग	–	–	0.30	2.60	5.24	2.70	1.20	0.34	0.26	0.14	0.01	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iv) निपटाए गए दावे (वर्ष के दौरान)																						
क) छोटे उधारकर्ता	–	–	0.15	5.66	10.31	4.03	4.01	11.88	11.95	1.71	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) लघु उद्योग	–	–	0.27	2.43	3.08	2.91	2.21	2.25	1.39	0.54	0.05	0.01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

* बीमांकिक और अधिशेष दोनों शामिल हैं।

ला.न. : योजनाओं के अंतर्गत एक भी ऋण संस्था सहभागी न होने के कारण लागू नहीं।

परिचालनगत विशेषताएं - III : (निक्षेप बीमा)

(₹ बिलियन में)

विवरण	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08
राजस्व विवरण						
प्रीमियम आय	57.18	56.40	48.44	41.55	34.53	28.44
निवेश आय	27.68	23.53	18.01	15.13	12.89	11.45
निवल दावे	4.20	3.57	1.71	4.07	9.09	1.80
कर पूर्व राजस्व अधिशेष	86.27	60.01	61.45	37.53	39.73	37.43
करोत्तर राजस्व अधिशेष	58.27	40.54	41.32	28.93	26.89	22.51
तुलन पत्र						
निधि शेष (बीमांकिक)	52.65	47.68	37.74	32.75	18.17	15.53
निधि अधिशेष	308.55	253.25	209.30	168.77	143.39	118.09
दावे संबंधी बकाया देयताएं	9.05	6.89	6.03	7.64	10.75	4.88
निष्पादन मैट्रिक्स						
1. दावों की प्राप्ति और दावों के निपटान के बीच औसत दिन @	27	52	49	54	43	53
2. बैंक का पंजीकरण रद्द करने और दावों (प्रथम दावा) @ के निपटान के बीच औसत दिनों की संख्या	410	533	388	361	825	604
3. कुल कारोबार (प्रीमियम आय) के प्रतिशत के रूप में परिचालनगत लागत	0.25	0.27	0.35	0.26	0.30	0.33
(इसमें से: कुल प्रीमियम आय की तूलना में कर्मचारी लागत का प्रतिशत)	(0.13)	(0.14)	(0.15)	(0.14)	(0.16)	(0.17)

@ मामले से संबंधित राशि की स्वीकृति की तुलना में दिनों की संख्या के आधार पर औसत दिनों की वास्तविक संख्या निकाली गई है।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का विहंगावलोकन

(1) परिचय

निबीप्रगानि के कार्य "निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961" (निबीप्रगानि अधिनियम) और उक्त अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार किए गए "निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1961" के प्रावधानों के जरिए नियंत्रित है। चूँकि कोई भी ऋण संस्था निगम द्वारा संचालित किसी भी ऋण गारंटी योजना में भाग नहीं ले रही है, अत: निगम ऐसी किसी योजना का संचालन नहीं कर रहा है और निक्षेप बीमा ही इसका प्रधान कार्य है।

(2) इतिहास

बंगाल में बैंकिंग संकट उत्पन्न होने के उपरांत वर्ष 1948 में पहली बार जमा राशियों का बीमा करने का विचार बैंक के सामने आया। इसके एक वर्ष बाद 1949 में यह मामला पुन: विचार हेतु प्रस्तुत हुआ। परंतु रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों के निरीक्षण की पर्याप्त व्यवस्था किए जाने तक इस मामले को रोके रखा गया। तदुपरांत वर्ष 1950 में ग्रामीण बैंकिंग जाँच समिति ने इस धारणा का समर्थन किया। वर्ष 1960 में पलाइ सेंट्रल बैंक लि. तथा लक्ष्मी बैंक लि. के विफल होने के उपरांत रिज़र्व बैंक तथा केंद्र सरकार द्वारा जमाराशियों की बीमा के संबंध में गंभीर विचार प्रस्तुत किए। 21 अगस्त, 1961 को संसद में निक्षेप बीमा निगम (डीआईसी) बिल लाया गया। इसके पारित होने के उपरांत 7 दिसंबर, 1961 को इस बिल को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और निक्षेप बीमा अधिनियम 1961 दिनांक 1 जनवरी, 1962 से प्रभावी हुआ।

प्रारंभ में, निक्षेप बीमा सुरक्षा (कवर) कार्यरत सभी वाणिज्यिक बैंकों को प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक तथा इसकी सहायक संस्थाएं तथा वाणिज्यिक बैंक तथा भारत में परिचालित विदेशी बैंकों की शाखाएं शामिल थीं।

निक्षेप बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम, 1968 अधिनियमित किए जाने के बाद निक्षेप बीमा का विस्तार सहकारी बैंकों तक भी किया गया और निगम से यह अपेक्षा की गई कि वह निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 13ए के प्रावधानों के अंतर्गत "पात्र सहकारी बैंकों" का बीमाकृत बैंकों के रूप में पंजीकरण करे।

रिज़र्व बैंक से परामर्श करके भारत सरकार ने जुलाई 1960 में ऋण गारंटी योजना प्रारंभ की। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (11ए)(ए) के अंतर्गत केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में रिज़र्व बैंक को इस योजना के प्रशासन का कार्य सौंपा गया और इसे ऋण गारंटी संस्थान (सीजीओ) का नाम दिया गया, जिसे बैंकों और अन्य ऋण संस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों को स्वीकृत किए गए अग्रिमों के लिए गारंटी प्रदान करना था। रिज़र्व बैंक ने इस योजना को 31 मार्च, 1981 तक परिचालित किया।

रिज़र्व बैंक ने 14 जनवरी, 1971 को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को प्रोन्नत किया, जिसका नाम क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (सीजीसीआई) था। सीजीसीआई द्वारा प्रारंभ की गई ऋण गारंटी योजना का उद्देश्य अबतक उपेक्षित विशेष रूप से गैर-औद्योगिक गतिविधियों में लगे समाज के कमजोर वर्ग की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण संस्थाओं द्वारा भारिबैं द्वारा परिभाषित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत सम्मिलित छोटे और जरूरतमंद उधारकर्ताओं को स्वीकृत किए गए ऋणों और अग्रिमों के लिए गारंटी कवर उपलब्ध कराने के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों को प्रोत्साहित करना था।

निक्षेप बीमा और ऋण गारंटी के कार्यों को एकीकृत करने के उद्देश्य से दोनों संस्थाओं *जैसे* : निक्षेप बीमा निगम और क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन आफ इंडिया (सीजीसीआई) को मिला दिया गया और इस प्रकार 15 जुलाई, 1978 को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अस्तित्व में आया। निक्षेप बीमा अधिनियम, 1961 को पूर्ण रूप से संशोधित किया गया और पुन: इसे 'निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961' का नाम दिया गया।

भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना के निरस्त हो जाने के बाद 1 अप्रैल, 1981 से निगम ने छोटे लघु उद्योगों को स्वीकृत ऋण के लिए भी गारंटी सपोर्ट प्रदान करना प्रारंभ

किया। 1 अप्रैल, 1989 से पूरे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों के अग्रिमों तक गारंटी कवर का विस्तार किया गया।

(3) संस्थागत कवरेज

(i) भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाओं सहित सभी **वाणिज्य बैंक**, स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) निक्षेप बीमा योजना के अंतर्गत शामिल हैं।

(ii) निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 2(जीजी) में यथापरिभाषित सभी पात्र **सहकारी बैंकों** को निक्षेप बीमा योजना के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में कार्य कर रहे सभी राज्य, केंद्रीय और प्राथमिक सहकारी बैंक, जिन्होंने निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की अपेक्षानुसार रिज़र्व बैंक को यह अधिकार देने के लिए अपने सहकारी समिति अधिनियम को संशोधित किया है कि वह राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों की समितियों के रजिस्ट्रार को आदेश दे सके कि किसी सहकारी बैंक का समापन कर दे अथवा इसके प्रबंध समिति को अधिक्रमित करे और रजिस्ट्रार से अपेक्षित कर सके कि वह रिज़र्व बैंक से लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना किसी सहकारी बैंक के समापन, समामेलन या पुन:निर्माण के लिए कोई कार्रवाई न करे, पात्र सहकारी बैंक समझे जाते हैं। वर्तमान में सभी सहकारी बैंक इस योजना में शामिल हैं। केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप तथा दादरा एवं नगर हवेली में कोई भी सहकारी बैंक नहीं है।

(4) बैंकों का पंजीकरण

(i) निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 11 के अंतर्गत सभी नए वाणिज्य बैंकों से अपेक्षित है कि वे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस जारी करने के तुरंत बाद निगम में पंजीकरण कराएं। निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 11ए के अंतर्गत सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आआरबी) से अपेक्षित है कि वे अपनी स्थापना की तारीख से 30 दिनों के अंदर निगम में पंजीकरण कराएं।

(ii) एक नए पात्र सहकारी बैंक से अपेक्षित है कि वह रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस जारी करने के तुरंत बाद निगम में पंजीकरण कराएं।

(iii) जब किसी प्राथमिक सहकारी समिति की स्वाधिकृत निधियाँ ₹1 लाख हो जाएं तो बैंकिंग कारोबार करने हेतु उसे प्राथमिक सहकारी बैंक के रूप में लाइसेंस के लिए रिज़र्व बैंक में आवेदन करना होगा और लाइसेंस के लिए आवेदन की गई तारीख से 3 महीनों के अंदर निगम में पंजीकरण कराना होगा।

(iv) निक्षेप बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम, 1968 के लागू होने के बाद सहकारी बैंक के रूप में कारोबार कर रहे किसी अन्य सहकारी समिति के विभाजन अथवा बैंकिंग विधि (सहकारी समितियों पर प्रयोज्य) अधिनियम, 1965 के प्रारंभ के समय से या इसके बाद से बैंकिंग कारोबार करनेवाले दो या अधिक सहकारी समितियों के समामेलन से अस्तित्व में आए सहकारी बैंक को लाइसेंस के लिए आवेदन की गई तारीख से तीन महीनों के अंदर पंजीकरण कराना है। तथापि, ऐसे किसी सहकारी बैंक का पंजीकरण नहीं किया जाएगा जिसके संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा लिखित रूप में यह सूचित किया गया हो कि उसे लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है।

निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 14 के अनुसार निगम द्वारा किसी बैंक का बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकरण करने के बाद उससे अपेक्षित है कि वह 30 दिनों के अंदर लिखित रूप में बैंक को सूचित करे कि उसे बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकृत किया गया है। सूचना पत्र में पंजीकरण सूचना और पंजीकरण संख्या के अलावा बैंक द्वारा अनुपालन की जाने वाली अपेक्षाओं के ब्यौरे अर्थात् निगम को देय प्रीमियम दर, प्रीमियम अदा करने की पद्धति और निगम को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों के ब्यौरे आदि शामिल होने चाहिए।

(5) बीमा कवरेज

निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 16(1) के मूल प्रावधानों के अंतर्गत बीमा सुरक्षा प्रति जमाकर्ता उसके द्वारा बैंक की सभी शाखाओं में रखी गई जमाराशि को मिलाकर 'समान क्षमता और समान अधिकार' में मूलत: ₹1500/- तक सीमित रखी गई थी। तथापि, अधिनियम निगम को यह भी अधिकार देता है कि वह केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से इस सीमा को बढ़ा सकता है। तदनुसार, बीमा सीमा को समय-समय पर निम्नानुसार बढ़ाया गया है :

प्रभावी तिथि	बीमा सीमा
1 मई, 1993	₹ 1,00,000/-
1 जुलाई, 1980	₹ 30,000/-
1 जनवरी, 1976	₹ 20,000/-
1 अप्रैल, 1970	₹ 10,000/-
1 जनवरी, 1968	₹ 5,000/-

(6) सुरक्षा प्रदत्त जमाराशियों के प्रकार

निबीप्रगानि (i) विदेशी सरकारों की जमाराशियाँ; (ii) केंद्र / राज्य सरकारों की जमाराशियाँ; (iii) राज्य सहकारी बैंकों में रखी गई राज्य भूमि विकास बैंकों की जमाराशियाँ; (iv) अंतर बैंक जमाराशियाँ; (v) भारत के बाहर प्राप्त जमाराशि तथा (vi) रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से निगम द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त किसी राशि को छोड़कर बचत, मीयादी, चालू, आवर्ती आदि जैसी सभी बैंक जमाराशियों का बीमा करता है।

(7) बीमा प्रीमियम

निक्षेप बीमा प्रणाली के संचालन हेतु निगम बीमाकृत बैंकों से बीमा प्रीमियम एकत्रित करता है। बीमाकृत बैंकों द्वारा अदा किए जाने वाले बीमा प्रीमियम का परिकलन निर्धारणीय जमाराशियों के आधार पर किया जाता है। बीमाकृत बैंक निगम को अग्रिम प्रीमियम अर्ध-वार्षिक (छमाही) आधार पर पिछले अर्ध-वर्ष (छमाही) के अंत की जमाराशियों की स्थिति के अनुसार प्रत्येक वित्तीय छमाही के प्रारंभ से दो महीनों के भीतर भुगतान करते हैं। बीमित बैंकों द्वारा निगम को प्रदत्त प्रीमियम के संबंध में बैंकों से अपेक्षित है कि इसे वे स्वयं वहन करें न कि जमाकर्ताओं पर डालें। प्रीमियम भुगतान में विलंब के लिए बीमाकृत बैंक संबंधित छमाही से भुगतान की तारीख तक चूक की राशि पर बैंक दर से 8 प्रतिशत अधिक की दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य है।

₹ 100 की प्रत्येक जमाराशि पर प्रीमियम की दर

तारीख से प्रीमियम	प्रीमियम (₹ में)
1-04-2005	0.10
1-04-2004	0.08
1-07-1993	0.05
1-10-1971	0.04
1-01-1962	0.05

(8) पंजीकरण रद्द करना

निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 15ए के अंतर्गत निगम को लगातार तीन छमाहियों के लिए प्रीमियम अदा न करने वाले बीमाकृत बैंकों का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार है। तथापि, यदि विपंजीकृत बैंक द्वारा इस हेतु अनुरोध किया जाता है और वह चूक की तारीख से प्रीमियम के रूप में देय संपूर्ण राशि ब्याज सहित अदा कर देता है तो निगम द्वारा उसका पंजीकरण फिर से चालू किया जा सकता है परंतु शर्त यह है कि वह बैंक अन्यथा रूप से बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकरण हेतु पात्र हो।

किसी बीमाकृत बैंक का पंजीकरण निम्न परिस्थितियों में रद्द किया जा सकता है:- नई जमाराशियाँ स्वीकार करने से उसे प्रतिबंधित किया गया हो; अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा इसका लाइसेंस रद्द अथवा लाइसेंस देने के लिए मना कर दिया गया हो; अथवा स्वैच्छिक रूप से अथवा अनिवार्यत: उसका समापन कर दिया गया हो अथवा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36ए(2) के अर्थों में अब वह बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक नहीं रह गया हो; अथवा इसने अपनी सारी जमा देयताओं को किसी अन्य संस्था को अंतरित कर दिया हो; अथवा इसे किसी अन्य बैंक के साथ समामेलित कर दिया गया हो अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई समझौता, व्यवस्था या पुनर्निर्माण योजना स्वीकृत की गई हो और यह योजना नई जमाराशियाँ स्वीकार करने की अनुमति न देती हो। किसी सहकारी बैंक के संबंध में यदि उसने पात्र सहकारी बैंक के रूप में कार्य करना बंद कर दिया हो तो इसका पंजीकरण रद्द भी हो सकता है।

प्रीमियम भुगतान करने में हुई चूक को छोड़कर अन्य कारण से किसी बैंक का पंजीकरण रद्द किए जाने की स्थिति में रद्द करने की तारीख तक बैंक की जमाराशियों को बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

(9) बीमाकृत बैंकों का पर्यवेक्षण और निरीक्षण

निगम को किसी बीमाकृत बैंक के अभिलेखों को आसानी से प्राप्त करने और इनकी प्रतिलिपियाँ माँगने का अधिकार है। निगम के अनुरोध पर रिज़र्व बैंक से अपेक्षित है कि वह किसी बीमाकृत बैंक का निरीक्षण / जाँच पड़ताल करे /करवाए।

(10) दावों का निपटान

(i) किसी बीमाकृत बैंक के समापन या परिसमापन की स्थिति में पंजीकरण रद्द करने की तारीख (अर्थात्

लाइसेंस रद्द करने अथवा समापन या परिसमापन की तारीख) तक बैंक के प्रत्येक जमाकर्ता द्वारा उसकी सभी शाखाओं में रखी गई जमाराशियों को मिलाकर उसकी समान क्षमता और समान अधिकार में रखी राशि में से उसके द्वारा देय राशि, यदि कोई हो, के समंजन के अधीन [निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 16(1) के साथ पठित 16(3)] भुगतान हेतु पात्र होंगे। तथापि, प्रत्येक जमाकर्ता को भुगतान समय-समय पर निर्धारित बीमा-कवर की सीमा के अधीन किया जाएगा।

(ii) जब किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी बैंक के लिए समझौता या व्यवस्था या पुनर्निमाण या समामेलन की योजना स्वीकृत की जाती है और इस योजना में इसके लागू होने की तारीख तक पूरी जमाराशि के क्रेडिट के लिए जमाकर्ता पात्र नहीं होते हैं तो निगम पूरी जमाराशि अथवा उस समय लागू बीमा कवर की सीमा में, इसमें से जो भी कम हो और योजना के अंतर्गत वास्तव में उसे प्राप्त होने वाली राशि के बीच के अंतर की राशि अदा करता है। इन मामलों में भी, उस बैंक की सभी शाखाओं में समान क्षमता और समान अधिकार में जमाकर्ताओं की सभी जमाराशियों के संबंध में जमाकर्ताओं को देय राशि का निर्धारण बैंक को उनके द्वारा देय राशि, यदि कोई हो, के समंजन के अधीन [निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 16 (2) और (3)] निर्धारित किया जाता है।

(iii) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम की धारा 17(1) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी बीमाकृत बैंक जिसका समापन हो चुका हो या वह परिसमापनाधीन है, तो उसके परिसमापक द्वारा निबीप्रगानि द्वारा यथानिर्दिष्ट पद्धति में प्रत्येक जमाकर्ता की जमाराशि और समंजन-राशि को अलग-अलग दर्शाने वाली सूची इसकी यथार्थता प्रमाणित करते हुए परिसमापक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के तीन महीनों के भीतर निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम को प्रस्तुत की जानी है। (विशिष्ट दावा निपटान प्रक्रिया चार्ट 1 में दी गई है)

(iv) ऐसे बैंक के संबंध में जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा समामेलन / पुनर्निर्माण आदि जैसी कोई योजना स्वीकृत की गई है, इसी प्रकार की सूची संबंधित अंतरिती बैंक या बीमाकृत बैंक, जैसी भी स्थिति हो, के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा समामेलन / पुनर्निर्माण आदि जैसी योजना के लागू होने की तारीख 'निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 18(1)' से तीन महीनों के अंदर प्रस्तुत की जानी है।

(v) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से अपेक्षित है कि वह अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक जमाकर्ता के संबंध में देय राशि का भुगतान, ऐसी सूची जो निगम द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप हो और सभी प्रकार से पूर्ण / सही हो, के प्राप्त करने के दो महीनों के अंदर करे। निगम ऐसी सूची का प्रमाणीकरण ऑन-साइट सत्यापन करने वाले सनदी लेखाकारों के फर्म से करवाता है।

(vi) सामान्यत: निगम जमाकर्ताओं के मध्य संवितरित करने के लिए पात्र राशि का भुगतान अंतरिती / बीमाकृत बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी / परिसमापक को करता है। तथापि, अनट्रेसबल जमाकर्ताओं को देय राशि, इसके संबंध में परिसमापक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सभी अपेक्षित ब्यौरे निगम को प्रस्तुत करने तक, रोक कर रखी जाएगी।

(11) निपटाए गए दावों की वसूली

निगम सामान्य विनियमावली के विनियम 22 के साथ पठित निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 21(2) के अनुसार, परिसमापक या बीमाकृत बैंक या अंतरिती बैंक, जैसा भी मामला हो, से अपेक्षित है कि वे विफल बैंकों की आस्तियों से वसूली गई राशि में से व्ययों के लिए प्रावधान करने के उपरांत हाथ में उपलब्ध अन्य राशि में से निबीप्रगानि को चुकौती करें।

(12) निधि, लेखे और कराधान

निगम तीन विभिन्न निधियाँ रखता है : अर्थात् (i) निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ); (ii) ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ); (iii) सामान्य निधि (जीएफ)। पहले दो निधियों का निर्माण क्रमश: बीमा प्रीमियम और गारंटी शुल्क के संचयन से किया जाता है और संबंधित दावों के निपटान हेतु इसका उपयोग किया जाता है। निगम की प्राधिकृत पूँजी ₹500 मिलियन है, जो पूर्णत: रिज़र्व बैंक द्वारा अभिदत्त है। सामान्य निधि का उपयोग निगम के स्थापना और प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए

चार्ट 1 : भारत में सहकारी बैंकों के संबंध में दावों के निपटान की विशिष्ट प्रक्रिया

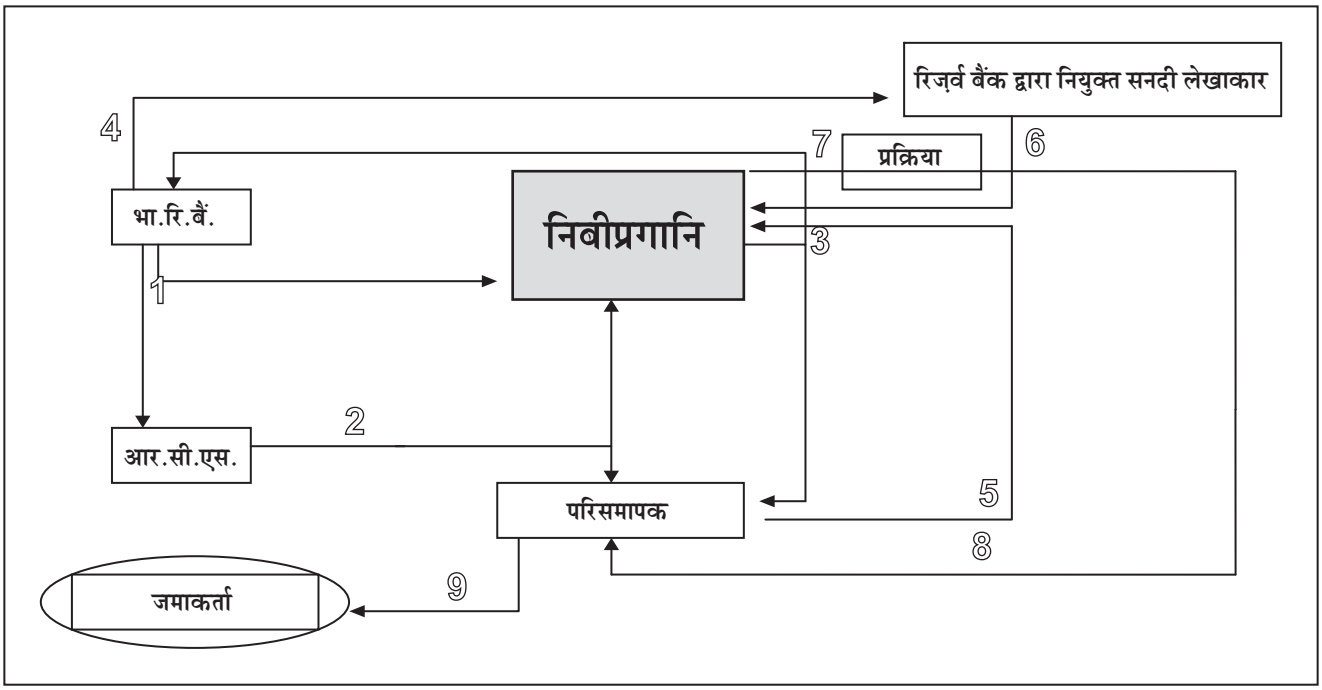

1. रिज़र्व बैंक किसी बैंक का लाइसेंस रद्द करता है / लाइसेंस अस्वीकार कर देता है और संबंधित सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) को परिसमापन की सिफारिश करता है और निबीप्रगानि को सूचित करता है।
2. आरसीएस परिसमापित बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करता है तथा निबीप्रगानि को सूचित करता है।
3. निबीप्रगानि बीमाकृत बैंक का पंजीकरण रद्द करता है और तीन महीनों के अंदर दावा सूची प्रस्तुत करने हेतु परिसमापक को दिशानिर्देश जारी करता है और रिज़र्व बैंक से दावा सूची का आनसाइट सत्यापन करने के लिए बाह्य लेखापरीक्षक (सनदी लेखाकार) नियुक्त करने का अनुरोध करता है।
4. रिज़र्व बैंक सनदी लेखाकार की नियुक्ति करता है और निबीप्रगानि दावा सूची की जाँच करने के लिए सनदी लेखाकार हेतु संक्षिप्त विवरण और ओरिएंटेशन सत्र आयोजित करता है।
5 परिसमापक जमाकर्ताओं को भुगतान करने हेतु दावा सूची प्रस्तुत करता है (साफ्ट और हार्ड कापी दोनों रूप में)।
6. आनसाइट लेखापरीक्षक (सनदी लेखाकार) दावा सूची संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।
7. कंप्यूटर के माध्यम से दावा सूची का संसाधन किया जाता है और भुगतान सूची तैयार की जाती है।
8. समेकित भुगतान परिसमापक को जारी किया जाता है और अपूर्ण / संदिग्ध दावों के संबंध में जानकारी मांगी जाती है। निगम की वेबसाइट के जरिए दावा राशि जारी करने की घोषणा की जाती है।
9. परिसमापक जमाकर्ताओं को भुगतान राशि जारी करता है।

किया जाता है। सभी तीनों निधियों की अधिशेष राशि को केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। अधिनियम के अंतर्गत निधियों के मध्य निधियों के अंतरण की अनुमति प्राप्त है।

प्रतिवर्ष 31 मार्च को निगम के बही-खाते बंद किए जाते हैं। निगम के कार्यों की लेखापरीक्षा रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। लेखापरीक्षित लेखों के साथ लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और निगम की कार्यपद्धति संबंधी रिपोर्ट लेखाबंदी के 3 महीनों के अंदर रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जाती है। इन प्रलेखों की प्रतिलिपियाँ केंद्र सरकार को भेजी जाती हैं, जिन्हें संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाता है। सामान्यत: निगम व्यापारिक (मर्केण्टाइल) लेखांकन प्रणाली का उपयोग करता है और 1987 से देयताओं के लिए बीमांकिक मूल्यांकन प्रणाली को अपनाया गया है।

निगम 1987-88 से आयकर और 2005-06 से अनुषंगी लाभ कर का भुगतान कर रहा है। आयकर अधिनियम, 1961 में यथापरिभाषित किए गए अनुसार आयकर के संबंध में निगम का मूल्यांकन 'कंपनी' के अंतर्गत किया जाता है। इसके साथही निगम ने सेवाकर संबंधी पंजीकरण करा लिया है और 1 अक्तूबर, 2011 से प्रीमयम आय पर उपचित सेवाकर अदा कर रहा है।

प्रबंधकीय चर्चा और विश्लेषण

वित्तीय संस्थाओं का समाधान : बदलता परिदृश्य

बैंक समाधान : नवीन अंतर्राष्ट्रीय महत्व और पुनर्विन्यास

वर्ष 2008 की वैश्विक वित्तीय संकट ने यह स्पष्ट कर दिया कि कमजोर और विफल बैंकों और वित्तीय संस्थाओं, जिनका प्रसार संक्रामक रूप से होता है तथा जिनसे जमाकर्ताओं को हानि होती है, को क्रमबद्ध रूप से बाहर करने के लिए प्रभावी बैंक समाधान अपरिहार्य है। इन संकटों ने हमें वित्तीय सुरक्षा नेट की कार्यपद्धति और बैंक पर्यवेक्षकों, समाधान एजेंसियों तथा निक्षेप बीमाकर्ता के मध्य परस्पर बातचीत के लिए पुन: विचार करने का संकेत दिया है। चूँकि छोटी हानि के खतरों से अस्थिरता का दौर आ सकता है, अत: ऐसे आघातों से बचने के लिए एकीकृत नीति की आवश्कता है, ताकि पर्यवेक्षक, विनियामक, ऋणशोधन-अक्षमता और निक्षेप बीमा प्राधिकारी परस्पर सहयोग के माध्यम से तेजी से कार्य सकें। अत: लचीली वित्तीय प्रणाली की जरूरत यह है कि इसमें प्रभावी पर्यवेक्षण, अत्यधिक जोखिम झेल सकने की क्षमता वाला मजबूत विनियामक, प्रभावी तथा त्वरित समाधान वाला ढाँचा होना चाहिए। ऐसे प्रयासों के बावजूद बैंकों के विफल होने के कारण ही निक्षेप बीमा का प्रारंभ हुआ।

2. सामान्य तौर पर मान्यता यह है कि राष्ट्रीय प्राधिकारियों के पास ऐसा उपयुक्त उपकरण होना चाहिए, जिससे वे सभी प्रकार की विपदाग्रस्त वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित कर सकें ताकि वित्तीय स्थिरता बनी रहे, प्रणालीगत जोखिम न्यूनतम हों, ग्राहकों का बचाव किया जा सके, नैतिक जोखिम को कम किया जा सके तथा बाजार दक्षता को प्रोन्नत किया जा सके। हाल के वित्तीय संकट के दौरान बैंक प्रमुख बिंदु बन गए और संकट से उबारने और विश्वास को बनाए रखने के लिए निक्षेप बीमा का उदय हुआ। यद्यपि यह सिद्ध हो गया है कि प्रभावी निक्षेप बीमा प्रणाली समाधान प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण और अपरिहार्य घटक है तथापि पूरे विश्व में समाधान प्रक्रिया में निक्षेप बीमा एजेंसियों द्वारा अदा की जा रही भूमिका की सीमा में अंतर है।

समाधान व्यवस्था (रिजीम) की प्रमुख विशेषताएं

3. वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) द्वारा अक्तूबर 2011 में विकसित वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रभावी समाधान व्यवस्था (रिजीम) की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत प्रभावी समाधान व्यवस्था (रिजीम) के लिए अपेक्षित मुख्य तत्वों का वर्णन किया गया है। इन प्रमुख विशेषताओं में इसका कार्यक्षेत्र, समाधान प्राधिकारी, समाधान अधिकार, समंजन, नेटिंग, समर्थक प्रतिभूतिकरण, ग्राहक की आस्तियों का पृथक्कीरण, सुरक्षा उपाय (सेफगार्ड्स), समाधान में फर्मों का निधियन, क्रास-बार्डर सहयोग के लिए विधिक ढ़ाँचा संबंधी शर्तें, संकट प्रबंधन समूह, संस्थान-विशेष क्रास-बार्डर सहयोग समझौता, समाधान-क्षमता निर्धारण, वसूली और समाधान आयोजना, सूचनाओं तक पहुँच और सूचनाओं को शेयर करना शामिल है। इन प्रमुख विशेषताओं (केए) में संस्थान-विशेष क्रास-बार्डर सहयोग समझौता, समाधान-क्षमता निर्धारण, वसूली और समाधान योजना तथा शीघ्र समाप्त करने संबंधी अधिकारों पर अस्थाई रोक के संबंध में देशों के लिए दिशानिर्देश भी शामिल होते हैं।

4. एक प्रभावी समाधान व्यवस्था (रिजीम) महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यों को संरक्षित करने के दौरान करदाताओं को होने वाली हानि को प्रकट किए बिना वित्तीय संस्थाओं को बाधारहित समाधान की सुविधा प्रदान करता है। वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) के अनुसार एक प्रभावी समाधान व्यवस्था (रिजीम) में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए :

(i) प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाएं, समाशोधन और निपटान तथा भुगतान संबंधी कार्यकलाप की निरंतरता सुनिश्चित होनी चाहिए।

(ii) उपयुक्त बीमा योजनाओं को, जहाँ लागू हो और संगत हों, संरक्षित करना और ऐसे जमाकर्ताओं, बीमापालिसी धारकों तथा निवेशकों, जो ऐसी योजनाओं एवं व्यवस्था के अंतर्गत रक्षित (कवर) हैं, के लिए व्यवस्था करना और पृथक्कृत क्लाइंट एसेट्स के संबंध में त्वरित रिटर्न सुनिश्चित करना।

(iii) हानि को फर्म धारकों (शेयर धारकों) और गैरजमानती तथा गैरबीमाकृत लेनदारों के मध्य इस प्रकार आबंटित करना कि दावों का अनुक्रम बना रहे।

(iv) ऋण शोधन के लिए सरकारी सहारे पर विश्वास न करना और यह आशा न करना कि ऐसा सहारा उपलब्ध होगा।

(v) मूल्य के अनावश्यक विनाश से बचना और इसके कारण घरेलू तथा पोषक अधिकार क्षेत्र में अन्य लक्ष्यों, लेनदारों को होने वाली हानियों के अनुकूल होने पर समाधान की कुल लागत को न्यूनतम करना।

(vi) विधिक और प्रक्रियागत स्पष्टता के माध्यम से उसमें गति और पारदर्शिता तथा यथासंभव अधिक पूर्वानुमेयता उपलब्ध कराना एवं क्रमिक समाधान हेतु अग्रिम आयोजना तैयार करना।

(vii) समाधान के पूर्व एवं इस दौरान विदेशी समाधान प्राधिकारियों के समान सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान हेतु अधिदेश उपलब्ध कराना और आंतरिक रूप से सहयोग करना।

(viii) यह सुनिश्चित करना कि अलाभकारी फर्मों को व्यवस्थित रूप से बाजार से बाहर किया जाना और

(ix) विश्वसनीय होना और इसके माध्यम से बाजार अनुशासन में वृद्धि तथा बाजार आधारित समाधानों को प्रोत्साहन देना।

5. आशय यह है कि समाधान व्यवस्था (रिजीम) में स्थिरीकरण संबंधी विकल्प होना चाहिए ताकि प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्यों और किसी संस्था के लेनदार द्वारा वित्तपोषित पुन: पूँजीकरण की निरंतरता को बनाए रखा जा सके। बीमाकृत जमाकर्ताओं, बीमा पालिसी धारकों और अन्य खुदरा ग्राहकों की सुरक्षा के दौरान किसी फर्म के व्यवसाय की क्रमिक रूप से बंदी हेतु परिसमापन का भी विकल्प होना चाहिए। पुन: विविध देशों में कार्यरत फर्मों के लिए सहयोग युक्त समाधान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अधिकार क्षेत्रों के अंतर्गत ऐसे विधाई परिवर्तनों के माध्यम से उनके समाधान व्यवस्था (रिजीम) की अभिसारिता की पहचान करना चाहिए, जिन्हें उनकी राष्ट्रीय व्यवस्था (रिजीम) की प्रमुख विशेषताओं (केए) में उपकरण एवं अधिकारों के रूप में शामिल किए जाने की आवश्यकता है।

समाधान व्यवस्था (रिजीम) से संबंधित समकक्ष समीक्षा

6. अपने अधिकार क्षेत्र वाले वर्तमान समाधान व्यवस्थाओं (रिजीमों) और प्रमुख विशेषताओं (केए) को बेंचमार्क के रूप में प्रयोग करके उन व्यवस्थाओं (रिजीमों) में किए जाने वाले परिवर्तनों का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से वित्तीय स्थिरता बोर्ड ने अपने सदस्यों के समाधान व्यवस्थाओं (रिजीमों) की तद् विषयक (थीमेटिक) समीक्षा की। समकक्ष समीक्षा रिपोर्ट अप्रैल 2013 में जारी की गई। समकक्ष समीक्षा में यह पाया गया कि कुछ अधिकार क्षेत्रों के अंतर्गत बड़े विधाई सुधार करते समय प्रमुख विशेषताओं का कार्यान्वयन प्रारंभिक स्तर पर किया गया था। पुन: मजबूत समाधान व्यवस्था (रिजीम) को कार्यान्वित करने के संबंध में कार्य किए जाने की आवश्यकता है ताकि यह प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों (सिफीज) सहित विफल हो रही संस्थाओं का सामना करने लायक बन सके।

7. इस समीक्षा का निष्कर्ष यह रहा कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड के अधिकार क्षेत्र की समाधान व्यवस्था (रिजीम) की कई विशेषताएं पहले से ही प्रमुख विशेषताओं (केए) से व्यापक रूप से मेल खाती हैं। विशेष रूप से सभी अधिकार क्षेत्र बैंकों के संबंध में समाधान अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम हैं। बीमा फर्मों के संबंध में बीमाकर्ताओं का समाधान करने के लिए लगभग सभी अधिकार क्षेत्रों में एक अथवा इनमें से दोनों समाधान संबंधी अधिकार (अर्थात् पोर्टफोलियो अंतरण तथा अपवाह) उपलब्ध हैं। हालांकि अधिकतर मामलों में न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रशासक अथवा परिसमापक द्वारा इसके समापन के संदर्भ में इन अधिकारों का प्रयोग किया जाता है। अंतिम रूप से कई अधिकार क्षेत्रों की रिपोर्ट यह है कि वे वर्तमान पर्यवेक्षी अधिकारों उदाहरणार्थ वसूली और समाधान संबंधी योजना विकसित करने के अधिकार अथवा कुछ वित्तीय संस्थाओं (एफआई) के लिए अपेक्षित समाधेयता के माध्यम से इनमें से कुछ लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।

8. यही नहीं प्रमुख विशेषताओं (केए) में महत्वपूर्ण भिन्नता और असंगतताएं हैं जिनका सामना किया जाना आवश्यक है। अपेक्षित समाधान व्यवस्था (रिजीम) में पुन: वृद्धि किए जाने संबंधी प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं :

बैंकों के लिए व्यापक समाधान अधिकार : सामान्य तौर पर अन्य वित्तीय संस्थाओं की तुलना में बैंकों के लिए समाधान व्यवस्था (रिजीम) अधिक विकसित है और कुछ अधिकार क्षेत्रों में ही प्रशासनिक प्राधिकारियों को बैंकों का समाधान करने के लिए प्रमुख विशेषताओं (केए) में निर्धारित पूरे अधिकार उपलब्ध कराए गए हैं। उदाहरणार्थ बहुत कम प्राधिकारियों को विफल हो रहे संस्थान को नकारने और देयताओं को परिवर्तित करने (समाधान के अंतर्गत जमानत) संबंधी दोनों सांविधिक अधिकार

हैं। यही नहीं कुछ मामलों में समाधान संबंधी कार्रवाई के लिए न्यायालय का अनुमोदन अथवा विफल हो रही संस्था अथवा इसके शेयरधारकों का सहयोग अपेक्षित होता है।

गैर-बैंक वाली वित्तीय संस्था के लिए समाधान : बीमा कर्ताओं, प्रतिभूति अथवा निवेश फर्मों तथा वित्तीय बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर्स (एफएमआई) वाली संस्थाओं से संबंधित समाधान व्यवस्थाएं (रिजीम) आधुनिक नहीं है और यहाँ संबंधित अधिदेश और अधिकार प्रमुख विशेषताओं (केए) के मानकों की अपेक्षा काफी कम पड़ते हैं। इससे आंशिक रूप से यह प्रदर्शित होता है कि उन क्षेत्रों में प्रमुख विशेषताओं (केए) को लागू करने संबंधी दिशानिर्देश कम विकसित अवस्था में हैं। गैर-बैंक वाली वित्तीय संस्था (एफआई) के अधिकार बहुधा पर्यवेक्षी प्रकृति के हैं और फर्म के परिसमापन अथवा समापन तक सीमित हैं।

वित्तीय समूहों के समाधान का अधिकार : अधिकतर वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) संबंधी अधिकार क्षेत्रों में पालक को नियंत्रित करने अथवा विफल वित्तीय संस्थान (एफआई), विशेषरूप से वित्तीय नियंत्रक कंपनी (एफएचसी) अथवा ऐसी महत्वपूर्ण परिचालनात्मक संबद्धता वाले संस्थान, जो विनियमित नहीं हैं, से संबद्धता संबंधी अधिकारों की कमी है। वैश्विक प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान (जी-सिफीज) की विशेष रूप से यह समस्या है कि इनका ढाँचा एकीकृत और काफी जटिल प्रकृति का है।

समाधान उपाय की क्रास-बार्डर प्रभाविकता : वित्तीय संकट से यह प्रकट हुआ कि विफल हो रही वित्तीय संस्थाओं (एफआई) के मामलों में कार्रवाई करते समय क्रास-बार्डर सहयोग को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। तथापि वर्तमान में केवल कुछ ही अधिकार क्षेत्र अपने समाधान प्राधिकारियों को सांविधिक अधिदेशों के माध्यम से विदेशी समाधान प्राधिकारियों के साथ सहयोग करने तथा समन्वय स्थापित करने संबंधी अधिकार प्रदान करते हैं तथा उसे प्रोत्साहित करते हैं। इसके अतिरिक्त कई अधिकार क्षेत्रों के वर्तमान मैकेनिज्म में विदेशी समाधान संबंधी कार्रवाई को लागू करने संबंधी सक्षमता अस्पष्ट है। बहुत ही कम अधिकार क्षेत्रों के पास विदेशी प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई की पहचान करने तथा उसे लागू करने संबंधी त्वरित प्रक्रिया (प्रशासनिक और न्यायालय आधारित) संबंधी प्रावधान हैं। ये इनकी प्रमुख कमजोरी है कि ये समाधान संबंधी कार्रवाई की वैधानिक सुनिश्चितता को दुर्बल कर सकती हैं।

निधियन : क्षेत्रों और अधिकार क्षेत्रों के मध्य निधियन संबंधी व्यवस्था में काफी अंतर है। अधिकतर अधिकार क्षेत्रों में निजी रूप से निधियन वाली संरक्षण निधि पर विश्वास का सहारा लिया जाता है लेकिन इनके अपर्याप्त होने की स्थिति में इसे स्पष्ट नहीं किया गया है। अत: प्रणाली की दृष्टि महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान (सिफीज) के लिए समाधान में सरकारी वित्तीय सहायता एक महत्वपूर्ण घटक होती है। सरकारी निधियों की वसूली संबंधी मेकेनिज्म पूरी तरह विकसित नहीं हैं।

वसूली और समाधान संबंधी आयोजना और समाधेयता में सुधार संबंधी कार्रवाई : अधिकतर अधिकार क्षेत्रों में घरेलू प्रणाली की दृष्टि महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान (सिफीज) के लिए वसूली और समाधान संबंधी आयोजना (आरआरपी) वाले विशेष संविधि अथवा नियम सुस्पष्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त अधिकतर प्राधिकारियों के पास समाधान संबंधी उनकी समाधेयता में पहले से ही सुधार लाने के लिए संगठनात्मक और वित्तीय ढाँचे में परिवर्तन हेतु अपेक्षित दृढता संबंधी अधिकारों की कमी है।

9. उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर समकक्ष समीक्षा में अधिकार क्षेत्रों के लिए कई अनुशंसाएं की गई हैं :

ए. बैंकों के लिए समाधान व्यवस्था (रिजीम) की समीक्षा की जाए तथा उसे संशोधित किया जाए ताकि आस्तियों और देयताओं के अंतरण, शेयरधारकों की शेयर धारिता को कम करने और समाधान के अंतर्गत ऋण को शेयर में परिवर्तित करने संबंधी अधिकारों सहित प्रमुख विशेषताओं (केए) के संगत समाधान संबंधी अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सके।

बी. गैर-बैंक वाली वित्तीय संस्थाओं के लिए समाधान व्यवस्था (रिजीम) की पर्याप्तता और प्रभाविकता की समीक्षा

सी. वित्तीय नियंत्रक वाली कंपनियों, गैर-विनियमित परिचालनात्मक संस्थाओं और विदेशी वित्तीय फर्मों की शाखाओं तक समाधान व्यवस्था (रिजीम) की व्यापकता का विस्तार

डी. सीमापार (क्रास-बार्डर) सहयोग और समन्वय उपायों के संबंध में समाधान प्राधिकारियों के अधिदेश और क्षमता में वृद्धि

ई. सूचना के आदान-प्रदान के लिए घरेलू विधिक ढाँचे की समीक्षा

एफ. वित्तीय संविदाओं से संबंधित संविदात्मक फुर्ती दिखाने पर अस्थाई रोक लगाने संबंधी अधिकार लागू करना

जी. घरेलू निगमित फर्मों के लिए अपेक्षित वसूली और समाधान संबंधी आयोजना (आरआरपी) लागू करना, जो उनके विफल होने की स्थिति में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण अथवा विवेचनात्मक हों और

एच. पर्यवेक्षकों और समाधान प्राधिकारियों को वित्तीय संस्थाओं के लिए अपेक्षित अधिकार देना ताकि वे अपनी समाधेयता में सुधार हेतु अपनी संरचना, संगठन अथवा व्यवसाय व्यवहारों से संबंधित परिर्तनों को स्वीकार कर सकें।

समकक्ष समीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) द्वारा दिए गए सुझाव भी भारत के लिए संगत हैं। इस बात को मान्यता दी गई है कि समाधान ढाँचे में परिवर्तन देश की परिस्थितियों में प्रासंगिक और अनुरूप होने चाहिए।

भारतीय वित्तीय संरचना : एक विहंगावलोकन

10. भारतीय बैंकिंग प्रणाली में वाणिज्यिक बैंक[1], क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), सहकारी साख संस्थाएं [राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी), जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) और प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)] सम्मिलित हैं। उक्त जमाराशि स्वीकार करने वाली संस्थाओं के अतिरिक्त कुछ गैर-बैंक वित्तीय संस्थाएं [एनबीएफसी(डी)] भी जमाराशि स्वीकार करती हैं। कुल वित्तीय सहायता के लगभग 60 प्रतिशत के साथ वाणिज्यिक बैंकों का वित्तीय प्रणाली पर वर्चस्व है। कुछ संरचनागत और विनियामक विशेषताएं जैसे वाणिज्यिक बैंकों के बड़े हिस्से का सरकारी स्वामित्व, सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) और नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) कठिन परिस्थितियों में भारतीय वित्तीय प्रणाली को लोचदार बनाती हैं। भारत के वित्तीय सुरक्षा नेट की संरचना, बैंकों के विनियमन और पर्यवेक्षण, वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में समाधान अधिकार, निबीप्रगानि के माध्यम से निक्षेप बीमा और अंतिम ऋणदाता संबंधी अधिकारों के रूप में रिज़र्व बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका है।

11. भारत में वाणिज्यिक बैंकों की विफलता संबंधी मामले विरले ही होते हैं। लेकिन शहरी सहकारी बैंकों के मध्य यह सामान्य है। बैंकों के लिए नियमित निगरानी मेकेनिज्म मौजूद है। कमजोर बैंक से अपेक्षित है कि वह पूँजी डालने (इंफ्यूजन) के साथ-साथ महत्वपूर्ण वित्तीय मानदंड संबंधी लक्ष्य निर्धारित करे। तथापि बैंक का नेटवर्थ ऋणात्मक होने और प्रतिवर्तन (टर्नअराउंड) हेतु विश्वसनीय कार्य योजना का अभाव होने पर बैंकों में भगदड़ से बचने के लिए उन्हें अधिस्थगन (मारटोरियम) के अंतर्गत रखा जाता है, आस्तियों को समाप्त करने से रोका जाता है और इनका टेकओवर करने के लिए किसी उपयुक्त मजबूत बैंक की पहचान करने हेतु विनियामकों को समय दिया जाता है। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड, जो रिज़र्व बैंक के बोर्ड की समिति है, बैंक के पर्यवेक्षी कार्यों की समीक्षा करता है और बैंकों, विशेष रूप से कमजोर बैंकों के कार्यनिष्पादन की निगरानी करता है। उच्च न्यायालय के आदेशों पर बैंकिंग विनियमन (बैंकिंग रेगुलेशन) अधिनियम, 1949 की धारा 44 के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी की स्वैच्छिक बंदी हो सकती है। इस प्रयोजन से भारिबैं का इस आशय का प्रमाणपत्र अपेक्षित है कि बैंकिंग कंपनी अपने सभी ऋणों का संपूर्ण रूप से, जैसा कि उपचय के उपरांत है, पूरा करने में सक्षम है। यदि बैंकिंग कंपनी अपने सभी ऋणों का भुगतान करने में अक्षम है अथवा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 37 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक उच्च न्यायालय में इसकी बंदी के लिए आवेदन करे तो बैंकिंग विनियमन (बीआर) अधिनियम, 1949 की धारा 38 के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी की अनिवार्य बंदी की जा सकती है।

12. सामान्य तौर पर समाधान की प्रणाली में विपदाग्रस्त बैंक की पुनर्संरचना अथवा मजबूत बैंक के साथ विलय अथवा बंदी में सहायता प्रदान करना शामिल होता है। सामान्य रूप से इसके अंतर्गत कमजोर बैंक का अन्य बैंक के साथ विलय के रूप में सहायता की जाती है अथवा उनका अनिवार्य रूप से विलय किया जाता है। कभी-कभी स्वैच्छिक विलय के रूप में स्वस्थ बैंक किसी कमजोर बैंक का अधिग्रहण (टेकओवर) करता है। परिसमापन के अधीन किए गए बैंकों को भुगतान करने के साथ-साथ जब अधिगृहीत किए जाने वाला बैंक अपनी देयता को संपूर्ण रूप से पूरा करने में असमर्थ होता है तो निबीप्रगानि

[1] वाणिज्यिक बैंकों में (i) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम (बीआर एक्ट), 1949 से नियंत्रित होता है;(ii) भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (सहयोगी बैंक) अधिनियम, 1959, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद अधिनियम, 1956 आदि और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 से नियंत्रित होते हैं; (iii) राष्ट्रीयकृत बैंक बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/80 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 से नियंत्रित होते हैं; (iv) सरकारी क्षेत्र के बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और कंपनी अधिनियम, 1956 से नियंत्रित होते हैं तथा (v) विदेशी बैंक की शाखाएं बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और कंपनी अधिनियम, 1956 से नियंत्रित होती हैं।

कवरेज की सीमा तक जमाकर्ताओं को भुगतान करके इस कमी को पूरा करने के माध्यम से विलय में सहायता करता है। छोटे शहरी सहकारी बैंकों के मामले में सामान्य एप्रोच के अंतर्गत जमाकर्ताओं को की गई प्रतिपूर्ति के साथ बैंक को परिसमापित किया जाता है। जबकि कुछ मामलों में निबीप्रगानि की सहायता से भी विलय किया गया है। (पिछले दो दशकों से ऐसे मामलों से संबंधित आँकड़े सारिणी में दिए गए हैं।)

सारिणी : समामेलन और पुनर्संरचना की योजना के अंतर्गत निपटाए गए दावे

क्रम सं.	वर्ष	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे (₹ मिलियन में)
1	2001	माधवपुरा मर्केण्टाइल कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात	-उ.न.-	4,009.40
2	2009	साउथ इंडियन कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र	56,816	359.77
3	2012	मेमन कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र	85,990	237.52
4	2012	वसव कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात	34,672	72.22

-उ.न.- : उपलब्ध नहीं

भारतीय बैंक समाधान ढाँचा : मामले और चुनौती

13. भारत में वर्तमान बैंक समाधान ढाँचा विभिन्न दरारों से भरा है और कई प्रकार के मामलों का समाधान किए जाने की आवश्यकता है। प्रथमत: बैंकों के मध्य विविधता है और विभिन्न प्रकार के विधिक ढाँचे उन्हें नियंत्रित करते हैं। वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वाणिज्यिक बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों के समान गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) तथा विकासात्मक वित्तीय कंपनियों (डीएफआई) को विनियमित करने और उनका पर्यवेक्षण करने संबंधी अधिदेश हैं, जिसका प्रमुख उद्देश्य प्रणालीगत वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के साथ-साथ वैयक्तिक संस्थानों की विफलता को रोकना है तथा जमाकर्ताओं का हित सुरक्षित करना है। जबकि राज्य सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पर्यवेक्षण राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा किया जाता है।

14. भारत में केवल वित्तीय संस्थानों के लिए कोई विशेष समाधान व्यवस्था (रिजीम) अथवा व्यापक नीति अथवा उनके दिवालिया होने संबंधी कानून नहीं हैं। विभिन्न अधिनियमों में निहित कुछ प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा केंद्र सरकार को अधिकृत किया गया है कि वे भारत के विभिन्न प्रकार के बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों का समाधान करें। बैंकिंग कंपनियों अर्थात् निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के भारत में स्थित कार्यालयों के समाधान से संबंधित प्रावधान बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और कंपनी अधिनियम, 1956 में दिए गए हैं। तथापि सरकारी क्षेत्र के बैंकों (अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक और इसकी सहयोगी बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समाधान संबंधित संविधियों जैसे क्रमश: भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955; भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959; बैंकिंग कपंनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 द्वारा नियंत्रित होते हैं।

15. सहकारी बैंकों (राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) का समाधान बैंकिंग विनियमन अधिनियम (यथा सहकारी समितियों पर लागू) 1949, बहु-राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2002 और संबंधित राज्य की सहकारी समिति अधिनियम से नियंत्रित होता है। पुन: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और वित्तीय बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर (एफएमआई) जैसी संस्थाएं भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और कंपनी अधिनियम, 1956 में निहित प्रावधानों से नियंत्रित होती हैं। यह संपूर्ण ढाँचे को जटिल और भ्रामक बना देता है। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की विविधता और संस्थाओं के समाधान / दिवालियापन (साल्वेंसी) को नियंत्रित करने संबंधी अलग संविधियाँ वर्तमान विधिक ढाँचे के अंतर्गत एकल और विशिष्ट समाधान व्यवस्था (रिजीम) बनाए रखने की गंभीर चुनौती प्रस्तुत करती हैं। इस संबंध में समाधान हेतु ऐसे गहन विधिक ढाँचे को विकसित करने की आवश्यकता है, जो विविध प्रकार की सभी वित्तीय संस्थाओं को कवर करे।

16. दूसरा मुद्दा समाधन संबंधी उपकरणों से संबंधित है। भारत में बैंकों के लिए सामान्य रूप से समाधान संबंधी उपकरण और विकल्प के रूप में पुनर्संरचना, विलय और समामलेन (स्वैच्छिक और अनिवार्य दोनों), तथा समाप्त करना (वाइंडिंग अप) (स्वैच्छिक और अनिवार्य दोनों) अथवा परिसमापन उपलब्ध हैं। निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों की शाखाओं के मामले में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अंतर्गत ब्रिज बैंक जैसा समाधान उपलब्ध कराया जाना संभव है।

तथापि अबतक ऐसा नहीं किया गया है। भारत में बैंक समाधान के विभिन्न चरणों के अंतर्गत अधिस्थगन और समामलेन और समाप्त करना (वाइंडिंग अप) / परिसमापन करना शामिल हैं। बैंक समाधान उपकरणों के संबंध में भारत का अनुभव सीमित है और अधिकांशत: यह बैंकों के स्वैच्छिक अथवा अनिवार्य विलय अथवा समामेलन तक सीमित है।

17. निष्क्रिय कंपनी के समाधान संबंधी उपकरणों (जैसे निजी क्षेत्र क्रय संबंधी लेनदेन और ब्रिज बैंक अधिकार) के उद्देश्य के संबंध में समाधान के अंतर्गत जमानत लेने (बेल-इन) के उद्देश्य पर विचार करते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि विफल वित्तीय संस्था की बंदी व्यवस्थित हो, जमानत का प्राथमिक उद्देश्य विपदाग्रस्त वित्तीय संस्था की अर्थक्षमता को वापस लौटाया जाए और दिवालिया होने से रोका जाए अथवा समाधान संबंधी कोई अन्य कार्रवाई की जाए। सिफीज के समाधान हेतु जमानत (बेल-इन) संबंधी अधिकार के संबंध में अतिरिक्त और संपूरक उपाय के रूप में विचार किए जाने की आवश्यकता है।

18. यह कि समाधान व्यवस्था (रिजीम) पर विचार करने के दौरान इसे "विफल नहीं" अथवा "बंदी नहीं" संबंधी व्यवस्था (रिजीम) के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए ताकि किसी करदाता के समर्थन के बिना विफल बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा वित्तीय बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर (एफएमआई) का व्यवस्थित समाधान हो सके। समाधान प्राधिकारी के पास समाधान उपकरणों जैसे निजी क्षेत्र क्रय उपकरण; ब्रिज बैंक उपकरण; अच्छा-बैंक और खराब बैंक; समाधान के अंतर्गत जमानत; बैंक के दिवालिया होने संबंधी प्रक्रिया / परिसमापन आदि की एक श्रृंखला होनी चाहिए, जिसका स्थिति के अनुरूप वैकल्पिक अथवा संपूरक रूप से प्रयोग किया जा सके ताकि वित्तीय संस्था के प्रणालीगत महत्वपूर्ण कार्यों की अर्थक्षमता को बचाया जा सके।

19. तीसरा मुद्दा क्रास-बार्डर बैंक समाधान से संबंधित है। विभिन्न देशों का कानून और विनियामक ढाँचा समाधान को कठिन, अपर्याप्त और महंगा बना देता है। अत: विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में अधिक सुसंगत विधिक और विनियामक ढाँचा बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। यद्यपि भारत में क्रास-बार्डर बैंकों की संख्या अपेक्षाकृत रूप से कम है लेकिन विश्व अर्थव्यवस्था में सुधार तथा वैश्विक व्यापार और वित्तीय लेनदेन में वृद्धि के साथ-साथ भारत में क्रास-बार्डर जोखिम संबंधी खतरा बढ़ेगा। अत: विफलता तथा समाधान दोनों को तीव्र और प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाया जाना चाहिए। यह आवश्यक है कि विदेशी पर्यवेक्षी प्राधिकारियों से संबंध मजबूत किए जाएं, सूचना के आदान-प्रदान को सघन किया जाए, विफल हो रहे वैश्विक संस्थानों के समाधान के प्रति मतैक्य विकसित करने पर विचार किया जाए।

20. इसी प्रकार भारत में विदेशी बैंकों के परिचालन के लिए उपयुक्त ढाँचा तैयार करने संबंधी मुद्दा भी है। इस पर विचार किया जा रहा है कि क्या भारत में विदेशी बैंकों के स्थानीय प्रवर्तन को अनिवार्य किया जाए। क्रास-बार्डर बैंकिंग समूहों का संगठनात्मक ढाँचा पूरे विश्व में अलग-अलग है और उनके व्यवसाय माडल में विविधता है तथा भिन्न-भिन्न देशों में वित्तीय विकास भी अलग-अलग चरणों में हुआ है। शाखा प्रणाली (मोड) के अंतर्गत विदेशी बैंक के विफल होने की स्थिति में उपलब्ध होने वाली ऐसी आस्तियों को तय करना कठिन हो सकता है, जिससे उस शाखा से संबंधित स्थानीय लेनदारों के दावों और स्थानीय देयताओं को पूरा किया जा सके। अनुषंगी ढाँचा समाधान प्रक्रिया को अधिक आसान बनाने के साथ-साथ पोषक अधिकार क्षेत्र को अधिक विनियामक नियंत्रण तथा सहूलियत उपलब्ध कराता है। संकट की स्थिति में शाखा और बाकी बैंक के मध्य विभेद और आस्तियों तथा देयताओं की विधिक स्थिति वास्तव में महत्वपूर्ण हो सकती है।

21. चौथी चुनौती प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान (सिफीज) के विनियमन से संबंधित है, जो कई देशों में बड़ी संख्या में हैं और गैर-बैंकिंग क्षेत्र[2] में उनका काफी बड़ा हिस्सा है। यहाँ "प्रणालीगत अधिभार" की उपयुक्तता पर विचार किए जाने की आवश्यकता है, जो अतिरिक्त पूँजी जुटाने के लिए सिफीज से अपेक्षित है। ऐसी उच्चतर पूँजी फर्मों की मजबूती बढ़ाती है किंतु तुलन-पत्र को मजबूती देती है और फर्मों को वित्तीय खतरों को रोकने में सक्षम बनाती है। इस प्रकार इससे लाभ अधिक और हानि कम है। इसी प्रकार हमें गैर-बैंक वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रभावी समाधान व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता है। बड़ी और जटिल संस्थानों के लिए नवीन जोखिम प्रबंधन और पर्यवेक्षी मानदंड स्थापित करना एक वृहद् कार्य है साथ ही इनका कार्यान्वयन भी चुनौतीपूर्ण है। बड़ी और जटिल वित्तीय संस्थाएं तथा समूह, जिनका उत्थान बैंकिंग और

---

[2] "बैंक समाधान ढाँचा : भारतीय संदर्भ में चुनौतियाँ", डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक का आईएडीआई-निबीप्रगानि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उद्घाटन भाषण, नवंबर 2011

गैर-बैंकिंग दोंनों जगहों पर हो रहा है, ऐसे पर्यवेक्षी और समाधान ढाँचे के एकीकरण को अनिवार्य बना देते हैं। इस प्रयास के लिए पर्याप्त समय, संसाधन, विशेषज्ञता और दृष्टिकोण अपेक्षित है, जिससे जोखिमों से संबंधित प्रणालीगत व्यापक विश्लेषण को इसमें शामिल किया जा सके।

22. वर्तमान में भारत में कोई वैश्विक प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण बैंक (जी-एसआईबी) नहीं है, जो वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) द्वारा तैयार की गई 28 वैश्विक प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण बैंकों (जी-एसआईबी) की सूची में शामिल हो। तथापि यहाँ कई बैंक और कई प्रकार की वित्तीय मध्यवर्ती मौजूद हैं, जिनका गैर-प्रणालीगत संस्थाओं की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में महत्व भले ही न हो, परंतु घरेलू वित्तीय प्रणाली और अर्थव्यवस्था में उनका प्रभाव कम है। ऐसी संस्थाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) और मानक तय करने वाले निकाय घरेलू सिफीज से संबंधित क्षेत्रों में वैश्विक प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण बैंक (जी-एसआईबी) ढाँचे का विस्तार कर रहे हैं। बैंकिंग प्रणाली के लिए वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) और बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति (बीसीबीएस) ने घरेलू प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण बैंकों (डी-एसआईबी) का सामना करने के लिए सिद्धांतों पर आधारित न्यूनतम ढाँचे को अंतिम स्वरूप प्रदान किया है। तदनुसार वित्तीय स्थिरता बोर्ड ने एक समय सीमा अर्थात् जनवरी 2016 प्रस्तावित किया है, जिसके भीतर राष्ट्रीय प्राधिकारियों को वैश्विक प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण बैंक (जी-एसआईबी) ढाँचे की व्यवस्था को घरेलू प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण बैंक (डी-एसआईबी) पर लागू करना है।

23. भारत में कई बैंक विभिन्न बाजारों में विभिन्न प्रकार के वित्तीय उत्पाद प्रस्तुत कर रहे "वित्तीय समूह" (एफसी) के रूप में विकसित हुए हैं और अपना विस्तार कर रहे हैं। इन्हें "घरेलू प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान" (डी-सिफीज) के रूप में गिना जाना चाहिए। विनियामक दृष्टिकोण से यह दो प्रकार की चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है, पर्याप्त विधिक ढाँचे का अभाव और सीमित अंतर-विनियामक सहयोग। रिज़र्व बैंक ने बड़े और प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण बैंकिंग समूहों के लिए निकट और निरंतर पर्यवेक्षण की प्रणाली स्थापित की है। रिज़र्व बैंक ने अपनी छमाही वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के एक हिस्से के रूप में विभिन्न परिदृश्यों के अंतर्गत स्ट्रेस टेस्ट करने संबंधी प्रगतिशील दृष्टिकोण भी अपनाया है। वर्तमान विधिक और विनियामक ढाँचे के भीतर समाधान की दक्षता में वृद्धि करना नवनिर्मित वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) के प्रमुख उत्तरदायित्वों में से एक है। महत्वपूर्ण कार्य के रूप में ऐसी समाधान योजना तैयार करना होगा, ताकि संस्थाओं के मध्य अंतर-सहबद्धता संबंधी सूचनाओं पर स्पष्ट रूप से विचार कर सके।

24. वित्तीय समूह (एफसी) के अधिक प्रभावी समेकित पर्यवेक्षण के महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारत के वित्तीय क्षेत्र के चार विनियामकों अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबैं), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकारी (आईआइडीए) और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकारी (पीएफआरडीए) ने वित्तीय समूहों (एफसी) के समेकित पर्यवेक्षण और निगरानी के क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया है। वित्तीय समूहों (एफसी) की निगरानी को मजबूत करने के लिए वित्तीय स्थिरता विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप समिति द्वारा अंतर-विनियामक फोरम (आईआरएफ) गठित किया गया है। आईआरएफ की संरचना घरेलू पर्यवेक्षक रूप में की गई है, जिसमें अग्रणी / प्रधान विनियामक माडल को अंगीकार किया गया है तथा इसे दो प्रमुख कार्यों को निष्पादित करने का अधिदेश दिया गया है अर्थात् वित्तीय समूहों के प्रभावी समेकित पर्यवेक्षण हेतु पर्यवेक्षी सहयोग विकसित करना और वित्तीय समूहों के कार्यकलापों के कारण प्रणालीगत स्थिरता संबंधी जोखिमों का सामना करना। वित्तीय समूह की निगरानी ढाँचे में शामिल करने के प्रयोजन से विशेष मामले के तौर पर अंतर-विनियामक फोरम (आईआरएफ) एक वित्तीय बाजार सेगमेंट में "महत्वपूर्ण / प्रभावशाली" उपस्थिति वाले और एक से अधिक बाजार सेगमेंट में "प्रमुख / वास्तविक" उपस्थित वाले एक अथवा अधिक "प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण वित्तीय समूह" की पहचान कर सकता है। संबंधित विनियामक विभिन्न निर्देशकों (इंडीकेटर्स)[3] को ध्यान में रखते हुए अपने अधिकार क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं के लिए मानदंड विकसित करने की प्रक्रिया में हैं।

25. पाँचवाँ मुद्दा समाधान प्राधिकारी से संबंधित है। यहाँ वित्तीय संस्थानों के समाधानों से संबंधित पर्यवेक्षण (ओवरसीइंग) करने और इसे कार्यान्वित करने के लिए संपूर्ण रूप से जिम्मेदार कोई समर्पित समाधान प्राधिकारी नहीं है। यद्यपि विभिन्न अधिनियम में निहित प्रावधान के अंतर्गत विभिन्न खंडों के विनियामकों के साथ भारत सरकार को भी समाधान संबंधी

---

[3] भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति की रिपोर्ट 2011-12, भारतीय रिज़र्व बैंक

कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं, परंतु किसी भी प्राधिकारी को समाधान के प्रयोजनों से विशिष्ट रूप से पदनामित नहीं किया गया है। पुन: यहाँ इसी श्रेणी के वित्तीय संस्थानों के रूप में दो अथवा इससे अधिक समाधान प्राधिकारी हैं। प्रमुख विशेषताओं (केए) के अनुसार यहाँ एक श्रेणी के वित्तीय संस्थान के लिए केवल एक ही समाधान प्राधिकारी होना चाहिए। वित्तीय संस्थानों के समूह के समाधान व्यवस्था से संबंधित सभी समाधान प्राधिकारियों की भूमिका और उत्तरदायित्व स्पष्ट नहीं हैं। पुन: विभिन्न अधिकार क्षेत्रों के अंतर्गत विधिक संस्थाओं के समाधान में समन्वय स्थापित करने के लिए कोई विशिष्ट "अग्रणी प्राधिकारी" नहीं है। यद्यपि वित्तीय स्थिरता विकास परिषद (एफएसडीसी) और इसकी उप समिति को अंतर-विनियामक समन्वय के लिए स्थापित किया गया है, परंतु वे विधिक निकाय नहीं हैं और इससे उनके पास समय के भीतर वित्तीय संस्थाओं के समूह के समाधान से संबंधित विधिक अधिकारों और सहारे की कमी है।

26. छठवाँ मुद्दा राज्य सरकारों की भूमिका से संबंधित है। शहरी सहकारी बैंकों के समाधान के लिए कोई पदनामित प्राधिकारी नहीं है। भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बहु-राज्य-शहरी सहकारी बैंकों के बोर्ड को अधिक्रमित करने का अधिकार है, परंतु शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित राज्य अधिनियम के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक सहकारी समितियों के पंजीयक (आरसीएस) से बोर्ड को अधिक्रमित करने का अनुरोध कर सकता है और निबीप्रगानि अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सहकारी समितियों के पंजीयक (आरसीएस) को भारतीय रिज़र्व बैंक की इस माँग का सम्मान करना होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शहरी सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अथवा निदेशकों को हटाने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के केवल कुछ ही प्रावधान शहरी सहकारी बैंकों पर लागू हैं। वर्तमान विधिक ढाँचे के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सभी राज्य सरकारों के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया गया है। सभी राज्यों में भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबैं), सरकार और शहरी सहकारी बैंक के फेडरेशन के प्रतिनिधियों से युक्त सहकारी शहरी बैंकों वाला टास्क फोर्स (टैफकब) का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत यह अधिदेश दिया गया है कि वे अर्थक्षम शहरी सहकारी बैंकों के पुनरुद्धार और गैर-अर्थक्षम संस्थाओं को निर्बाध रूप से बाहर करने का रास्ता तैयार करेंगे। सहकारी शहरी बैंकों वाले टास्क फोर्स (टैफकब) को कोई सांविधिक सहारा नहीं है।

27. इस प्रकार शहरी सहकारी बैंकों के लिए कोई प्रामाणिक विधिक समाधान प्राधिकारी नहीं है। ये समाधान बैंकिंग विनियम अधिनियम अर्थात् धारा 35ए, धारा 36 आदि अथवा सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा राज्य सरकार द्वारा किए जाते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक और राज्य सरकारों / केंद्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित करने के उपरांत गठित सहकारी शहरी बैंकों वाले टास्क फोर्स (टैफकब) संबंधी फोरम के माध्यम से प्राधिकारियों के मध्य समन्वय सुनिश्चित किया जाता है।

28. अंत में समाधान में निक्षेप बीमा की भूमिका महत्वपूर्ण है। निबीप्रगानि को पर्यवेक्षी ढाँचे में और अधिक अग्रसक्रिय भूमिका अदा करनी चाहिए, ताकि बैंक की कमजोरियों की शीघ्र पहचान की जा सके और उनके प्रभावी समाधान को सहारा मिल सके। निबीप्रगानि केवल एक पे-बाक्स के रूप में कार्य कर रहा है। लेकिन जमाकर्ताओं से संबंधित अपर्याप्त सूचना-शेयरिंग के कारण उनको त्वरित भुगतान करने में कठिनाई होती है। सहकारी बैंकों के मामले में दुहरा नियंत्रण होने के कारण परिसमापकों की नियुक्ति से लेकर, जमाकर्ताओं के बारे में सूचना एकत्रित करने, जमाकर्ताओं को भुगतान करने और आस्तियों की वसूली के संबंध में इन बैंकों का समाधान करने में विलंब होता है। बैंकों के जोखिम निर्धारण संबंधी सूचना तक पहुँच से त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकेगी और इससे निबीप्रगानि विशुद्ध रूप से पे-बाक्स प्रणाली की तुलना में लागत को कम करने में अधिक सक्षम होगा। यह नोट किया जाना चाहिए कि निक्षेप बीमाकर्ता विफल संस्था का समाधान करने के लिए "न्यूनतम लागत" वाला एप्रोच अपनाता है। इसके कारण सुरक्षा-नेट प्रतिभागियों जैसे सरकार, विनियामक निकाय, केंद्रीय बैंक और निक्षेप बीमाकर्ता द्वारा की गई उपयुक्त कार्रवाई के मध्य निकट सहयोग और समन्वय होना चाहिए। निक्षेप बीमाकर्ता के पास पर्याप्त विस्तृत अधिदेश, पर्याप्त अधिकार, परिचालनात्मक स्वतंत्रता होने और आकस्मिक निधियन के आश्वासित श्रोत होने से अधिक प्रभावी ढंग से जनता का विश्वास अर्जित किया जा सकता है और उसे बनाए रखा जा सकता है तथा वित्तीय संकट के संबंध में कार्रवाई की जा सकती है। जमाकर्ताओं के दावों का और अधिक तेजी से निपटान करने, लागत को कम करने हेतु विफल हो रहे बैंकों के समाधान में निबीप्रगानि को विस्तारित अधिदेश प्रदान किया जाना लाभकारी होगा तथा समाधान की तेजी वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के लिए लाभदायक होगी। यहाँ स्पष्ट रूप से परिभाषित

ऋणशोधन अक्षमता व्यवस्था और उपयुक्त डिजाइन वाली समाधान प्रक्रिया तैयार करने की आवश्यकता है।

समाधान व्यवस्था के संबंध में वित्तीय स्थिरता बोर्ड की समकक्ष समीक्षा : भारत के लिए सबक

29. वित्तीय स्थिरता बोर्ड की समकक्ष समीक्षा में वित्तीय स्थिरता बोर्ड के सभी सदस्यों के मध्य मौजूद प्रमुख विशेषताओं (केए) की अपेक्षाओं को पूरा करने में हुई प्रगति का वर्णन किया गया है। भारत वित्तीय स्थिरता बोर्ड के 24 सदस्यों में से एक है और उक्त अन्य सभी सदस्यों के साथ इसकी व्यवस्था (रिजीम) का मूल्यांकन किया गया है। इस समीक्षा में सुधार के कई क्षेत्रों की पहचान की गई है।

30. प्रथम वर्तमान समाधान व्यवस्था (रिजीम) बैंकों और सहकारी बैंकों पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। कार्पोरेट दिवालिया ढाँचे के माध्यम से बीमा और प्रतिभूति फर्मों का समाधान किया जाता है। सुधार के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बीमा और प्रतिभूति दोनों फर्मों के लिए समाधान व्यवस्था (रिजीम) प्रारंभ किया जाना शामिल है। ऐसे संस्थानों के लिए अलग समाधान ढाँचा रखने का लाभ यह है कि समाधान की प्रक्रिया और बाजार से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों का परिरक्षण और उनके समाधान पर पड़ने वाले अवांछित प्रणालीगत प्रभाव को सीमित कर बीमाकर्ता और प्रतिभूति फर्मों के समाधान को तेज किया जा सकता है।

31. दूसरा अधिकतर वित्तीय स्थिरता बोर्ड के सदस्यों की तुलना में बैंकों के समाधान के अधिकार अधिक सीमित हैं और वर्तमान कानून के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को शेयरधारकों के अधिकार को लाँघने (ओवरराइड करने) का प्राधिकार है और वह फर्म को अस्थाई रूप से परिचालित कर सकता है। तथापि समाधान व्यवस्था (रिजीम) में कई महत्वपूर्ण उपकरणों की कमी है, जो वित्तीय स्थिरता बोर्ड के सदस्यों के पास सामान्य रूप से मौजूद हैं। विशेष रूप से इस समाधान व्यवस्था (रिजीम) में (i) आस्तियों को अंतरित करने / बिक्री करने, (ii) आस्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) स्थापित करने, (iii) वित्तीय नियंत्रक वाली कंपनियों में हस्तक्षेप करने और उनका समाधान करने, (iv) वित्तीय संविदाओं के शीघ्र समापन पर अस्थाई रूप से रोक लगाने और (v) प्रतिभूति को ऋण में परिवर्तित करने संबंधी अधिकारों की कमी है। ये समाधान उपकरण छोटे और मध्यम दोनों दर्जे के बैंकों का समाधान करने और बड़े बैंकों तथा प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान (सिफीज) की विफलता का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

32. तीसरा समकक्ष समीक्षा में प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान (सिफीज) का समाधान करने के लिए आवश्यक उपकरणों की जाँच की गई है। ऐसे उपकरणों में (i) अपेक्षा यह है कि सिफीज समाधेयता संबंधी अपना निर्धारण (इसे "लिविंग विल्स" भी कहा जाता है) स्वयं तैयार करें। इस दस्तावेज में प्रत्येक सिफीज के ढाँचे और गतिविधियों और संभावित वित्तीय समस्याओं का सामना करने संबंधी योजनाओं का कुछ विस्तृत ब्यौरा रहता है और (ii) पर्यवेक्षकों से संबंधित यह अधिकार कि वे प्रत्येक सिफीज के लिए वसूली तथा समाधान योजना स्वयं तैयार कर सकें। भारत में और कई अन्य वित्तीय स्थिरता बोर्ड के सदस्यों के पास ऐसे अधिकार नहीं हैं। वर्तमान में वित्तीय स्थिरता बोर्ड इन अधिकारों सहित अन्य दिशानिर्देश विकसित कर रहा है। एक बार इसके पूरा हो जाने पर ये दिशानिर्देश भारतीय संदर्भ में विधाई सुधार तैयार करने में सहायक होंगे।

कार्यकारी समूह की अनुशंसाएं

33. वित्तीय क्षेत्र निर्धारण संबंधी समिति (सीएफएसए) के साथ-साथ पूर्व की कुछ अन्य समितियों ने भी यह अनुशंसा की थी कि निबीप्रगानि को बैंक समाधान प्रक्रिया में अग्रसक्रिय रूप से शामिल किए जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में विधिक परिवर्तनों, जिनसे संबंधित प्रयोजन से निबीप्रगानि अधिनियम में संशोधन किया जाना अपेक्षित था, की पुन: जाँच के लिए एक कार्यकारी समूह का गठन किया गया था। इस समूह ने जून 2012 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। विभिन्न पक्षों से संबंधित इसकी अनुशंसाएं, यदि कार्यान्वित की गईं, भारत की निक्षेप बीमा प्रणाली में अत्यावश्यक सुधार कर सकेंगी। निबीप्रगानि की कार्यप्रणाली में सुधार संबंधी प्रस्तावों में निक्षेप बीमा हेतु जोखिम आधारित प्रीमियम प्रारंभ करना, निक्षेप बीमा प्रीमियम की सांविधिक सीमा 30 पैसा तक बढ़ाना, वसूलियों का आनुपातिक आधार पर बंटवारा, निर्धारित अवधि के भीतर अवितरित राशि निबीप्रगानि को वापस करने को परिसमापक की बाध्यता बनाया जाना और बैंक को लाइसेंस दिए जाने के पूर्व भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ-साथ निबीप्रगानि से परामर्श करना शामिल है। निबीप्रगानि की वित्तीय मजबूती में सुधार लाने संबंधी प्रस्तावों में निबीप्रगानि की प्राधिकृत पूँजी ₹500 मिलियन से बढ़ाकर ₹10 बिलियन तक बढ़ाया जाना, निबीप्रगानि को आयकर से छूट, आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक

से असीमित तरलता समर्थन, छह माह से अधिक की अवधि के लिए अग्रिम प्रीमियम संकलित करने संबंधी निबीप्रगानि अधिनियम में प्रावधान किया जाना और निबीप्रगानि की निधियों के निवेश संबंधी क्षेत्रों में संशोधन शामिल है।

34. निबीप्रगानि की कार्यप्रणाली से संबंधित क्षेत्रों में विस्तार हेतु निदेशित प्रस्तावों में सभी श्रेणियों के बैंकों के लिए उपयुक्त बैंक समाधान ढाँचे को अपनाना है, ताकि "न्यूनतम लागत" आधारित अधिक उपयुक्त समाधान तकनीकी का प्रयोग किया जा सके और सभी श्रेणियों के बैंकों के लिए बैंकिंग व्यवसाय के समाधान हेतु एकसमान प्रक्रिया अपनाई जा सके; सहकारी समितियाँ अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकारियों के हस्तक्षेप के बिना सहकारी बैंकों को समाप्त करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सीधे निबीप्रगानि को सहकारी बैंकों का परिसमापक नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया जाए; विपदाग्रस्त बैंकों की पहले से पहचान करने, समय से हस्तक्षेप करने और समाधान करने हेतु संबंधित ढाँचे में सहभागिता के साथ बैंक समाधान में निबीप्रगानि की भूमिका में वृद्धि करना; समाधान लागत और बाजार की बाधाओं को न्यूनतम करने तथा आस्तियों की अधिकतम वसूली संबंधी अधिकार; भारतीय रिज़र्व बैंक और निबीप्रगानि के मध्य सूचनाओं का आदान-प्रदान; विभिन्न अधिनियमों जैसे निबीप्रगानि अधिनियम, राज्य सहकारी समिति अधिनियम और बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम में अपेक्षित उपयुक्त संशोधन शामिल है।

35. जमाकर्ताओं की सुरक्षा में सुधार से संबंधित प्रस्तावों में कवरेज स्तर में उपयुक्त वृद्धि; आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी स्थापित करके दावों के निपटान में तेजी लाना और जमाकर्ता से संबंधित एकल ग्राहक धारणा (वियु) के लिए बैकों के साथ इंटरफेस विकसित करना; निबीप्रगानि को विधिक अधिकार देना कि वह कम से कम सेट-आफ से असंबद्ध मामलों में अग्रिम अंतरिम भुगतान करने के साथ-साथ सेट-आफ की समीक्षा कर सके तथा निक्षेप बीमा से संबंधित जागरूकता का प्रसार करना शामिल है। अंत में संगठनात्मक मामलों से संबंधित अनुशंसाओं में निबीप्रगानि को स्वायत्तता प्रदान करना; विवादों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए निबीप्रगानि के भीतर अपीलीय प्राधिकारी का निर्माण और अन्य संगठनात्मक परिवर्तन शामिल हैं। निबीप्रगानि ने इन अनुशंसाओं के आधार पर एक कार्ययोजना तैयार की है और इस पर विचार करने और इसे कार्यान्वित करने के लिए सरकार को अग्रेषित किया है।

समाधान संबंधी वित्तीय क्षेत्र विधाई सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) की अनुशंसाएं

36. वित्तीय क्षेत्र के विधानों के पुनर्लेखन तथा सुसंगत बनाने हेतु सरकार द्वारा स्थापित वित्तीय क्षेत्र विधाई सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) ने मार्च 2013 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस आयोग ने भारतीय वित्तीय कोड नामक एक नया कानून बनाया है। निक्षेप बीमा और समाधान ढाँचे से संबंधित वित्तीय क्षेत्र विधाई सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) की अनुशंसाओं का निबिप्रगानि से सीधा संबंध है।

37. आयोग ने विशेषज्ञ "समाधान निगम" स्थापित करने का सुझाव दिया है, जो घरेलू धारकों से बड़ा वादा करने वाली सभी वित्तीय फर्मों की निगरानी करेगा और इस फर्म की निवल संपत्ति शून्य के निकट (लेकिन ऋणात्मक नहीं) होने पर हस्तक्षेप करेगा। इससे वह उस वित्तीय फर्म की बंदी के लिए मजबूर कर सकेगा और छोटे उपभोक्ताओं को शोधक्षम फर्मों में अंतरित करके अथवा उनका भुगतान करके उनकी सुरक्षा करेगा। भारतीय वित्तीय प्रणाली में एक खरतनाक दरार यह है कि निबीप्रगानि एक समाधान निगम नहीं है। यह केवल बैंकों के संबंध में कार्रवाई करता है और यह अन्यथा रूप से यह वित्तीय फर्मों के अंतिम दिनों में अपनी भूमिका अदा करने में असमर्थ होता है। समाधान निगम (रिजोल्यूशन कारपोरेशन) की कमी के कारण विफल हो रही वित्तीय फर्मों की समस्या ग्राहकों, करदाताओं और सरकारी क्षेत्र की वित्तीय फर्मों के शेयरधारकों के ऊपर डाली जाती रहेगी।

38. अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहार की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए आयोग ने एकीकृत समाधान निगम की अनुशंसा की है, जो बैंकों और बीमा कंपनियों जैसी वित्तीय फर्मों के संबंध में कार्रवाई करेगा। यह केवल बैंक निक्षेप बीमा निगम मात्र नहीं होगा। यह निगम बैंकों, बीमा कंपनियों, परिभाषित लाभ वाली भविष्यनिधि और भुगतान प्रणाली की स्वयं से चिंता करेगा। यह निगम प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण वित्तीय फर्मों के समाधान की जिम्मेदारी भी लेगा। शीघ्र कार्रवाई किया जाना ही समाधान निगम की निर्धारक विशेषता होगी। आयोग द्वारा समाधान निगम के लिए एक जटिल विधिक उपकरण की अनुशंसा की गई है, जो कमजोर वित्तीय फर्मों को रोकने के लिए उनके शोधक्षम रहने के दौरान ही तेजी से कार्रवाई करेगा। यह समाधान निगम ग्राहकों के हित को सुरक्षित करने के लिए बिक्री, सहायता प्राप्त बिक्री,

विलय और अन्य प्रकार की व्यवस्थाओं जैसे उपकरणों का चयन करेगा।

वित्तीय संस्थाओं के लिए समाधान व्यवस्था (रिजीम) संबंधी कार्यकारी समूह

39. जनवरी 2013 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक कार्यकारी समूह (अध्यक्ष : श्री आनन्द सिन्हा) का गठन किया, जिसे वर्तमान समाधान व्यवस्था (रिजीम) / संपूर्ण वित्तीय क्षेत्र के ढाँचे की जाँच करनी थी और राष्ट्रीय समाधान व्यवस्था (रिजीम) / ढाँचा के साथ-साथ वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) की प्रमुख विशेषताओं (केए) के मध्य के वर्तमान अंतर की पहचान करनी थी तथा सभी प्रकार के वित्तीय संस्थानों के लिए देश में गहन समाधान व्यवस्था (रिजीम) तैयार करने संबंधी अनुशंसा करनी थी। समूह के विचारार्थ विषयों में संपूर्ण वित्तीय क्षेत्र के समाधान व्यवस्था / ढाँचे के साथ-साथ वित्तीय संस्थाओं / भारत सरकार के संबंधित विनियामकों में निहित वर्तमान समाधान उपकरणों और अधिकारों की जाँच करना; राष्ट्रीय समाधान व्यवस्था (रिजीम) / ढाँचे के साथ-साथ वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) की प्रमुख विशेषताओं के मध्य के वर्तमान अंतर की पहचान; प्रमुख अधिकार क्षेत्रों से संबंधित समाधान व्यवस्था (रिजीम) / प्रचलित / कार्यान्वित ढाँचे का अध्ययन करना; अपेक्षित समाधान व्यवस्था (रिजीम) के साथ-साथ क्रास-बार्डर समाधान को सुविधाजनक बनाने के लिए विधिक ढाँचे में किए जाने वाले परिवर्तनों की अनुशंसा करना; प्रत्याशित समयबद्धता के साथ-साथ इस संबंध में उठाए जाने वाले अगले कदम से संबंधित अनुशंसा करना और इस मामले से संगत अन्य मामले शामिल हैं।

निष्कर्ष

40. स्वस्थ और दक्ष वित्तीय प्रणाली के लिए एक प्रभावी बैंक समाधान ढाँचा आवश्यक है। भारत ने इसकी आवश्यकताओं और अंतर की पहचान करने के प्रति उचित कार्रवाई की है और विश्वसनीय बैंक समाधान ढाँचा तैयार करने के लिए सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और यथाशीघ्र इसका हल निकलने की आशा है।

संदर्भ:

1. समाधान व्यवस्था (रिजीम) की विषयगत समीक्षा : समकक्ष समीक्षा रिपोर्ट, वित्तीय स्थिरता बोर्ड, अप्रैल 2013
2. वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रभावी समाधान व्यवस्था (रिजीम) की प्रमुख विशेषताएं, वित्तीय स्थिरता बोर्ड, अक्तूबर 2011
3. भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर का एफएसएलआरसी के संबंध में प्रस्तुतीकरण, अप्रैल 2012
4. निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 में संशोधन सहित निक्षेप बीमा में सुधार संबंधी कार्यकारी समूह की रिपोर्ट, जून 2012
5. बैंक समाधान ढाँचा : भारतीय संदर्भ में चुनौतियाँ, डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक का आईएडीआई-निबीप्रगानि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उद्घाटन भाषण, नवंबर 2011
6. वित्तीय क्षेत्र विधाई सुधार आयोग की रिपोर्ट, मार्च 2013

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष हेतु निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की कार्यपद्धति के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट

[निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के अधीन प्रस्तुत]

भाग I : परिचालन और कार्यपद्धति

1.1 बीमाकृत बैंकों का पंजीकरण / पंजीकरण रद्द करना

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत बैंकों की संख्या 2,167 है, जिसमें 89 वाणिज्यिक बैंक, 67 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), 4 स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी) और 2,007 सहकारी बैंक शामिल हैं। 1962 में योजना के प्रारंभ होने से लेकर अब तक निगम द्वारा पंजीकृत बैंकों की संख्या का वर्षवार विवरण तथा सहकारी बैंकों के वर्गवार और राज्यवार विवरण ***संलग्नक I और II*** में दिए गए हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान 2 वाणिज्यिक बैंक और 10 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकृत किया गया और 25 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 19 सहकारी बैंकों को विपंजीकृत किया गया, जिसके विवरण ***संलग्नक III*** में दिए गए हैं।

1.2 निक्षेप बीमा योजना का विस्तार

इस समय निगम द्वारा निक्षेप बीमा के अंतर्गत सभी स्थानीय क्षेत्र बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों को और सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्थित सहकारी बैंकों को शामिल किया गया है। तथापि केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप तथा दादरा और नगर हवेली में कोई सहकारी बैंक नहीं है।

1.3 बीमाकृत जमाराशियाँ

वर्ष 2011-12 और 2012-13 के अंत तक निगम द्वारा बीमाकृत खातों की संख्या, जमाराशि तथा जमाकर्ताओं को दी जाने वाली सुरक्षा की सीमा संबंधी ब्यौरा सारणी 1 में दिया गया है।

निक्षेप बीमा के प्रारंभ से जमाकर्ताओं को प्रदान की गई सुरक्षा की सीमा और पिछले तीन वर्षों के लिए बैंक श्रेणी-वार अलग-अलग आँकड़े क्रमश: ***संलग्नक IV और V*** में प्रस्तुत किए गए हैं। विभिन्न वर्षों में जमाकर्ताओं को दी गई सुरक्षा की सीमा संबंधी ब्यौरा चार्ट 1 में दिया गया है। ₹1,00,000 का वर्तमान बीमा कवर का स्तर 31 मार्च, 2013 के प्रति व्यक्ति आय का 1.45 गुना था।

1.4 निक्षेप बीमा प्रीमियम

1.4.1 वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान बीमाकृत बैंकों से प्राप्त प्रीमियम (अतिदेय प्रीमियम पर उपचित ब्याज सहित) का श्रेणीवार विवरण सारणी 2 में प्रस्तुत किया गया है। वर्ष के दौरान

सारिणी 1: बीमाकृत जमाराशियाँ *

विवरण		वर्ष के अंत में	
		2012-13	**2011-12**
1	खातों की कुल सं. (मिलियन में)	1,481.75	1,073.00
2	पूर्णतया संरक्षित खाते (मिलियन में)	1,393.08	996.00
3	1 की तुलना में 2 का प्रतिशत	94.0	92.8
4	निर्धारणीय जमाराशियाँ (₹ बिलियन में)	66,210.60	57,674.00
5	बीमाकृत जमाराशियाँ (₹ बिलियन में)	21,583.65	19,043.00
6	4 की तुलना में 5 का प्रतिशत	32.6	33.0

* पिछले वर्ष के सितंबर के अंतिम कार्यदिवस के रिटर्नों पर आधारित

चार्ट 1 : जमाकर्ताओं को दिए गए सुरक्षा का विस्तार

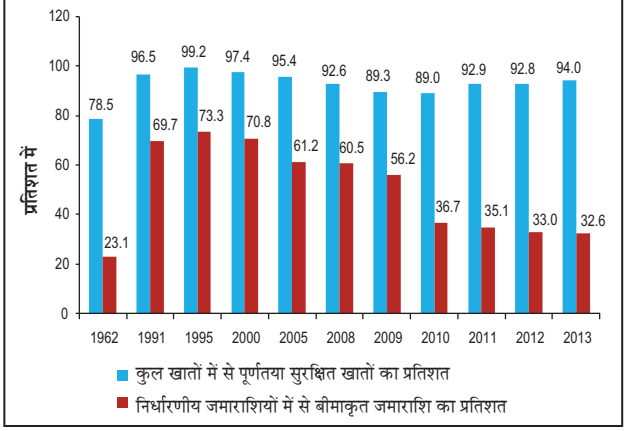

चार्ट 2 : निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) और आरक्षित अनुपात (आरआर)

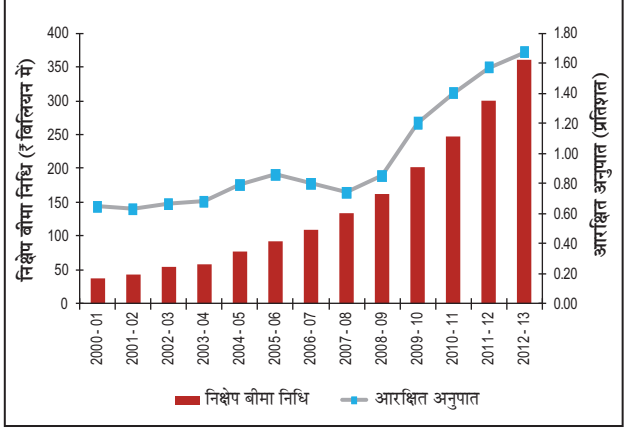

बीमाकृत बैंकों से प्राप्त प्रीमियम (सेवाकर को छोड़कर) में 1.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सारिणी 2 : प्राप्त प्रीमियम

(₹ मिलियन में)

वर्ष	स्थानीय क्षेत्र बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंक	सहकारी बैंक	कुल
2012-13	53,019	4,163	57,182
2011-12	52,591	3,807	56,397

1.4.2 विलंब से प्राप्त प्रीमियम पर दण्ड ब्याज

निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 15 (3) के अनुसार, यदि कोई बीमाकृत बैंक प्रीमियम की किसी भी राशि का भुगतान करने में चूक करता है, तो उसे चूक की उस अवधि के लिए उस राशि पर बैंक दर के अतिरिक्त 8 प्रतिशत से अनधिक की दर, जैसा कि निर्धारित किया जाए, से निगम को ब्याज देना होगा। साथ ही, निबीप्रगानि सामान्य विनियमावली, 1961 की धारा 20 के अनुसार ब्याज की दर बैंक दर के अतिरिक्त 8 प्रतिशत पर तय की गई है। वर्ष 2012-13 के दौरान 19 अप्रैल, 2012 को बैंक दर 9.50 प्रतिशत से घटाकर 9.00 प्रतिशत और 20 मार्च, 2013 को पुन: घटाकर 8.50 प्रतिशत कर संशोधित कर दी गई। तदनुसार उक्त अवधि के दौरान दण्ड ब्याज की दर को 17.00 प्रतिशत से घटाकर 16.50 प्रतिशत करके संशोधित कर दिया गया।

1.5 निक्षेप बीमा निधि

निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) का प्रमुख स्रोत बीमाकृत बैंकों द्वारा अदा किया गया प्रीमियम और केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों से प्राप्त कूपन आय (और इसके पुनर्निवेश से) है। इसके साथ ही इसमें परिसमापक / प्रशासक / अंतरिती बैंकों से वसूल की गई छोटी सी राशि का अंतर्प्रवाह (इनफ्लो) भी होता है। इस प्रकार निगम प्रतिवर्ष व्यय से ज्यादा आय को अंतरित करके अपनी निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) का निर्माण करता है। इस निधि का उपयोग परिसमापन / पुनर्निमाण / समामेलन आदि के अधीन बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के निपटान करने के लिए किया जाता है। 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार निक्षेप बीमा निधि का आकार ₹308,554 मिलियन के अधिशेष के सहित (31 मार्च, 2012 के ₹300,930 मिलियन की तुलना में बढ़कर) ₹361,203 मिलियन हो गया है, जिसका आरक्षित अनुपात (बीमित जमाराशि की तुलना में निक्षेप बीमा निधि का अनुपात) 1.7 प्रतिशत है। 2000-01 से आरक्षित अनुपात की प्रवृत्ति दर्शाने वाला चार्ट 2 प्रस्तुत है।

1.6 निक्षेप बीमा दावों का निपटान

वर्ष 2012-13 के दौरान, निगम ने 63 सहकारी बैंकों (15 मूल दावे और 154 अनुपूरक दावे) से संबंधित ₹1,998 मिलियन के कुल दावों का निपटान किया जैसा कि ***संलग्नक VI*** में दर्शाया गया है। वाणिज्यिक बैंकों की ओर से कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया।

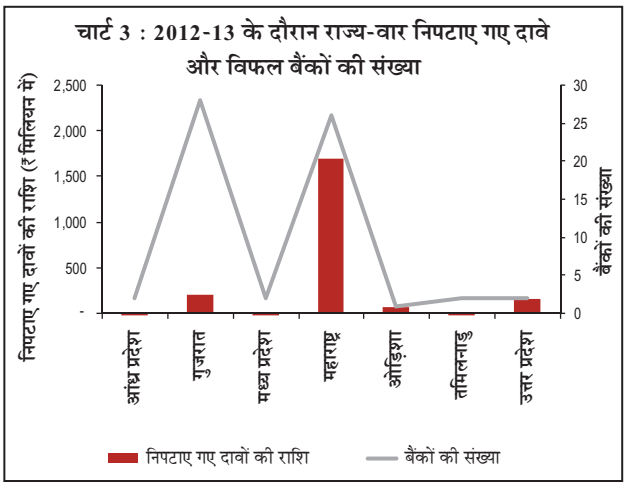

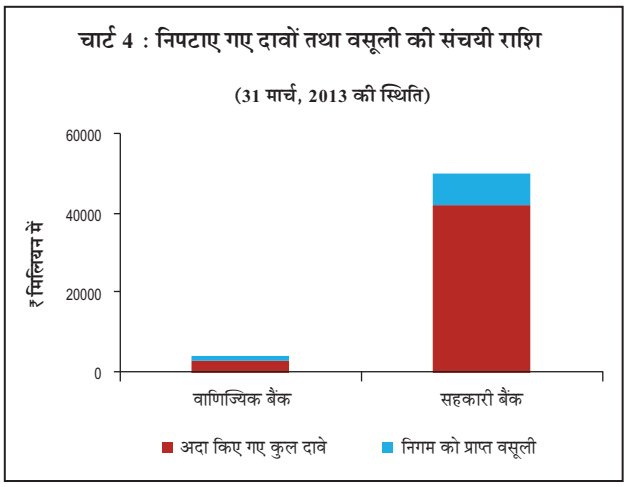

चार्ट 3 : 2012-13 के दौरान राज्य-वार निपटाए गए दावे और विफल बैंकों की संख्या

चार्ट 4 : निपटाए गए दावों तथा वसूली की संचयी राशि

(31 मार्च, 2013 की स्थिति)

2012-13 के दौरान राज्य-वार निपटाए गए दावों की राशि के साथ-साथ विफल बैंकों की संख्या का विवरण चार्ट 3 में दर्शाया गया है। इसमें गुजरात और महाराष्ट्र के बैंकों के दावों की संख्या अधिक है।

ऐसे 195 बैंकों के जमाकर्ताओं के संभाव्य दावों की देयताओं के लिए ₹10,041 मिलियन का प्रावधान किया गया है, जो समामेलन / समापनाधीन हैं तथा बैंकिंग कारोबार जारी रखने के लिए जिनका लाइसेंस / लाइसेंस के लिए आवेदनपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रद्द / अस्वीकृत कर दिया गया है।

वर्ष 2012-13 के दौरान निगम ने लंबे समय से विचाराधीन दावों के निपटान हेतु कुछ कदम उठाए हैं। परिणामस्वरूप विचाराधीन दावों (जिनमें परिसमापन-आदेश जारी करने के बावजूद परिसमापक द्वारा निगम में दावा सूची प्रस्तुत नहीं की गई) में कमी प्रदर्शित हुई, जो 31 मार्च, 2012 के कुल 32 विचाराधीन दावों के स्थान पर 31 मार्च, 2013 को कम होकर 25 हो गई। इस प्रकार वर्ष के दौरान लगभग 19 प्रतिशत की गिरावट हुई। वर्ष के दौरान निगम ने बेलगाम कैथोलिक को-ऑपरेटिव बैंक लि., जिसका पुणे पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि. में विलय कर दिया गया है, के प्रावधान को रिवर्स कर दिया है। परिसमापनाधीन बैंकों का अवधि-वार विवरण, जहाँ परिसमापक द्वारा दावा सूची अभी भी प्रस्तुत किया जाना शेष है, सारणी 3 में दिया गया है।

दावा निपटान की औसत अवधि में निर्णायक कमी हुई और यह 2011-12 के 52 दिनों से घटकर 2012-13 में 27 दिन हो गई (सारणी 4)।

सारिणी 4 : दावों के निपटान में लगने वाली औसत अवधि

वित्तीय वर्ष	दावों के निपटान में लगने वाले औसत दिन
2012-13	27
2011-12	52
2010-11	49
2009-10	54
2008-09	43

सारिणी 3 : अवधि-वार अनिर्णीत दावों का विवरण

विचाराधीन दावे	अवधि-वार विवरण				
	10 वर्ष से अधिक पुराने	5-10 वर्ष पुराने	1-5 वर्ष पुराने	1 वर्ष से कम पुराने	दावों की कुल संख्या
मार्च 2013 की स्थिति	7	5*	9	4	25
मार्च 2012 की स्थिति	1	10	12	9	32

* एक बैंक को को-आपरेटिव सोसाइटी में परिवर्तित कर दिया गया है।

1.7 निपटाए गए दावे / प्राप्त चुकौतियाँ (संचयी स्थिति)

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार, निक्षेप बीमा के आरंभ से 27 वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में प्रदत्त और प्रावधानीकृत दावों की संचयी राशि ₹2,959 मिलियन थी (चार्ट 4)। वाणिज्यिक बैंकों के मामले में, परिसमापकों / अंतरिती बैंकों से कुल ₹1,480 मिलियन (2012-13 वर्ष के दौरान प्राप्त ₹89 मिलियन सहित) की संचयी चुकौतियाँ प्राप्त हुईं।

योजना के प्रारंभ होने से 317 सहकारी बैंकों से ₹42,086 मिलियन की संचयी राशि (वर्ष 2012-13 के दौरान ₹1,998 मिलियन की प्रदत्त राशि सहित) के दावे की राशि का भुगतान / प्रावधान किया गया। सहकारी बैंकों के मामले में परिसमापकों / अंतरिती बैंकों से कुल ₹8,402 मिलियन (वर्ष 2012-13 के दौरान प्राप्त ₹2,042 मिलियन सहित) की चुकौतियाँ प्राप्त हुईं। 31 मार्च, 2013 तक बैंकों के दावों के भुगतान / प्रावधान की गई राशि तथा बट्टे खाते में डाली गई राशि और प्राप्त चुकौतियाँ आदि के संबंध में स्थिति का ब्यौरा ***संलग्नक VII*** में दिया गया है।

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार बैंकों के निपटाए गए दावों के लिए किए गए प्रावधानों को ***संलग्नक VIII*** में दर्शाया गया है। 1999 से निपटाए गए दावों की राशि के साथ-साथ परिसमापित बैंकों की संख्या चार्ट 5 में दर्शाई गई है।

1.8 कोर्ट - मामले

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार, निगम की निक्षेप बीमा गतिविधियों के संबंध में विभिन्न कोर्टों में विचाराधीन कोर्ट-मामलों की संख्या 193 है, जो 31 मार्च, 2012 को 188 थी। 193 मामलों में से 32 मामले निगम की ओर से दायर किए गए हैं और 161 निगम के विरुद्ध दायर किए गए हैं। न्यायालय-वार अलग-अलग आँकड़े चार्ट 6 में दर्शाए गए हैं।

वर्ष 2001-02 से कोर्ट-मामलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस तरह के मामलों की संख्या 31 मार्च, 2002 के 10 मामले से बढ़कर 31 मार्च, 2013 को 193 हो गई है (सारणी 5)। ऐसा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत बड़ी संख्या में बैंकों को निदेशों के अंतर्गत रखने अथवा परिसमापन करने के परिणामस्वरूप

चार्ट 5 : पे-आउट और परिसमापित बैंकों की संख्या

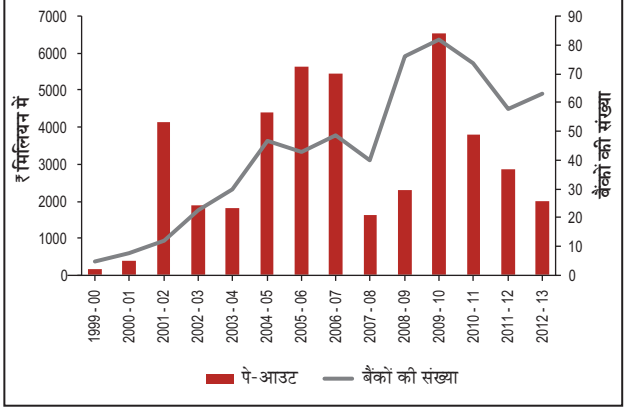

चार्ट 6 : न्यायालय वार अलग-अलग मामले
(31 मार्च, 2013 की स्थिति)

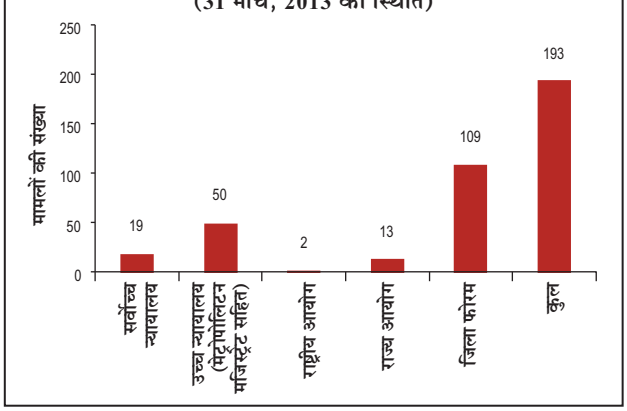

सारिणी 5: कोर्ट मामलों की संख्या

मार्च के अंत में	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
मामलों की सं.	193	188	201	174	122	124	128	126	126	89	66

जमाराशियों को निकालने पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण हुआ है। जमाराशि का भुगतान न मिलने पर असंतुष्ट जमाकर्ता उपभोक्ता न्यायालय में चले जाते हैं और मुकदमा चलाकर निगम को प्रतिवादियों में से एक प्रतिवादी बना देते हैं। कभी-कभी ऐसे मामले बैंकों का परिसमापन होने के पहले अथवा परिसमापक द्वारा दावा सूची प्रस्तुत करने के पहले, जहाँ जमाकर्ताओं को कोई भी राशि देने के लिए निगम उत्तरदायी नहीं है; दाखिल किए जाते हैं। मुख्यत: ये मामले निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अधिकतम स्वीकार्य राशि से अधिक राशि अथवा निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 21 के साथ पठित निबीप्रगानि सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 22 के अंतर्गत निगम के अधिमान्य चुकौती अधिकार के विरुद्ध विवाद और बैंकों को निदेश आदि के अंतर्गत रखे जाने की स्थिति में दावों के संबंध में दायर किए जाते हैं।

1.9 ऋण गारंटी योजनाएं

31 मार्च, 2013 तक कोई भी ऋण (क्रेडिट) संस्था निगम की ऋण गारंटी योजना में सहभागी नहीं थी, अत: निगम की किसी भी ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत 2012-13 के दौरान कोई भी दावा प्राप्त नहीं हुआ। 2003-04 के बाद किसी गारंटी दावे पर गारंटी शुल्क प्राप्त नहीं हुआ तथा किसी दावे का भुगतान नहीं किया गया (***संलग्नक IX)***।

वर्ष 2012-13 के दौरान लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 (एसएलजीएस 1971) के अंतर्गत निगम के प्रत्यासन अधिकार के आधार पर पिछले वर्ष के ₹2.2 मिलियन की तुलना में ₹0.9 मिलियन की वसूली की गई। लघु ऋण (एसएसआई) गारंटी योजना, 1981 (एसएल (एसएसआई) जीएस 1981) के अंतर्गत पिछले वर्ष के ₹1.00 मिलियन के मुकाबले इस वर्ष ₹0.8 मिलियन की वसूली की गई।

भाग II : हाल में की गई नीतिगत पहल

2.1 निक्षेप बीमा दावों का शीघ्र निपटान

परिसमापकों द्वारा दावों की सूची प्रस्तुत कर देने के दो महीने के अंदर निक्षेप बीमा दावों का निपटान करने की सांविधिक आवश्यकता का निगम बहुत कड़ाई से पालन करता रहा है। तथापि, यह देखा गया है कि कुछ मामलों में परिसमापक लंबी अवधि तक दावा सूची प्रस्तुत नहीं करते हैं, जबकि निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के अनुसार यह सूची तीन महीने के अंदर प्रस्तुत करना अपेक्षित है। अत: निगम ने पुराने दावों का शीघ्र निपटान करने हेतु विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त निगम को उपयुक्त प्राधिकारियों का सहयोग मिला जिसके परिणामस्वरूप विचाराधीन मामलों में निर्णायक रूप से कमी आई है और 31 मार्च, 2012 के 32 की तुलना में 31 मार्च, 2013 को यह 25 रह गया है।

2.2 सरकारी क्षेत्र के बैंकों के साथ "एजेंसी बैंक" की व्यवस्था के माध्यम से जमाकर्ताओं को सीधे भुगतान

निगम परिसमापकों के माध्यम से जमाकर्ताओं के दावों का भुगतान करता है। कुछ उपभोक्ता संरक्षण मंचों से प्राप्त सुझावों और जमाकर्ताओं के हित में निगम ने जमाकर्ताओं को भुगतान करने के तरीके की समीक्षा की। अत: परिसमापनाधीन बैंकों के जमाकर्ताओं को उनकी बीमाकृत निधियों तक त्वरित पहुँच (एक्सेस) उपलब्ध कराने और ई-अभिशासन (गवर्नेंस) की अपनी नीति के अनुसरण में निगम द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कुछ सरकारी क्षेत्र के बैंकों के साथ की गई "एजेन्सी" व्यवस्था के माध्यम से सीधे जमाकर्ताओं को उनके निपटाए गए दावों का भुगतान किया जाए। इस योजना के अंतर्गत जमाकर्ताओं के शतप्रतिशत कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए ये भुगतान एजेंसी बैंकों द्वारा निम्नलिखित दो प्रकार से किए जाएंगे :-

i. जिनके खाते बैंक में अनुरक्षित हैं, उन्हें कोर बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से सीधे प्रेषण।

ii. जिनके खाते किसी अन्य बैंक में अनुरक्षित हैं, उन्हें राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण (एनईएफटी) के माध्यम से प्रेषण।

जमाराशि के इलेक्ट्रानिक भुगतान के लिए सभी आवश्यक सूचनाओं सहित दावा सूची तैयार करके परिसमापक निगम को अपना सपोर्ट उपलब्ध करना जारी रखेंगे। वर्ष 2012-13 के दौरान यह योजना महाराष्ट्र के दो बैंकों में और गुजरात के एक बैंक में पाइलट आधार पर कार्यान्वित की गई है और यथासमय अन्य राज्यों में इसे आगे बढ़ाया जाएगा।

2.3 अनुपूरक दावों का प्रस्तुतीकरण – "सावधि विधि खंड (सनसेट क्लाज)"

अप्रैल 2007 से पूर्व परिसमापनाधीन बैंक में अनुरक्षित संयुक्त खातों (ए बी और बी ए) को "समान क्षमता और समान अधिकार" वाला मानकर एक खाते के रूप में मिला दिया गया था और निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 16(1) में निर्धारित सीमा (₹0.1 मिलियन) के अधीन निबीप्रगानि द्वारा दावे की राशि का निपटान किया गया था। 26 अप्रैल, 2007 से इन खातों को "भिन्न क्षमता तथा भिन्न अधिकार" वाला खाता माना गया तथा ऐसे प्रत्येक खाते को एक अलग खाता मानकर दावों का निपटान किया गया है। इन संशोधित दिशानिर्देशों के कारण उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त दावों, जिन्हें बैंक के परिसमापकों द्वारा अनुपूरक दावों के रूप में प्रस्तुत किया गया था, का निगम द्वारा समय-समय पर निपटान किया गया है। इसके परिणामस्वरूप 26 अप्रैल, 2007 के पूर्व परिसमापनाधीन बैंकों को भी इसका लाभ प्रदान किया गया था।

अनुपूरक दावों के निपटान संबंधी इन दिशानिर्देशों की समीक्षा करने के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि 26 अप्रैल, 2007 के पूर्व से 31 मार्च, 2013 तक परिसमापनाधीन सहकारी बैंकों में ए बी / बी ए आधार पर अनुरक्षित संयुक्त खातों से संबंधित अनुपूरक दावों को परिसमापकों द्वारा प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। 31 मार्च, 2013 की समय सीमा के उपरांत प्रस्तुत ऐसे किसी अनुपूरक दावे पर निगम द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। इससे संबंधित प्रेस प्रकाशनी को निगम तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर भी रखा गया है। साथही फरवरी 2013 में इसे समाचार के रूप में बिजनेस स्टैंडर्ड और विज्ञापन के रूप में पूरे देश के प्रमुख समाचारपत्रों में प्रकाशित कराया गया था।

2.4 राज्य सरकार के प्रधान सचिव (सहकारिता) तथा सहकारी समितियों के पंजीयकों के साथ बैठकें और परिसमापकों के लिए कार्यशाला

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम के कार्यपालक निदेशक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रभारी कार्यपालक निदेशक और पाँच राज्यों जैसे : कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, जिनके अंतर्गत अधिकतर परिसमापित शहरी सहकारी बैंक आते हैं, के प्रधान सचिव, सहकारिता / सहकारी समितियों के पंजीयकों के मध्य उच्चस्तरीय बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें निगम ने परिसमापित शहरी सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों का निपटान किया। इन बैठकों के दौरान कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे : अवितरित राशि की वापसी, स्टेटमेंट / रिटर्न निगम को प्रस्तुत न करना / विलंब से प्रस्तुत करना, परिसमापन की धीमी प्रक्रिया और परिसमापित शहरी सहकारी बैंकों द्वारा वसूली की राशि में से निगम के हिस्से की राशि की चुकौती न करने संबंधी विषयों पर चर्चा की गई।

उच्च स्तरीय बैठकों के साथ-साथ इन राज्यों में बैंकों के परिसमापकों के लिए भी कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिनमें उन्हें रिटर्न / स्टेटमेंट समय से प्रस्तुत करने के महत्व से अवगत कराया गया ताकि निगम परिसमापन की प्रक्रिया की निगरानी कर सके। परिसमापकों पर यह भी जोर दिया कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अवितरित राशि वापस कर दें तथा परिसमापन की प्रक्रिया के दौरान उनके द्वारा वसूल की गई राशि में से निगम की बकाया राशि की चुकौती करें।

2.5 शैक्षिक ऋण के लिए ऋण गारंटी योजना

केंद्र सरकार के वर्ष 2012-13 के बजट में की गई घोषणा के अनुसरण में अगस्त 2012 में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शैक्षिक ऋण और व्यावसायिक पाठ्यक्रम / कौशल विकास संबंधी ऋणों के लिए ऋण गारंटी योजना परिचालित / कार्यान्वित करने के लिए निबीप्रगानि को सूचित किया गया। इसके जबाब में निगम ने नेशनल इंस्टीट्यूट आफ बैंक मैनेजमेंट (एनआईबीएम), पुणे को इस संबंध में बैंकों का अध्ययन करने तथा बैंकों द्वारा प्रदान किए जा रहे शैक्षिक ऋण और व्यावसायिक पाठ्यक्रम / कौशल विकास संबंधी ऋणों के लिए व्यावहारिक ऋण गारंटी योजना संबंधी योजना तैयार करने का कार्य सौंपा। इस योजना का प्रारूप लगभग तैयार है और निबीप्रगानि द्वारा शीघ्र ही इसे अंतिम स्वरूप प्रदान किया जाएगा।

भाग III : लेखों का स्टेटमेंट [4]

3.1 बीमा देयताएं

(क) वर्ष 2012-13 के दौरान, बीमा दावों के रूप में ₹1,997.67 मिलियन (पिछले वर्ष ₹2,873.12 मिलियन) का भुगतान किया गया, जो 30.57 प्रतिशत की कमी दर्शाता है। 31 मार्च, 2013 के अनुसार बकाया निक्षेप बीमा दावों के रूप में सुनिश्चित देयताएं ₹9,053.29 मिलियन (31 मार्च, 2012 को ₹6,885.46 मिलियन) अनुमानित की गई थीं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 22.61 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती हैं।

(ख) समीक्षाधीन वर्ष के अंत में **निधि शेष (*अर्थात्* बीमांकिक देयता)** अनुमोदित बीमांकक मेसर्स के.ए.पंडित एंड कं. के निर्धारण के अनुसार ₹52,649.60 मिलियन (₹47,677.60 मिलियन) रहा।

(ग) ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) के संबंध में कोई संभाव्य दावा देयता नहीं है।

3.2 वर्ष के दौरान राजस्व

(क) वर्ष 2012-13 के दौरान, **निक्षेप बीमा निधि में** कर-पूर्व **राजस्व अधिशेष** पिछले वर्ष ₹60,009.43 मिलियन था, इसमें ₹26,255.81 मिलियन की वृद्धि हुई और अब यह ₹86,265.24 मिलियन हो गया अर्थात् लगभग 43.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसका प्रमुख कारण प्रीमियम आय में ₹3,466.61 मिलियन की वृद्धि, निवेशों से होने वाली आय में ₹4,150.72 मिलियन की वृद्धि, राजस्व के रूप में प्रभारित (चार्ज्ड) निवल बीमांकिक देयता में ₹4,969.60 मिलियन की कमी, निवेशों के मूल्यह्रास के रूप में ₹13,422.71 मिलियन के प्रतिलेखन और वसूली में ₹1,310.28 मिलियन की वृद्धि के साथ-साथ निवल दावों में ₹630.92 मिलियन की वृद्धि और आयकर वापसी संबंधी ब्याज में ₹433.17 मिलियन की कमी रही है।

(ख) वर्ष 2012-13 के दौरान **ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) में** कर-पूर्व **राजस्व अधिशेष** में पिछले वर्ष की तुलना में ₹197.38 मिलियन अर्थात् 113.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा यह पिछले वर्ष के ₹173.23 मिलियन की तुलना में ₹370.61 मिलियन हो गया। यह वृद्धि प्रमुख रूप से निवेशों से होने वाली आय में ₹16.27 मिलियन की वृद्धि, निवेशों के मूल्यह्रास के रूप में ₹185.58 मिलियन के प्रतिलेखन के साथ-साथ आयकर वापसी संबंधी ब्याज में ₹2.90 मिलियन की कमी के कारण हुई है।

(ग) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान **सामान्य निधि (जीएफ)** में कर-पूर्व **राजस्व अधिशेष** पिछले वर्ष के ₹0.63 मिलियन की तुलना में काफी अधिक अर्थात् ₹397.89 मिलियन रहा। इस वृद्धि का प्रमुख कारण निवेशों से होने वाली आय में ₹115.77 मिलियन की वृद्धि, स्टाफ कास्ट में ₹4.34 मिलियन की कमी और निवेशों के मूल्यह्रास के रूप में ₹276.60 मिलियन का प्रतिलेखन रहा है।

3.3 संचित अधिशेष

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) तथा सामान्य निधि (जीएफ) में संचित अधिशेष / रिज़र्व (कर के बाद) क्रमश: ₹308,553.81 मिलियन (₹253,252.71 मिलियन), ₹3,250.95 मिलियन (₹3,000.61 मिलियन) तथा ₹4,573.30 मिलियन (₹4,303.15 मिलियन) था।

3.4 निवेश

वर्ष के अंत में तीनों निधियों अर्थात् निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) तथा सामान्य निधि (जीएफ) में निवेशों का बही मूल्य (लागत पर) क्रमश: ₹374,992.06 मिलियन (₹320,203.69 मिलियन), ₹3,941.86 मिलियन (₹3,803.97 मिलियन) और ₹5,455.01 मिलियन (₹5,410.09 मिलियन) रहा है। 31 मार्च, 2013 को

[4] कोष्ठक में दिए गए आँकड़े पिछले वर्ष के हैं।

उक्त तीनों निधियों की दिनांकित प्रतिभूतियों का संचित मूल्यह्रास क्रमश: ₹5,226.96 मिलियन (₹13,662.60 मिलियन); ₹406.56 मिलियन (₹495.20 मिलियन) तथा ₹466.78 मिलियन (₹631.50 मिलियन) था। निवेशों के मूल्यह्रास के प्रतिलेखन के कारण निवेश रिज़र्व में गिरावट आई है।

3.5 कराधान

3.5.1 आयकर

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) तथा सामान्य निधि (जीएफ) के अग्रिम आयकर खाते में संचित शेष क्रमश: ₹90,152.58 मिलियन (₹60,525.01 मिलियन), ₹447 मिलियन (₹303.70 मिलियन) और ₹364.19 मिलियन (₹209.46 मिलियन) है। इसी तारीख को निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) तथा सामान्य निधि (जीएफ) के कराधान खाते में प्रावधान के लिए संचित शेष क्रमश: ₹80,640.13 मिलियन (₹52,647.06 मिलियन); ₹551.68 मिलियन (₹431.41 मिलियन) तथा ₹184.57 मिलियन (₹57.36 मिलियन) था।

3.5.2 सेवाकर

भारत सरकार ने सितंबर 2011 से निगम द्वारा एकत्रित प्रीमियम पर सेवाकर लगाया है। निगम ने यह कहते हुए सरकार को एक अभ्यावेदन प्रतुत किया है कि निगम पर सेवाकर नहीं लगाया जाना चाहिए। इस संबंध में मार्च 2012 में अंतिम स्पष्टीकरण यह प्राप्त हुआ कि निगम सेवाकर अदा करने के लिए जिम्मेदार है। तदनुसार सेवाकर संबंधी पंजीकरण कराया गया तथा निगम ने 1 अक्तूबर, 2011 से देय प्रीमियम पर सेवाकर अदा करना प्रारंभ कर दिया है। सरकार को अदा किए गए अधिक सेवाकर की राशि को सेवाकर वापसीयोग्य (रिफंडेबल) खाते में प्रदर्शित किया गया है। वापसीयोग्य कुल राशि ₹357.41 मिलियन रही, जिसमें वर्ष 2012-13 की ₹139.03 मिलियन तथा वर्ष 2011-12 की ₹218.38 मिलियन की राशि सम्मिलित है।

भाग IV : खजाना परिचालन

4.1 निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 25 के अनुसार निगम अपनी अधिशेष (सरप्लस) राशि को केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश करता है। 31 मार्च, 2013 को निगम के निवेश पोर्टफोलियो का कुल आकार ₹384.39 बिलियन रहा। इस प्रकार इसमें पिछले वर्ष की तुलना में ₹54.97 बिलियन (16.69 प्रतिशत) की वृद्धि प्रदर्शित हुई। वर्ष के दौरान पोर्टफोलियो जेनरेटेड कूपन यील्ड 7.99 प्रतिशत रहा। निवेश में मूल्यह्रास को समायोजित करने के उपरांत वर्ष 2012-13 का पोर्टफोलियो का टाइम वेटेड एवरेज रिटर्न 11.96 प्रतिशत रहा।

4.2 केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्ज) संघ - फिम्डा (एफआईएमएमडीए) द्वारा प्रकाशित माडल प्राइस के आधार पर किया जाता है। यद्यपि मूल्यवृद्धि (ऐप्रीसिएशन) को नजरंदाज कर दिया गया है तथापि मूल्यह्रास के लिए पूरी तरह प्रावधान किया गया है तथा इसे निवेश रिजर्व (आईआर) के अंतर्गत बुक किया गया है। 31 मार्च, 2013 को निवेश रिजर्व (आईआर) का शेष (बैलेंस) ₹6.10 बिलियन था। पुन: निगम बाजार जोखिम के विरुद्ध कुशन के रूप में निवेश उच्चावचन रिजर्व (आईएफआर) अनुरक्षित करता है। 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार ₹14.78 बिलियन के बाजार जोखिम (स्टैंडराइज्ड ड्युरेशन मेथड से परिकलित) के विरुद्ध आईएफआर में ₹15.12 बिलियन की राशि अनुरक्षित थी। 31 मार्च, 2013 को पोर्टफोलियो का माडीफाइड ड्युरेशन 5.99 था।

भाग V : संगठनात्मक मामले

5.1 निदेशक मंडल

निगम की सामान्य निगरानी, निदेश तथा कार्यों और कारोबार का प्रबंधन निदेशक बोर्ड में निहित है, जो सभी शक्तियों का प्रयोग करता है और ऐसे सभी कार्य व कारोबार करता है, जो निगम कर सकता है।

5.1.1 निबीप्रगानि सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 6 के अनुसार निगम के निदेशक बोर्ड से अपेक्षित है कि वह सामान्यत: प्रत्येक वर्ष में प्रति तिमाही एक बैठक करे। 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के दौरान बोर्ड की चार बैठकें आयोजित की गईं।

5.1.2 निदेशकों का नामांकन / सेवानिवृत्ति

डॉ. सुबीर गोकर्ण का उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक के रूप में कार्यकाल पूर्ण होने के परिणामस्वरूप डॉ. ऊर्जित पटेल, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक को निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(ए) के अंतर्गत 18 जनवरी, 2013 को निगम के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। श्री जी. गोपालकृष्ण, कार्यपालक निदेशक के स्थान पर श्री जसबीर सिंह, कार्यपालक निदेशक, निबीप्रगानि को निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(बी) के अंतर्गत 21 सितंबर, 2012 को निगम के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

5.2 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन हुआ :

1.	श्री कमलेश विकमसे	अध्यक्ष
2.	डॉ. प्रकाश बक्शी	निदेशक
3.	डॉ. शशांक सक्सेना	भारत सरकार द्वारा नामिती निदेशक
4.	श्री बी.एल.पटवर्धन	निदेशक
5.	श्री जसबीर सिंह	निदेशक

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के दौरान बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं।

5.2.1 सूचना प्रौद्योगिकी समिति

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संबंधी मामलों में दिशानिर्देश के लिए दिसंबर 2011 में बोर्ड-स्तरीय उप-समिति का गठन किया गया। जिसकी वर्तमान में संरचना निम्नानुसार है :

1.	प्रो. जी.शिवकुमार	अध्यक्ष
2.	श्री कमलेश विकमसे	सदस्य
3.	श्री जी.गोपालकृष्ण	सदस्य
4.	श्री जसबीर सिंह	सदस्य
5.	डॉ. ए.एस.रामशास्त्री	आमंत्रित

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के दौरान आईटी समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं।

5.3 आंतरिक नियंत्रण

5.3.1 बजट नियंत्रण

निगम ने अपने राजस्व और व्यय पर नियंत्रण के लिए अपनी तीन निधियों, अर्थात् निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) और सामान्य निधि (जीएफ) के अंतर्गत नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है। निगम द्वारा निक्षेप बीमा निधि और सामान्य निधि के अंतर्गत व्यय का वार्षिक बज़ट तैयार किया जाता है, जो विविध मानदंडों पर आधारित है *जैसेकि* बीमाकृत बैंकों का लाईसेंस रद्द करना / परिसमापन करना, स्टाफ और स्थापना से संबंधित भुगतान आदि। प्रत्येक लेखा वर्ष के पूर्व बजट को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तीनों निधियों के अंतर्गत होने वाली प्राप्तियाँ अर्थात् प्रीमियम प्राप्ति, वसूलियाँ और निवेश आय से संबंधी अनुमानों को भी बजट में सम्मिलित किया जाता है। बज़ट किए गए व्यय और प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक व्यय / प्राप्ति की हर तिमाही समीक्षा की जाती है।

5.3.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रबंध लेखापरीक्षा और प्रणाली निरीक्षण

भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण विभाग ने 24 जनवरी से 15 फरवरी, 2011 के मध्य प्रबंध लेखापरीक्षा और प्रणाली निरीक्षण 2011 का आयोजन किया। निरीक्षण दल (टीम) के पर्यवेक्षणों द्वारा वर्गीकृत 3 पैराग्राफों को "प्रमुख" में रखा गया था जिसका अनुपालन कर दिया गया है। "अन्य" 101 पैराग्राफों में से 99 का अनुपालन कर दिया गया है।

5.3.3 संगामी लेखापरीक्षा

निगम ने अपने सभी परिचालनों के लिए वर्ष 2004-05 से सनदी लेखाकार की एक फर्म द्वारा संगामी लेखापरीक्षा (ऑन साइट) की प्रणाली प्रारंभ की है। लेखापरीक्षा के प्रमुख निष्कर्षों तथा संबंधित अनुपालन को लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं।

5.3.4 नियंत्रण स्वमूल्यांकन लेखापरीक्षा (सीएसएए)

निगम ने अतिरिक्त रूप से एक नियंत्रण स्वमूल्यांकन लेखापरीक्षा (सीएसएए) फॉर्मेट (समकक्ष समीक्षा) प्रारंभ की है, जिसके द्वारा निगम के अधिकारियों से अपेक्षित है कि वे ऐसे क्षेत्रों में, जिनसे वे कार्यकारी तौर पर संबद्ध नहीं हैं, की लेखापरीक्षा जाँच करें।

5.4 प्रशिक्षण और कौशल विकास

अपने मानव संसाधन कौशल को अद्यतन रखने हेतु निगम अपने स्टाफ को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, भारत और विदेशों में आयोजित सेमिनारों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं के लिए प्रतिनियुक्त करता है, जिन्हें अधिकतर भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों के साथ-साथ भारत और विदेश में इंटरनेशनल एसोसिएशन आफ डिपाजिट इंश्योरर्स (आईएडीआई) और अन्य विदेशी निक्षेप बीमा संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जाते हैं। 2012-13 के दौरान 27 अधिकारी और 3 श्रेणी III स्टाफ सहित कुल 30 कर्मचारियों को भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों और भारत में बाह्य प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रतिनियुक्त किया गया। इंटरनेशनल एसोसिएशन आफ डिपाजिट इंश्योरर्स (आईएडीआई) तथा अन्य निक्षेप बीमा संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम / सम्मेलन में भाग लेने के लिए 9 अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया। एक अधिकारी को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा व्यवस्थित कोलाबरेटिव मैनेजमेंट डेवलपमेंट कार्यक्रम में प्रतिनियुक्त किया गया।

5.5 स्टाफ संख्या

निगम में संपूर्ण स्टाफ भारतीय रिजर्व बैंक से प्रतिनियुक्ति पर है। निगम के कुल स्टाफ की संख्या 31 मार्च, 2012 के 88 की तुलना में 31 मार्च, 2013 को घटकर 84 रह गई। उनका श्रेणीवार विवरण निम्नलिखित है :

कुल स्टाफ में, श्रेणी I में 55 प्रतिशत, श्रेणी III में 26 प्रतिशत और शेष 19 प्रतिशत श्रेणी IV में था। 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार कुल स्टाफ में 14.3 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 9.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति का है (सारिणी 6)।

सारिणी 6: स्टाफ की श्रेणी-वार स्थिति

वर्ग	संख्या	जिसमें		प्रतिशत	
		अजा	अजजा	अजा	अजजा
1	2	3	4	5	6
श्रेणी I	46	6	6	13.0	13.0
श्रेणी III	22	2	1	9.0	4.5
श्रेणी IV	16	4	1	25.0	6.3
कुल	**84**	**12**	**8**	**14.3**	**9.5**

अजा - अनसूचित जाति **अजजा - अनसूचित जन जाति**

5.6 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

भारत सरकार ने जून 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया। यह अधिनियम 12 अक्तूबर, 2005 से लागू हुआ। अधिनियम में परिभाषित सार्वजनिक प्राधिकरण होने के नाते निगम जनता को जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य है। वर्ष 2012-13 के दौरान कुल 43 अनुरोधों का निपटान किया गया जिसमें से 4 मामलों को अपीलीय प्राधिकारी के अंतर्गत निपटाया गया।

5.7 हिंदी का प्रगामी प्रयोग

वर्ष 2012-13 के दौरान, निगम ने हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने का अपना प्रयास जारी रखा। निगम द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। निगम के प्रधान कार्यालय को राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। निगम हिंदी के प्रयोग संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है। निगम प्रतिवर्ष सितम्बर महीने में "हिंदी पखवाड़ा" आयोजित करता है। सितम्बर 2012 के दूसरे पखवाड़े में आयोजित "हिंदी पखवाड़ा" में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। निगम के दैनिक कार्यकलाप में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने और उसकी निगरानी के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित तिमाही बैठकें होती हैं।

5.8 निगम में ग्राहक देख-रेख कक्ष

निगम एक सार्वजनिक संस्था है और इसका मुख्य कार्य विफल बीमाकृत बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों का निपटान करना है। निगम के विरुद्ध जनता से प्राप्त शिकायतों का शीघ्र निपटान करने के लिए निगम में एक ग्राहक देख-रेख कक्ष स्थापित किया गया है।

5.9 रेजोल्यूशन रिजीम के संबंध में वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) की समकक्ष समीक्षा

वर्तमान समाधान व्यवस्था (रेजोल्यूशन रिजीम) के अंतर्गत वित्तीय स्थिरता बोर्ड के क्षेत्राधिकारों का मूल्यांकन करने के प्रयोजन से वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) ने समाधान व्यवस्था संबंधी समकक्ष समीक्षा की और प्रमुख विशेषताओं (की एट्रीब्यूट्स) को मानदण्ड के रूप में प्रयोग करके उस व्यवस्था (रिजीम) में किए जाने वाले परिवर्तनों की योजना तैयार की। वित्तीय स्थिरता बोर्ड द्वारा समकक्ष समीक्षा की यह रिपोर्ट अप्रैल 2013 में जारी की गई। समकक्ष समीक्षा में यह पाया गया कि कुछ क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत किए गए प्रमुख विधाई सुधारों के कारण प्रमुख विशेषताओं का कार्यान्वयन प्रारंभिक स्तर पर ही करना पड़ता है। पुन: मजबूत समाधान व्यवस्था के कार्यान्वयन हेतु कार्य किए जाने की भी आवश्यकता है ताकि प्रणालीगत महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों (सिफीज) सहित विफल हो रहे संस्थानों का सामना किया जा सके। समकक्ष समीक्षा की अनुशंसाओं में मुख्य रूप से बैंकों की समाधान व्यवस्था की समीक्षा करना तथा उसे संशोधित करना शामिल था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाधान संबंधी अधिकार प्रमुख विशेषताओं (की एट्रीब्यूट्स) के संगत हैं, गैर-बैंक वाले वित्तीय संस्थानों की समाधान व्यवस्था की पर्याप्तता और प्रभाविकता के लिए आवश्यक सुधारों को स्वीकार करते हैं, समाधान व्यवस्था की व्याप्ति को बढ़ाते हैं, समाधान प्राधिकारियों के अधिदेश तथा क्षमता में वृद्धि करते हैं, समाधेयता (रिजाल्वेबिलिटी) में सुधार हेतु परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए वित्तीय संस्थानों की अपेक्षानुसार पर्यवेक्षी और समाधान प्राधिकारियों को अधिकार प्रदान करते हैं।

अन्य व्यवस्थाओं के साथ-साथ भारत की समाधान व्यवस्था, जो वित्तीय स्थिरता बोर्ड के सदस्यों में से एक है, ने भी इसका मूल्यांकन किया तथा सुधार संबंधी कई क्षेत्रों की पहचान की। इनमें बीमाकर्ताओं और प्रतिभूति संबंधी फर्मों के लिए समाधान व्यवस्था प्रारंभ करना, बैंकों और सिफीज के विफल होने का सामना करने के लिए समाधान व्यवस्था को अधिकार प्रदान करना, प्रत्येक सिफीज द्वारा वसूली और समाधान संबंधी अपनी निजी योजना विकसित करने के लिए विस्तृत उपकरण और पर्यवेक्षी अधिकार वाला सिफीज समाधान मेकेनिज्म शामिल था।

5.10 आईएडीआई में भूमिका

5.10.1 श्री जसबीर सिंह, कार्यपालक निदेशक, निबीप्रगानि ने अक्तूबर 2012 में लंदन, इंग्लैंड में संपन्न आईएडीआई की वार्षिक सामान्य बैठक तथा वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया और फरवरी 2013 में ओटावा, कनाडा में आयोजित कार्यकारी परीषद की बैठक में भाग लिया।

5.10.2 निबीप्रगानि आईएडीआई द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों / कार्यशालाओं में भाग लेकर सहयोग प्रदान करता रहा है। वर्ष 2012-13 के दौरान अर्लिंग्टन, वीए, अमेरिका; लैंग्कावी, मलेशिया; सियोल, दक्षिण कोरिया; नैरोबी, केन्या और कुआलालंपूर, मलेशिया में आयोजित कार्यशाला में सहभाग लिया था।

5.11 निक्षेप बीमा एजेंसियों के लिए निवेश "प्रबंधन" पर आईएडीआई-निबीप्रगानि का तकनीकी सेमिनार

निगम ने इंटरनेशनल एसोसिएशन आफ डिपाजिट इंश्योरर्स (आईएडीआई) के सहयोग से "निक्षेप बीमा एजेंसियों के लिए निवेश प्रबंधन" नामक विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सेमिनार मुंबई में 20 से 22 फरवरी, 2013 के मध्य आयोजित किया। तकनीकी सेमिनार का मुख्य विषय मास्को, रूस में होने वाली आईएडीआई के एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय समिति (एपीआरसी) की 10वीं वार्षिक बैठक के लिए निक्षेप बीमा एजेंसियों के प्राधिकारियों के कौशल में वृद्धि करना चुना गया था।

तकनीकी सेमिनार प्रमुख वक्ताओं में कार्यपालक निदेशक, निबीप्रगानि; निदेशक, निबीप्रगानि; कनाडा, जापान, मलेशिया और फिलीपीन्स की निक्षेप बीमा एजेंसियों के निवेश संबंधी वरिष्ठ प्रतिनिधि तथा भारत के निजी क्षेत्र के निवेश और जोखिम-प्रबंधन पेशेवर सम्मिलित थे। सेमिनार में 19 देशों के लगभग 35 प्रतिनिधियों और निबीप्रगानि के वरिष्ठ प्राधिकारियों ने भाग लिया। सेमिनार को दो दिनों के पाँच सत्रों में विभाजित किया गया था।

5.12 लेखापरीक्षक

निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 29(1) के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से मेसर्स सारडा एंड पारीक, सनदी लेखाकार, मुंबई को वर्ष 2012-13 के लिए निगम के लेखापरीक्षक के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया।

परिचालनात्मक दक्षता बनाए रखने के लिए बोर्ड निगम के स्टाफ द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करता है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
मुंबई

(ऊर्जित पटेल)
अध्यक्ष

दिनांक: 11 जून, 2013

संलग्नक I

वर्ष 1962 से निक्षेप बीमा योजना के अंतर्गत सम्मिलित बैंकों की संख्या

वर्ष / अवधि	वर्ष / अवधि के प्रारंभ में	वर्ष / अवधि के दौरान पंजीकृत	वर्ष / अवधि के दौरान ऐसे विपंजीकृत बैंक, जहाँ निगम की देयता			वर्ष / अवधि के अंत में पंजीकृत (2+3-6)
			विद्यमान	विद्यमान नहीं	कुल (4 + 5)	
1	2	3	4	5	6	7
2012-13	2,199	12	12	32	44	2,167
2011-12	2,217	7	11	14	25	2,199
2010-11	2,249	3	22	13	35	2,217
2009-10	2,307	10	26	42	68	2,249
2008-09	2,356	13	33	29	62	2,307
2007-08	2,392	10	18	28	46	2,356
2006-07	2,531	46	24	161	185	2,392
2005-06	2,547	3	17	2	19	2,531
2004-05	2,595	3	47	4	51	2,547
2003-04	2,629	9	39	4	43	2,595
2002-03	2,715	10	29	7	36	2,629*
2001-02	2,728	15	18	10	28	2,715
2000-01	2,676	62	9	1	10	2,728
1999-2000	2,583	103	8	2	10	2,676
1998-99	2,438	149	4	0	4	2,583
1997-98	2,296	145	1	2	3	2,438
1996-97	2,122	176	1	1	2	2,296
1995-96	2,025	99	1	1	2	2,122
1994-95	1,990	36	0	1	1	2,025
1993-94	1,931	63	1	3	4	1,990
1992-93	1,931	3	2	1	3	1,931
1991-92	1,922	14	2	3	5	1,931
1990-91	1,921	8	5	2	7	1,922
1986 से 1990 तक	1,837	102	8	10	18	1,921
1981 से 1985 तक	1,582	280	8	17	25	1,837
1976 से 1980 तक	611	995	9	15	24	1,582
1971 से 1975 तक	83	544	0	16	16	611
1966 से 1970 तक	109	1	5	22	27	83
1963 से 1965 तक	276	1	7	161	168	109
1962	287	0	2	9	11	276

* पिछले वर्षों में 60 बैंक विपंजीकृत किए गए परंतु उन्हें संबंधित वर्षों में नहीं गिना गया।

संलग्नक - II

ए. बीमाकृत बैंक - श्रेणीवार

वर्ष (माह मार्च की समाप्ति पर)	बीमाकृत बैंकों की संख्या				
	वाणिज्यिक बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	स्थानीय क्षेत्र बैंक	सहकारी बैंक	कुल
2012-13	89	67	4	2,007	2,167
2011-12	87	82	4	2,026	2,199
2010-11	82	82	4	2,049	2,217

बी. बीमाकृत सहकारी बैंक - राज्यवार

(मार्च 2013 के अंत की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य / केंद्रशासित प्रदेश	अपेक्स	केंद्रीय	प्राथमिक	कुल
1	आंध्र प्रदेश	1	22	103	126
2	असम	1	0	8	9
3	अरुणांचल प्रदेश	1	0	0	1
4	बिहार	1	21	3	25
5	छत्तीसगढ़	1	6	11	18
6	गोवा	1	0	6	7
7	गुजरात	1	18	234	253
8	हरियाणा	1	19	7	27
9	हिमांचल प्रदेश	1	2	5	8
10	जम्मू और कश्मीर	1	3	4	8
11	झारखंड	0	8	2	10
12	कर्नाटक	1	21	266	288
13	केरल	1	14	60	75
14	मध्य प्रदेश	1	38	53	92
15	महाराष्ट्र	1	31	517	549
16	मणिपुर	1	0	2	3
17	मेघालय	1	-	3	4
18	मिजोरम	1	-	1	2
19	नागालैंड	1	-	-	1
20	ओड़िशा	1	17	11	29
21	पंजाब	1	20	4	25
22	राजस्थान	1	29	39	69
23	सिक्किम	1	0	1	2
24	तमिलनाडु	1	24	129	154
25	त्रिपुरा	1	0	1	2
26	उत्तर प्रदेश	1	50	67	118
27	उत्तराखंड	1	10	7	18
28	पश्चिम बंगाल	1	17	46	64
केंद्रशासित प्रदेश					
1	एनसीटी दिल्ली	1	0	15	16
2	अंदमान और नीकोबार द्वीपसमूह	1	0	0	1
3	दमन और दीव	0	0	0	0
4	पुडुचेरी	1	0	1	2
5	चंडीगढ़	1	-	-	1
कुल		**31**	**370**	**1,606**	**2,007**

संलग्नक - III

वर्ष 2012-13 के दौरान पंजीकृत / विपंजीकृत बैंक

बैंक का प्रकार / राज्य	क्रम सं.	बैंक का नाम
ए. पंजीकृत (12)		
वाणिज्यिक बैंक (2)	1	वेस्टपैक बैंकिंग कार्पोरेशन, मुंबई
	2	सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कार्पोरेशन, नई दिल्ली
सहकारी बैंक (0)	कोई नहीं	
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (10)	1	सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश
	2	आर्यावर्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उत्तर प्रदेश
	3	बिहार ग्रामीण बैंक, बिहार
	4	कावेरी ग्रामीण बैंक, कर्नाटक
	5	मध्यांचल ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश
	6	नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश
	7	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, उत्तराखंड
	8	उत्कल ग्रामीण बैंक, ओड़िशा
	9	ओड़िशा ग्राम्य बैंक, ओड़िशा
	10	बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान
बी. विपंजीकृत (44)		
वाणिज्यिक बैंक (0)	कोई नहीं	
सहकारी बैंक (19)		
आंध्र प्रदेश (2)	1	ओंगोल कोआपरेटिव बैंक लि., ओंगोल (विशाखापटनम कोआपरेटिव बैंक लि., विशाखापटनम में विलय)
	2	श्री बालाजी अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., तिरुपति (विशाखापटनम कोआपरेटिव बैंक लि., विशाखापटनम में विलय)
गुजरात (5)	1	श्री भद्रण मर्केण्टाइल कोआपरेटिव बैंक लि., भद्रण
	2	दि खेड़ब्रह्मा नागरिक सहकारी बैंक लि., खेड़ब्रह्मा (जूनागढ़ कमर्शियल कोआपरेटिव बैंक लि., जूनागढ़ में विलय)
	3	दि माधवपुरा मर्केण्टाइल कोआपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद
	4	दि सचिन इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव बैंक लि., सूरत (दि सूटेक्स कोआपरेटिव बैंक लि., सूरत में विलय)
	5	दि बोरसद नागरिक सहकारी बैंक लि., बोरसद
महाराष्ट्र (10)	1	कृष्णा वैली कोआपरेटिव बैंक लि., कुपवाड़, सांगली
	2	दि भुसावल पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि., भुसावल, जलगांव
	3	भीमाशंकर नागरी सहकारी बैंक लि., औसा, लातूर
	4	प्रीमियर आटोमोबाइल्स इम्पलाइज कोआपरेटिव बैंक लि., कुर्ला
	5	राजीव गांधी सहकारी बैंक लि., लातूर
	6	अमरावती पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि., अमरावती (दि कॉसमास कोआपरेटिव बैंक लि., पुणे में विलय)

संलग्नक - III *(जारी)*

बैंक का प्रकार / राज्य	क्रम सं.	बैंक का नाम
	7	प्रियदर्शिनी महिला कोआपरेटिव बैंक लि., मुंबई (महानगर कोआपरेटिव बैंक लि., मुंबई में विलय)
	8	संत मोतीराम महाराज नागरी सहकारी बैंक लि. (दीनदयाल नागरिक बैंक लि. अंबाजोगाइ)
	9	स्वामी समर्थ सहकारी बैंक लि., अक्कालकोट, शोलापुर
	10	अभिनव सहकारी बैंक लि., राहुरी, अहमदनगर
ओड़िशा (1)	1	छत्रपुर कोआपरेटिव बैंक लि., छत्रपुर, ओड़िशा
उत्तर प्रदेश (1)	1	गाजियाबाद अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., गाजियाबाद
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (25)	1	सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश (विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, के साथ समामेलित)
	2	विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश (सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथ समामेलित)
	3	महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश (सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथ समामेलित)
	4	आर्यावर्त ग्रामीण बैंक, लखनऊ (क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक, मैनपुरी के साथ समामेलित)
	5	क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक, मैनपुरी (आर्यावर्त ग्रामीण बैंक, लखनऊ के साथ समामेलित)
	6	समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, समस्तीपुर (बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुंगेर के साथ समामेलित)
	7	बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुंगेर (समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, समस्तीपुर के साथ समामेलित)
	8	चिकमगलूर कोडागु ग्रामीण बैंक, चिकमगलूर (विश्वेसरैया ग्रामीण बैंक और कावेरी कल्पतरु ग्रामीण बैंक के साथ समामेलित)
	9	विश्वेसरैया ग्रामीण बैंक, मांड्या (चिकमगलूर कोडागु ग्रामीण बैंक और कावेरी कल्पतरु ग्रामीण बैंक के साथ समामेलित)
	10	कावेरी कल्पतरु ग्रामीण बैंक, मैसूर (चिकमगलूर कोडागु ग्रामीण बैंक और विश्वेसरैया ग्रामीण बैंक के साथ समामेलित)
	11	मध्य भारत ग्रामीण बैंक, सागर (शारदा ग्रामीण बैंक और रीवा सीधी ग्रामीण बैंक के साथ समामेलित)
	12	शारदा ग्रामीण बैंक, सतना (मध्य भारत ग्रामीण बैंक और रीवा सीधी ग्रामीण बैंक के साथ समामेलित)
	13	रीवा सीधी ग्रामीण बैंक, रीवा (मध्य भारत ग्रामीण बैंक और शारदा ग्रामीण बैंक के साथ समामेलित)

संलग्नक - III *(समाप्त)*

बैंक का प्रकार / राज्य	क्रम सं.	बैंक का नाम
	14	नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक, इंदौर (झाबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथ समामेलित)
	15	झाबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, झाबुआ (नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक के साथ समामेलित)
	16	उत्तरांचल ग्रामीण बैंक, देहरादून (नैनीताल अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथ समामेलित)
	17	नैनीताल अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हल्द्वानी (उत्तरांचल ग्रामीण बैंक के साथ समामेलित)
	18	ऋषिकुल्य ग्राम्य बैंक, बेरहामपुर (उत्कल ग्राम्य बैंक के साथ समामेलित)
	19	उत्कल ग्राम्य बैंक, बोलांगीर (ऋषिकुल्य ग्राम्य बैंक के साथ समामेलित)
	20	नीलांचल ग्राम्य बैंक, भुवनेश्वर (कलिंगा ग्राम्य बैंक और बैतरणी ग्राम्य बैंक के साथ समामेलित)
	21	कलिंगा ग्राम्य बैंक, कटक (नीलांचल ग्राम्य बैंक और बैतरणी ग्राम्य बैंक के साथ समामेलित)
	22	बैतरणी ग्राम्य बैंक, बैरीपाड़ा (नीलांचल ग्राम्य बैंक और कलिंगा ग्राम्य बैंक के साथ समामेलित)
	23	हड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोटा (बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक और राजस्थान ग्रामीण बैंक के साथ समामेलित)
	24	बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, अजमेर (हड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राजस्थान ग्रामीण बैंक के साथ समामेलित)
	25	राजस्थान ग्रामीण बैंक, अलवर (हड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक के साथ समामेलित)

संलग्नक - IV

जमाराशि की सुरक्षा की सीमा

वर्ष	पूर्णत: संरक्षित खातों की संख्या (मिलियन में) *	खातों की कुल संख्या (मिलियन में)	कुल खातों की तुलना में पूर्णत: संरक्षित खातों का प्रतिशत	बीमित जमाराशि * (बिलियन ₹)	निर्धारणीय जमाराशि (बिलियन ₹ में)	कुल जमाराशि की तुलना में बीमाकृत जमाराशि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
2012-13	1,393	1,482	94.0	21,584	66,211	32.6
2011-12	996	1,073	92.8	19,043	57,674	33.0
2010-11	977	1,052	92.9	17,358	49,524	35.1
2009-10	1,267	1,424	89.0	16,824	45,880	36.7
2008-09	1,204	1,349	89.3	19,090	33,986	56.2
2007-08	962	1039	92.6	18,051	29,848	60.5
2006-07	683	717	95.3	13,726	23,444	58.5
2005-06	506	537	94.1	10,530	17,909	58.8
2004-05	620	650	95.4	9,914	16,198	61.2
2003-04	519	544	95.4	8,709	13,183	66.1
2002-03	578	600	96.3	8,289	12,132	68.3
2001-02	464	482	96.4	6,741	9,688	69.6
2000-01	432	446	96.9	5,724	8,063	71.0
1999-00	430	442	97.4	4,986	7,041	70.8
1998-99	454	464	97.9	4,396	6,100	72.1
1997-98	371	411	90.4	3,705	4,923	75.3
1996-97	427	435	98.2	3,377	4,507	74.9
1995-96	482	487	99.0	2,956	3,921	75.4
1994-95	496	499	99.2	2,667	3,641	73.3
1993-94	350	353	99.1	1,684	2,490	67.6
1992-93	340	354	95.8	1,645	2,444	67.3
1991-92	317	329	96.4	1,279	1,863	68.7
1990-91	298	309	96.5	1,093	1,569	69.7
1962	6	7	78.5	4	17	23.1

* खातों की संख्या, जिनमें शेषराशियाँ 1 जनवरी, 1962 के बाद से ₹1,500; 1 जनवरी, 1968 के बाद से ₹5,000; 1 अप्रैल, 1970 के बाद से ₹10,000; 1 जनवरी, 1976 के बाद से ₹20,000; 1 जुलाई, 1980 के बाद से ₹30,000 तथा 1 मई, 1993 के बाद से ₹1,00,000 से अधिक नहीं थीं। नोट : 2009-10 से प्रदर्शित आँकड़े नए फार्मेट के अनुसार हैं।

संलग्नक - V

जमाराशि की सुरक्षा की सीमा : बैंक श्रेणीवार जमाराशियाँ

वर्ष	बैंकों की श्रेणी	बीमाकृत बैंक (संख्या)	बीमाकृत जमाराशियाँ (बिलियन ₹ में)	निर्धारणीय जमाराशियाँ (बिलियन ₹ में)	कुल निर्धारणीय जमाराशियों की तुलना में बीमाकृत जमाराशियों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
2012-13	I. वाणिज्यिक बैंक (i से v)	89	17,635	59,707	29.5
	i) भारतीय स्टेट बैंक समूह	6	5,365	13,513	40.0
	ii) सरकारी क्षेत्र	20	9,286	31,521	29.5
	iii) विदेशी बैंक	43	235	2,851	8.0
	iv) निजी बैंक	20	2,749	11,822	23.0
	v) स्थानीय क्षेत्र बैंक	4	5	12	41.0
	II. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	67	1,324	1,889	70.0
	III. सहकारी बैंक	2,007	2,619	4,602	57.0
	कुल (I+II+III)	**2,167**	**21,584**	**66,211**	**33.0**
2011-12	I. वाणिज्यिक बैंक (i से v)	87	15,405	52,119	29.6
	i) भारतीय स्टेट बैंक समूह	6	4,046	11,546	35.0
	ii) सरकारी क्षेत्र	20	8,797	27,956	31.5
	iii) विदेशी बैंक	41	221	2,650	8.4
	iv) निजी बैंक	20	2,336	9,958	23.5
	v) स्थानीय क्षेत्र बैंक	4	5	10	51.9
	II. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	82	1,120	1,522	73.6
	III. सहकारी बैंक	2,026	2,518	4,033	62.4
	कुल (I+II+III)	**2,199**	**19,043**	**57,674**	**33.0**
2010-11	I. वाणिज्यिक बैंक (i से v)	86	13,979	44,530	31.4
	i) भारतीय स्टेट बैंक समूह	6	3,695	9,929	37.2
	ii) सरकारी क्षेत्र	19	7,867	22,309	35.3
	iii) विदेशी बैंक	35	240	2,464	9.8
	iv) निजी बैंक	22	2,172	9,819	22.1
	v) स्थानीय क्षेत्र बैंक	4	4	8	54.6
	II. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	82	1,019	1,305	78.0
	III. सहकारी बैंक	2049	2,360	3,689	64.0
	कुल (I+II+III)	**2,217**	**17,358**	**49,524**	**35.1**

संलग्नक - VI

2012-13 के दौरान निपटाए गए निक्षेप बीमा दावे

क्रम सं.	बैंक का नाम	मुख्य दावे / अनुपूरक दावे	जमाकर्ताओं की संख्या	दावे की राशि (₹ हजार में)
1	2	3	4	5
	सहकारी बैंक			
	आंध्र प्रदेश (2)			
1	कृषि अरबन कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (1)	1	25.00
2	नेशनल कोआपरेटिव बैंक लि.	मुख्य	3,042	4,317.79
	जोड़ (आंध्र प्रदेश)	**मुख्य-1, अनुपूरक-1**	**3,043**	**4,342.79**
	गुजरात (28)			
3	अहमदाबाद पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (4)	26	1,115.04
4	आनन्द पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (3)	55	2,675.42
5	अंकलेश्वर नागरिक सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक (1)	26	71.06
6	अन्योन्या कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (7)	23	1,084.59
7	बोरियावी पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि.	मुख्य	5,396	45,422.09
8	चरोतर नागरिक सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक (2)	172	2,902.27
9	दभोई नागरिक सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक (4)	21	401.77
10	जनता कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (5)	21	274.06
11	मेट्रो कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (1)	1	47.56
12	नटपुर कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (14)	478	1,218.15
13	पेटलाद नागरिक सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक (1)	4	92.08
14	साबरमती कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (1)	5	86.01
15	सेठ बी.बी.श्राफ बुल्सर पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (4)	56	1,806.88
16	श्री भद्रण मर्केण्टाइल कोआपरेटिव बैंक लि.	मुख्य	6,579	44,712.78
17	श्री लक्ष्मी कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (3)	91	1,839.31
18	श्री स्वामीनारायण कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (3)	28	395.52
19	श्री वितराग कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (1)	1	100.00
20	सूर्यापुर कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (7)	337	8,742.77
21	दि बड़ौदा पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (1)	12	245.12
22	दि जनरल कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (10)	65	2,121.58
23	दि नडीयाद मर्केण्टाइल कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (6)	125	2,535.69
24	दि नवसारी पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (2)	69	1,376.58
25	दि प्रगति कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (3)	43	697.98
26	दि रायल कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (2)	4	11.74
27	दि साबरमती कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (1)	2	49.60
28	दि सहयोग कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (1)	12	154.55
29	दि विसनगर कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (19)	814	17,973.10
30	वासो कोआपरेटिव बैंक लि.	मुख्य	34,672	72,219.38
	जोड़ (गुजरात)	**मुख्य-3, अनुपूरक-106**	**49,138**	**210,372.68**

संलग्नक - VI *(जारी)*

क्रम सं.	बैंक का नाम	मुख्य दावे / अनुपूरक दावे	जमाकर्ताओं की संख्या	दावे की राशि (₹ हजार में)
1	2	3	4	5
	मध्य प्रदेश (2)			
31	दीनदयाल सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक (1)	6	95.01
32	महाराष्ट्र ब्रह्मिण सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक (6)	36	1,735.83
	जोड़ (मध्य प्रदेश)	**मुख्य-0, अनुपूरक-7**	**42**	**1,830.84**
	महाराष्ट्र (26)			
33	अचलपुर अरबन कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (2)	4	223.37
34(क)	भंडारी कोआपरेटिव बैंक लि.	मुख्य	42,553	548,827.62
34(ख)	भंडारी कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (1)	1	100.00
35	भारत अरबन कोआपरेटिव बैंक लि.	मुख्य	5,696	20,904.79
36	भीमाशंकर नागरिक सहकारी बैंक लि.	मुख्य	3,437	4,102.06
37	भुसावल पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि.	मुख्य	12,152	100,513.47
38	दादासाहेब डॉ.एन.एम.काब्रे नागरिक सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक (5)	21	1,598.00
39	ज्ञानोपासक अरबन कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (1)	53	451.16
40	इचलकरंजी अरबन कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (7)	63	3,157.67
41	इंदिरा सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक (2)	15	621.89
42	इंदिरा श्रमिक महिला सहकारी बैंक लि.	मुख्य	6,950	31,386.55
43	कृष्णा वैली कोआपरेटिव बैंक लि.	मुख्य	809	13,527.80
44	मेमन कोआपरेटिव बैंक लि.	मुख्य	85,990	237,520.12
45	मिराज अरबन कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (3)	65	1,833.92
46	परिवर्तन कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (1)	15	1,087.47
47	परमात्मा एक सेवक नागरिक सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक (1)	29	300.24
48	राजलक्ष्मी कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (1)	40	760.40
49	श्री बी.जे. खताल जनता सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक (1)	1	37.70
50	श्री बालाजी कोआपरेटिव बैंक लि.	मुख्य	927	9,476.72
51	श्री लक्ष्मी सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक (1)	1,195	8,417.88
52	सिद्धार्थ सहकारी बैंक लि.	मुख्य	18,465	239,957.66
53	शोलापुर नागरी औद्योगिक सहकारी बैंक लि.	मुख्य	64,629	457,648.56
54	दि चोपड़ा अरबन कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (1)	1	0.10
55	दि गोरेगांव कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (2)	21	444.21
56	दि समता सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक (3)	240	18,417.58
57	वसंतदादा शेतकरी सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक (2)	31	228.85
58	यशवंत सहकारी बैंक लि., मिरज	अनुपूरक (2)	4	31.40
	जोड़ (महाराष्ट्र)	**मुख्य-10, अनुपूरक-36**	**243,407**	**1,701,577.21**

संलग्नक - VI *(समाप्त)*

क्रम सं.	बैंक का नाम	मुख्य दावे / अनुपूरक दावे	जमाकर्ताओं की संख्या	दावे की राशि (₹ हजार में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
	ओड़िशा (1)			
59	धेनकनाल अरबन कोआपरेटिव बैंक लि.	मुख्य	14,899	77,760.16
	जोड़ (ओड़िशा)	**मुख्य 1**	**14,899**	**77,760.16**
	तमिलनाडु (2)			
60	कोटागिरी अरबन को आपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (1)	6	427.50
61	मदुरै अरबन कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (1)	2	200.00
	जोड़ (तमिलनाडु)	**मुख्य-0, अनुपूरक-2**	**8**	**627.50**
	उत्तर प्रदेश (2)			
62	इंडियन कोआपरेटिव डेवलपमेंट बैंक लि.	अनुपूरक (1)	41	965.18
63	अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., टिहरी	अनुपूरक (1)	10	192.78
	जोड़ (उत्तर प्रदेश)	**मुख्य-0, अनुपूरक-2**	**51**	**1,157.96**
	कुल जोड़	**मुख्य-15, अनुपूरक-154**	**310,588**	**1,997,669.15**

नोट : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े दावों की संख्या प्रदर्शित करते हैं।

संलग्नक - VII

निपटाए गए बीमा दावे तथा वसूल की गई चुकौतियाँ - 31 मार्च, 2013 तक
परिसमापित / समामेलित / पुनर्निर्मित सभी बैंक

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या #	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	स्तंभ (4) - स्तंभ (5)
1	2	3	4	5	6
I	**वाणिज्यिक बैंक**				
	i) पूरी चुकौती प्राप्त हुई है				
	1) बैंक आफ चाइना, कोलकाता (1963)		925.00	925.00	-
	2) श्री जादेय शंकरलिंग बैंक लि., बीजापुर (1965)*		11.51	11.51	-
	3) बैंक आफ बिहार लि., पटना (1970)*		4,631.66	4,631.66	-
	4) कोचीन नायर बैंक लि., त्रिचुर (1964)*		704.06	704.06	-
	5) लैटिन क्रिश्चियन बैंक लि. एर्नाकुलम (1964)*		208.50	208.50	-
	6) बैंक आफ कराड लि., मुंबई (1992)		370,000.00	370,000.00	-
	7) मिरज स्टेट बैंक लि., मिरज (1987)*		14,659.08	14,659.08	-
	जोड़ 'क'		**391,139.79**	**391,139.79**	**-**
	ii) आंशिक चुकौती प्राप्त हुई और बकाया शेष राशि बट्टेखाते डाल दी गई				
	8) यूनिटी बैंक लि. चेन्नई (1963)*		253.35	137.77 (115.58)	-
	9) उन्नाव कमर्शियल बैंक लि. उन्नाव (1964)*		108.08	31.32 (76.76)	-
	10) चावला बैंक लि., देहरादून (1969)*		18.28	14.55 (3.74)	-
	11) मेट्रोपोलिटन कोआपरेटिव बैंक लि., कोलकाता (1964)*		880.08	441.55 (438.53)	-
	12) सदर्न बैंक लि., कोलकाता (1964)*		734.28	372.93 (361.35)	-
	13) बैंक अलगापुरी लि., अलगापुरी (1963)*		27.60	18.07 (9.53)	-
	14) हबीब बैंक लि., मुंबई (1966)*		1,725.41	1,678.00 (47.40)	-
	15) नेशनल बैंक आफ पाकिस्तान, कोलकाता (1966)*		99.26	88.12 (11.13)	-
	16) परूर सेंट्रल बैंक लि., नार्थ परूर, महाराष्ट्र (1990)*		26,021.36	23,191.65 (2,829.71)	-
	कुल 'ख'		**29,867.69**	**25,973.96** **(3,893.73)**	-
	iii) आंशिक चुकौती प्राप्त हुई				
	17) नेशनल बैंक आफ लाहौर लि., दिल्ली (1970)*		968.92	968.92	-
	18) बैंक आफ कोचीन लि., कोचीन (1986)*		116,278.09	116,278.46	(0.38)
	19) लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि., बेंगलूर*		334,062.25	91,358.30	242,703.95

संलग्नक - VII *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या #	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	स्तंभ (4) - स्तंभ (5)
1	2	3	4	5	6
	20) हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक लि., दिल्ली (1988)*		219,167.10	105,374.96	113,792.14
	21) यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लि., कोलकाता (1990)*		350,158.05	32,631.51	317,526.54
	22) ट्रेडर्स बैंक लि., दिल्ली (1990)*		30,633.77	13,482.20	17,151.57
	23) बैंक आफ तंजावुर लि., तंजावुर, तमिलनाडु (1990)*		107,836.01	100,227.00	7,609.01
	24) बैंक आफ तमिलनाडु लि., तिरुनेलवेली, तमिलनाडु (1990)*		76,449.75	75,897.32	552.43
	25) पूर्वांचल बैंक लि., गुवाहाटी (1990)*		72,577.39	9,760.37	62,817.02
	26) सिक्किम बैंक लि., गंगटोक (2000)*		172,956.25	-	172,956.25
	27) बनारस स्टेट बैंक लि., उ.प्र. (2002)*		1,056,442.08	513,206.34	543,235.74
	कुल 'ग'		**2,537,529.66**	**1,059,185.38**	**1,478,344.28**
	कुल (क + ख + ग)		**2,958,537.15**	**1,476,299.14 (3,893.73)**	**1,478,344.28**
II	**सहकारी बैंक**				
	i) पूर्ण चुकौती प्राप्त हुई				
	1) मालवण कोआपरेटिव बैंक लि., मालवण (1977)		184.00	184.00	-
	2) बाम्बे पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि., मुंबई (1978)		1,072.00	1,072.00	-
	3) दधीच सहकारी बैंक लि., मुंबई (1984)		1,837.46	1,837.46	-
	4) रामदुर्ग अरबन कोआपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., रामदुर्ग (1981)		218.99	218.99	-
	5) बाम्बे कमर्शियल कोआपरेटिव बैंक लि., मुंबई (1976)		573.33	573.33	-
	6) मेट्रोपोलिटन कोआपरेटिव बैंक लि., मुंबई (1992)		12,500.00	12,500.00	-
	7) हिंदूपुर कोआपरेटिव टाउन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (1996)		121.97	121.97	-
	8) वसुंधरा कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		629.80	629.80	-
	कुल 'घ'		**17,137.55**	**17,137.55**	**-**
	ii) आंशिक चुकौती प्राप्त हुई और बकाया शेष राशि बट्टेखाते डाल दी गई				
	9) घाटकोपर जनता कोआपरेटिव बैंक लि., मुंबई (1977)		276.50	–	–
			–	(276.50)	
	10) भद्रावती टाउन कोआपरेटिव बैंक लि., भद्रावती (1994)		26.10	–	–
			–	(26.10)	
	11) आरे मिल्क कालोनी कोआपरेटिव बैंक लि., मुंबई (1978)		60.31	–	–
			–	(60.31)	
	12) आरमूर कोआपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश(2003)		708.44	527.64	–
			–	(180.80)	
	13) रत्नागिरी अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., रत्नागिरी, महाराष्ट्र (1978)*		4,642.36	1,256.95	–
			–	(3,385.41)	
	14) दि नीलगिरी कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., आंध्र प्रदेश(2005)		2,114.71	549.18	–
			–	(1,565.53)	
	कुल 'ड.'		**7,828.42**	**2,333.77 (5,494.65)**	–

संलग्नक - VII *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या #	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	स्तंभ (4) - स्तंभ (5)
1	2	3	4	5	6
	iii) आंशिक चुकौती प्राप्त हुई				
	15) विश्वकर्मा कोआपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (1979)*		1,156.70	604.14	552.56
	16) प्रभादेवी जनता सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (1979)*		701.51	412.14	289.37
	17) कलाविहार कोआपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (1979)*		1,317.25	335.53	981.72
	18) वैश्य कोआपरेटिव बैंक लि., बेंगलूर, कर्नाटक(1982)*		9,130.83	1,294.66	7,836.17
	19) कोल्लूर पार्वती कोआपरेटिव बैंक लि., कोल्लूर, आंध्र प्रदेश (1985)		1,395.93	707.86	688.08
	20) आदर्श कोआपरेटिव बैंक लि., मैसूर, कर्नाटक (1985)		274.30	65.50	208.80
	21) कुर्दुवाड़ी मर्चेण्ट्स अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (1986)*		484.89	400.91	83.99
	22) गदग अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (1986)		2,285.04	1,316.05	968.99
	23) मणिहाल अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (1987)		961.85	227.60	734.25
	24) हिंद अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश (1988)		1,095.23	-	1,095.23
	25) येल्लामंचिली कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (1990)		436.10	51.65	384.45
	26) वसावी कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., गुर्जाला, आंध्र प्रदेश (1991)		388.82	48.56	340.26
	27) कुण्डारा कोआपरेटिव बैंक लि., केरल (1991)		1,736.62	943.64	792.97
	28) मनौली श्री पंचलिंगेश्वर अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (1991)		1,744.13	1,139.44	604.69
	29) सरदार नागरिक सहकारी बैंक लि., बड़ौदा, गुजरात (1991)		7,485.62	1,944.01	5,541.60
	30) बेलगाम मुस्लिम कोआपरेटिव बैंक बैंक लि., कर्नाटक(1992)*		3,710.54	273.78	3,436.76
	31) भिलोड़ा नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (1994)		1,983.68	102.37	1,881.31
	32) सिटीजन्स अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., इंदौर, मध्य प्रदेश (1994)		22,020.57	1,009.00	21,011.57
	33) चेतना कोआपरेटिव बैंक लि., मुंबई महाराष्ट्र (1995)		87,548.52	758.00	86,790.52
	34) बीजापुर डिस्ट्रिक्ट इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव बैंक लि., हुबली, कर्नाटक(1996)		2,413.42	1,474.44	938.99
	35) पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि., इचलकरंजी, महाराष्ट्र (1996)		36,545.52	-	36,545.52
	36) स्वास्तिक जनता कोआपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (1998)		22,662.97	-	22,662.97
	37) कोल्हापुर जिला जनता सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (1998)		80,117.45	-	80,117.45
	38) धारवाड़ इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव बैंक लि., हुबली, कर्नाटक(1998)		915.79	915.79	0.00
	39) दादर जनता सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (1999)		51,803.37	49,313.08	2,490.29
	40) विनकर सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (1999)		18,067.90	-	18,067.90
	41) त्रिमूर्ति सहकारी बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र (1999)		28,556.47	23,970.53	4,585.94

संलग्नक - VII *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या #	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	स्तंभ (4) - स्तंभ (5)
1	2	3	4	5	6
	42) अवामी मर्केण्टाइल कोआपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2000)		46,239.88	5,500.00	40,739.88
	43) रविकिरण अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2000)		62,157.36	260.58	61,896.78
	44) गुडूर कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2000)		6,736.99	964.46	5,772.53
	45) अनकापल्ली कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2000)		2,447.07	137.15	2,309.92
	46) इंदिरा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2000)		157,012.94	83.98	156,928.95
	47) नांदगांव मर्चेण्ट्स कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2000)		2,242.01	-	2,242.01
	48) सिद्धार्थ सहकारी बैंक लि., जलगांव, महाराष्ट्र (2000)		5,398.65	1,100.00	4,298.65
	49) शोलापुर जिला महिला सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2000)		27,494.76	10,100.00	17,394.76
	50) दि सामी तालुका नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2000)		2,017.30	-	2,017.30
	51) अहिल्यादेवी महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., कलमनुरी, महाराष्ट्र (2001)		1,696.09	-	1,696.09
	52) नागरिक सहकारी बैंक लि., सागर, मध्य प्रदेश (2001)		7,013.59	-	7,013.59
	53) इंदिरा सहकारी बैंक लि., औरंगाबाद, महाराष्ट्र (2001)		21,862.77	465.72	21,397.05
	54) नागरिक कोआपरेटिव सहकारी कमर्शियल बैंक मर्यादित, विलासपुर, मध्य प्रदेश (2001)		26,135.83	15,000.00	11,135.83
	55) इचलकरंजी कामगार नागरिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2001)		5,068.09	3,358.92	1,709.18
	56) परिषद कोआपरेटिव बैंक लि., नई दिल्ली (2001)		3,946.61	3,781.44	165.18
	57) सहयोग कोआपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2002)		30,107.38	1,704.55	28,402.83
	58) माधवपुरा मर्केण्टाइल कोआपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2001)*		4,009,400.00	-	4,009,400.00
	59) कृषि कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश (2001)		232,429.22	28,506.13	203,923.09
	60) जबलपुर नागरिक सहकारी बैंक लि., (विपंजीकृत), मध्य प्रदेश (2002)		19,486.49	15,071.90	4,414.59
	61) श्री लक्ष्मी कोआपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2002)		140,578.56	24,250.28	116,328.28
	62) मराठा मार्केट पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2002)		37,959.73	-	37,959.73
	63) लातूर पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि., (विपंजीकृत), महाराष्ट्र (2002)		3,048.95	-	3,048.95
	64) श्री लक्ष्मी महिला कोआपरेटिव अरबन बैंक, (विपंजीकृत), आंध्र प्रदेश (2002)		7,821.24	-	7,821.24
	65) फ्रेंड्स कोआपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2002)		48,456.66	120.02	48,336.64
	66) भावनगर कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., (विपंजीकृत), आंध्र प्रदेश (2002)		9,697.12	9,363.62	333.50

संलग्नक - VII *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या #	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	स्तंभ (4) - स्तंभ (5)
1	2	3	4	5	6
	67) अस्का कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., (विपंजीकृत), ओड़िशा (2002)		7,032.61	-	7,032.61
	68) दि वेरावल रत्नाकर कोआपरेटिव बैंक लि., (विपंजीकृत), गुजरात (2002)		26,553.64	-	26,553.64
	69) श्री वेरावल विभागीय नागरिक सहकारी बैंक, (विपंजीकृत), गुजरात (2002)		25,866.18	-	25,866.18
	70) श्रव्य कोआपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2002)		74,376.82	2,421.29	71,955.53
	71) मजूर सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2002)		14,779.44	427.30	14,352.14
	72) मीरा भायंदर कोआपरेटिव बैंक लि., (विपंजीकृत), महाराष्ट्र (2003)		22,448.41	-	22,448.41
	73) श्री लाभ कोआपरेटिव बैंक लि.,मुंबई, महाराष्ट्र (2003)		47,507.25	341.41	47,165.84
	74) खेड़ अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2003)		46,368.34	500.00	45,868.34
	75) जनता सहकारी बैंक मर्यादित, देवास, मध्य प्रदेश (2003)		71,741.71	66,141.14	5,600.57
	76) निजामाबाद कोआपरेटिव टाउन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		11,289.66	10,038.32	1,251.34
	77) दि मेगासिटी कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		16,197.58	14,678.15	1,519.43
	78) कुर्नूल अरबन कोआपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		47,432.57	46,556.10	876.46
	79) यमुना नगर अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., हरियाणा (2003)		30,046.64	2,800.00	27,246.64
	80) प्रजा कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		9,254.48	8,614.31	640.17
	81) चारमीनार कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		1,432,344.30	844,844.30	587,500.00
	82) राजमपेट कोआपरेटिव टाउन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		16,345.12	7,325.00	9,020.12
	83) श्री भाग्यलक्ष्मी कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2003)		34,033.48	3,600.00	30,433.48
	84) आर्यन कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		46,781.03	43,631.77	3,149.27
	85) दि फर्स्ट सिटी कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		12,873.23	11,243.66	1,629.57
	86) कलवा बेलापुर सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2003)		48,880.14	25.00	48,855.14
	87) अहमदाबाद महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2003)		33,329.35	955.83	32,373.53
	88) थेनी कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., तमिलनाडु (2003)		33,177.94	6.98	33,170.96
	89) दि मंदसौर कमर्शियल कोआपरेटिव बैंक लि., मध्य प्रदेश (2003)		141,139.81	115,798.15	25,341.65
	90) मदर टेरेसा हैदराबाद कोआपरेटिव अरबन बैंक., आंध्र प्रदेश (2003)		57,245.59	1,400.00	55,845.59
	91) धाना कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		23,855.34	-	23,855.34
	92) अहमदाबाद अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2003)		37,343.88	2,203.57	35,140.31
	93) दि स्टार कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		2,626.79	-	2,626.79
	94) दि जनता कमर्शियल कोआपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2003)		41,125.98	-	41,125.98
	95) मणिकांता कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		21,677.67	17,300.00	4,377.67
	96) भावनगर वेलफेयर कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2003)		35,508.21	-	35,508.21
	97) नवोदय सहकारी बैंक लि., कर्नाटक (2003)		3,038.47	2,521.79	516.67
	98) पिठापुरम् कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		7,697.97	7,691.33	6.64
	99) श्री आदिनाथ सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2003)		42,971.17	24,815.27	18,155.90

संलग्नक - VII *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या #	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	स्तंभ (4) - स्तंभ (5)
1	2	3	4	5	6
	100) संतराम कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2003)		115,872.42	2,818.21	113,054.22
	101) पालना सहकारी बैंक लि., गुजरात (2003)		22,952.19	21,790.57	1,161.61
	102) नायक मर्केण्टाइल कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2004)		25,531.20	-	25,531.20
	103) जनरल कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2004)		713,219.55	21,278.27	691,941.28
	104) वेस्टर्न कोआपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2004)		44,086.21	57.31	44,028.90
	105) चरोतर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2004)		2,063,549.84	104,282.04	1,959,267.80
	106) प्रतिभा महिला सहकारी बैंक लि., जलगांव, महाराष्ट्र (2004)		34,192.33	10,019.00	24,173.33
	107) विसनगर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2004)		3,841,518.17	33,862.75	3,807,655.42
	108) नरसारावपेट कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2004)		1,794.45	130.00	1,664.45
	109) भंजनगर कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., ओड़िशा (2004)		9,799.51	-	9,799.51
	110) दि साईं कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2004)		10,170.18	6,170.18	4,000.00
	111) दि कल्याण कोआपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		13,509.83	900.00	12,609.83
	112) ट्रिनिटी कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		19,306.12	6,198.81	13,107.31
	113) गुलबर्गा अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2005)		25,441.21	793.11	24,648.10
	114) विजया कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		12,224.74	9,500.00	2,724.74
	115) श्री सत्य साईं कोआपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		7,387.17	2,000.00	5,387.17
	116) श्री गंगानगर अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., राजस्थान (2005)		4,787.55	4,787.55	(0.00)
	117) सितारा कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., हैदराबाद, आंध्र प्रदेश (2005)		3,741.01	-	3,741.01
	118) महालक्ष्मी कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., हैदराबाद, आंध्र प्रदेश (2005)		41,999.65	394.50	41,605.15
	119) दि शारदा महिला नागरी सहकारी बैंक लि., अकोला, महाराष्ट्र (2005)		13,351.57	450.00	12,901.57
	120) परतुर पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2005)		15,836.61	-	15,836.61
	121) शोलापुर डिस्ट्रिक्ट इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र (2005)		107,561.91	10,354.83	97,207.08
	122) बड़ौदा पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		584,017.06	22,032.18	561,984.87
	123) दि कोआपरेटिव बैंक आफ उमरेथ लि., गुजरात (2005)		49,437.88	2,924.37	46,513.51
	124) श्री पाटनी कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		86,530.52	2,604.19	83,926.34
	125) क्लासिक कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		5,725.86	500.00	5,225.86
	126) साबरमती कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		318,925.24	32,730.58	286,194.65
	127) मातर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2005)		30,892.41	4,388.28	26,504.13
	128) डायमंड जुबिली कोआपरेटिव बैंक लि., सूरत, गुजरात (2005)		606,403.31	606,403.31	-
	129) पेटलाद कमर्शियल कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		73,741.11	8,001.43	65,739.68
	130) नादियाड मर्केण्टाइल कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		298,772.00	12,009.45	286,762.56
	131) श्री विकास कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		223,150.28	10,256.27	212,894.01
	132) टेक्सटाइल प्रोसेसर्स कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		53,755.25	2,554.76	51,200.49
	133) प्रगति कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		130,437.03	16,314.57	114,122.46

संलग्नक - VII *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या #	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	स्तंभ (4) - स्तंभ (5)
1	2	3	4	5	6
	134) उजावर कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		15,706.37	-	15,706.37
	135) सुनव नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2005)		17,573.42	719.22	16,854.20
	136) संस्कारधनी महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., जबलपुर, मध्य प्रदेश (2005)		3,031.51	-	3,031.51
	137) सिटीजन कोआपरेटिव बैंक लि., दमोह, मध्य प्रदेश (2005)		8,501.09	-	8,501.09
	138) दरभंगा केंद्रीय कोआपरेटिव बैंक लि., बिहार (2005)		18,999.84	-	18,999.84
	139) बेलमपल्ली कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		7,503.14	-	7,503.14
	140) श्री विट्ठल कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		79,730.09	850.00	78,880.09
	141) सूर्यापुर कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		579,896.95	32,783.03	547,113.93
	142) श्री सर्वोदय कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		10,898.73	-	10,898.73
	143) पेटलाद नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2005)		24,482.93	3,830.42	20,652.51
	144) रघुवंशी कोआपरेटिव बैंक लि.,मुंबई, महाराष्ट्र (2005)		120,659.85	100.00	120,559.85
	145) शोलापुर मर्चेण्ट्स कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2005)		30,697.47	-	30,697.47
	146) औरंगाबाद पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2005)		29,932.80	8,932.80	21,000.00
	147) अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., टिहरी, उत्तरांचल (2005)		16,479.04	1,913.89	14,565.15
	148) श्रीनाथजी कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		40,828.18	727.69	40,100.49
	149) दि सेंचुरी कोआपरेटिव बैंक लि., सूरत (2006)		67,283.31	6,942.80	60,340.50
	150) जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लि., रायगढ़, छत्तीसगढ़ (2006)		181,637.44	-	181,637.44
	151) मधेपुरा सुपौल केंद्रीय कोआपरेटिव बैंक लि., बिहार (2006)		65,053.51	-	65,053.51
	152) नवसारी पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2006)		301,587.75	28,200.24	273,387.51
	153) सेठ भगवानदास बी. श्राफ बुल्सर पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि., वलसाड़, गुजरात (2006)		266,452.45	52,636.90	213,815.55
	154) महाराष्ट्र ब्राह्मण सहकारी बैंक लि., मध्य प्रदेश (2006)		303,695.84	19,519.89	284,175.95
	155) मित्र मंडल सहकारी बैंक लि., इंदौर, मध्य प्रदेश (2006)		145,661.51	31,431.51	114,230.00
	156) छपरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक लि., बिहार (2006)		82,529.94	-	82,529.94
	157) श्री वीतराग कोआपरेटिव बैंक लि., सूरत, गुजरात (2006)		92,989.37	1,746.86	91,242.50
	158) श्री स्वामीनारायण कोआपरेटिव बैंक लि., वड़ोदरा, गुजरात (2006)		434,217.98	21,635.42	412,582.56
	159) जनता कोआपरेटिव बैंक लि., नादियाड, गुजरात (2006)		323,239.87	37,576.90	285,662.97
	160) नातपुर कोआपरेटिव बैंक लि., नादियाड, गुजरात (2006)		550,794.12	21,244.18	529,549.94
	161) मेट्रो कोआपरेटिव बैंक लि., सूरत, गुजरात (2006)		120,678.25	204.73	120,473.53
	162) दि रायल कोआपरेटिव बैंक लि., सूरत, गुजरात (2006)		91,577.38	1,100.44	90,476.94
	163) जयहिंद कोआपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2006)		118,895.88	90,319.17	28,576.71
	164) मदुरै अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., तमिलनाडु (2006)		257,956.99	34,962.29	222,994.70
	165) कर्नाटक कांट्रैक्टर्स सहकारी बैंक नियामित, बेंगलूर, कर्नाटक (2006)		29,757.64	614.27	29,143.37

संलग्नक - VII *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या #	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	स्तंभ (4) - स्तंभ (5)
1	2	3	4	5	6
	166) आनन्द पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2006)		371,586.77	29,689.36	341,897.41
	167) कोटागिरी कोआपरेटिव अरबन बैंक लि.,तमिलनाडु (2006)		25,021.00	3,480.19	21,540.82
	168) दि रिलीफ मर्केण्टाइल कोआपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2006)		11,397.85	-	11,397.85
	169) कावेरी अरबन कोआपरेटिव बैंक, बेंगलूर, कर्नाटक (2006)		4,846.70	-	4,846.70
	170) बड़ौदा मर्केण्टाइल कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2006)		12,825.48	612.28	12,213.20
	171) दभोई नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2006)		165,896.38	4,603.90	161,292.48
	172) धनसुरा पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2006)		58,798.44	1,650.00	57,148.44
	173) समस्त नगर कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2006)		116,051.52	13,236.66	102,814.85
	174) प्रुडेंसियल कोआपरेटिव बैंक लि., सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश (2007)		755,959.06	490,959.06	265,000.00
	175) लोक विकास अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., जयपुर, राजस्थान (2007)		6,606.11	-	6,606.11
	176) नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रतलाम, मध्य प्रदेश (2007)		20,393.50	-	20,393.50
	177) सिंध मर्केण्टाइल कोआपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2007)		103,903.73	4,000.00	99,903.73
	178) श्रीराम सहकारी बैंक लि., नासिक, महाराष्ट्र (2007)		323,215.02	117,803.49	205,411.53
	179) परभणी पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2007)		367,807.52	20.48	367,787.04
	180) पूर्णा नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, महाराष्ट्र (2007)		47,576.03	25.70	47,550.34
	181) यशवंत सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2007)		5,938.96	5,437.81	501.15
	182) दि कन्यका परमेश्वरी म्युचुअली एडेड कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., कुकटपल्ली, आंध्र प्रदेश (2007)		29,749.48	765.66	28,983.82
	183) महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., खरगौन, मध्य प्रदेश (2007)		4,305.77	442.19	3,863.58
	184) करमसद अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., आनन्द, गुजरात (2007)		124,758.68	1,875.54	122,883.14
	185) भारत मर्केण्टाइल कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., हैदराबाद, आंध्र प्रदेश (2007)		31,232.28	276.97	30,955.32
	186) लार्ड बालाजी कोआपरेटिव बैंक लि., सांग्ली, महाराष्ट्र (2007)		27,287.76	305.00	26,982.76
	187) वसुंधरम महिला कोआपरेटिव बैंक लि., वारंगल, आंध्र प्रदेश (2007)		2,304.21	-	2,304.21
	188) बेगूसराय अरबन डेवलपमेंट कोआपरेटिव बैंक लि., बिहार (2007)		5,937.89	-	5,937.89
	189) दतिया नागरिक सहकारी बैंक., मध्य प्रदेश (2007)		1,486.00	-	1,486.00
	190) आदर्श महिला कोआपरेटिव बैंक लि., मेहसाणा, गुजरात (2007)		12,974.81	76.52	12,898.29
	191) उमरेथ पिपल्स कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., गुजरात (2007)		22,078.93	141.64	21,937.28

संलग्नक - VII *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या #	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	स्तंभ (4) - स्तंभ (5)
1	2	3	4	5	6
	192) सर्वोदय नागरिक सहकारी बैंक लि., विसनगर, गुजरात (2007)		160,286.13	697.69	159,588.44
	193) श्री कोआपरेटिव बैंक लि., इंदौर, मध्य प्रदेश (2007)		2,476.52	-	2,476.52
	194) ओनाके ओबावा महिला कोआपरेटिव बैंक लि., चित्रदुर्ग, कर्नाटक (2007)		54,847.11	58.36	54,788.76
	195) दि विकास कोआपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2007)		10,262.36	344.00	9,918.36
	196) श्री जामनगर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2007)		11,238.00	5,465.00	5,773.00
	197) आनन्द अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2008)	3,793	184,558.65	203.86	184,354.80
	198) राजकोट महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2008)	12,600	68,218.16	4,009.30	64,208.85
	199) सेवालाल अरबन कोआपरेटिव बैंक लि.,मंद्रुप, महाराष्ट्र (2008)	678	666.32	-	666.32
	200) नागांव अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., असम (2008)	12,804	6,130.96	-	6,130.96
	201) सर्वोदय महिला कोआपरेटिव बैंक लि., बुरहानपुर, मध्य प्रदेश (2008)	4,117	8,391.32	-	8,391.32
	202) चेतक अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., परभणी, महाराष्ट्र (2008)	7,240	7,442.90	4,888.00	2,554.90
	203) बसवकल्याण पट्टाना सहकारी बैंक लि., बासगंज, कर्नाटक (2008)	1,787	2,673.13	177.00	2,496.13
	204) इंडियन कोआपरेटिव डेवलपमेंट बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश (2008)	10,418	38,553.70	330.02	38,223.67
	205) तलोद जनता सहकारी बैंक लि., गुजरात (2008)	5,718	24,522.91	1,037.00	23,485.91
	206) चल्लकेरे अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2008)	5,718	32,641.34	123.44	32,517.90
	207) डाकोर महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2008)	1,865	6,375.13	1,587.85	4,787.28
	208) जिला सहकारी बैंक लि., गोंडा, उत्तर प्रदेश (2008)	67,098	454,367.84	255.92	454,111.91
	209) मराठा कोआपरेटिव बैंक लि., हुबली, कर्नाटक (2008)	30,483	185,521.69	66,713.74	118,807.95
	210) श्री जनता सहकारी बैंक लि., राधनपुर, गुजरात (2008)	8,841	47,517.84	1,094.67	46,423.18
	211) परिवर्तन कोआपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2008)	11,350	184,735.21	17,152.98	167,582.22
	212) इंदिरा प्रियदर्शिनी महिला नागरिक बैंक लि., रायपुर, छत्तीसगढ़ (2008)	20,793	164,573.59	32,868.99	131,704.61
	213) इचलकरंजी जिव्हेश्वर सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2008)	2,602	24,167.12	14,345.49	9,821.63
	214) कित्तूर रानी चान्नम्मा महिला पट्टाना सहकारी बैंक लि., हुबली, कर्नाटक (2008)	6,499	22,849.90	721.82	22,128.08
	215) भरुच नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2008)	12,778	99,663.78	28,151.46	71,512.32
	216) हरुगेरी अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2009)	5,605	36,446.49	4,436.43	32,010.07
	217) वरदा कोआपरेटिव बैंक लि., हावेरी, करजगी, कर्नाटक (2009)	2,613	25,242.02	1,277.72	23,964.30
	218) रवि कोआपरेटिव बैंक लि., कोल्हापुर, महाराष्ट्र (2008)	25,627	169,225.78	1,726.52	167,499.26
	219) श्री बालासाहेब सातभाई मर्चेण्ट्स कोआपरेटिव बैंक लि., कोप्परगांव, महाराष्ट्र (2008)	16,723	268,254.02	53,090.00	215,164.02

संलग्नक - VII *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या #	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	स्तंभ (4) - स्तंभ (5)
1	2	3	4	5	6
	220) जय लक्ष्मी कोआपरेटिव बैंक लि., दिल्ली (2008)	16,467	1,242.00	1,242.00	-
	221) अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., सिद्दापुर, कर्नाटक (2009)	19,141	112,933.28	38,113.28	74,820.00
	222) श्री बी.जे. खताल जनता सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	11,542	79,008.26	44,258.22	34,750.05
	223) श्री कलमेश्वर अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., होले- अलुर, कर्नाटक (2009)	3,256	25,288.48	-	25,288.48
	224) दि लक्ष्मेश्वर अरबन कोआपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., कर्नाटक (2009)	8,512	67,660.45	-	67,660.45
	225) प्रियदर्शिनी महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., लातूर, महाराष्ट्र (2009)	11,129	65,792.83	20,201.81	45,591.02
	226) श्री स्वामी गणनन्दा योगेश्वरा महिला कोआपरेटिव बैंक लि., पुत्तुर, आंध्र प्रदेश (2009)	679	3,625.81	-	3,625.81
	227) अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश (2009)	3,225	10,030.16	2,450.73	7,579.43
	228) फिरोजाबाद अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., उत्तर प्रदेश (2009)	514	4,015.07	-	4,015.07
	229) सिद्दापुर कमर्शियल कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2009)	8,512	37,184.46	2,591.76	34,592.69
	230) नूतन सहकारी बैंक लि., बड़ौदा, गुजरात (2009)	21,602	128,902.46	29,448.64	99,453.81
	231) भावनगर मर्केण्टाइल कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2009)	35,409	374,288.63	169,001.41	205,287.22
	232) संत जनाबाई नागरी सहकारी बैंक लि., गंगाखेड़, महाराष्ट्र (2009)	16,092	101,964.31	17,463.81	84,500.50
	233) श्री एस.के.पाटिल कोआपरेटिव बैंक लि., कुरुंदवाड़, महाराष्ट्र (2009)	9,658	133,059.30	6,896.56	126,162.75
	234) श्री वर्धमान कोआपरेटिव बैंक लि., भावनगर, गुजरात (2009)	13,521	51,821.99	29,985.78	21,836.21
	235) ज्ञानोपासक अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., परभणी, महाराष्ट्र (2009)	4,746	16,670.80	451.16	16,219.64
	236) अचलपुर अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	4,641	53,127.98	12,477.76	40,650.22
	237) रोहे अष्टमी सहकारी अरबन बैंक लि., रोहे, महाराष्ट्र (2009)	38,913	370,674.45	21,410.17	349,264.28
	238) साउथ इंडियन कोआपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2009)*	56,816	359,773.78	19,540.16	340,233.62
	239) अंकलेश्वर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2009)	26,364	238,314.86	164,908.02	73,406.85
	240) अजित कोआपरेटिव बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र (2009)	26,286	292,978.03	95,748.12	197,229.90
	241) श्री सिद्धि वेंकेटेश सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	1,892	20,818.79	20,818.79	-
	242) हिरेकेरूर अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2009)	16,539	137,345.44	-	137,345.44
	243) श्री पी.के.अन्ना पाटिल जनता सहकारी बैंक लि., नांदुरबार, महाराष्ट्र (2009)	67,738	564,816.13	10,000.00	554,816.13
	244) चालीसगांव पिपल कोआपरेटिव बैंक लि., जलगांव, महाराष्ट्र (2009)	21,503	300,915.66	211,118.10	89,797.56
	245) दीनदयाल नागरिक सहकारी बैंक लि., खंडवा, मध्य प्रदेश (2009)	15,453	97,541.55	27,096.16	70,445.39
	246) सुवर्णा नागरिक सहकारी बैंक लि., परभणी, महाराष्ट्र (2009)	3,923	19,584.61	10,595.04	8,989.57

संलग्नक - VII *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या #	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	स्तंभ (4) - स्तंभ (5)
1	2	3	4	5	6
	247) वसंतदादा शेतकरी सहकारी बैंक लि., सांग्ली, महाराष्ट्र (2009)	141,317	1,672,059.89	682,059.89	990,000.00
	248) दि हलियाल अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2009)	8,684	43,375.25	17,967.18	25,408.07
	249) मिरज अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	32,756	420,138.55	99,529.94	320,608.60
	250) फैजपुर जनता सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	2,803	33,463.64	17,061.40	16,402.23
	251) डाल्टेनगंज सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक लि., झारखंड (2010)	23,933	93,927.24	53.33	93,873.91
	252) इंदिरा सहकारी बैंक लि., धुले, महाराष्ट्र (2010)	14,598	125,438.26	885.55	124,552.71
	253) दि अकोट अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2010)	18,349	143,907.42	16,385.28	127,522.14
	254) गोरेगांव कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2010)	43,933	436,091.27	49,063.15	387,028.12
	255) अनुभव कोआपरेटिव बैंक लि., बसवकल्याण, कर्नाटक (2010)	10,590	8,748.57	-	8,748.57
	256) यशवंत अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., परभणी, महाराष्ट्र (2010)	9,082	116,808.19	25,056.26	91,751.94
	257) प्रांतिज नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2010)	11,446	70,159.19	32,798.40	37,360.79
	258) सुरेंद्रनगर पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2010)	56,767	487,007.46	179,654.08	307,353.38
	259) बेल्लाती अरबन कोआपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., कर्नाटक (2010)	56	58.72	-	58.72
	260) श्री परोला अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2010)	5,289	51,243.07	686.88	50,556.19
	261) साधना कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2010)	3,386	15,629.02	592.14	15,036.88
	262) प्राइमरी टीचर्स कोआपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., कर्नाटक (2010)	3,710	64,921.83	7,338.10	57,583.73
	263) श्री कामदार सहकारी बैंक लि., भावनगर, गुजरात (2010)	14,263	54,165.54	-	54,165.54
	264) सिटीजन कोआपरेटिव बैंक लि., बुरहानपुर, मध्य प्रदेश (2010)	27,119	232,075.66	232,075.66	-
	265) यशवंत सहकारी बैंक लि., मिरज, महाराष्ट्र (2010)	21,235	115,186.90	85,263.53	29,923.37
	266) अरबन इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव बैंक लि., असम (2010)	2,400	4,314.54	-	4,314.54
	267) अहमदाबाद पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2010)	36,651	448,046.46	202,722.88	245,323.58
	268) सूरत महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2010)	44,393	260,370.86	102,014.25	158,356.61
	269) कातकोल कोआपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2010)	39,912	146,202.60	34,905.85	111,296.76
	270) श्री सिन्नर व्यापारी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2010)	35,219	403,741.10	93,741.10	310,000.00
	271) नागपुर महिला नागरी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2010)	54,031	476,560.44	305,136.26	171,424.18
	272) राजलक्ष्मी नागरी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2010)	3,415	25,671.83	3,985.31	21,686.52
	273) बहादरपुर अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2010)	4,866	49,312.44	6,951.39	42,361.05
	274) श्री सम्पिगे सिद्देश्वरा अरबन कोआपरेटिव बैंक, कर्नाटक (2010)	3,479	49,352.46	655.71	48,696.75
	275) विजयनगरम् कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2010)	6,948	71,141.10	26,062.14	45,078.96
	276) अवध सहकारी बैंक लि., उत्तर प्रदेश (2010)	5,198	23,259.95	797.07	22,462.88

संलग्नक - VII *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या #	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	स्तंभ (4) - स्तंभ (5)
1	2	3	4	5	6
	277) अन्नासाहेब पाटिल अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2010)	6,296	27,996.78	1,175.28	26,821.50
	278) कुपवाड़ अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2010)	12,946	113,999.08	43,623.38	70,375.69
	279) राहुरी पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2010)	13,833	167,648.97	90,790.59	76,858.38
	280) रायबाग अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2010)	4,501	14,769.68	-	14,769.68
	281) चंपावती अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	14,809	145,534.50	70,944.72	74,589.78
	282) श्री महेश सहकारी बैंक मर्यादित, महाराष्ट्र (2011)	9,208	84,041.98	28,062.91	55,979.06
	283) राजवाड़े मंडल पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	26,414	133,718.36	-	133,718.36
	284) श्री चामराजा कोआपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2011)	174	179.27	-	179.27
	285) अन्योन्या कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2011)	70,850	579,321.54	259,522.24	319,799.30
	286) कैम्बे हिंदू मर्केण्टाइल कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2011)	9,336	86,764.47	5,593.14	81,171.34
	287) रबकवि अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2011)	10,462	67,393.38	33,135.21	34,258.17
	288) श्री मौनेश्वर कोआपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2011)	1,640	2,569.75	-	2,569.75
	289) दि चदचन श्री संगमेश्वर अरबन कोआपरेटिव बैंक, कर्नाटक (2011)	6,075	38,149.77	12,751.77	25,398.00
	290) दि परमात्मा एक सेवक नागरिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	54,918	402,851.37	89,242.23	313,609.13
	291) समता सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	33,474	422,139.63	53,749.12	368,390.51
	292) हिना साहिन नागरिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	9,798	112,964.84	4,681.29	108,283.56
	293) श्री लक्ष्मी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	2,292	34,970.91	923.42	34,047.49
	294) दादासाहेब डॉ. एन एम काबरे नागरिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	16,324	199,311.58	30,497.68	168,813.90
	295) विदर्भ अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	11,304	159,537.12	10,832.19	148,704.93
	296) इचलकरंजी अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	43,785	556,166.44	114,191.75	441,974.69
	297) सुविधा महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., मध्य प्रदेश (2011)	2,729	12,248.09	11,735.35	512.74
	298) आसनसोल पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि., पश्चिम बंगाल (2011)	1,012	4,158.75	1,136.33	3,022.41
	299) श्री ज्योतिबा सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	7,596	22,002.44	-	22,002.44
	300) रायचुर जिला महिला पट्टाना सहकारी बैंक लि., कर्नाटक (2012)	6,021	11,159.42	6,526.92	4,632.51
	301) चोपड़ा अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	10,264	71,269.83	38,423.79	32,846.04
	302) दि सिधपुर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2012)	6,706	33,508.26	5,379.45	28,128.81
	303) श्री बालाजी कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	927	9,476.72	9,476.72	-
	304) सिद्धार्थ सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	18,465	239,957.66	-	239,957.66
	305) बोरियाबी पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2012)	5,396	45,422.09	30,005.55	15,416.54

संलग्नक - VII *(समाप्त)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या #	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	स्तंभ (4) - स्तंभ (5)
1	2	3	4	5	6
	306) मेमन कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)*	85,990	237,520.12	-	237,520.12
	307) नेशनल कोआपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2012)	3,042	4,317.79	-	4,317.79
	308) भंडारी कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	42,553	548,927.62	286,187.54	262,740.08
	309) भारत अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	5,696	20,904.79	6,879.40	14,025.39
	310) इंदिरा श्रमिक महिला सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	6,950	31,386.55	16,174.32	15,212.23
	311) श्री भद्रण मर्केण्टाइल बैंक लि., गुजरात (2012)	6,579	44,712.78	24,190.75	20,522.03
	312) धेनकनाल अरबन कोआपरेटिव बैंक लि.,ओड़िशा (2012)	14,899	77,760.16	23,359.16	54,401.00
	313) भीमाशंकर नागरी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	3,437	4,102.06	-	4,102.06
	314) भुसावल पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	12,152	100,513.47	34,491.03	66,022.44
	315) शोलापुर नागरी औद्योगिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	64,629	457,648.56	132,859.00	324,789.56
	316) वासो कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2012)*	34,672	72,219.38	-	72,219.38
	317) कृष्णा वैली कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2013)	809	13,527.80	13,527.80	-
	कुल 'च'	**2,126,614**	**42,061,161.76**	**8,382,947.21**	**33,678,214.55**
	कुल (ड. + च)	**2,126,614**	**42,086,127.72**	**8,402,418.52 (5,494.65)**	**33,678,214.55**
	कुल (क + ख + ग + घ + ड. + च)	**2,126,614**	**45,044,664.87**	**9,878,717.66 (9,388.38)**	**35,156,558.83**

* समामेलन और पुनर्गठन की योजना।

\# वर्ष 2008 के बाद से निपटाए गए दावों से संबंधित जमाकर्ताओं की संख्या उपलब्ध है।

नोट :

1. मूल दावों के निपटान करने से संबंधित वर्षों को कोष्ठक में दिया गया है।
2. चुकौती के स्तंभ के अंतर्गत कोष्ठक में दिए गए आँकड़े 31 मार्च, 2013 तक बट्टेखाते डाले गई राशि है।
3. प्राप्त चुकौतियों में दावों के अनुमोदन और स्वीकृत करते समय की तरल निधियों के समायोजन की राशि सम्मिलित है।
4. निपटाए गए दावों की संख्या वर्ष 2008 से उपलब्ध है।
5. जमाकर्ताओं की संख्या की शुद्धता सौवें स्थान तक सुनिश्चित की गई है।

संलग्नक - VIII

निक्षेप बीमा दावों के लिए प्रावधान - अवधि-वार विश्लेषण (31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	बैंक के विपंजीकरण / परिसमापन की तारीख	बैंक का नाम	राशि (₹ मिलियन में)	ऐसे बैंक जो अधिक समय वाले भाग (बकेट) में चले गए हैं (31 मार्च, 2012 के संदर्भ में)
क	**10 वर्ष से अधिक पुराने**			
1	3 अगस्त, 1999	झारग्राम पिपल्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि.	29.23	
2	27 मई, 2002	मधेपुरा अरबन डेवलपमेंट कोआपरेटिव बैंक लि.	0.54	√
3	22 जुलाई, 2002	नालंदा अरबन कोआपरेटिव बैंक लि.	6.86	√
4	6 अगस्त, 2002	प्रणवनन्दा कोआपरेटिव बैंक लि.	225.71	√
5	23 सितम्बर, 2002	मणिपुर इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव बैंक लि.	18.13	√
6	28 सितम्बर, 2002	फेडरल कोआपरेटिव बैंक लि.	13.69	√
7	16 दिसम्बर, 2002	सिल्चर कोआपरेटिव बैंक लि.	18.14	√
	कुल (क)	**(7 बैंक)**	**312.29**	6
ख	**5 से 10 वर्ष के मध्य के पुराने**			
1	3 जून, 2003	लम्का अरबन कोआपरेटिव बैंक लि.	0.27	
2	19 जून, 2003	सिबसागर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक	188.67	
3	7 मार्च, 2006	हैदराबाद कोआपरेटिव अरबन बैंक लि.	6.48	
4	29 दिसम्बर, 2006	गुवाहाटी कोआपरेटिव टाउन बैंक लि.	82.43	
5	10 अप्रैल, 2007	रोहुता अरबन कोआपरेटिव बैंक लि.	145.68	√
	कुल (ख)	**(5 बैंक)**	**423.54**	**1**
ग	**1 से 5 वर्ष के मध्य के पुराने**			
1	25 सितम्बर, 2008	भद्रक अरबन कोआपरेटिव बैंक लि.	27.24	
2	31 मार्च, 2010	धनश्री महिला सहकारी बैंक लि.	26.60	
3	9 अप्रैल, 2010	राजेश्वर युवक विकास सहकारी बैंक लि.	26.29	
4	17 जून, 2010	रामकृष्णपुर कोआपरेटिव बैंक लि.	750.24	
5	16 दिसम्बर, 2010	गोलघाट अरबन कोआपरेटिव बैंक लि.	5.22	
6	4 जनवरी, 2011	दादासाहब रावल कोआपरेटिव बैंक लि.	436.61	
7	15 फरवरी, 2011	अग्रसेन अरबन कोआपरेटिव बैंक लि.	94.42	
8	11 नवम्बर, 2011	गुजरात इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव बैंक लि.	5,212.96	
9	30 दिसम्बर, 2011	दि वीराशैवा कोआपरेटिव बैंक लि.	1,480.46	√
	कुल (ग)	**(9 बैंक)**	**8,060.05**	**1**
घ	**1 वर्ष से कम पुराने**			
1	23 जुलाई, 2012	प्रीमियर आटोमोबाइल्स इम्पलाइज कोआपरेटिव बैंक	39.25	
2	30 अगस्त, 2012	राजीव गांधी सहकारी बैंक लि.	16.96	
3	28 दिसम्बर, 2012	स्वामी समर्थ सहकारी बैंक लि.	143.69	
4	7 फरवरी, 2013	अभिनव सहकारी बैंक लि.	57.51	
	कुल (घ)	**(4 बैंक)**	**257.41**	0
	कुल योग (क + ख + ग + घ)	**(25 बैंक)**	**9,053.29**	**8**

संलग्नक – IX

ऋण गारंटी शुल्क / अदा किए गए दावे

(₹ मिलियन में)

वर्ष	ऋण गारंटी शुल्क	ऋण गारंटी दावे	अदा किए गए ऋण गारंटी दावे	अंतर (2)-(3)	अंतर (2)-(4)
1	2	3	4	5	6
1991-92	5,659	6,272	4,623	(-) 614	(+) 1,036
1992-93	7,028	11,433	6,436	(-) 4,405	(+) 692
1993-94	8,461	14,908	8,900	(-) 6,447	(-) 439
1994-95	8,291	17,268	11,790	(-) 8,977	(-) 3,499
1995-96	7,046	23,652	10,423	(-) 16,606	(-) 3,376
1996-97	5,640	21,124	3,786	(-) 15,484	(+) 1,854
1997-98	1,649	4,973	3,714	(-) 3,324	(-) 2,065
1998-99	1,232	2,522	6,019	(-) 1,290	(-) 4,787
1999-00	220	2,455	4,031	(-) 2,235	(-) 3,811
2000-01	0.7	361	473	(-) 360	(-) 473
2001-02	0.2	12.4	13.3	(-) 12.2	(-) 13.1
2002-03	2.1	2.6	1.4	(-) 0.5	(-) 0.7
2003-04	0.2 *	-	-	-	-
2004-05 से 2012-13 तक	-	-	-	-	-

* : निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त गारंटी शुल्क को वर्ष 2003-04 के दौरान बैंकों को वापस कर दिया गया था।

नोट: अधिक जानकारी के लिए, कृपया 2010-11 की वार्षिक रिपोर्ट देखें।

Mahavir Apartments, Third Floor, 598, M. G. Road,
Near Suncity Cinema, Vile Parle (East), Mumbai 400 057
☎ 91 22 2610 1124-26,
🖷 91 22 26134015. ✉ spca@sardapareek.com
Braches at MADGAON, INDORE, BHARUCH

SARDA & PAREEK
CHARTERED ACCOUNTANTS

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

प्रति,
निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम,
मुंबई

वित्तीय विवरणों संबंधी रिपोर्ट

1. हमने 31 मार्च, 2013 को **निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम** (जिसे इसके आगे निगम कहा गया है।) की निक्षेप बीमा निधि, ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि के संलग्न तुलन-पत्रों तथा निगम के तीन निधियों की उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए संलग्न राजस्व लेखों और नकदी प्रवाह विवरणियों की भी लेखापरीक्षा की है।

वित्तीय विवरणों संबंधी प्रबंधन की जिम्मेदारी

2. इन वित्तीय विवरणियों के लिए निगम का प्रबंध तंत्र जिम्मेदार है, जो निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 के प्रावधानों, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियमों और भारतीय रिज़र्व बैंक की व्यय नियमावली के अनुसार वित्तीय स्थिति और वित्तीय कार्यनिष्पादनों का सत्य और सही स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। इससे संबंधित जिम्मेदारियों में आंतरिक नियंत्रण संबंधी डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण सम्मिलित है, जिनके अंतर्गत वित्तीय विवरणियों, जो किसी फ्राड अथवा त्रुटिवश होने वाली गलत बयानी से मुक्त हैं, को तैयार किया जाता है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

3. हमारी जिम्मेदारी है अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों के संबंध में अपना अभिमत देना। हमने अपनी लेखापरीक्षा इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। उन मानकों की अपेक्षा है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरणियाँ महत्वपूर्ण दोष से मुक्त हैं।

4. इस लेखापरीक्षा में राशियों और उनके वित्तीय विवरणियों में प्रकटीकरण के साक्ष्य की लेखापरीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं का कार्यनिष्पादन शामिल है। तत्संबंधी प्रक्रिया का चयन लेखापरीक्षक के विवेक पर निर्भर करता है, जिसमें वित्तीय विवरणियों में किसी फ्राड अथवा त्रुटिवश होने वाली महत्वपूर्ण गलत बयानी संबंधी जोखिमों का आकलन करना शामिल है। इन जोखिमों का आकलन करने के क्रम में परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त ढंग से लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का अनुपालन करने हेतु लेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय विवरणियों को तैयार करने तथा उनके प्रस्तुतीकरण से संबंधित निगम के आंतरिक नियंत्रण को ध्यान में रखा जाता है। इस लेखापरीक्षा में परीक्षण में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंध तंत्र द्वारा तैयार किए गए लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता के साथ-साथ वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे अभिमत के लिए यथोचित आधार उपलब्ध कराती है।

हम रिपोर्ट करते हैं कि :

5. (क) हमें सारी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त हुए हैं, जो हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक हैं और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।

(ख) हमारे विचार से निगम की लेखा बहियों का हमारे द्वारा परीक्षण किए जाने से यह प्रकट होता है कि निगम द्वारा लेखा बहियाँ उपयुक्त रूप से अनुरक्षित की गई हैं।

(ग) तुलन पत्र तथा राजस्व लेखे अधिनियम में निर्धारित ढंग से विनियम 18 के अंतर्गत तैयार किए गए हैं।

उपर्युक्त के अधीन हमारी राय और हमारी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार

(क) (i) उक्त तुलन-पत्र 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार निगम के कार्यकलापों की स्थिति का सत्य और सही स्वरूप प्रस्तुत करते हैं।

(ii) राजस्व लेखे 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान निगम के वित्तीय कार्यनिष्पादनों का सत्य और सही स्वरूप प्रस्तुत करते हैं।

(ख) वित्तीय विवरणियों को तत्समय लागू अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार तथा अपेक्षित तरीके से तैयार किया गया है।

(ग) निगम द्वारा अपनाई गई लेखा नीतियाँ उपयुक्त हैं और इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी और लागू लेखापरीक्षा मानकों तथा तत्समय लागू अधिनयमों का अनुपालन करती हैं।

वास्ते : सारडा एंड पारीक
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.109262डब्ल्यू

गौरव सारडा
भागीदार
सदस्यता सं.110208

दिनांक : 11 जून, 2013
मुंबई

निक्षेप बीमा और
(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी
(विनियम 18 -
31 मार्च, 2013 को कारोबार की समाप्ति
I. निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) और

पिछला वर्ष		देयताएं	निक्षेप बीमा निधि		ऋण गारंटी निधि	
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि					
राशि	राशि		राशि	राशि	राशि	राशि
47,677.60	-	**1. निधि :** (बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार वर्ष के अंत में शेष)		52,649.60		
		2. राजस्व खाते के अनुसार अधिशेष :				
209,299.94	3,103.30	वर्ष के प्रारंभ में शेष	253,252.71		3,000.61	
0.00	0.00	जोड़ें : अन्य निधि / यों को / से अंतरित	0.00		0.00	
43,952.77	(102.69)	जोड़ें : राजस्व खाते से अंतरित	55,301.10		250.34	
253,252.71	3,000.61	वर्ष के अंत में शेष		308,553.81		3,250.95
		3. (क) निवेश रिज़र्व				
8,675.53	398.27	वर्ष के प्रारंभ में शेष	13,662.60		495.20	
4,987.07	96.93	घटाएं / जोड़ें : राजस्व खाता से अंतरित	(8,435.64)		(88.64)	
13,662.60	495.20	वर्ष के अंत में शेष		5,226.96		406.56
		(ख) निवेश उच्चावचन रिज़र्व				
10,285.32	278.99	वर्ष के प्रारंभ में शेष	11,572.32		278.99	
1,287.00	0.00	राजस्व खाता से अंतरित	2,971.07		0.00	
11,572.32	278.99	वर्ष के अंत में शेष		14,543.39		278.99
949.52		**4. सूचित और प्राप्त परंतु अदा न किए गए दावे**		987.35		
5,744.39		**5. सूचित परंतु स्वीकार न किए गए दावों से संबंधित अनुमानित देयताएं**		7,912.22		
1,141.07		**6. विपंजीकृत बैंकों से संबंधित बीमाकृत जमाराशियाँ**		1,141.07		
995.93		**7. दावा न की गई बीमित जमाराशियाँ**		1,440.59		
		8. अन्य देयताएं				
286.44	0.00	(i) फुटकर लेनदार	541.51			
52,647.06	431.41	(ii) आयकर के लिए प्रावधान	80,640.13		551.68	
81.94	0.00	(iii) फुटकर जमाराशियाँ	81.92			
386.99	0.00	(iv) वितरणयोग्य प्रतिभूतियाँ	9.99			
53,402.43	431.41			81,273.55		551.68
388,398.57	**4,206.21**	**कुल**		**473,728.54**		**4,488.18**

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स सारडा एंड पारीक
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 109262डब्ल्यू

गौरव सारडा
भागीदार (सदस्य सं.110208)

मुंबई
10 जून, 2013

डॉ. ऊर्जित आर.पटेल
अध्यक्ष

जसबीर सिंह
कार्यपालक निदेशक

कमलेश एस.विकमसे
निदेशक

प्रत्यय गारंटी निगम
निगम अधिनियम, 1961 के अधीन स्थापित)
फार्म 'क')
की स्थिति के अनुसार तुलन - पत्र
ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ)

(₹ मिलियन में)

पिछला वर्ष		आस्तियाँ	निक्षेप बीमा निधि		ऋण गारंटी निधि	
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि					
राशि	राशि		राशि	राशि	राशि	राशि
6.08	0.36	**1. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष राशि**		285.41		0.48
		2. मार्गस्थ नकदी				
		3. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश				
388.22	0.00	खजाना बिल	3,373.71		0.00	
319,815.47	3,803.97	दिनांकित प्रतिभूतियाँ	371,618.35		3,941.86	
320,203.69	3,803.97			374,992.06		3,941.86
320,133.35	3,639.99	अंकित मूल्य	*375,076.49*		*3,761.55*	
306,858.74	3,309.41	बाजार मूल्य	*373,959.21*		*3,535.29*	
6,370.34	98.18	**4. निवेशों पर उपचित ब्याज**		7,675.14		98.64
		5. अन्य आस्तियाँ				
300.87	0.00	(i) फुटकर देनदार	245.96		0.20	
60,525.01	303.70	(ii) अग्रिम आयकर / टीडीएस	90,152.58		447.00	
387.21		(iii) प्राप्त होने वाले रिवर्स रेपो / रिवर्स रेपो ब्याज	9.99			
386.99		(iv) रिवर्स रेपो के अंतर्गत क्रय की गई प्रतिभूतियाँ	9.99			
218.38		(v) वापसी योग्य सेवाकर खाता	357.41			
61,818.46	303.70			90,775.93		447.20
388,398.57	4,206.21	**कुल**		473,728.54		4,488.18

जी.शिवकुमार
निदेशक

बी.एल.पटवर्धन
निदेशक

शशांक सक्सेना
निदेशक

वी.के.मौर्य
उप महाप्रबंधक

निक्षेप बीमा और
(फार्म
31 मार्च, 2013 को समाप्त
I. निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) और

पिछला वर्ष		व्यय	निक्षेप बीमा निधि		ऋण गारंटी निधि
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि				
राशि	राशि		राशि	राशि	राशि
		1. दावे :			
2,873.12	-	(क) वर्ष के दौरान प्रदत्त		1,997.67	
(570.46)	-	(ख) स्वीकृत परंतु अदा न किए गए		37.83	
		(ग) सूचित परंतु स्वीकृत न किए गए दावों के संबंध में अनुमानित देयता			
5,744.39		वर्ष के अंत में	7,912.22		
(4,038.03)		घटाएं : पिछले वर्ष के अंत में	(5,744.39)		
1,706.36				2,167.83	
		(घ) विपंजीकृत बैंकों से संबंधित बीमाकृत जमाराशियाँ			
1,141.07	-	वर्ष के अंत में	1,141.07		
(1,577.68)	-	घटाएं : पिछले वर्ष के अंत में	(1,141.07)		
(436.61)				0.00	
3,572.41		**निवल दावे**		4,203.33	
47,677.60		**2. वर्ष के अंत में निधि शेष (बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार)**		52,649.60	
4,987.07	96.94	**3. निवेश रिज़र्व में जमा निवेशों के मूल्यह्रास के लिए प्रावधान**			0.00
2,681.63		**4. सेवाकर**		0.00	
60,009.42	173.23	**नीचे लाया गया निवल अधिशेष**		86,265.24	370.61
118,928.13	**270.17**	**कुल**		**143,118.17**	**370.61**
		कराधान के लिए प्रावधान			
19,473.06	56.21	वर्तमान वर्ष		27,993.07	120.27
0.00	219.71	पिछले वर्ष - कम (अधिक)		0.00	0.00
1,287.00	0.00	निवेश उच्चावचन रिज़र्व (आईएफआर)		2,971.07	0.00
43,952.77	(102.69)	तुलन पत्र में ले जाया गया शेष		55,301.10	250.34
64,712.83	**173.23**			**86,265.24**	**370.61**

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स सारडा एंड पारीक
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 109262डब्ल्यू

गौरव सारडा
भागीदार (सदस्य सं.110208)

मुंबई
10 जून, 2013

डॉ. ऊर्जित आर.पटेल
अध्यक्ष

जसबीर सिंह
कार्यपालक निदेशक

कमलेश एस.विकमसे
निदेशक

प्रत्यय गारंटी निगम
'ख')
वर्ष के लिए राजस्व खाता
ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ)

(₹ मिलियन में)

पिछला वर्ष		आय		
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि		निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि
राशि	राशि		राशि	राशि
37,736.00	-	**1. वर्ष के प्रारंभ में निधि शेष के द्वारा**	47,677.60	
56,397.44	-	**2. निक्षेप बीमा प्रीमियम के द्वारा (अतिदेय प्रीमियम पर ब्याज सहित)**	57,182.42	
-	-	**3. गारंटी शुल्क के द्वारा (अतिदेय गारंटी शुल्क पर ब्याज सहित)**	-	-
820.96	3.29	**4. प्रदत्त / निपटाए गए दावों संबंधी वसूलियों के द्वारा (अतिदेय चुकौती पर ब्याज सहित)**	2,131.24	1.72
		5. निवेशों पर आय के द्वारा		
23,917.70	267.59	(क) निवेशों पर ब्याज	28,095.59	279.40
(391.83)	(3.81)	(ख) प्रतिभूतियों की बिक्री / मोचन पर लाभ (हानि)	(479.15)	0.65
3.42	–	(ग) रिवर्स रेपो ब्याज आय खाता	63.56	0.00
23,529.29	263.78		27,680.00	280.05
		6. अन्य आय		
444.44	3.10	(क) आयकर वापसी ब्याज	11.27	0.20
		(ख) प्रतिलेखित निवेशों से संबंधित मूल्यह्रास	8,435.64	88.64
118,928.13	**270.17**	**कुल**	**143,118.17**	**370.61**
60,009.42	173.23	नीचे लाया गया निवल अधिशेष	86,265.24	370.61
4,703.41		पिछले वर्षों के आयकर वापसी के द्वारा	0.00	0.00
		अधिशेष खाते से अंतरित शेष के द्वारा	0.00	0.00
64,712.83	**173.23**		**86,265.24**	**370.61**

जी.शिवकुमार
निदेशक

बी.एल.पटवर्धन
निदेशक

शशांक सक्सेना
निदेशक

वी.के.मौर्य
उप महाप्रबंधक

निक्षेप बीमा और
(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी
(विनियम 18 -
31 मार्च, 2013 को कारोबार की समाप्ति
II. सामान्य

पिछला वर्ष राशि	देयताएं	राशि	राशि
500.00	**1. पूँजी : निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 4 के अनुसार भारिबैं द्वारा प्रावधानीकृत (भारिबैं की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी)**		500.00
	2. रिज़र्व		
	क) सामान्य रिज़र्व		
4,382.78	वर्ष के प्रारंभ में शेष	4,303.15	
0.00	ऋण गारंटी निधि से अंतरित	0.00	
(79.63)	राजस्व खाते से अंतरित अधिशेष / (घाटा)	270.15	
4,303.15			4,573.30
	ख) निवेश रिज़र्व		
519.62	वर्ष के प्रारंभ में शेष	631.50	
111.88	राजस्व खाते से अंतरित	(164.72)	
631.50			466.78
	ग) निवेश उच्चावचन रिज़र्व		
304.90	वर्ष के प्रारंभ में शेष	304.90	
0.00	राजस्व अधिशेष से अंतरित	0.00	
304.90			304.90
	3. वर्तमान देयताएं और प्रावधान		
0.00	बकाया कर्मचारी लागत	0.00	
8.07	बकाया व्यय	8.69	
0.88	फुटकर लेनदार	0.55	
57.36	आयकर के लिए प्रावधान	184.57	
66.31			**193.81**
5,805.86	**कुल**		**6,038.79**

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स सारडा एंड पारीक
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 109262डब्ल्यू

गौरव सारडा
भागीदार (सदस्य सं.110208)

मुंबई
10 जून, 2013

डॉ. ऊर्जित आर.पटेल
अध्यक्ष

जसबीर सिंह
कार्यपालक निदेशक

कमलेश एस.विकमसे
निदेशक

प्रत्यय गारंटी निगम
निगम अधिनियम, 1961 के अधीन स्थापित)
फार्म 'क')
की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
निधि (जीएफ)

(₹ मिलियन में))

पिछला वर्ष राशि	आस्तियाँ	राशि	राशि
	1. नकद		
0.01	(i) हाथ में	0.01	
2.32	(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास	3.05	
2.33			3.06
	2. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत पर)		
0.00	खजाना बिल		
4,927.94	दिनांकित प्रतिभूतियाँ	5,007.01	
482.15	सीसीआईएल में जमा दिनांकित प्रतिभूतियाँ (अंकित मूल्य 4500.00)	448.00	
5,410.09			5,455.01
5,348.52	*अंकित मूल्य :*	*4,979.16*	
4,778.59	*बाजार मूल्य :*	*5,032.35*	
111.25	**3. निवेशों पर उपचित ब्याज**	141.63	141.63
	4. अन्य आस्तियाँ		
4.04	फर्नीचर, जुड़नार और उपस्कर (मूल्यह्रास काटकर)	5.70	
0.68	लेखनसामग्री का स्टाक / लाउंज कूपन	0.78	
14.66	स्टाफ अग्रिम	14.22	
2.95	स्टाफ अग्रिम पर उपचित ब्याज	3.33	
0.39	फुटकर देनदार	0.87	
50.00	सीसीआईएल में जमा मार्जिन जमाराशि	50.00	
209.46	अंतिम निर्धारण / समायोजन के लिए विचाराधीन अग्रिम आयकर / स्रोत पर कर (टीडीएस)	364.19	
282.19			439.09
5,805.86	**कुल**		**6,038.79**

जी.शिवकुमार
निदेशक

बी.एल.पटवर्धन
निदेशक

शशांक सक्सेना
निदेशक

वी.के.मौर्य
उप महाप्रबंधक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(फार्म 'ख')
31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाता
II. सामान्य निधि (जीएफ)

(₹ मिलियन में)

पिछला वर्ष राशि	व्यय		राशि	पिछला वर्ष राशि	आय	राशि	राशि
80.34	**स्टाफ लागत का भुगतान / प्रतिपूर्ति**		76.00		**निवेशों से आय**		
0.03	**निदेशकों और समिति के सदस्यों का शुल्क**		0.06	358.32	(क) निवेशों पर ब्याज	429.74	
0.20	**निदेशकों / समिति के सदस्यों के यात्रा और अन्य भत्ते / व्यय**		0.11	(95.07)	(ख) निवेशों की बिक्री / मोचन से लाभ (हानि)	(50.71)	
9.77	**किराया, कर, बीमा, प्रकाश व्यवस्था आदि**		9.80	**263.25**			379.03
34.77	**स्थापना, यात्रा और विराम भत्ते**		37.70		प्रतिलेखित निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास	164.72	
6.82	**मुद्रण, लेखनसामग्री और कंप्यूटर उपभोग्य सामग्री**		0.63				164.72
2.07	**डाक, तार और टेलीफोन**		2.07		**विविध प्राप्तियाँ**		
0.28	**लेखापरीक्षकों का शुल्क**		0.31	0.65	स्टाफ को अग्रिम पर ब्याज	0.73	
2.85	**विधि प्रभार**		0.66	0.00	जड़वस्तु की बिक्री पर लाभ (हानि) (निवल)	0.15	
0.17	**विज्ञापन**		0.56	0.27	आयकर की वापसी पर ब्याज	0.22	
111.88	**निवेश रिज़र्व में जमा निवेशों के मूल्य पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान**		0.00	1.14	अन्य विविध प्राप्तियाँ	0.20	
				2.06			1.30
	विविध व्यय						
2.50	व्यावसायिक प्रभार	2.41					
2.49	सेवा करार / अनुरक्षण	3.96					
0.37	पुस्तकें, समाचारपत्र, आवधिक पत्रिकाएं	0.34					
0.24	पुस्तक अनुदान	0.27					
0.02	कार्यालय परिसंपत्ति - जड़वस्तु की मरम्मत	0.05					
2.30	लेनदेन प्रभार - सीसीआईएल	2.77					
6.42	अन्य	7.49					
14.34			17.29				
1.16	मूल्यह्रास		1.97				
0.63	वर्ष के लिए व्यय की तुलना से अधिक आय के शेष को नीचे लाया गया		397.89	0.00	वर्ष के लिए आय की तुलना से अधिक व्यय के शेष को नीचे लाया गया		0.00
265.31	**कुल**		**545.05**	**265.31**	**कुल**		**545.05**
0.00	आय की तुलना से अधिक व्यय के शेष को - नीचे लाया गया		0.00	0.63	वर्ष के लिए व्यय की तुलना में अधिक आय के शेष को नीचे लाया गया		397.89
	आयकर के लिए प्रावधान				पिछले वर्ष के आयकर की वापसी		1.37
0.20	वर्तमान वर्ष		129.11				
80.06	पिछले वर्ष - कम (अधिक)		0.00				
0.00	निवेश उच्चावचन रिज़र्व (आईएफआर)		0.00	79.63	**सामान्य रिज़र्व**		0.00
0.00	सामान्य रिज़र्व खाता		270.15				
80.26	**कुल**		**399.26**	**80.26**	**कुल**		**399.26**

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स सारडा एंड पारीक
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 109262डब्ल्यू

गौरव सारडा
भागीदार (सदस्य सं.110208)

मुंबई
10 जून, 2013

डॉ. ऊर्जित आर.पटेल	**जसवीर सिंह**	**कमलेश एस.विकमसे**	**जी.शिवकुमार**
अध्यक्ष	कार्यपालक निदेशक	निदेशक	निदेशक
वी.एल.पटवर्धन	**शशांक सक्सेना**	**वी.के.मौर्य**	
निदेशक	निदेशक	उप महाप्रबंधक	

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
I. निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) तथा ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ)
31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(₹ मिलियन में)

पिछला वर्ष					
निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ)	**ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ)**			**निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ)**	**ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ)**
राशि	राशि			राशि	राशि
		परिचालनात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह			
60,009.42	**173.23**	**व्यय की तुलना में अधिक आय**	(क)	**86,265.24**	**370.61**
		परिचालनों से निवल नकदी में व्यय की तुलना में अधिक आय के मिलान के लिए समायोजन :			
(23,921.11)	(267.59)	निवेशों पर ब्याज		(28,159.15)	(279.40)
391.83	3.81	प्रतिभूतियों की बिक्री / मोचन से लाभ / (हानि)		479.15	(0.65)
9,941.60	0.00	निधि शेष में वृद्धि (बीमांकिक मूल्यांकन)		4,972.00	0.00
4,987.07	96.94	निवेश रिज़र्व को अंतरित		(8,435.64)	(88.64)
444.44	3.10	**आयकर** वापसी (रिफंड) पर प्राप्त ब्याज		11.27	0.20
(51,626.40)	(1,906.65)	कर		0.00	0.00
(59,782.57)	(2,070.39)		**(ख)**	(31,132.37)	(368.49)
		परिचालनात्मक आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन :			
		आस्तियाँ :			
		कमी (वृद्धि)			
31,534.42	1,847.98	अग्रिम आयकर / टीडीएस		(29,638.84)	(143.50)
(142.14)	0.00	फुटकर देनदार		54.91	(0.20)
(605.58)	0.00	अन्य आस्तियाँ		625.18	0.00
30,786.70	1,847.98		**(ग)**	(29,693.80)	(143.70)
		देयताएं :			
		वृद्धि (कमी)			
707.27	0.00	सूचित परंतु स्वीकार न किए गए दावों के संबंध में अनुमानित देयताओं में वृद्धि		2,205.66	0.00
395.35	0.00	अदावी जमाराशियों में वृद्धि		444.66	0.00
107.84	0.00	फुटकर लेनदार		(131.92)	0.00
81.70	0.00	फुटकर जमाराशि खाते		(0.01)	0.00
1,292.16	0.00		**(घ)**	2,518.39	0.00
32,305.71	(49.19)	**परिचालनात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग+घ)**	**(क)**	28,692.51	(141.58)
		निवेशात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह			
22,473.78	264.88	निवेशों पर प्राप्त ब्याज		26,854.34	278.94
(391.83)	(3.81)	प्रतिभूतियों की बिक्री / मोचन से लाभ / (हानि)		(479.15)	0.65
0.00	0.00	सामान्य निधि में अंतरित		0.00	0.00
(54,387.04)	(211.73)	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश में वृद्धि		(54,788.37)	(137.89)
(32,305.09)	49.34	**निवेशात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह**	**(ख)**	(28,413.18)	141.70
0.00	0.00	**वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**	**(ग)**	0.00	0.00
0.62	**0.16**	**नकदी में निवल वृद्धि**	**(क+ख+ग)**	279.33	0.12
5.46	0.21	अवधि के प्रारंभ में नकदी शेष		6.08	0.36
6.08	**0.36**	**अवधि के अंत में नकदी शेष**		**285.41**	**0.48**

नोट : निवेशों के समकक्ष नकद राशि अलग करने योग्य नहीं है, अत: इसे नकदी शेष में समाविष्ट नहीं किया गया है।

कृते मेसर्स सारडा एंड पारीक
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 109262डब्ल्यू

गौरव सारडा
भागीदार (सदस्य सं.110208)
मुंबई
10 जून, 2013

जसबीर सिंह
कार्यपालक निदेशक

वी.के.मौर्य
उप महाप्रबंधक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
II. सामान्य निधि
31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(₹ मिलियन में)

पिछला वर्ष राशि			राशि
	परिचालनात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
0.63	**व्यय की तुलना में अधिक आय**	**(क)**	397.89
1.16	मूल्य ह्रास		1.97
(358.32)	निवेशों पर ब्याज		(429.74)
95.07	प्रतिभूतियों की बिक्री / मोचन से लाभ / (हानि)		50.72
111.88	निवेश रिज़र्व को अंतिरत		(164.72)
0.00	प्रतिलेखित अधिक प्रावधान		0.00
(0.65)	स्टाफ को अग्रिम पर ब्याज		(0.73)
(0.00)	जड़वस्तु की बिक्री से लाभ / (हानि)		(0.15)
(1.41)	आयकर / एफबीटी		(0.52)
(145.63)	अन्य - विविध प्राप्तियाँ		(0.52)
(297.90)		**(ख)**	**(543.69)**
	परिचालनात्मक आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन :		
	आस्तियाँ :		
	वृद्धि (कमी)		
(0.03)	लेखनसामग्री / अधिकारी लाउंज के कूपनों का स्टाक		(0.10)
(0.53)	भारिबैं आदि से प्राप्य स्टाफ व्यय / भत्ते संबंधी अग्रिम		0.44
130.03	अग्रिम आयकर तथा टीडीएस		(154.83)
0.00	सीसीआईएल के पास मार्जिन जमा		0.00
0.37	स्टाफ अग्रिमों पर उपचित ब्याज		(0.38)
1.30	अग्रिम अनुषंगी लाभ कर		0.00
3.15	फुटकर देनदार		(0.28)
134.29		**(ग)**	**(155.15)**
	देयताएं :		
	कमी (वृद्धि)		
0.00	बकाया कर्मचारी लागत		0.00
(10.70)	बकाया व्यय		0.62
(3.55)	फुटकर लेनदार		(0.33)
0.00	अन्य जमा		0.00
(14.25)		**(घ)**	**0.29**
(177.23)	**परिचालनात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह :** (क+ख+ग+घ)	**(क)**	**(300.66)**
	निवेशात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
371.23	निवेशों से प्राप्त ब्याज		399.36
(95.07)	प्रतिभूतियों की बिक्री / मोचन से लाभ / (हानि)		(50.72)
0.65	स्टाफ को अग्रिम पर ब्याज		0.73
0.00	निक्षेप बीमा निधि से प्राप्त निधियाँ		0.00
1.41	अन्य		0.42
	कमी (वृद्धि)		
(3.48)	अचल आस्तियाँ		(3.48)
	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश :		
0.00	खजाना बिल		0.00
(99.12)	दिनांकित प्रतिभूतियाँ		(79.07)
0.00	सीसीआईएल के पास जमा दिनांकित प्रतिभूतियाँ		34.15
175.64	**निवेशात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह**	**(ख)**	**301.39**
0.00	**वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**	**(ग)**	**0.00**
(1.59)	**नकदी में निवल वृद्धि**	**(क+ख+ग)**	**0.73**
	अवधि के प्रारंभ में नकद शेष		
0.00	हाथ में		0.01
3.92	भारिबैं के पास		2.32
2.33	**अवधि के अंत में नकदी शेष**		**3.06**

नोट : निवेशों के समकक्ष नकद राशि अलग करने योग्य नहीं है, अत: इसे नकदी शेष में समाविष्ट नहीं किया गया है।

कृते मेसर्स सारडा एंड पारीक
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 109262डब्ल्यू

गौरव सारडा
भागीदार (सदस्य सं.110208)
मुंबई
10 जून, 2013

SARDA & PAREEK MUMBAI CHARTERED ACCOUNTANTS

जसबीर सिंह
कार्यपालक निदेशक

वी.के.मौर्य
उप महाप्रबंधक

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

लेखांकन का आधार

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 18 की अपेक्षाओं के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रयोग की गई लेखांकन नीतियाँ, सभी महत्वपूर्ण पक्षों की दृष्टि से, भारत में सामान्यत: प्रचलित लेखाकंन पद्धति (भारतीय जीएएपी), भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) और भारत में प्रचलन के अनुसार हैं। जब तक अन्यथा रूप से न कहा जाए निगम में उपचय आधारित लेखांकन पद्धति और पारंपरिक ऐतिहासिक लागत का अनुपालन किया जाता है।

2. अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन को आवश्यक है कि वे आस्तियों, देयताएं, व्यय, आय का अनुमान और पूर्वानुमान करें और विशेषत: उस तारीख के वित्तीय विवरण के निक्षेप बीमा दावों से संबंधित आकस्मिक देयताएं प्रकट करें। दावों से संबंधित देयताओं का अनुमान अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है। प्रबंधन मानता है कि यह अनुमान तर्कसंगत और यथोचित है। यद्यपि, वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। वर्तमान और भविष्य के संदर्भ में लेखांकन अनुमानों को संशोधित किया जाता है।

3. राजस्व का निर्धारण

जबतक अन्यथा रूप से न कहा जाए आय और व्यय की मदें उपचय आधार पर हिसाब में ली जाती हैं।

(i) प्रीमियम:

(क) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 19 के अनुसार निक्षेप बीमा प्रीमियम लिया जाता है।

(ख) यदि किसी बीमाकृत बैंक से लगातार दो प्रीमियम भुगतान में चूक होती है तो आय संकलन की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए प्राप्त रसीदों के आधार पर प्रीमियम आय की गणना की जाती है। ऐसे बीमाकृत बैंकों के जमा न किए गए प्रीमियम आय के लिए प्रावधान किया जाता है।

(ग) प्रीमियम भुगतान में देर के लिए दण्ड ब्याज की गणना वास्तविक रसीदों के आधार पर की जाती है।

(ii) निक्षेप बीमा दावे

(क) वर्ष के अंत में निधि शेषों के प्रति देयता के लिए पर्याप्त प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

(ख) बीमाकृत बैंकों के विपंजीकृत होने पर उनकी देयता संबंधी प्रावधान सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर किए जाते हैं।

(ग) निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 16 के अधीन जिस परिसमापित बैंक का निगम द्वारा निपटान किया जाना है, उसके लिए निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 19 के अनुसार निगम द्वारा वास्तविक संपूर्णत: निपटान होने तक अथवा परिसमापन प्रक्रिया समाप्त हो जाने तक के लिए, इनमें से जो भी पहले हो, निक्षेप बीमा दावे संबंधी देयताओं हेतु प्रावधान किया जाता है।

(घ) पाए न गए जमाकर्ताओं या आसानी से न उपलब्ध जमाकर्ताओं के संबंध में निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 20 के अधीन, जब तक कि दावे का भुगतान नहीं हो जाता या परिसमापन प्रक्रिया का अंत नहीं हो जाता, इनमें से जो भी पहले हो, अलग से प्रावधान किया जाता है।

(iii) चुकौतियाँ

निपटाए गए अथवा अदा किए गए निक्षेप बीमा दावों के संबंध में प्रत्यासन (सबरोगेशन) अधिकारों के जरिए की गई वसूली को परिसमापक द्वारा इसकी पुष्टि करने संबंधी सूचना वाले वर्ष में ही हिसाब में लिया जाता है। इसी प्रकार निपटाए गए दावों और बाद में अपात्र पाए गए दावों से संबंधित वसूली को वसूली / समायोजन के समय ही हिसाब में लिया जाता है।

(iv) निवेश संबंधी ब्याज को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है ।

(v) निवेश की बिक्री से होने वाले लाभ (हानि) को सौदे के निपटान की तारीख को ही हिसाब में लिया जाता है।

4. निवेश

(i) सभी निवेश चालू निवेश हैं। इनका मूल्यांकन भारित औसत लागत या बाज़ार मूल्य, इनमें से जो कम हो, पर स्क्रिपवार किया जाता है। मूल्यांकन के प्रयोजन से नियत आय मुद्रा बाज़ार (फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट) और भारतीय व्युत्पन्न संघ (डेरिवेटिव्स एसोसिएशन आफ इंडिया) (फिमडा) द्वारा भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित दरों को बैंकों / वित्तीय संस्थानों पर यथाप्रयोज्य बाज़ार दरों के रूप में माना जाता है। खजाना बिलों का मूल्यांकन वाहक लागत के आधार पर किया जाता है।

(ii) प्रतिभूतियों के मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधान को तुलन-पत्र में निवेशों से नहीं घटाया जाता है, परंतु स्टेटमेंट आफ एकाउंट्स के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार निवेश आरक्षित खाता (इन्वेस्टमेंट रिजर्व एकाउंट) में संचयन के रूप में रखा जाता है।

(iii) भविष्य में पोर्टफोलियो के मूल्य में होने वाले ह्रास के कारण उत्पन्न बाजार जोखिम को पूरा करने हेतु निवेश उच्चावचन आरक्षित निधि (आइएफआर) रखी जाती है। तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार निवेश पोर्टफोलियो के बाज़ार जोखिम के आधार पर निवेश उच्चावचन आरक्षित निधि (आइएफआर) की पर्याप्तता निर्धारित की जाती है। यदि बाज़ार जोखिम से अतिरिक्त निवेश उच्चावचन आरक्षित निधि (आइएफआर) है तो, उसे बनाए रखा जाता है तथा आगे ले जाया जाता है। जब भी निवेश उच्चावचन आरक्षित निधि (आइएफआर) अपेक्षित मात्रा से कम हो जाती है तो निधि अधिशेष / सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित करने से पहले व्यय की तुलना में अधिक आय का विनियोग के रूप में निवेश उच्चावचन आरक्षित निधि (आइएफआर) में जमा किया जाता है।

(iv) प्रतिभूतियों का अंतर निधि अंतरण लागत मूल्य पर किया जाता है।

(v) रेपो / रिवर्स रेपो संबंधी लेन-देन अनुषंगिक / उधार कार्य विधि जैसे कि पुन: खरीद के करार, के अनुसार किया जाता है। रेपो के अंतर्गत बिक्री की गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाया जाता है और रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाया नहीं जाता है। इसके साथ ही, जैसा कि मामला हो, लागत और राजस्व को व्यय / आय में हिसाब में लाया जाता है।

5. अचल आस्तियाँ

(i) अचल आस्तियों को लागत में से मूल्यह्रास को कम कर के दिखाया जाता है।

(ii) आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए निम्नानुसार प्रावधान किया जाता है :

क. कंप्यूटर तथा सहायक उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण तथा कार्यालय के विद्युतीय उपस्कर - सीधी रेखा पद्धति पर 33.33 प्रतिशत।

ख. फर्नीचर तथा जुड़नार एवं अन्य कार्यालय उपस्कर - सीधी रेखा पद्धति पर 20 प्रतिशत।

ग. कंप्यूटर तथा सहायक उपकरणों से संबंधित अतिरिक्त परिसंपत्तियों, यदि वे छ: महीनों से कम अवधि के लिए उपयोग में हैं, तो भी उनके संबंध में पूरे वर्ष का मूल्यह्रास निकाला जाता है और अन्य प्रकार की परिसंपत्तियों के संबंध में छ: माह से अधिक की अवधि तक प्रयोग में रहने पर मूल्यह्रास निकाला जाता है।

6. पट्टे

पट्टे के अधीन प्राप्त की गई ऐसी आस्तियाँ जहाँ जोखिमों और स्वामित्व के लाभों का एक महत्वपूर्ण अंश पट्टेदार (लैसर) के पास है, उन्हें आपरेटिंग पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और पट्टा किरायों को वास्तविक आधार पर लाभ और हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है।

7. कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ / लागत

कर्मचारियों के संबंध में व्यय जैसे कि वेतन, भत्ते, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी निधि में अंशदान रिज़र्व बैंक के साथ की गई व्यवस्था के अनुसार किया जा रहा है क्योंकि निगम का सारा स्टाफ रिज़र्व बैंक से प्रतिनियुक्त पर है।

8. आय पर कराधान

कराधान संबंधी देयता आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत निर्धारित नियमों के अनुसार

निर्धारित की जाती है। यदि आवश्यक समझते हैं तो, आस्थगित कर आस्ति और देयता का मूल्यांकन (अनुमान), ऐसी कर दरों और कर नियमों, जिनको अधिनियमित किया जा चुका है या तुलनपत्र की तारीख तक महत्वपूर्ण अधिनियम तथा जिन्हें उपयोगी समझा गया है, के अनुसार किया जाता है।

9. आस्तियों की दुर्बलता

जब कभी परिस्थिति की माँग होती है कि किसी आस्ति की रखाव राशि (कैरीइंग एमाउंट) की वसूली नहीं हो सकती है तो दुर्बलता के प्रयोजन से नियत आस्तियों की समीक्षा की जाती है। आस्ति की रखाव राशि की वर्तमान वसूली योग्य मूल्य से तुलना करके रखी हुई और प्रयोगरत आस्तियों की मूल्य वसूली संबंधी योग्यता की माप की जाती है। यदि ऐसी आस्तियाँ दुर्बल होती हैं तो इस दुर्बलता का अनुमान वर्तमान आस्ति के वसूली योग्य मूल्य तथा उस आस्ति की रखाव राशि की तुलना में अधिक राशि की माप करके किया जाता है।

10. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ

i) लेखा मानक 29, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के अनुपालन में पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व प्रकट होने पर ही निगम प्रावधान की व्यवस्था करता है। यह संभव है कि ऐसे दायित्वों के निपटान करने और इनसे संबंधित राशि के विश्वस्त अनुमान की गणना करते समय आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह अपेक्षित हो।

ii) प्रावधान उनके वर्तमान मूल्यानुसार नहीं निकाले जाते हैं और तुलनपत्र की तारीख को दायित्वों के निपटान के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर तय किए जाते हैं।

iii) प्रतिपूर्ति की राशि प्राप्त होना वास्तविक रूप से सुनिश्चित होने पर ही निपटान हेतु अपेक्षित व्यय के लिए प्रत्याशित प्रतिपूर्ति हेतु प्रावधान का अनुमान किया जाता है।

iv) आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की गई है।

खातों के बारे में टिप्पणियाँ

1. आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान

(क) केंद्रीय उत्पाद और सेवाकर आयुक्त, बड़े आयकरदाता इकाई (एलटीयू), मुंबई ने 10 जनवरी, 2013 को एक आदेश पारित किया है कि निगम द्वारा निम्नलिखित भुगतान किया जाना अपेक्षित है :-

(i) 1 मई, 2006 से 31 मार्च, 2011 तक और 1 अप्रैल, 2011 से 30 सितंबर, 2011 तक की अवधि के लिए क्रमश: ₹20,756.47 मिलियन और ₹2,831.53 मिलियन की सेवाकर की राशि

(ii) ₹20,756.47 मिलियन और ₹2,831.53 मिलियन का अर्थदण्ड

(iii) 1 मई, 2006 से 15 मई, 2008 तक की अवधि के लिए देय तारीख के बाद से वास्तविक भुगतान करने की तारीख तक के सेवाकर पर 2% प्रतिमाह अथवा ₹200/- प्रतिदिन (इनमें से जो अधिक हो) की दर से अर्थदण्ड, जो ₹6500.09 मिलियन से अधिक न हो।

(iv) पंजीकरण न कराने तथा रिटर्न न भरने के लिए ₹5000/- का अर्थदण्ड

(v) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 75 के अंतर्गत ब्याज

निगम ने 8 अप्रैल, 2013 को सीमाशुल्क उत्पाद और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) में उक्त आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर किया है। प्रबंधन को विश्वास है कि मामले का निर्णय निगम के पक्ष में होगा।

(ख) बड़े आयकरदाता इकाई ने 31 जनवरी, 2013 को कारण बताओ और माँग नोटिस जारी किया है, जिसमें निगम को यह सूचित किया गया है वे कारण बताएं कि उनसे निम्नलिखित क्यों न लिया जाए :-

(i) 6 नवंबर, 2011 से 30 मार्च, 2012 की अवधि के लिए वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 75 के अंतर्गत सेवाकर के विलंबित भुगतान के लिए ₹19,17,54,309/- की ब्याज की राशि

(ii) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 68 के अंतर्गत सेवाकर का समय से भुगतान न करने के कारण अर्थदण्ड

(iii) अधिनियम की धारा 69 की अपेक्षानुसार समय से पंजीकरण कराने में विफल होने के कारण अर्थदण्ड

प्रबंधन ने कारण बताओ नोटिस का उत्तर दे दिया है। सेवाकर परामर्शदाताओं की सलाह के आधार पर प्रबंधन को विश्वास है कि मामले का निर्णय निगम के पक्ष में होगा।

2. पुनर्गठन योजना के अनुसार पुनर्गठित बैंक के संबंध में प्रत्यासन अधिकार के रूप में वसूली में से मिलने वाले हिस्से की राशि के रूप में ₹0.76 मिलियन की राशि (पिछले वर्ष ₹0.76 लाख) पुनर्गठित बैंक के साथ अनुरक्षित संयुक्त बैक खाते में रखी थी। चूँकि 11 नवंबर, 2013 को इस बैंक को परिसमापनाधीन घोषित कर दिया गया था अत: इस राशि की वसूली की गई और 2 मई, 2013 को निलंब खाते (एस्क्रो एकाउंट) को बंद कर दिया गया है।

3. ₹8,000 मिलियन की अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों सहित तीनों निधियों के निवेश को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निगम को तत्काल सकल भुगतान (आरटीजीएस) के अंतर्गत इंट्रा डे लिक्विडिटी (आईडीएल) की सुविधा प्रदान की गई है।

4. रेपो लेनदेन (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार)

प्रकटीकरण

अंकित मूल्य के अनुसार **(₹ मिलियन में)**

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	908.20	908.20	3.60	कोई नहीं
ii. निगमित ऋण प्रतिभूतियाँ	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
रिवर्स रेपो के अंतर्गत क्रय की गई प्रतिभूतियाँ				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	10.00	4810.00	752.24	9.70
ii. निगमित ऋण प्रतिभूतियाँ	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

5. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण :

(1) प्रमुख कार्मिक प्रबंध :

(i) श्री जी.गोपालकृष्ण, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक 1 अप्रैल, 2012 से 13 अगस्त, 2012 तक निगम के कारोबार के प्रभारी थे। इसके लिए उन्होंने अपना वेतन और पारश्रमिक भारतीय रिज़र्व बैंक से आहरित किया।

(ii) श्री जसबीर सिंह, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक 13 अगस्त, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक निगम के कारोबार के प्रभारी थे। इसके लिए उन्होंने अपना वेतन और पारश्रमिक भारतीय रिज़र्व बैंक से आहरित किया।

सेगमेंट रिपोर्टिंग

6. वर्तमान में निगम बैंक / संस्था की स्थिति पर ध्यान दिए बिना प्रमुख रूप से उन्हें एकसमान दर पर निक्षेप बीमा उपलब्ध कराने के कार्य में लगा है। इस प्रकार प्रबंधन की राय में व्यवसाय अथवा भौगोलिक रूप से कोई भिन्न सूचनायोग्य खण्ड (रिपोर्टेबल सेगमेंट) नहीं है।

7. वित्तीय वर्ष 2012-13 से निदेशक मंडल द्वारा निगम की महत्वपूर्ण लेखा नीतियों की समीक्षा की गई है और इसे संशोधित किया गया है। ऐसी समीक्षा का निगम के वित्तीय परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

8. वर्तमान वर्ष के आँकड़ों से तुलना करने योग्य बनाने के लिए पिछले वर्ष के आँकड़ों में आवश्यकतानुसार सुधार / पुनर्वर्गीकरण / पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

मुद्रा यूनिट पर टिप्पणी

- प्रमुख विदेशी मुद्राओं के संबंध में भारतीय ₹ (आइएनआर / ₹) की संदर्भ दर / परिवर्तन दर www.rbi.org.in पर देखी जा सकती है ।
- ₹ 1 लाख = ₹ 100,000.00 अथवा ₹ 0.10 मिलियन
- ₹ 10 लाख = ₹ 1 मिलियन
- ₹ 1 करोड़ = ₹ 10 मिलियन
- ₹ 100 करोड़ = ₹ 1 बिलियन

बीमाकृत और पूर्णत: संरक्षित खातों की संख्या
(प्रत्येक वर्ष के अंतिम शुक्रवार के अनुसार)
NUMBER OF INSURED AND FULLY PROTECTED ACCOUNTS
(AS ON LAST FRIDAY OF EACH YEAR)

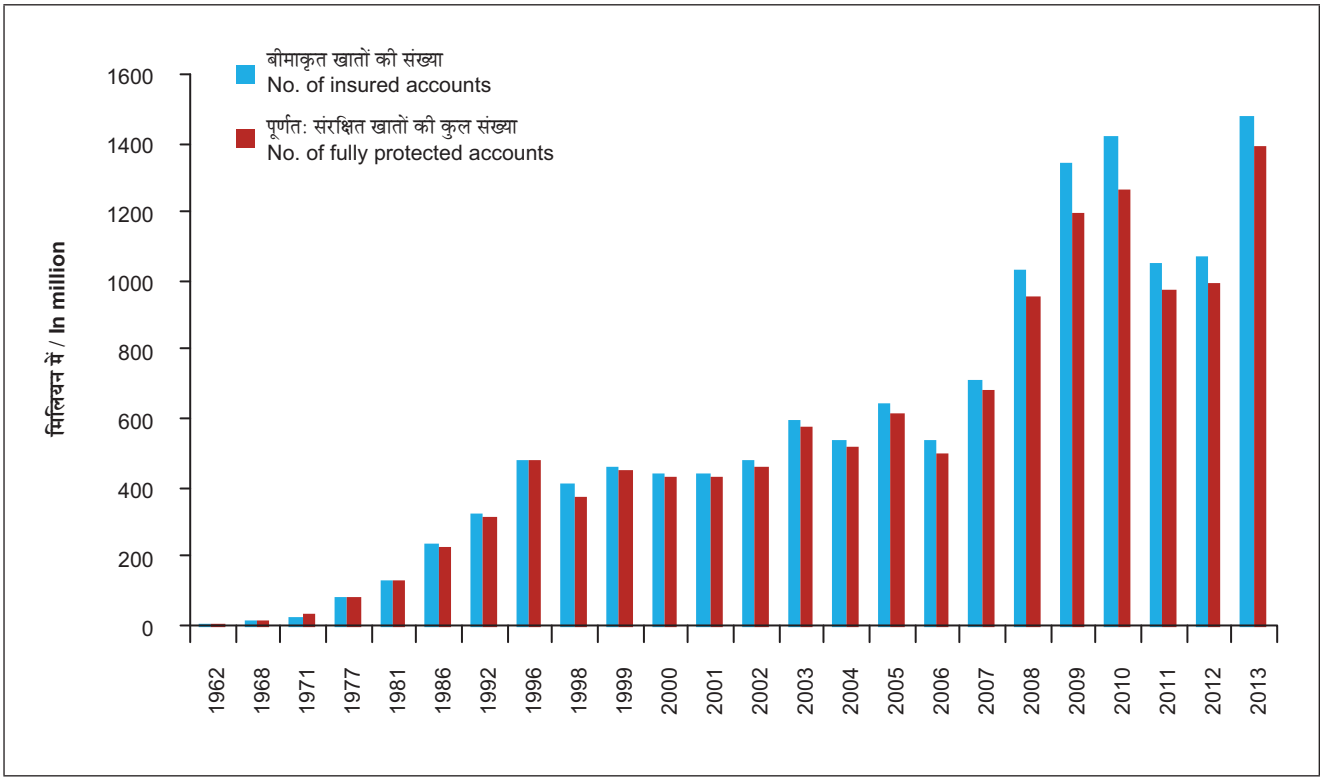

निर्धारणीय और बीमाकृत जमाराशियाँ
(प्रत्येक वर्ष के अंतिम शुक्रवार के अनुसार)
AMOUNT OF ASSESSABLE AND INSURED DEPOSITS
(AS ON LAST FRIDAY OF EACH YEAR)

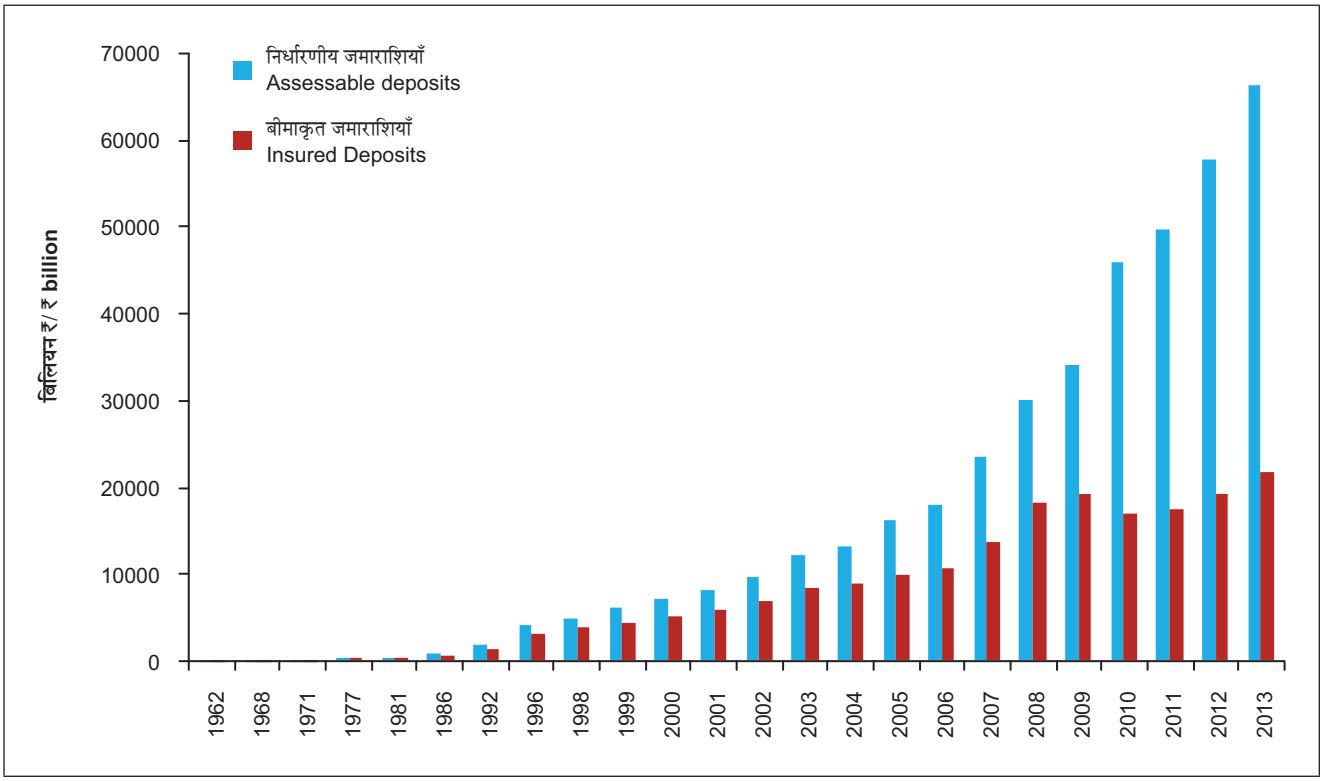

बीमाकृत बैंकों की तुलना में जमाराशि के लिए बीमा कवरेज का विस्तार
(मार्च 2013 के अंत में)
EXTENT OF INSURANCE COVERAGE TO DEPOSITS OF INSURED BANKS
(END MARCH 2013)

खातों की कुल संख्या - 1,482 मिलियन
TOTAL NUMBER OF ACCOUNTS - 1,482 million

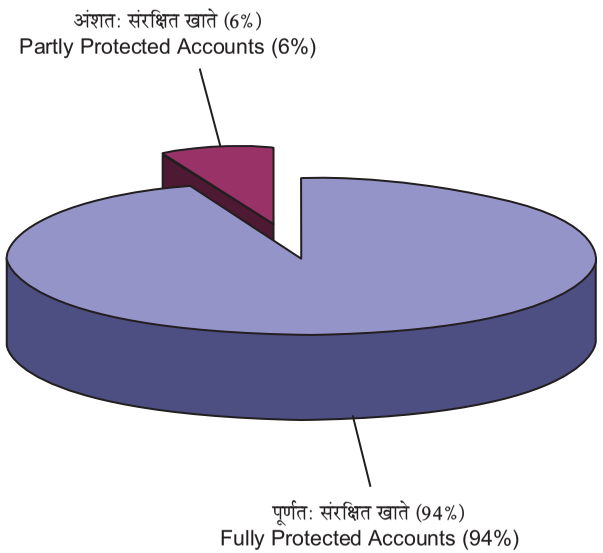

निर्धारणीय जमाराशियों की कुल राशि - 66,211 बिलियन ₹
TOTAL AMOUNT OF ASSESSABLE DEPOSITS - ₹ 66,211 billion

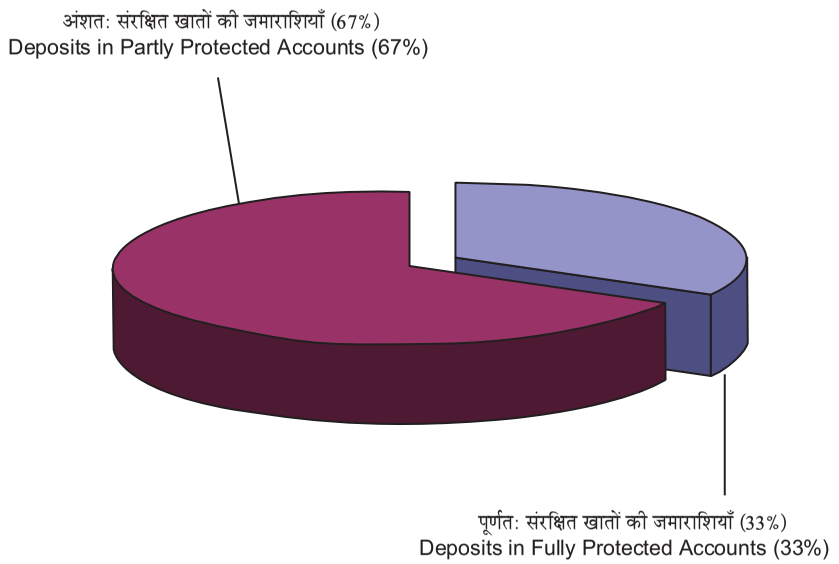

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)

51st Annual Report of the Board of Directors

Balance Sheet and Accounts

for the year ended

31st March 2013

Mission

To contribute to financial stability by securing public confidence in the banking system through provision of deposit insurance, particularly for the benefit of the small depositors.

Vision

To be recognised as one of the most efficient and effective deposit insurance providers, responsive to the needs of its stakeholders.

Contents

		Page No.
1.	Letters of Transmittal	iv-v
2.	Board of Directors	vi
3.	Organisation Chart	vii
4.	Contact information of the Corporation	viii
5.	Principal Officers of the Corporation	ix
6.	Abbreviations	x-xi
7.	Highlights	xii-xiv
8.	An Overview of DICGC	1-5
9.	Management Discussion and Analysis	6-16
10.	Directors' Report	17-28
11.	Annexes to Directors' Report	29-53
12.	Auditors' Report	55
13.	Balance Sheet and Accounts	56-68

निदेशक
Director

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी)
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)

DICGC/SD/ 1842/ 01.01.016 / 2013-14 June 21, 2013

LETTER OF TRANSMITTAL
(To the Reserve Bank of India)

The Chief General Manager and Secretary
Secretary's Department
Reserve Bank of India
Central Office
Central Office Building
Shahid Bhagat Singh Road
Mumbai - 400 001

Dear Sir,

Balance Sheet, Accounts and Report on the Working of the Corporation for the year ended March 31, 2013

In pursuance of the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, I am directed by the Board of Directors to forward herewith a signed copy each of :

(i) the Balance Sheet and Accounts of the Corporation for the year ended March 31, 2013 together with the Auditors' Report, and

(ii) the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year ended March 31, 2013.

2. The printed copies of the Annual Report of the Corporation will be sent to you shortly.

Yours faithfully,

(Kumudini Hajra)
Secretary

Encl: As above

निदेशक
Director

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी)
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)

DICGC / SD / 1843 / 01.01.016 / 2013-14 June 21, 2013

LETTER OF TRANSMITTAL
(To the Government of India)

The Secretary to the Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs
(Banking Division)
Jeevan Deep Building
Parliament Street
New Delhi - 110 001

Dear Sir,

Balance Sheet, Accounts and Report on the Working of the Corporation for the year ended March 31, 2013

In pursuance of the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act,1961, I am directed by the Board of Directors to forward herewith a signed copy each of :

(i) the Balance Sheet and Accounts of the Corporation for the year ended March 31, 2013 together with the Auditors' Report, and

(ii) the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year ended March 31, 2013.

2. Copies of the material mentioned as at (i) and (ii) above (*i.e.,* Balance-sheets, Accounts and Report on the Working of the Corporation) have been furnished to the Reserve Bank of India. Three extra copies thereof are also sent herewith.

3. We may kindly be advised of the date/s on which the above documents are placed before each House of Parliament (*viz*., the Lok Sabha and Rajya Sabha) under Section 32(2) of the Act *ibid.* The printed copies of the Annual Report of the Corporation will be sent to you shortly.

Yours faithfully,

(Kumudini Hajra)
Secretary

Encl: as above

Board of Directors

CHAIRMAN

Dr. Urjit R. Patel **Deputy Governor, Reserve Bank of India**	Nominated by the Reserve Bank of India under Section 6 (1) (a) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from 18.01.2013)

DIRECTORS

Shri Jasbir Singh **Executive Director, Reserve Bank of India**	Nominated by Reserve Bank of India under Section 6 (1) (b) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from 21.09.2012)
Dr. Shashank Saksena **Director, Ministry of Finance** **Department of Financial Services** **Government of India**	Nominated by the Central Government under Section 6 (1) (c) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from 12.06.2008)
Dr. Prakash Bakshi **Chairman, National Bank for Agriculture and Rural Development**	Nominated by the Central Government under Section 6 (1) (d) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from 19.08.2011)
Shri B. L. Patwardhan **Adviser,** **Saraswat Co-operative Bank Ltd.**	Nominated by the Central Government under Section 6 (1) (d) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from 12.10.2011)
Shri Kamlesh Vikamsey **Chartered Accountant**	Nominated by the Central Government under Section 6 (1) (e) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from 05.09.2011)
Shri G. Sivakumar **Professor, IIT Bombay**	Nominated by the Central Government under Section 6 (1) (e) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from 20.09.2011)

ORGANISATION CHART

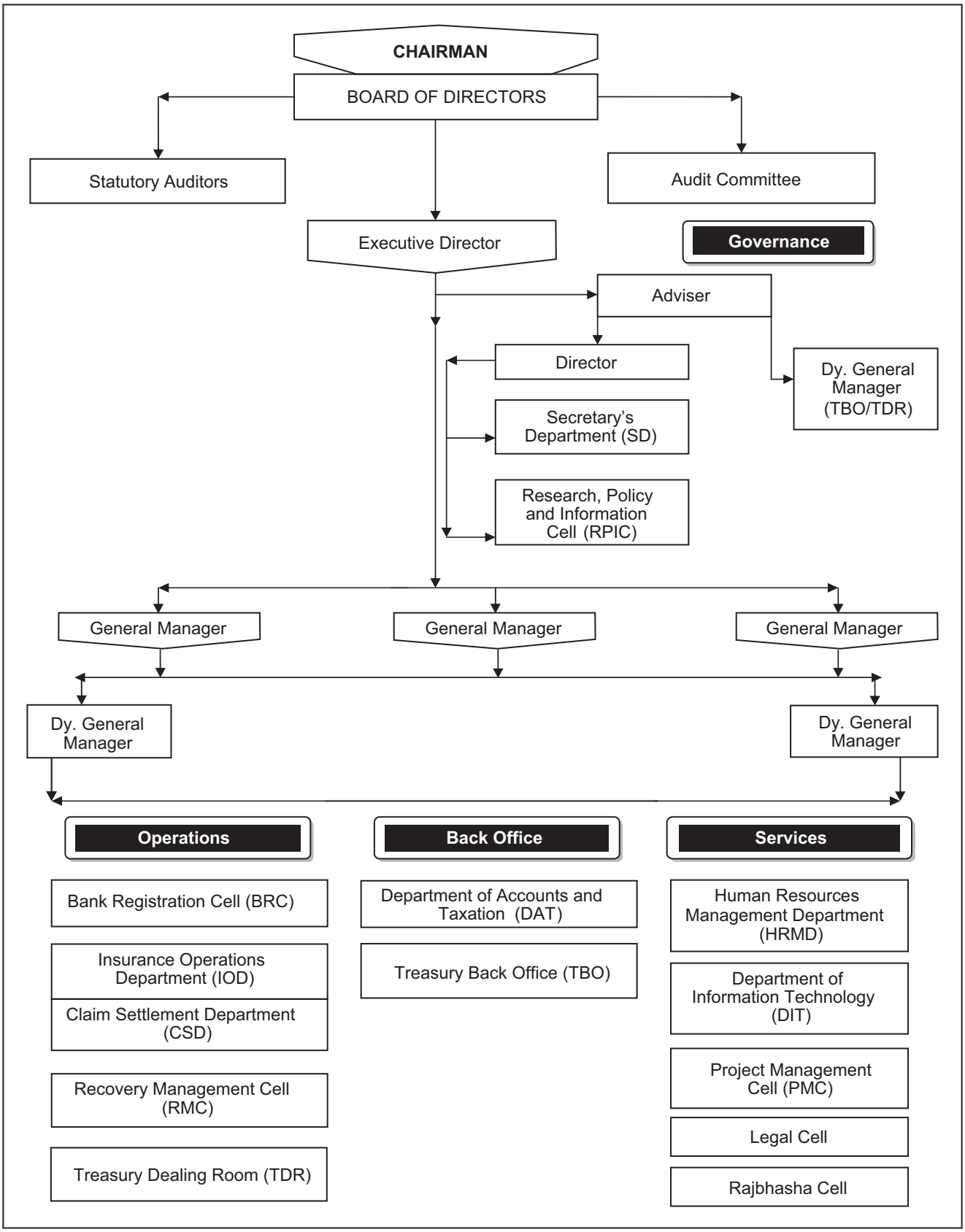

CONTACT INFORMATION OF THE CORPORATION

Fax No. **022 - 2301 5662**
022 - 2301 8165

Telegram **CREDITGUARD**

Tel. Nos.

022-2308 4121	General
022-2306 2161	Premium
022-2306 2162	Claims
022-2301 9570	RTI
022-2302 1150	Customer Care Cell

HEAD OFFICE

Deposit Insurance and
Credit Guarantee Corporation

Reserve Bank of India,
2nd Floor, Opp. Mumbai Central Railway Station,
Byculla, Mumbai – 400 008.
INDIA

(i)	Executive Director	022-2301 9460
(ii)	General Manager	022-2301 9645
(iii)	Director	022-2301 9570
(iv)	General Manager	022-2301 8840
(v)	General Manager	022-2302 1150
(vi)	Deputy General Manager	022-2302 1149
(vii)	Deputy General Manager	022-2302 1146
(viii)	Deputy General Manager	022-2301 9792

Email : dicgc@rbi.org.in

Website : www.dicgc.org.in

PRINCIPAL OFFICERS OF THE CORPORATION

EXECUTIVE DIRECTOR

Shri Jasbir Singh

ADVISER

Smt. Jaya Mohanty

GENERAL MANAGERS

Shri M. K. Samantaray
Shri Rajesh Kumar
Smt. Molina Chowdhury
Smt. Pratibha Raghavan

SECRETARY & DIRECTOR

Smt. Kumudini Hajra

DEPUTY GENERAL MANAGERS

Shri Dwijaraj Sethi
Shri M. Krupanandam
Shri V. K. Maurya

CENTRAL PUBLIC INFORMATION OFFICER

Smt. Kumudini Hajra

BANKERS

RESERVE BANK OF INDIA, MUMBAI

TAX CONSULTANTS

M/s. P. C. Ghadiali & Co.
Chartered Accountants
206, Arun Chambers,
Tardeo,
Mumbai - 400 034

AUDITORS

Sarda & Pareek
Chartered Accountants
Mahavir Apartments
3rd Floor, 598, M. G. Road,
Near Suncity Cinema,
Vile Parle (East)
Mumbai - 400 057

ACTUARIES

M/s. K. A. Pandit
Consultants & Actuaries
2nd Floor, Churchgate House,
Veer Nariman Road, Fort,
Mumbai - 400 001

ABBREVIATIONS

AMC	:	Asset Management Company
APRC	:	Asia Pacific Regional Committee
AS	:	Accounting Standards
BCBS	:	Basel Committee on Banking Supervision
B. R. Act	:	Banking Regulation Act
CA	:	Chartered Accountant
CBS	:	Core Banking System
CEO	:	Chief Executive Officer
CFSA	:	Committee on Financial Sector Assessment
CESTAT	:	Customs Excise and Service Tax Appellate Tribunal
CGCI	:	Credit Guarantee Corporation of India Ltd.
CGF	:	Credit Guarantee Fund
CGO	:	Credit Guarantee Organisation
CRR	:	Cash Reserve Ratio
CSAA	:	Control Self-Assessment Audit
DCCBs	:	District Central Co-operative Banks
DFIs	:	Development Financial Institutions
DIC	:	Deposit Insurance Corporation
DICGC	:	Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation
DIF	:	Deposit Insurance Fund
D-SIBs	:	Domestic Systemically Important Banks
FCs	:	Financial Conglomerates
FHC	:	Financial Holding Company
FIs	:	Financial Institutions
FIMMDA	:	Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India
FMIs	:	Financial Market Infrastructures
FSB	:	Financial Stability Board
FSDC	:	Financial Stability and Development Council
FSLRC	:	Financial Sector Legislative Reforms Commission
GAAP	:	Generally Accepted Accounting Principles
GF	:	General Fund
GoI	:	Government of India
G-SIBs	:	Globally Systemically Important Banks
G-SIFIs	:	Globally Systemically Important Financial Institutions

IADI	:	International Association of Deposit Insurers
ICAI	:	Institute of Chartered Accountants of India
IFR	:	Investment Fluctuation Reserve
IR	:	Investment Reserve
IRDA	:	Insurance Regulatory and Development Authority
IRF	:	Inter-Regulatory Forum
IT	:	Information Technology
KAs	:	Key Attributes
LABs	:	Local Area Banks
LTU	:	Large Taxpayer Unit
MoU	:	Memorandum of Understanding
NABARD	:	National Bank for Agriculture and Rural Development
NBFCs	:	Non-Banking Financial Companies
NBFCs(D)	:	Non-Banking Financial Companies accepting Deposits
NEFT	:	National Electronic Fund Transfer
PFRDA	:	Pension Fund Regulatory and Development Authority
PSBs	:	Public Sector Banks
RBI	:	Reserve Bank of India
RCS	:	Registrar of Cooperative Societies
RR	:	Reserve Ratio
RRBs	:	Regional Rural Banks
RRPs	:	Recovery and Resolution Plans
SBI	:	State Bank of India
SC	:	Scheduled Castes
SEBI	:	Securities and Exchange Board of India
SIFIs	:	Systemically Important Financial Institutions
SLGS	:	Small Loans Guarantee Scheme
SLR	:	Statutory Liquidity Ratio
SL(SSI)GS	:	Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme
ST	:	Scheduled Tribes
StCBs	:	State Co-operative Banks
TAFCUB	:	Task Force on Cooperative Urban Banks
UCBs	:	Urban Cooperative Banks
UK	:	United Kingdom
USA	:	United States of America
UTs	:	Union Territories

HIGHLIGHTS - I : DEPOSIT INSURANCE AT A GLANCE

(₹ in billion)

At year-end	1962	1972	1982	1992-93	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1 CAPITAL*	0.01	0.02	0.15	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
2 DEPOSIT INSURANCE																					
(i) Deposit Insurance Fund**	0.01	0.25	1.54	3.12	2.99	20.22	31.07	33.10	37.06	42.50	55.14	59.08	78.18	91.03	109.79	133.62	161.55	201.52	247.04	300.93	361.20
(ii) Insured Banks (Nos.)	276	476	1683	1931	2296	2438	2583	2676	2728	2715	2629	2595	2547	2531	2392	2356	2307	2249	2217	2199	2167
(iii) Assessable Deposits @	18.95	74.58	423.60	2443.75	4506.74	4923.80	6099.62	7040.68	8062.60	9687.52	12131.63	13182.68	16198.15	17909.19	23443.51	29847.99	33985.65	45879.67	49524.27	57674.00	66210.60
(iv) Insured Deposits @	4.48	46.56	317.74	1645.27	3376.71	3705.31	4396.09	4985.58	5724.34	6740.51	8288.85	8709.40	9913.65	10529.88	13725.97	18050.81	19089.51	16823.97	17358.00	19043.00	21583.65
(v) Total number of Accounts (in million)	7.7	34.1	159.8	354.3	435.1	410.9	464.2	441.7	446.2	481.7	600.2	544.0	649.5	537.3	716.9	1038.9	1348.9	1423.9	1051.6	1073.0	1481.75
(vi) Number of Fully Protected Accounts (in million)	6.0	32.8	158.1	339.5	427.3	371.3	454.4	430.2	432.5	464.5	578.2	518.9	619.5	505.5	682.9	961.7	1204.0	1266.9	976.9	996.0	1393.08
(vii) Claims paid since inception	–	0.01	0.03	1.78	1.94	1.96	2.09	2.25	2.62	6.77	8.63	10.44	14.85	20.50	25.94	27.55	29.84	36.38	40.17	43.05	45.05

* Under General Fund of the Corporation.

** Includes both actuarial fund and fund surplus.

@ Data since 2009-10 are as per new reporting format.

HIGHLIGHTS - II : CREDIT GUARANTEE AT A GLANCE

(₹ in billion)

At year-end	1962	1972	1982	1992-93	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
CREDIT GUARANTEE																						
(i) Credit Guarantee Fund*	–	–	0.89	9.07	17.75	29.26	6.79	7.58	11.88	11.33	12.62	13.93	15.11	2.50	3.45	3.49	3.67	3.85	2.98	3.10	3.00	3.25
(ii) Guaranteed Advances																						
a) Small Borrowers	–	2.08	48.40	263.48	172.61	39.39	32.41	2.78	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
b) Small Scale Industries	–	–	38.22	155.03	112.71	33.76	28.13	0.39	0.05	0.01	0.01	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
(iii) Claims Received (for the year)																						
a) Small Borrowers	–	–	0.25	8.83	18.41	18.42	1.84	2.18	2.19	0.22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b) Small Scale Industries	–	–	0.30	2.60	5.24	2.70	1.20	0.34	0.26	0.14	0.01	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iv) Claims Disposed off (for the year)																						
a) Small Borrowers	–	–	0.15	5.66	10.31	4.03	4.01	11.88	11.95	1.71	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b) Small Scale Industries	–	–	0.27	2.43	3.08	2.91	2.21	2.25	1.39	0.54	0.05	0.01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

* Includes both actuarial and fund surplus.

NA : Not applicable since no credit institution is participating under the schemes.

OPERATIONAL HIGHLIGHTS - III : DEPOSIT INSURANCE

(₹ in billion)

PARTICULARS	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08
REVENUE STATEMENTS						
Premium Income	57.18	56.40	48.44	41.55	34.53	28.44
Investment Income	27.68	23.53	18.01	15.13	12.89	11.45
Net Claims	4.20	3.57	1.71	4.07	9.09	1.80
Revenue Surplus Before Tax	86.27	60.01	61.45	37.53	39.73	37.43
Revenue Surplus After Tax	58.27	40.54	41.32	28.93	26.89	22.51
BALANCE SHEET						
Fund Balance (Actuarial)	52.65	47.68	37.74	32.75	18.17	15.53
Fund Surplus	308.55	253.25	209.30	168.77	143.39	118.09
Outstanding Liability for Claims	9.05	6.89	6.03	7.64	10.75	4.88
PERFORMANCE METRICS						
1. Average No. of days between receipt of a claim and claim settlement@	27	52	49	54	43	53
2. Average No. of days between de-registration of a bank and claim settlement (First claims)@	410	533	388	361	825	604
3. Operating Costs as percentage of total premium income	0.25	0.27	0.35	0.26	0.30	0.33
(of which: Employee cost as percentage of total premium income)	(0.13)	(0.14)	(0.15)	(0.14)	(0.16)	(0.17)

@ Actual number of average days has been arrived at by weighting the number of days with the corresponding sanctioned amount involved.

AN OVERVIEW OF DICGC

(1) INTRODUCTION

The functions of the DICGC are governed by the provisions of "The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961" (DICGC Act) and "The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1961" framed by the Reserve Bank in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 50 of the said Act. As no credit institution is participating in any of the credit guarantee schemes administered by the Corporation, presently it is not operating any of the schemes and deposit insurance remains the principal function of the Corporation.

(2) HISTORY

The concept of insuring deposits kept with banks received attention for the first time in the year 1948 after the banking crisis in Bengal. The issue came up for reconsideration in the year 1949, but was held in abeyance till the Reserve Bank set up adequate arrangements for inspection of banks. Subsequently, in the year 1950, the Rural Banking Enquiry Committee supported the concept. Serious thought to insuring deposits was, however, given by the Reserve Bank and the Central Government after the failure of the Palai Central Bank Ltd. and the Laxmi Bank Ltd. in 1960. The Deposit Insurance Corporation (DIC) Bill was introduced in Parliament on August 21, 1961. After it was passed by Parliament, the Bill got the assent of the President on December 7, 1961 and the Deposit Insurance Act, 1961 came into force on January 1, 1962.

Deposit Insurance Scheme was initially extended to all functioning commercial banks. This included the State Bank of India and its subsidiaries, other commercial banks and the branches of the foreign banks operating in India.

With the enactment of the Deposit Insurance Corporation (Amendment) Act, 1968, deposit insurance was extended to co-operative banks also and the Corporation was required to register "eligible co-operative banks" as insured banks under the provisions of Section 13 A of the DICGC Act.

The Government of India, in consultation with the Reserve Bank, introduced a credit guarantee scheme in July 1960. The Reserve Bank was entrusted with the administration of the scheme, as an agent of the Central Government, under Section 17 (11 A)(a) of the Reserve Bank of India Act, 1934 and was designated as the Credit Guarantee Organisation (CGO) for guaranteeing the advances granted by banks and other credit institutions to small scale industries. The Reserve Bank operated the scheme up to March 31, 1981.

The Reserve Bank also promoted a public limited company on January 14, 1971, named the Credit Guarantee Corporation of India Ltd. (CGCI). The credit guarantee schemes introduced by the CGCI aimed at encouraging the commercial banks to cater to the credit needs of the hitherto neglected sectors, particularly the weaker sections of the society engaged in non-industrial activities, by providing guarantee cover to the loans and advances granted by the credit institutions to small and needy borrowers covered under the priority sector as defined by the RBI.

With a view to integrating the functions of deposit insurance and credit guarantee, the two organisations, *viz.,* the DIC and the CGCI, were merged and the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) came into existence on July 15, 1978. The Deposit Insurance Act, 1961 was thoroughly amended and it was renamed as 'The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961'.

With effect from April 1, 1981, the Corporation extended its guarantee support to credit granted to small scale industries also, after the cancellation of the Government of India's credit guarantee

scheme. With effect from April 1, 1989, guarantee cover was extended to the entire priority sector advances.

(3) INSTITUTIONAL COVERAGE

(i) All **commercial banks** including the branches of foreign banks functioning in India, Local Area Banks (LABs) and Regional Rural Banks (RRBs) are covered under the Deposit Insurance Scheme.

(ii) All eligible **co-operative banks** as defined in Section 2(gg) of the DICGC Act are covered under the Deposit Insurance Scheme. All State, Central and Primary co-operative banks functioning in the States/Union Territories, which have amended their Co-operative Societies Act, as required under the DICGC Act, 1961, empowering Reserve Bank to order the Registrar of Co-operative Societies of the respective States/Union Territories to wind up a co-operative bank or to supersede its committee of management and requiring the Registrar not to take any action for winding up, amalgamation or reconstruction of a co-operative bank without prior sanction in writing from the Reserve Bank, are treated as eligible co-operative banks. At present, all co-operative banks are covered under the Scheme. UTs of Lakshadweep and Dadra & Nagar Haveli do not have any co-operative Bank.

(4) REGISTRATION OF BANKS

(i) In terms of Section 11 of the DICGC Act, 1961, all new commercial banks are required to be registered by the Corporation soon after they are granted licence by the Reserve Bank under Section 22 of the Banking Regulation Act, 1949. All RRBs are required to be registered with the Corporation within 30 days from the date of their establishment, in terms of Section 11A of the DICGC Act, 1961.

(ii) A new eligible co-operative bank is required to be registered with the Corporation soon after it is granted a licence by the Reserve Bank.

(iii) When the owned funds of a primary co-operative credit society reach the level of ₹1 lakh, it has to apply to the Reserve Bank for a licence to carry on banking business as a primary co-operative bank and is to be registered with the Corporation within 3 months from the date of its application for licence.

(iv) A co-operative bank which has come into existence after the commencement of the Deposit Insurance Corporation (Amendment) Act, 1968, as a result of the division of any other co-operative society carrying on business as a co-operative bank, or the amalgamation of two or more co-operative societies carrying on banking business at the commencement of the Banking Laws (Application to Co-operative Societies) Act, 1965 or at any time thereafter, is to be registered within three months of its making an application for licence. However, a co-operative bank will not be registered, if it has been informed by the Reserve Bank, in writing, that a licence cannot be granted to it.

In terms of Section 14 of the DICGC Act, after the Corporation registers a bank as an insured bank, it is required to send, within 30 days of such registration, intimation in writing to the bank to that effect. The letter of intimation, apart from the advice of registration and registration number, gives details of the requirements to be complied with by the bank, *viz.*, the rate of premium payable to the Corporation, the manner in which the premium is to be paid, the returns to be furnished to the Corporation, *etc*.

(5) INSURANCE COVERAGE

Under the provisions of Section 16(1) of the DICGC Act, the insurance cover was originally limited to ₹1,500/- only per depositor for deposits held by him in “the same capacity and in the same right” at all the branches of a bank taken together. However, the Act also empowers the Corporation to raise this limit with the prior approval of the Central Government. Accordingly, the insurance limit was enhanced from time to time as follows:

Effective from	Insurance Limit
May 1, 1993	₹1,00,000/-
July 1, 1980	₹30,000/-
January 1, 1976	₹20,000/-
April 1, 1970	₹10,000/-
January 1, 1968	₹5000/-

(6) TYPES OF DEPOSITS COVERED

The Corporation insures all bank deposits, such as savings, fixed, current, recurring, *etc*. except the (i) deposits of foreign governments; (ii) deposits of Central / State Governments; (iii) deposits of State Land Development Banks with the State co-operative banks; (iv) inter-bank deposits; (v) deposits received outside India, and (vi) deposit specifically exempted by the Corporation with the previous approval of the Reserve Bank.

(7) INSURANCE PREMIUM

The Corporation collects insurance premia from insured banks for administration of the deposit insurance system. The premia to be paid by the insured banks are computed on the basis of their assessable deposits. Insured banks pay advance insurance premia to the Corporation semi-annually within two months from the beginning of each financial half year, based on their deposits as at the end of previous half year. The premium paid by the insured banks to the Corporation is required to be borne by the banks themselves and is not passed on to the depositors. For delay in payment of premium, an insured bank is liable to pay interest at the rate of 8 per cent above the Bank Rate on the default amount from the beginning of the relevant half-year till the date of payment.

Premium Rates per deposit of ₹100

Date from	Premium (in ₹)
1-04-2005	0.10
1-04-2004	0.08
1-07-1993	0.05
1-10-1971	0.04
1-01-1962	0.05

(8) CANCELLATION OF REGISTRATION

Under Section 15A of the DICGC Act, the Corporation has the power to cancel the registration of an insured bank if it fails to pay the premium for three consecutive half-year periods. However, the Corporation may restore the registration if the deregistered bank makes a request, paying all the dues in default including interest, provided the bank is otherwise eligible to be registered as an insured bank.

Registration of an insured bank may be cancelled if the bank is prohibited from accepting fresh deposits; or its licence is cancelled or a licence is refused to it by the Reserve Bank; or it is wound up either voluntarily or compulsorily; or it ceases to be a banking company or a co-operative bank within the meaning of Section 36A(2) of the Banking Regulation Act, 1949; or it has transferred all its deposit liabilities to any other institution; or it is amalgamated with any other bank or a scheme of compromise or arrangement or of reconstruction has been sanctioned by a competent authority where the said scheme does not permit acceptance of fresh deposits. In the case of a co-operative bank, its registration also gets cancelled if it ceases to be an eligible co-operative bank.

In the event of the cancellation of registration of a bank, for reason other than default in payment of premium, deposits of the bank as on the date of cancellation remain covered by the insurance.

(9) SUPERVISION AND INSPECTION OF INSURED BANKS

The Corporation is empowered to have free access to the records of an insured bank and to call for copies of such records. On Corporation's request, the Reserve Bank is required to undertake/ cause the inspection / investigation of an insured bank.

(10) SETTLEMENT OF CLAIMS

(i) In the event of the winding up or liquidation of an insured bank, every depositor is entitled

to payment of an amount equal to the deposits held by him at all the branches of that bank put together in the same capacity and in the same right, standing as on the date of cancellation of registration (*i.e.,* the date of cancellation of licence or order for winding up or liquidation) subject to set-off of his dues to the bank, if any [Section 16(1) read with 16(3) of the DICGC Act]. However, the payment to each depositor is subject to the limit of the insurance coverage fixed from time to time.

(ii) When a scheme of compromise or arrangement or re-construction or amalgamation is sanctioned for a bank by a competent authority, and the scheme does not entitle the depositors to get credit for the full amount of the deposits on the date on which the scheme comes into force, the Corporation pays the difference between the full amount of deposit and the amount actually received by the depositor under the scheme or the limit of insurance cover in force at the time, whichever is less. In these cases too, the amount payable to a depositor is determined in respect of all his deposits held in the same capacity and in the same right at all the branches of that bank put together, subject to the set-off of his dues to the bank, if any, [Section 16(2) and (3) of the DICGC Act].

(iii) Under the provisions of Section 17(1) of the DICGC Act, the liquidator of an insured bank which has been wound up or taken into liquidation, has to submit to the Corporation a list showing separately the amount of the deposit in respect of each depositor and the amount of set off, in such a manner as may be specified by the Corporation and certified to be correct by the liquidator, within three months of his assuming charge as liquidator (Typical claim settlement process in Chart I).

(iv) In the case of a bank/s under scheme of amalgamation / reconstruction, *etc*. sanctioned by competent authority, a similar list has to be submitted by the chief executive officer of the concerned transferee bank or insured bank, as the case may be, within three months from the date on which the scheme of amalgamation/reconstruction, *etc.* comes into effect [Section 18(1) of the DICGC Act].

(v) The Corporation is required to pay the amount due under the provisions of the DICGC Act in respect of the deposits of each depositor within two months from the date of receipt of such lists prepared in accordance with guidelines issued by the corporation and complete / correct in all respects. The Corporation gets the list certified by a firm of Chartered Accountants which conducts on-site verification.

(vi) The Corporation generally makes payment of the eligible claim amount to the liquidator/ chief executive officer of the transferee/ insured bank, for disbursement to the depositors. However, the amounts payable to the untraceable depositors are held back till such time as the Liquidator/Chief Executive Officer is in a position to furnish all the requisite particulars to the Corporation.

(11) RECOVERY OF SETTLED CLAIMS

In terms of Section 21(2) of the DICGC Act read with Regulation 22 of the DICGC General Regulations, the liquidator or the insured bank or the transferee bank, as the case may be, is required to repay to the Corporation out of the amounts realised from the assets of the failed bank and other amounts in hand after making provision for the expenses incurred.

(12) FUNDS, ACCOUNTS AND TAXATION

The Corporation maintains three distinct Funds, *viz*., (i) Deposit Insurance Fund (DIF); (ii) Credit Guarantee Fund (CGF), and (iii) General Fund (GF). The first two funds are created by accumulating the insurance premia and guarantee fees respectively and are applied for settlement of the respective claims. The authorised capital of the Corporation is ₹500 million which is entirely

Chart 1: Typical Process of Settlement of Claims for Co-operative Banks in India

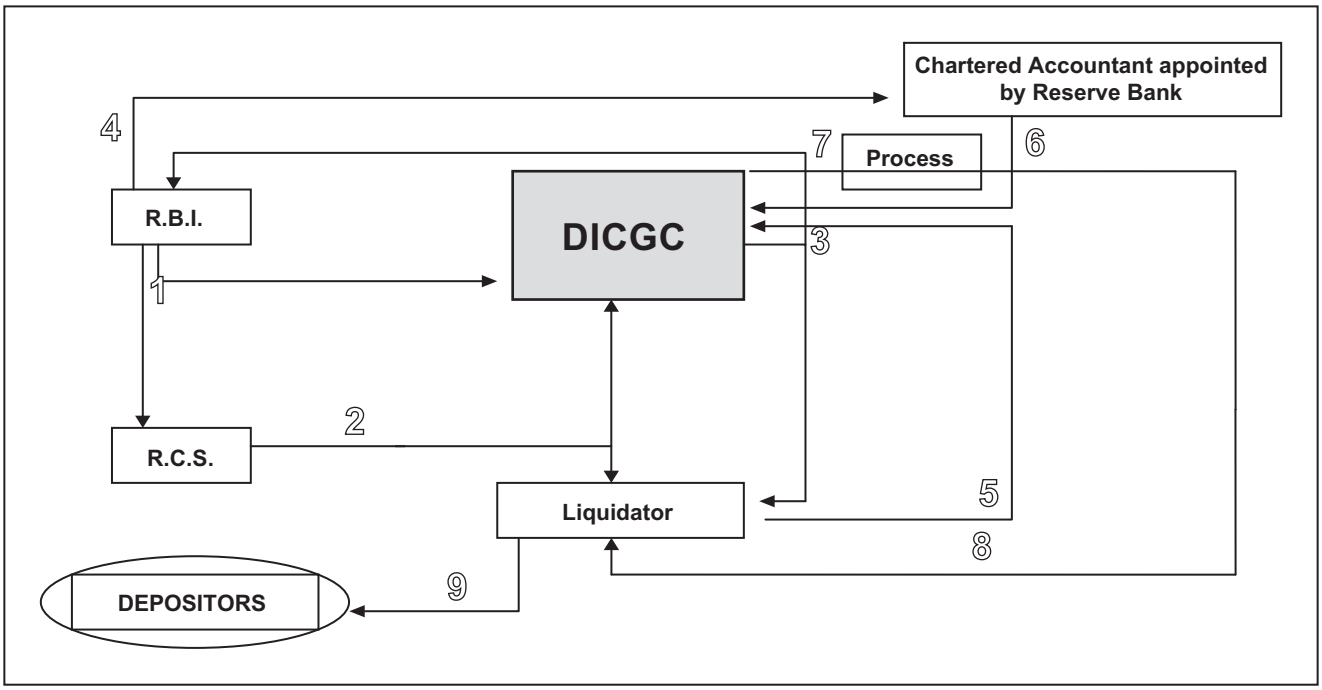

1. The Reserve Bank cancels the licence/rejects the application for licence of a bank and recommends its liquidation to the concerned Registrar of Co-operative Society (RCS) with endorsement to the DICGC.
2. The RCS appoints a Liquidator for the liquidated bank with endorsement to the DICGC.
3. The DICGC cancels the registration of the bank as an insured bank and issues guidelines for submission of the claim list by the liquidator within 3 months and requests Reserve Bank to appoint an external auditor [Chartered Accountant (C.A.)] for on-site verification of the list.
4. The Reserve Bank appoints C.A. and the DICGC conducts briefing and orientation session for C.A. to check the claim list.
5. The Liquidator submits the claim list for payment to the depositors (both hard and soft forms).
6. The external auditors (C.A.s) submit their report on the aspects of the claim list.
7. The claim list is computer-processed and payment list is generated.
8. Consolidated payment is released to the Liquidator and further information sought on incomplete/doubtful claims. The release of claims is announced through the website of the Corporation.
9. The liquidator releases the payment to the depositors.

subscribed to by the Reserve Bank. The General Fund is utilised for meeting the establishment and administrative expenses of the Corporation. The surplus balances in all the three Funds are invested in Central Government securities. Fund transfer between these funds is permissible under the Act.

The books of accounts of the Corporation are closed as on March 31 every year. The affairs of the Corporation are audited by an Auditor appointed by its Board of Directors with the previous approval of Reserve Bank. The audited accounts together with Auditor's report and a report on the working of the Corporation are required to be submitted to Reserve Bank within three months from the date on which its accounts are balanced and closed. Copies of these documents are also submitted to the Central Government, which are laid before each House of the Parliament. The Corporation follows mercantile system of accounting and it has been adopting the system of actuarial valuations of its liabilities from the year 1987 onwards.

The Corporation has been paying income tax since the financial year 1987-88 and fringe benefit tax since 2005-06. The Corporation is assessed to Income Tax as a 'company' as defined under the Income Tax Act, 1961. Moreover, the Corporation has obtained service tax registration and has started paying service tax on premium income accrued from October 1, 2011.

Resolution of Financial Institutions: Changing Horizons

Bank Resolution: Renewed International Significance and Reorientation

The global financial crisis in 2008 underlined that effective bank resolution is a *sine qua non* for an orderly exit of the weak or failing banks and financial institutions that limits contagion and losses to depositors. The crisis has also prompted a rethink on the functioning of financial safety nets and interactions among bank supervisors, resolution agencies and deposit insurers. Since the threat of even small losses can lead to destabilising runs, integrated policy response to shocks is essential whereby supervisory, regulatory, insolvency and deposit insurance authorities move swiftly in a coordinated manner. The prerequisites of a resilient financial system therefore comprise effective supervision, strong regulatory framework that contains excessive risk-taking and an effective and quick resolution framework while deposit insurance is invoked when despite these efforts a bank fails.

2. There is a now a general consensus that national authorities should possess suitable tools to tackle all types of distressed financial institutions so as to maintain financial stability, minimise systemic risk, protect consumers, contain moral hazard and promote market efficiency. During the recent financial crisis, banks became the focal point and deposit insurance emerged crucial for containing crisis and restoring confidence. The extent of role played by deposit insurance agencies in the resolution process varies across the world, though it is realised that an effective deposit insurance system is a crucial and inevitable component of the resolution process.

Key Attributes of Resolution Regimes

3. The Key Attributes (KAs) of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, developed by Financial Stability Board (FSB) in October 2011, spell out the main elements required to be possessed by an effective resolution regime. These attributes pertain to the scope; resolution authority; resolution powers; set-off, netting, collateralisation, segregation of client assets; safeguards; funding of firms in resolution; legal framework conditions for cross-border cooperation; crisis management groups; institution-specific cross-border cooperation agreements; resolvability assessments; recovery and resolution planning; and access to information and information sharing. KAs also contain guidance to countries on institution-specific cross-border cooperation agreements, resolvability assessments, recovery and resolution plans and temporary stays on early termination rights.

4. An effective resolution regime facilitates non-disruptive resolution of financial institutions without exposing taxpayers to loss, while protecting vital economic functions. According to FSB, an effective resolution regime should:

(i) ensure continuity of systemically important financial services, clearing and settlement and payment functions;

(ii) protect, where applicable and in coordination with the relevant insurance schemes and arrangements such depositors, insurance policy holders and investors as are covered by such schemes and arrangements**,** and ensure the rapid return of segregated client assets;

(iii) allocate losses to firm owners (shareholders) and unsecured and uninsured creditors in a manner that respects the hierarchy of claims;

(iv) not rely on public solvency support and not create an expectation that such support will be available;

(v) avoid unnecessary destruction of value, and therefore seek to minimise the overall costs of resolution in home and host jurisdictions and, where consistent with the other objectives, losses for creditors;

(vi) provide for speed and transparency and as much predictability as possible through legal and procedural clarity and advanced planning for orderly resolution;

(vii) provide a mandate in law for cooperation, information exchange and coordination domestically and with relevant foreign resolution authorities before and during a resolution;

(viii) ensure that non-viable firms can exit the market in an orderly way; and

(ix) be credible, and thereby enhance market discipline and provide incentives for market-based solutions.

5. In sum, the resolution regime should include stabilisation options that achieve continuity of systemically important functions and a mandated creditor-financed recapitalisation of the entity. It should also have liquidation options for orderly closure of the firms' business while protecting insured depositors, insurance policy holders and other retail customers. Further, to facilitate the coordinated resolution of firms active in multiple countries, jurisdictions should seek convergence of their resolution regimes through the legislative changes needed to incorporate the tools and powers set out in the KAs into their national regimes.

Peer Review on Resolution Regimes

6. FSB undertook a thematic review of resolution regimes of its members with an objective to evaluate FSB jurisdictions' existing resolution regimes and any planned changes to those regimes using the KAs as a benchmark. The Peer Review Report was released in April 2013. The peer review found that, while major legislative reforms have taken place in some jurisdictions, implementation of the KAs remains at an early stage. Further work is needed to implement robust resolution regimes, capable of addressing failing institutions, including systemically important financial institutions (SIFIs).

7. The review concluded that a number of features of the resolution regimes in FSB jurisdictions are already broadly consistent with the KAs. In particular, all jurisdictions are able to use some of the resolution powers in relation to banks. As regards insurance firms, nearly all jurisdictions have available one or both of the resolution powers (portfolio transfer and run-off) for resolving insurers, although in several cases those powers are exercised by a court-appointed administrator or liquidator in the context of a wind up. Finally, many jurisdictions report that they can achieve at least some of the objectives for resolving SIFIs through existing supervisory powers – for example, powers to develop recovery and resolution plans (RRPs) or to require resolvability assessments for certain financial institutions (FIs).

8. Nevertheless, there are significant divergences from, or inconsistencies with, the KAs that need to be addressed. The main areas where further enhancements of resolution regimes are needed are as follows:

Comprehensive resolution powers for banks: Although resolution regimes are generally more developed for banks than for other financial institutions, few jurisdictions have equipped administrative authorities with the full set of powers set out in the KAs to resolve banks. For example, very few authorities have the statutory power both to write down and to convert liabilities of a failing institution (bail-in within resolution). Moreover, in

some cases resolution actions may require court approval or the cooperation of the failing firm or its shareholders.

Resolution regimes for non-bank FIs: The resolution regimes are less advanced for insurers, securities or investment firms and financial market infrastructures (FMIs), where both mandates and powers fall well short of the standards in the KAs. This in part reflects the less advanced state of guidance on the application of the KAs to those sectors. Powers for non-bank FIs are often supervisory in nature and are limited to firm liquidation or wind up.

Powers to resolve financial groups: Most FSB jurisdictions lack powers to take control of the parent or affiliates of a failed financial institution (FI), particularly if the financial holding company (FHC) or significant operational affiliates are unregulated. This is a particular problem for global systemically important financial institutions (G-SIFIs) that tend to have integrated and highly complex structures.

Cross-border effectiveness of resolution measures: The financial crisis demonstrated the need to strengthen arrangements for cross-border cooperation in dealing with failing FIs. However, only a few jurisdictions currently empower and encourage their resolution authorities through statutory mandates to cooperate and coordinate with foreign resolution authorities. Moreover, the ability of existing mechanisms in many jurisdictions to give effect to foreign resolution actions remains unclear. Very few jurisdictions have provisions for expedited (administrative or court-based) procedures for recognition and enforcement of actions taken by foreign authorities. This is a major weakness since it may undermine the legal certainty of resolution actions.

Funding: Funding arrangements differ greatly across sectors and jurisdictions. Most jurisdictions seek to rely on privately funded protection funds but it is not clear if such arrangements are adequate. Public financial support therefore remains an important component of resolution funding arrangements for SIFIs. Mechanisms for the recovery of public funds are not well developed.

Recovery and resolution planning and actions to improve resolvability: In most jurisdictions, there is no explicit requirement in statute or rules for Recovery and Resolution Planning (RRP) for domestic SIFIs. Moreover, most authorities lack the power to require firms to make changes to their organisational and financial structures to improve their resolvability in advance of resolution.

9. Based on the above findings; the peer review made a series of recommendations for jurisdictions:

a. Review and revised resolution regimes for banks to ensure that resolution powers are consistent with the KAs, including powers to transfer assets and liabilities, write down shareholders equity holding, and convert debt into equity within resolution;

b. Review the adequacy and effectiveness of resolution regimes for non-bank FIs, and adopting any necessary reforms;

c. Extend the scope of resolution regimes to financial holding companies, non-regulated operational entities and branches of foreign financial firms;

d. Enhance the mandates and capacity of resolution authorities to cooperate and coordinate measures across borders;

e. Review the domestic legal framework for information sharing;

f. Introduce powers to impose a temporary stay on the exercise of contractual acceleration or early termination rights in financial contracts;

g. Introduce a RRP requirement for all domestically incorporated firms that could be systemically significant or critical if they fail and

h. Empower supervisory or resolution authorities to require financial institutions to adopt changes to their structure, organisation or business practices to improve their resolvability.

The suggestions made by FSB in its peer review report are also relevant for India, even though it is recognised that the changes in resolution framework have to be contextual and tailored to country circumstances.

Indian Financial Architecture: An Overview

10. The Indian banking system includes commercial banks[1], Regional Rural Banks (RRBs), and co-operative credit institutions [State Co-operative Banks (StCBs), District Central Co-operative Banks (DCCBs) and Primary (Urban) Co-operative Banks (UCBs)]. In addition to the above deposit-taking institutions, there are non-bank financial institutions accepting deposits [NBFCs(D)]. Commercial banks, with about 60 per cent of the total financial assets, dominate the financial system. Certain structural and regulatory features like government ownership of a large segment of commercial banks, statutory liquidity ratio (SLR) and cash reserve ratio (CRR) make India's financial system resilient to stress. The Reserve Bank has a significant role in the financial safety-net architecture in India, with regulation and supervision of banks, resolution powers over commercial banks, deposit insurance through DICGC and lender-of-last-resort powers.

11. Failures of commercial banks in India have been rare. But those among urban co-operative banks are common. A regular monitoring mechanism for banks exists. A weak bank is required to set targets for critical financial parameters including capital infusion. However on the bank's net worth turning negative and with absence of a credible action plan for a turnaround, it is put under a moratorium to prevent a run on the bank, prevent asset stripping and give time to regulators to identify a suitable strong bank for takeover. The Board for Financial Supervision, which is the Committee of Board in Reserve Bank, reviews banks' supervisory function and monitors the performance of banks, especially the weak banks. Voluntary winding up of a banking company could be carried out under Section 44 of the Banking Regulation (BR) Act, 1949 on the orders of the High Court. For this purpose, RBI's certificate to the effect that the banking company is able to meet in full all its debts as they accrue is required. Compulsory winding down of a banking company is carried out in terms of Section 38 of the BR Act, 1949 if the banking company is unable to pay its debts or the Reserve Bank of India makes an application to the High Court for its winding up under Section 37 of BR Act, 1949.

12. Resolution methods generally comprise assisting the troubled bank in restructuring, or merging it with a strong institution, or closure. Commonly, there have been assisted or compulsory mergers such as the weak bank is merged with another bank. Sometimes, there are voluntary mergers where a healthy bank takes over a weak bank. Apart from making payouts to banks that are put under liquidation, DICGC assists in mergers by meeting the shortfalls in depositors' claims up to the coverage limit when the acquiring bank is unable to meet this liability in full. In case of smaller urban cooperative banks, the general approach has been to liquidate the bank with reimbursement made to depositors, while there have been some instances of DICGC-

1 Commercial banks comprise (i) State Bank of India (SBI) governed by SBI Act, 1955 and the Banking Regulation Act (BR Act), 1949; (ii) the Associate Banks of SBI governed by State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, State Bank of Hyderabad Act, 1956, etc. and BR Act, 1949; (iii) nationalized banks governed by The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/80 and BR Act, 1949; (iv) private sector banks governed by BR Act, 1949 and the Companies Act, 1956; and (v) branches of foreign banks governed by BR Act, 1949 and Companies Act, 1956.

assisted mergers too (data on instances during last decade are given in Table).

Table: Claims Settled under Scheme of Amalgamation and Reconstruction

Sr. No.	Year	Name of Bank	No. of Depositors	Claims Settled (₹ million)
1	2001	Madhavpura Mercantile Co-operative Bank Ltd., Gujarat	NA	4,009.40
2	2009	South Indian Cooperative Bank Ltd., Maharashtra	56,816	359.77
3	2012	Memon Cooperative Bank Ltd., Maharashtra	85,990	237.52
4	2012	Vaso Cooperative Bank Ltd., Gujarat	34,672	72.22

NA: Not available

Indian Bank Resolution Framework: Issues and Challenges

13. Existing bank resolution framework in India is fraught with several gaps, and a variety of issues need to be addressed. First, there is a heterogeneity among banks and different legal frameworks governing them. The Reserve Bank of India currently has the mandate to regulate and supervise commercial banks and UCBs as well as non-banking financial companies (NBFCs) and development financial institutions (DFIs) with the prime objective of maintaining systemic financial stability as well as preventing failure of individual entities and protecting the interests of the depositors, while supervision of StCBs, DCCBs and RRBs is carried out by the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD).

14. India does not have a special resolution regime or comprehensive policy or law on bankruptcy exclusively for the financial institutions. Some provisions contained in various Acts empower either the RBI or the central government to resolve different types of banks and other financial institutions in India. The provisions relating to resolution of banking companies, i.e., private sector banks and foreign banks having offices in India, are contained in the BR Act, 1949 and Companies Act, 1956. However, the resolution of public sector banks (i.e., State Bank of India and its associate banks and nationalised banks) and RRBs are governed by the respective statutes, such as State Bank of India Act, 1955; State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959; Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 and RRB Act, 1976 respectively.

15. The resolution of co-operative banks (StCBs, DCCBs and UCBs) are governed by provisions of Banking Regulation Act (As Applicable to Co-operative Societies), 1949, the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002 and respective State Co-operative Societies Acts. Further, NBFCs and entities like the financial market infrastructures are governed by the provisions contained in the Reserve Bank of India Act, 1934 and the Companies Act, 1956. This makes the framework complex and confusing. The heterogeneity of the Indian banking sector and separate statutes governing the resolution/insolvency of the entities poses an immense challenge in having a single and special resolution regime within the existing legal framework. There is a need to develop a comprehensive legal framework for resolution that covers all diverse financial institutions.

16. Second issue pertains to tools for resolution. The generally available resolution tools and options for banks in India are reconstruction, merger and amalgamation (both voluntary and compulsory) and winding up (both voluntary and compulsory) or liquidation. It is possible to carry out a bridge bank type of resolution under provisions of Banking Regulation Act, 1949 in respect of private sector banks and branches of

foreign banks. However, it has not been applied so far. The stages in bank resolution process in India comprise imposition of moratorium and amalgamation and winding up/liquidation. The Indian experience in bank resolution tools is limited and mostly confined to either voluntary or compulsory merger or amalgamation of banks.

17. Considering the objective of introduction of bail-in within resolution, while the objective of gone-concern resolution tools (such as private sector purchase transaction and bridge bank powers) is to ensure an orderly closure of a failed financial institution, the objective of bail-in is primarily to restore the viability of a distressed financial institution and prevent insolvency-related runs or any other resolution actions on the institution. Bail-in power needs to be considered as an additional and complementary tool for the resolution of SIFIs.

18. Considering that the resolution regime should not be viewed as a 'no-failure' or 'no-closure' regime, for carrying out orderly resolution of failing banks, NBFCs and FMIs without any taxpayer support, the resolution authority should have a range of resolution tools, such as, private sector purchase tool; bridge bank tool; good-bank and bad-bank tool; bail-in within resolution; bank insolvency procedure/liquidation, etc. which can be used flexibly, either alternatively or complementarily, to preserve the viability of a financial institution's systemically important functions.

19. Third issue is cross-border bank resolution. Differences in laws and regulatory frameworks across countries makes resolution difficult, inadequate and costly. Hence, there is a need to move towards a more harmonized legal and regulatory framework across jurisdictions. Though the presence of cross-border banks is relatively small in India, as the world economy recovers and global trade and financial transactions grow, India will increasingly be exposed to cross-border risks. Hence, steps should be identified to make failure resolution both fast and effective. It is necessary to strengthen relations with foreign supervisory authorities, intensify information sharing, and consider ways to develop a consensus on resolving a failing global institution.

20. A related issue is the appropriate framework for operations of foreign banks in India. It is being thought whether India would require compulsory local incorporation of foreign banks. The organizational structure for cross-border banking groups differs across the world and reflects the diversity of their business models and the varying stages of financial development of different countries. Under a branch mode, it may be difficult to determine the assets that would be available in the event of the failure of the foreign bank to satisfy local creditors' claims and the local liabilities that can be attributed to the branch. The subsidiary framework provides greater regulatory control and comfort to the host jurisdictions, apart from easing the resolution process. In crisis situations, the distinction between the branch and the rest of the bank, and the legal location of assets and liabilities can be really important.

21. The fourth challenge pertains to regulation of SIFIs that have a large presence in many countries and also encompass a huge non-banking sector[2]. There is a need to think on the appropriateness of "systemic surcharges" that require SIFIs to hold additional capital. While such higher capital will impose additional costs on the firms, the benefits by way of stronger balance sheets that are able to withstand sharp financial shocks are expected to outweigh the costs. Similarly, we need to develop an effective resolution regime for non-bank financial institutions. Setting up new risk management and supervisory standards for

2 'Bank Resolution Framework: Challenges in the Indian Context', Inaugural address by Dr. Duvvuri Subbarao, Governor, Reserve Bank of India at the IADI-DICGC International Conference, November 2011

large and complex institutions is a huge task; their implementation will be even more demanding. The emergence of large complex financial institutions and groups that straddle both banking and non-banking space makes the integration of such supervisory and resolution frameworks imperative. This effort will require considerable time, resources, expertise and approach that incorporates a system-wide analysis of risks.

22. India does not, at present, have any of the Globally Systemically Important Banks (G-SIBs) included in the list of 28 G-SIBs by the FSB. However, there are banks and other types of financial intermediaries which may not be significant from an international perspective, but could still have a larger impact on domestic financial system and economy as compared to non-systemic institutions. Recognising the importance of such entities, the FSB and the standard setting bodies are extending the G-SIB framework to domestic SIFIs, in respective areas. For the banking system, the FSB and Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) have finalised a principles-based, minimum framework for addressing domestic systemically important banks (D-SIBs). According to FSB's proposed timelines, the national authorities should begin to apply requirements to banks identified as D-SIBs in line with the phase-in arrangements for the G-SIB framework, i.e., from January 2016.

23. In India many banks have grown and expanded to become 'financial conglomerates' (FCs) offering different financial products in different markets. These can be construed as 'domestic SIFIs'. This poses two challenges from a regulatory perspective - absence of adequate legal framework and limited inter-regulatory co-operation framework. The Reserve Bank has instituted a system of close and continuous supervision of large and systemically important banking groups. The Reserve Bank has also adopted forward-looking approach by carrying out stress tests under various scenarios as part of its half-yearly Financial Stability Report. Increasing the efficiency of resolution within the existing legal and regulatory framework is one of the key responsibilities of the newly created Financial Stability and Development Council (FSDC). An important task will be drawing up resolution plans that explicitly take into consideration information on inter-linkages among institutions.

24. In an important step towards a more effective consolidated supervision of the FCs, the four financial sector regulators in India, *viz*. Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) and Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA), have signed a Memorandum of Understanding (MoU) for cooperation in the field of consolidated supervision and monitoring of FCs. An Inter-Regulatory Forum (IRF) has been constituted by the Sub-Committee of the FSDC to strengthen the monitoring of FCs. The IRF is structured as a college of domestic supervisors by adopting the lead/principal regulator model, with a mandate to carry out two major functions *viz*., developing supervisory cooperation for effective consolidated supervision of FCs and assessing the risk to systemic stability due to activities of the FCs. The IRF, on a special case basis, may identify one or more 'systemically important financial groups' having 'significant/dominant' presence in one financial market segment and a 'major/substantial' presence in one more market segment for the purpose of inclusion in the FC monitoring framework. The respective regulators are in the process of devising the criteria for entities under their jurisdictions, considering various indicators[3].

25. Fifth issue pertains to resolution authority. There is no dedicated resolution authority responsible for overseeing and implementing resolutions of financial institutions as a whole.

3 Report on Trend and Progress of Banking in India 2011-12, Reserve Bank of India

Though the provisions contained in various Acts provide certain resolution powers to the various sectoral regulators as also to Government of India, no authority has been specifically designated for resolution purposes. Further, there are two or more resolution authorities for same class of financial institutions. According to KAs, there should be only one resolution authority for single class of financial institutions. There are no clear roles and responsibilities of all resolution authorities in respect of resolution regime of a group of financial institutions. Further, there is no specific 'Lead Authority' for coordinating the resolution of legal entities within the jurisdiction. Though FSDC and its sub-committee have been institutionalized for inter-regulatory coordination, they are not statutory bodies and thereby lack sufficient legal powers and backing to resolve a group financial institution in real time.

26. Sixth issue relates to role of state governments. There is no designated authority to deal with resolution of UCBs. RBI has power to supersede the Board of Multi-State UCBs, while for UCBs under the State Act, the RBI can request the Registrar of Cooperative Societies (RCS) to supersede the Board and in view of the provisions of the DICGC Act, such a requisition of the Reserve Bank has to be honoured by the RCS. RBI has no power to remove a Chief Executive Officer (CEO) or Directors of UCBs. Only select provisions of the RBI Act, 1934 are applicable to UCBs. Within the existing legal framework, a memorandum of understanding (MoU) has been entered into by RBI with all the State Governments. A Task Force on Cooperative Urban Banks (TAFCUB) has been constituted in all States consisting of representative of Reserve Bank of India (RBI), Government and the Urban Cooperative Banks' Federations with a mandate to find revival path for the viable UCBs and non-disruptive exit for the non-viable entities. The TAFCUB has no statutory backing.

27. Thus, there is no legally laid down resolution authority for UCBs. Resolution is carried out by the RBI or the State Government within the available provisions of the BR Act, i.e., Sec 35 A, Sec 36 etc or the Co-operative Societies Act. Coordination between the authorities is ensured through the forum of TAFCUB constituted after signing of MoU between the RBI and the State Governments / Central Government.

28. Finally, role of deposit insurance is important in resolution. DICGC should have a more proactive role in the supervisory framework to support early identification of bank weaknesses and their effective resolution. DICGC has been functioning only as a pay-box. But in making quick payments to depositors, it is constrained by insufficient information-sharing arrangements regarding depositors. In case of cooperative banks, due to dual control, there are delays in resolving these banks right from the appointment of liquidators, gathering of information about depositors, depositor payouts and recovery of assets. The access to information on risk assessment of banks will enable prompt corrective action and will give DICGC greater ability to address costs as compared to pure pay-box system. It may be noted that deposit insurers adopt a "least cost" approach for resolving a failed institution. This involves closer cooperation and coordination of appropriate actions taken by safety-net participants, *viz*., the government, regulatory bodies, the central bank and the deposit insurer. The deposit insurers with sufficiently broad mandates, with adequate powers, operational independence, and assured sources of contingency funding, have been more effective in building and maintaining public confidence and dealing with financial crises. There will be benefits in granting an extended mandate to the DICGC in resolution of failing banks in terms of faster settlement to depositors, lower costs and speed of resolution with associated benefits for the stability of the financial system. There is a

need to set up a clearly defined insolvency regime and a properly designed resolution process.

FSB Peer Review on Resolution Regimes: Lessons for India

29. The FSB peer review compared progress in meeting the requirements of the KAs among all FSB members. India is one of 24 FSB members and its regime was evaluated together with all other members. A number of areas for reform were identified by the review.

30. First, the current resolution regime focuses exclusively on banks and cooperatives. Insurance and securities firms are resolved through the corporate bankruptcy framework. An important area for reform is to introduce resolution regimes for both insurers and securities firms. The benefits of having a separate resolution framework for such institutions is the speed of resolution and the ability to resolve insurers and securities firms while preserving their critical functions in the market and limiting unwarranted systemic effects of their resolution.

31. Second, power for resolving banks are more limited than in most FSB members and under current legislation, the RBI has the authority to override shareholder rights and temporarily operate a firm. However, the resolution regime lacks a number of critical tools that are common in most FSB members. Specifically, the resolution regime lacks clear powers to (i) transfer/sell assets and liabilities, (ii) establish an asset management company (AMC), (iii) intervene and resolve a financial holding company, (iv) impose a temporary stay on the early termination of financial contracts, and (v) convert credits to equity. These resolution tools are critical both for resolving small and medium sized banks and for addressing failure of large banks and SIFIs.

32. Third, the peer review examined the tools needed for resolving SIFIs. Such tools include (i) the requirement that SIFIs prepare their own resolvability assessments (also called "living wills") that document in some detail the structure and activities of each SIFI and the plans to deal with possible financial problems, and (ii) the power for supervisors to develop their own recovery and resolution plans for each SIFI. In India and several other FSB members, such powers do not exist. The FSB is currently developing guidance for including these powers. Once completed, the guidance could be helpful in formulating legislative reforms in the Indian context.

Working Group Recommendations

33. The Committee on Financial Sector Assessment (CFSA) as also some earlier Committees had recommended that DICGC needs to be involved in the process of bank resolution in a pro-active manner. In this context, a Working Group was constituted to revisit the legal changes that might be required for amendments to DICGC Act for the purpose. The Group submitted its Report in June 2012. Its recommendations on various aspects, if implemented, could bring about much needed reforms in the deposit insurance system in India. The proposals aimed at improving functioning of DICGC comprise introduction of risk-adjusted premium for deposit insurance; enhancing the statutory ceiling on deposit insurance premium to 30 paise; pro-rata sharing of recoveries; making it binding on the liquidator to refund the undisbursed amount to the DICGC within a stipulated period; and consultation by RBI with DICGC before granting license to a bank. The proposals aimed at improving financial strength of DICGC consist of enhancement in authorized capital of DICGC from ₹500 million to ₹10 billion; income tax exemption to DICGC; unlimited liquidity support from the Reserve Bank to meet contingencies; making an enabling provision in DICGC Act for collection of advance premium for period beyond a half-year period; and revision in the scope of investment of DICGC's funds.

34. The proposals directed at expansion in the scope of functioning of DICGC include, adoption of a proper bank resolution framework for all categories of banks that employs most appropriate resolution technique based on the 'least cost' criteria and to have a uniform procedure for resolution of banking business of all categories of banks; winding-up of co-operative banks without the intervention of the authorities under the co-operative societies' Acts by RBI directly by authorizing DICGC to appoint liquidator for co-operative banks; extended role of DICGC in bank resolution with participation in framework for early detection, timely intervention and resolution of troubled banks; powers to minimise resolution costs and disruption of markets and maximise recoveries on assets; sharing of information between RBI and DICGC; and suitable requisite amendments in various Acts such as DICGC Act, State Co-operative Societies Acts and Multi State Co-operative Societies Act.

35. The proposals concerning the improvements in depositor protection consist of appropriate enhancement in coverage level; expediting settlement of claims by setting up advanced IT systems and developing interface with banks to have a single customer view of depositors; legal empowerment of DICGC to make interim payments in advance at least in cases where set off is not involved as also review of set-off; and spreading public awareness on deposit insurance. Finally, recommendations on organizational issues comprise granting autonomy to DICGC; formation of an Appellate Authority within DICGC to look into disputes; and other organisational changes. DICGC has prepared an action plan based on these recommendations and forwarded it to Government for consideration and implementation.

FSLRC's Recommendations on Resolution

36. Financial Sector Legislative Reforms Commission (FSLRC) set up by Government to rewrite and harmonise financial sector legislations has submitted its report in March 2013. The Commission has drafted a new law, named Indian Financial Code. In particular, the recommendations of FSLRC relating to deposit insurance and resolution framework have direct relevance for DICGC.

37. The Commission has suggested setting up of a specialized 'resolution corporation', which would watch all financial firms that have made intense promises to households, and intervene when the net worth of such a firm is near zero (but not yet negative). It would force the closure or sale of the financial firm, and protect small consumers either by transferring them to a solvent firm or by paying them. A serious gap in the Indian financial system exists in that DICGC is not a resolution corporation; it deals only with banks; and is otherwise unable to play a role in the late days of a financial firm. Lacking a formal resolution corporation, the problems of failing private financial firms will be placed upon customers, tax payers, and the shareholders of public sector financial firms.

38. Drawing on international best practices, the Commission has recommended a unified resolution corporation that will deal with an array of financial firms such as banks and insurance companies; it will not just be a bank deposit insurance corporation. The corporation will concern itself with all financial firms such as banks, insurance companies, defined benefit pension funds, and payment systems. The corporation will also take responsibility for the resolution of systemically important financial firms. The defining feature of the resolution corporation will be its speed of action. A sophisticated legal apparatus has been recommended by the Commission, for a resolution corporation that will act swiftly to stop weak financial firms while they are still solvent. The resolution corporation will choose between

the many tools through which the interests of consumers are protected, such as sales, assisted sales, mergers and other arrangements.

Working Group on Resolution Regimes for Financial Institutions

39. In January 2013, RBI constituted a Working Group (Chairperson: Shri Anand Sinha) to examine the existing resolution regime / framework for the entire financial sector as a whole, identify the current gaps in the national resolution regime/ framework *vis-à-vis* the FSB Key Attributes and make recommendations for framing a comprehensive resolution regime in the country for all types of financial institutions. The broad terms of reference of the group include: examining the existing resolution regime / framework for the entire financial sector as a whole as also the current resolution tools and powers vested with the respective regulators of financial institutions / Government of India; identifying the current gaps in the national resolution regime / framework *vis-à-vis* the FSB Key Attributes; studying the resolution regimes / framework instituted / implemented by major jurisdictions; recommending changes in the legal framework to facilitate the required resolution regime including cross border resolution; making recommendations about the next steps to be taken in this regard along with anticipated timelines; and any other matter germane to the issue.

Conclusion

40. An effective bank resolution framework is necessary for a healthy and efficient financial system. India has substantially responded to the identified needs and gaps and has initiated a reform process to build up a credible bank resolution framework with expectations of fructification sooner than later.

References:

1. Thematic Review on Resolution Regimes: Peer Review Report, Financial Stability Board, April 2013.
2. Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, Financial Stability Board, October 2011.
3. Reserve Bank Governor's Presentation to the FSLRC, April 2012.
4. Report of the Working Group on Reforms in Deposit Insurance, including Amendments to DICGC Act, 1961, June 2012.
5. Bank Resolution Framework: Challenges in the Indian Context, Inaugural address by Dr. Duvvuri Subbarao, Governor, Reserve Bank of India at the IADI-DICGC International Conference, November 2011.
6. Report of the Financial Sector Legislative Reforms Commission, March 2013.

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE WORKING OF THE DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2013

(Submitted in terms of section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)

PART I: OPERATIONS AND WORKING

1.1 REGISTRATION / DE-REGISTRATION OF INSURED BANKS

The number of registered insured banks as on March 31, 2013 stood at 2,167 comprising 89 commercial banks, 67 regional rural banks (RRBs), 4 local area banks (LABs) and 2,007 co-operative banks. Year–wise particulars showing the number of registered banks since inception of the deposit insurance scheme in 1962 are furnished in ***Annex I*** and category-wise and state-wise particulars of co-operative banks are given in ***Annex II.*** During the year 2012-13, 2 commercial banks and 10 RRBs were registered as insured banks and 25 RRBs and 19 co-operative banks were deregistered, the details of which are furnished in ***Annex III.***

1.2 EXTENSION OF DEPOSIT INSURANCE SCHEME

At present, the deposit insurance provided by the Corporation covers all commercial banks, including LABs and RRBs and co-operative banks in all the States and Union Territories (UTs). However, UTs of Lakshadweep and Dadra Nagar Haveli do not have any co-operative bank.

1.3 INSURED DEPOSITS

The number of accounts and the amount of deposits insured by Corporation as also the extent of protection accorded to depositors at the end of 2011-12 and 2012-13 are furnished in Table 1.

The extent of protection accorded to depositors since the introduction of deposit insurance and bank group-wise break-up for last three years are furnished in ***Annex IV and V***, respectively. Extent of protection accorded to the depositors over the years is shown in Chart 1. The current level of insurance cover at ₹1,00,000 works out to 1.45 times per capita income as on March 31, 2013.

1.4 DEPOSIT INURANCE PREMIUM

1.4.1 The Bank category wise break up of premium (including interest on overdue premium) collected from insured banks during 2011-12 and 2012-13 is

Table 1: Insured Deposits*

Particulars		As at the end of	
		2012-13	2011-12
1	Total No. of Accounts (in million)	1,481.75	1,073.00
2	Fully Protected Accounts (in million)	1,393.08	996.00
3	Percentage of 2 to 1	94.0	92.8
4	Assessable Deposits (₹ in billion)	66,210.60	57,674.00
5	Insured Deposits (₹ in billion)	21,583.65	19,043.00
6	Percentage of 5 to 4	32.6	33.0

*Based on returns as on last working day of September of the previous year.

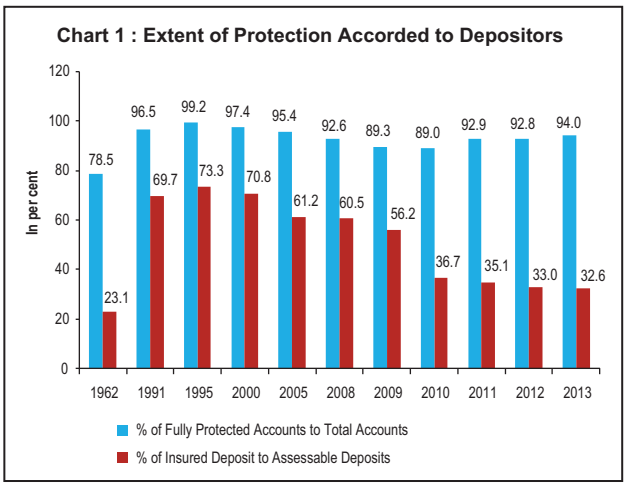

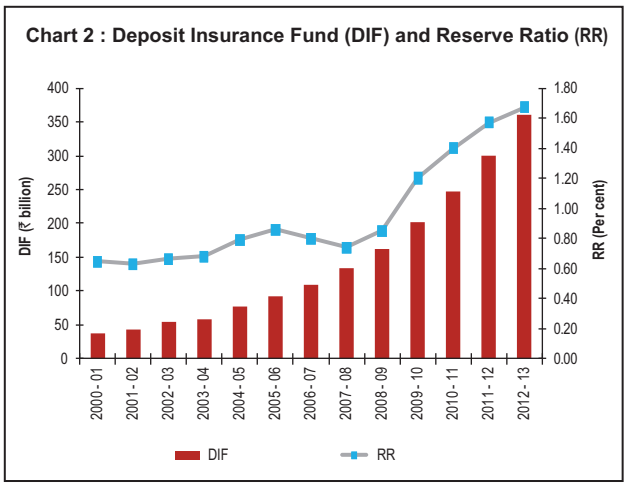

presented in Table 2. Premium received (excluding service tax) from banks increased by 1.4 per cent during the year.

Table 2: Premium Received

(₹ million)

Year	Commercial Banks including LABs & RRBs	Co-operative Banks	Total
2012-13	53,019	4,163	57,182
2011-12	52,591	3,807	56,397

1.4.2 PENAL INTEREST ON DELAYED PREMIUM

In terms of Section 15(3) of DICGC Act,1961, if any insured bank makes default in payment of any amount of premium, it shall for the period of such default, be liable to pay to the Corporation interest on such amount at such rate not exceeding eight per cent over and above the Bank Rate, as may be prescribed. Further, in terms of Section 20 of the DICGC General Regulations, 1961, the rate of interest is fixed at 8 per cent above the Bank Rate. During the year 2012-13, the Bank Rate was revised downwards from 9.5 per cent to 9.00 per cent on April 19, 2012 and further to 8.50 per cent on March 20, 2013, respectively. Accordingly, the penal rate of interest was revised downward to 17.00 per cent and 16.50 per cent during the year.

1.5 DEPOSIT INSURANCE FUND

The Deposit Insurance Fund (DIF) is sourced out of the premium paid by the insured banks and the coupon income received from (and reinvested in) the Central Government securities. There is also an inflow of small amounts into this fund out of the recoveries made by the liquidators/ administrators / transferee banks. Thus, the Corporation builds up its DIF through transfer of excess of income over expenditure each year. This fund is used for settlement of claims of depositors of banks taken into liquidation / reconstruction / amalgamation, *etc*. The size of DIF stood at ₹361,203 million including surplus of ₹308,554 million as on March 31, 2013 (up from ₹300,930 million as on March 31, 2012) implying a Reserve Ratio (ratio of Deposit Insurance Fund to Insured Deposits) of 1.7 per cent. Trend in reserve ratio since 2000-01 is furnished in Chart 2.

1.6 SETTLEMENT OF DEPOSIT INSURANCE CLAIMS

During the year 2012-13, the Corporation settled aggregate claims for ₹1,998 million in respect of 63 co-operative banks (15 main claims and 154 supplementary claims) as detailed in ***Annex VI***. There was no claim from commercial banks.

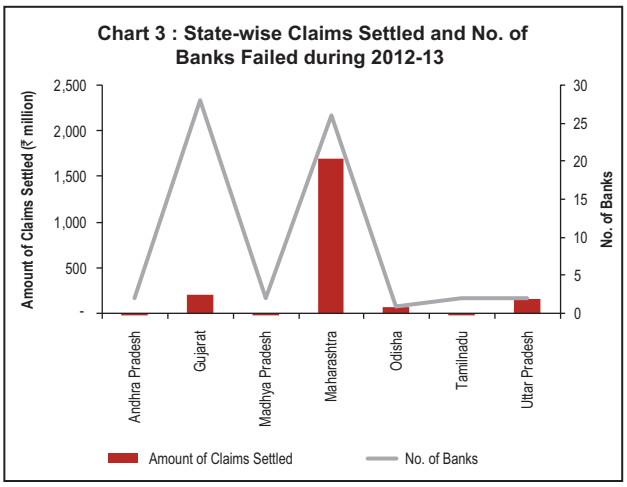

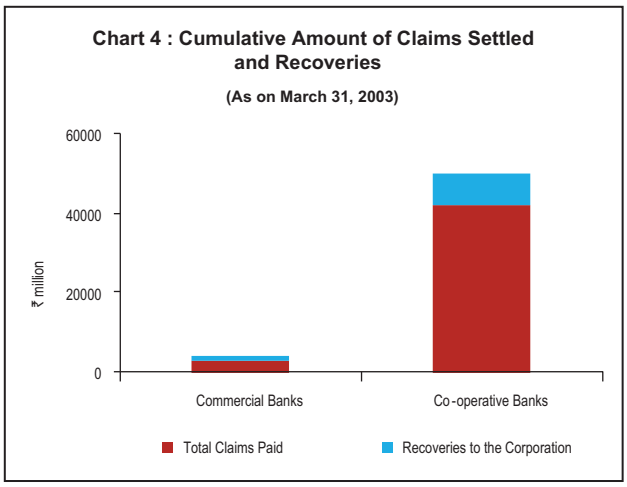

State-wise number of failed banks along with the amount of claims settled for the year 2012-13 is furnished in Chart 3. Majority of the claims were from banks in Gujarat and Maharashtra.

A provision of ₹10,041 million was held towards the estimated claim liability in respect of depositors of 195 banks which are under amalgamation / liquidation and whose licence / application for licence to carry on banking business has been cancelled / rejected by Reserve Bank of India.

During the year 2012-13, the Corporation made efforts to settle claims that were pending for a long time. The total number of pending claims (where an order for liquidation has been issued but the liquidator has not submitted claim list to the Corporation) has come down from 32 as on March 31, 2012 to 25 as on March 31, 2013; showing about 19 per cent decline during the year.

During the year, the Corporation has reversed the provision for Belgaum Catholic Co-operative Bank Ltd., which was merged with Pune People's Co-operative Bank Ltd. The age-wise break-up of banks under liquidation where the liquidators are yet to submit the claim lists to the Corporation is given in Table 3.

The average period for settlement of claims decreased considerably from 52 days during 2011-12 to 27 days during 2012-13.

Table 4: Average Period for Settlement of Claims

Financial Year	Average Number of Days for Claim Settlement
2012-13	27
2011-12	52
2010-11	49
2009-10	54
2008-09	43

Table 3: Position of Period-wise Break-up of Pending Claims

Pending Claims	Period-wise break-up				
	More than 10 years	5-10 years	1-5 years	Less than 1 year	Total number of Claims
As on March 2013	7	5*	9	4	25
As on March 2012	1	10	12	9	32

*One bank has been converted into a co-operative society.

1.7 CLAIMS SETTLED / REPAYMENTS RECEIVED (CUMULATIVE POSITION)

Up to March 31, 2013, a cumulative amount of ₹2,959 million was paid and provided towards claims in respect of 27 commercial banks since the inception of deposit insurance (Chart 4). Cumulative repayment received in case of commercial banks from the liquidators / transferee banks aggregated ₹1,480 million (including ₹89 million received during 2012-13).

The cumulative amount of claims paid/ provided for in respect of 317 co-operative banks since inception amounted to ₹42,086 million (including ₹1,998 million paid during the year 2012-13). In the case of co-operative banks, cumulative repayments received from the liquidators / transferee banks aggregated ₹8,402 million (including ₹2,042 million received during the year 2012-13). The particulars of banks in respect of which claims have been paid / provided for and repayments received / written off till March 31, 2013 are furnished in ***Annex VII***.

The details of banks for which provision for settlement of claims as on March 31, 2013 has been made are presented in ***Annex VIII.*** Number of liquidated banks along with the amount of claims settled from 1999 onwards is shown in Chart 5.

1.8 COURT CASES

As on March 31, 2013, the number of court cases relating to deposit insurance activity of the Corporation, pending in various courts stood at 193 as against 188 cases as on March 31, 2012. Out of 193 cases, 32 were filed by the Corporation and 161 were filed against the Corporation. Court-wise break-up of cases is given in Chart 6.

There has been substantial increase in the number of court cases since the year 2001-02. The number of such cases has gone up from 10 as on March 31, 2002 to 193 as on March 31, 2013 (Table 5). This has been on account of a large number of banks being placed under liquidation or directions under Section 35A of the Banking

Chart 5 : Payouts and Number of Liquidated Banks

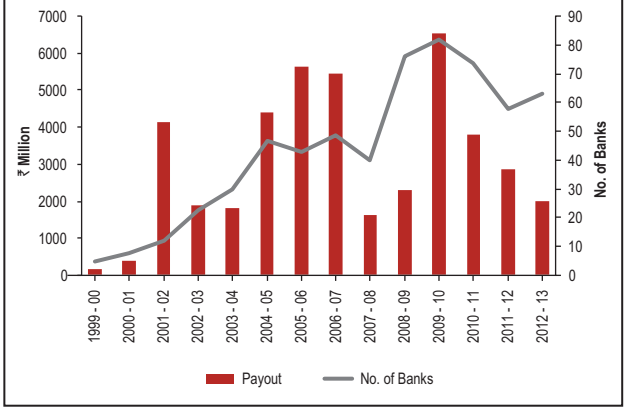

Chart 6: Court-wise Break-up of Cases (As on March 31, 2013)

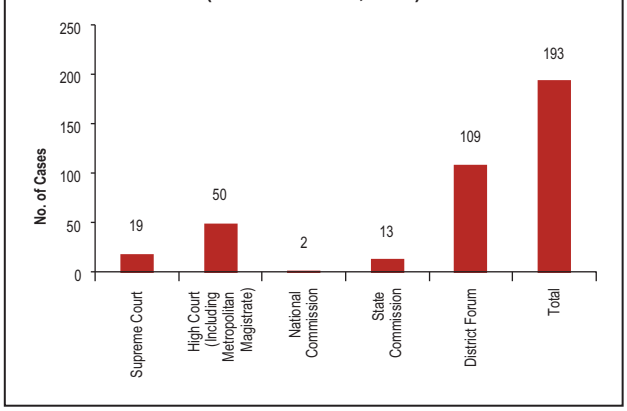

Table 5: Number of Court-Cases

As at end-March	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
No. of Cases	193	188	201	174	122	124	128	126	126	89	66

Regulation Act, 1949 by Reserve Bank of India, resulting in restrictions on the withdrawal of deposits. Aggrieved by non-payment of deposits, depositors approach Consumer Courts and implead the Corporation as one of the respondents. Sometimes, such cases have been filed before liquidation of the banks or submission of claim list by the liquidators in which the Corporation is not liable to pay any amount to the depositors. The issues raised in the cases mainly relate to demand for payment of amounts in excess of maximum permissible limit or those inadmissible under DICGC Act, 1961, dispute over Corporation's preferential right of repayment in terms of Section 21 of DICGC Act 1961 read with Regulation 22 of DICGC General Regulations, 1961, payment of claims when a bank is placed under direction, *etc.*

1.9 CREDIT GUARANTEE SCHEMES

As on March 31, 2013, no credit institution was participating in any of the Credit Guarantee Schemes of the Corporation and no claim was received during the year 2012-13. Subsequent to 2003-04, no guarantee fees on guarantee claims have been received and no claims have been paid (***Annex IX***).

By virtue of Corporation's subrogation rights, recoveries received under the Small Loans Guarantee Scheme, 1971 (SLGS 1971) during 2012-13 aggregated ₹0.9 million as against ₹2.2 million received during the previous year. The recoveries under the Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981 (SL(SSI)GS 1981) aggregated ₹0.8 million as against ₹1.00 million received during the previous year.

PART II: RECENT POLICY INITIATIVES

2.1 EXPEDITIOUS SETTLEMENT OF DEPOSIT INSURANCE CLAIMS

The Corporation has been adhering to the statutory requirement of settling deposit insurance claims within two months of submission of claim list by liquidators. However, it has been observed that in certain cases, at times, the liquidators had not submitted the claim list for a long period, although the stipulated period for submission of claims is three months in terms of Section 17(1) of DICGC Act, 1961. The Corporation therefore prescribed comprehensive guidelines to expedite the settlement of old claims. In addition, the Corporation sought the co-operation of the appropriate authorities as a result of which the number of pending claims has been reduced considerably from 32 as on March 31, 2012 to 25 as on March 31, 2013.

2.2 DIRECT PAYMENT TO DEPOSITORS THROUGH "AGENCY ARRANGEMENTS" WITH PUBLIC SECTOR BANKS

The Corporation has been paying the claims of the depositors through liquidators. Based on the feedback and suggestions from several consumer protection fora and in the interest of depositors, the Corporation has reviewed the manner of payment to the depositors. In pursuance of its policy of providing depositors of banks under liquidation, prompt access to their insured funds and in accordance with its e-governance policy, it has been decided to make payment to the depositors directly through "agency arrangements" with a few public sector banks. Under the Scheme, the payments will be made by the agency banks through combination of the following two scenarios to ensure 100 per cent coverage of the depositors:

i. Direct remittance through core banking system (CBS) for those who hold accounts with the bank.

ii. Remittance through national electronic fund transfer (NEFT) for those who hold account with other banks.

The liquidator would continue to provide support to the Corporation by preparing the claim

list capturing all the information necessary for electronic payment of the deposit amount. The scheme has been implemented on pilot basis in respect of 2 banks in Maharashtra and one bank in Gujarat during 2012-13 and will be extended to other states in due course.

2.3 SUBMISSION OF SUPPLEMENTARY CLAIMS - "SUNSET" CLAUSE

Prior to April 2007, the joint accounts (AB & BA) in a bank under liquidation were aggregated as one account held "in the same capacity and in the same right" and the claim amount was settled by the DICGC subject to the limit (₹0.1 million) as prescribed in Section 16(1) of the DICGC Act, 1961. With effect from April 26, 2007, these joint accounts were treated as held in "different capacity and different right" and claim amounts were settled treating each account as a separate account. Additional claims arising on account of the revised guidelines as submitted by the liquidators of banks in the form of supplementary claims were settled by the Corporation from time to time. Subsequently, the benefits were also extended to banks taken up for liquidation prior to April 26, 2007.

On a review of its guidelines on settlement of supplementary claims, it was decided to introduce a "Sunset" clause in terms of which the liquidators would be allowed to submit the supplementary claims in respect of joint accounts held on AB / BA basis in co-operative banks taken up for liquidation prior to April 26, 2007 up to March 31, 2013 and that no supplementary claims submitted after the deadline would be considered by the Corporation. The Press Release in this regard was placed on the website of the Corporation and Reserve Bank of India and was published in the Business Standard in February 2013 as news item and as an advertisement in February 2013 in the leading newspapers.

2.4 MEETINGS WITH THE PRINCIPAL SECRETARY (COOPERATION) AND RCS OF STATE GOVERNMENTS AND WORKSHOP FOR LIQUIDATORS

During the year under review, high level meetings were arranged between Executive Director of the Corporation, Executive Director-in-Charge of Urban Banks Department, Reserve Bank of India and Principal Secretary, Cooperation / Registrars of Cooperative Societies of five states, *viz.*, Karnataka, Andhra Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra, which cover majority of liquidated urban co-operative banks where Corporation has settled the claims of depositors. During these meetings, important issues such as non-refund of undisbursed amount, non-submission / delayed submission of statements/ returns to the Corporation, slow progress in liquidation process and non-repayment of Corporation's share in recoveries by the liquidated urban co-operative banks were discussed.

Along with the high level meetings, workshops were also organised for liquidators of banks in these states to sensitise them regarding importance of timely submission of returns/statements to enable the Corporation to monitor the liquidation process. Liquidators were also impressed upon for refund of undisbursed amount within stipulated time schedule and timely repayment of dues of the Corporation out of recoveries made by them during liquidation process.

2.5 CREDIT GUARANTEE SCHEME FOR EDUCATIONAL LOANS

In pursuance of the announcement in the Union Budget 2012-13, DICGC was advised by Ministry of finance, Government of India in August 2012 to operate / implement Credit Guarantee

Scheme for educational loans and vocational courses / skill development loans. The Corporation has tied up with National Institute of Bank Management, Pune to undertake a study of banks and frame a viable Credit Guarantee Scheme for the educational loans and vocational courses/skill developmental loans extended by the banks. The draft scheme is nearing completion and will be finalised by the Corporation shortly.

PART III: STATEMENT OF ACCOUNTS[4]

3.1. INSURANCE LIABILITIES

(a) During the year 2012-13, an amount of ₹1,997.67 million (₹2,873.12 million in previous year) was paid towards insurance claims indicating a decline of 30.57 per cent. The ascertained liabilities towards deposit insurance claims outstanding as on March 31, 2013, have been estimated at ₹9,053.29 million (₹6,885.46 million as on March 31, 2012), indicating an increase of 22.61 per cent.

(b) The **Balance of Fund (*i.e.*, actuarial liability)** as at the end of the year under review stood at ₹52,649.60 million (₹47,677.60 million) as per assessment by approved Actuaries M/s. K. A. Pandit & Co.

(c) There is no likely claim liability in respect of the Credit Guarantee Fund.

3.2. REVENUE DURING THE YEAR

(a) The pre-tax **revenue surplus in the DIF** during the year 2012-13 increased by ₹26,255.81 million from ₹60,009.43 million to ₹86,265.24 million, *i.e.*, by 43.75 per cent. This was mainly on account of increase in premium income by ₹3,466.61 million, increase in income from investments by ₹4,150.72 million, decrease in net actuarial liability charged to revenue by ₹4,969.60 million, write back of depreciation on investments by ₹13,422.71 million and increase in recovery by ₹1,310.28 million, which was offset by increase in net claims by ₹630.92 million and decrease in interest on IT refund by ₹433.17 million.

(b) The pre-tax **revenue surplus in the Credit Guarantee Fund (CGF)** during 2012-13 increased by ₹ 197.38 million, *i.e.*, by 113.94 per cent over the previous year from ₹173.23 million to ₹370.61 million. This was mainly on account of increase in income from investments by ₹16.27 million and write back of depreciation on investments by ₹185.58 million offset by a decrease in interest on IT refund by ₹2.90 million.

(c) The pre-tax **revenue surplus in General Fund (GF)** for the year under review was substantially higher at ₹397.89 million as against revenue surplus of ₹0.63 million in the previous year. This was mainly on account of increase in income from investments by ₹115.77 million, decrease in staff cost by ₹4.34 million and write back of depreciation on investments by ₹276.60 million.

3.3. ACCUMULATED SURPLUS

As on March 31, 2013, the accumulated surpluses/reserves (post tax) in the DIF, CGF and GF stood at ₹308,553.81 million (₹253,252.71 million), ₹3,250.95 million (₹3,000.61 million), and ₹4,573.30 million (₹4,303.15 million), respectively.

3.4. INVESTMENTS

The book (at cost) value of investments of the three Funds, *viz.*, DIF, CGF and GF stood at ₹374,992.06 million (₹320,203.69 million),

4 Figures in bracket pertain to the previous year.

₹3,941.86 million (₹3,803.97 million) and ₹5,455.01 million (₹5,410.09 million), respectively, as at the end of year. The accumulated depreciation in the value of dated securities in the above three funds stood at ₹5,226.96 million (₹13,662.60 million); ₹406.56 million (₹495.20 million) and ₹466.78 million (₹631.50 million), respectively as on March 31, 2013. The investment reserve has come down on account of write back of depreciation on investments.

3.5. TAXATION

3.5.1 INCOME TAX

As on March 31, 2013, the accumulated balance in advance income tax account in respect of DIF, CGF and GF stood at ₹90,152.58 million (₹60,525.01 million), ₹447 million (₹303.70 million) and ₹364.19 million (₹209.46 million), respectively. The accumulated balance in provision for taxation account in the DIF, CGF and GF stood at ₹80,640.13 million (₹52,647.06 million), ₹551.68 million (₹431.41million) and ₹184.57 million (₹57.36 million), respectively, as on that date.

3.5.2 SERVICE TAX

Government of India imposed service tax on the Corporation from September 2011 onwards in respect of the premium collected by it. The Corporation made a representation to the Government, submitting that service tax is not leviable on DICGC. In this connection, the final clarification was received in March 2012, to the effect that the Corporation is liable to paying service tax. Accordingly, service tax registration was obtained and the Corporation started paying service tax for the premium due from October 1, 2011. The service tax refundable account represents the excess service tax paid to the Government. The total refundable amount stood at ₹357.41 million comprising ₹139.03 million in 2012-13 and ₹218.38 million in 2011-12.

PART IV: TREASURY OPERATIONS

4.1 In terms of Section 25 of the DICGC Act, 1961, the Corporation invests its surplus in the Central Government Securities. The overall size of the investment portfolio of the Corporation stood at ₹384.39 billion as on March 31, 2013 representing an increase of ₹54.97 billion (16.69 per cent) over the previous year. The portfolio generated coupon yield of 7.99 per cent during the year. After adjusting the depreciation on investment, the time weighted average return of the portfolio stood at 11.96 per cent for the year 2012-13.

4.2 The Central Government securities are valued at model prices published by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA). While the appreciation is ignored, the depreciation is being fully provided for and booked under the Investment Reserve (IR). As on March 31, 2013, the balance in IR was ₹6.10 billion. Further, the Corporation maintains the Investment Fluctuation Reserve (IFR) as a cushion against market risk. As on March 31, 2013, the amount maintained in IFR was ₹15.12 billion against the market risk of ₹14.78 billion (calculated under Standardised Duration method). The Modified Duration of the portfolio was 5.99 as on March 31, 2013.

PART V: ORGANISATIONAL MATTERS

5.1. BOARD OF DIRECTORS

The general superintendence, direction and the management of the affairs and business of the Corporation vest in a Board of Directors which exercises all powers and does all acts and things which may be exercised or done by the Corporation.

5.1.1 In terms of Regulation 6 of the DICGC General Regulations, 1961, the Board of Directors of the Corporation is required to meet ordinarily once in a quarter. During the year ended March 31, 2013, four meetings of the Board were held.

5.1.2 NOMINATION / RETIREMENT OF DIRECTORS

Consequent to the completion of the term of Dr. Subir Gokarn as Deputy Governor, Reserve Bank of India, Dr. Urjit Patel, Deputy Governor, Reserve Bank of India was nominated as Chairman of the Board of the Corporation on January 18, 2013 under Section 6(1)(a) of the DICGC Act 1961. Shri Jasbir Singh, Executive Director, DICGC, was appointed as Director on the Board of Corporation on September 21, 2012 under Section 6(1)(b) of the DICGC Act 1961 in place of Shri G. Gopalakrishna, Executive Director.

5.2 AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD

The Audit Committee of Board was reconstituted as follows:

1. Shri Kamlesh Vikamsey	Chairman
2. Dr. Prakash Bakshi	Director
3. Dr. Shashank Saksena	GOI nominee Director
4. Shri B. L. Patwardhan	Director
5. Shri Jasbir Singh	Director

During the year ended March 31, 2013, four meetings of the Audit Committee of the Board were held.

5.2.1 IT Committee

A Board-level sub-committee to guide on the information technology (IT) related issues was constituted in December 2011. The composition of the same at present is as under:

1. Prof. G. Sivakumar	Chairman
2. Shri Kamlesh Vikamsey	Member
3. Shri G. Gopalakrishna	Member
4. Shri Jasbir Singh	Member
5. Dr. A. S. Ramasastri	Invitee

During the year ended March 31, 2013, four meetings of the IT Committee were held.

5.3 INTERNAL CONTROLS

5.3.1 BUDGETARY CONTROL

The Corporation has devised a system of exercising control over revenue and expenditure under its three Funds *viz*., DIF, CGF and GF. The yearly budget for the expenditure under DIF and GF are prepared by the Corporation, based on various parameters, *viz*., cancellation of licence / liquidation of insured banks, staff and establishment related payments, etc. The budget is approved by the Board before commencement of each accounting year. Estimates of receipts under the three funds, *viz*., premium receipts, recoveries and investment income are also included in the budget. The budgeted expenditure and receipts *vis-a-vis* actual expenditure / receipt are reviewed at quarterly interval.

5.3.2 MANAGEMENT AUDIT AND SYSTEMS INSPECTION BY RESERVE BANK OF INDIA

Management Audit and Systems Inspection, 2011 was conducted by Inspection Department of Reserve Bank of India between January 24 and February 15, 2011. The observations of Inspection Team categorised 3 paragraphs as ‘major’ which have since been complied with. Out of 101 ‘other‘ paragraphs, 99 paragraphs have been complied with.

5.3.3 CONCURRENT AUDIT

The Corporation has been following a system of concurrent audit (on site) of all its operations by a firm of Chartered Accountants since the year 2004-05. The major audit findings together with compliance, are placed before the Audit Committee of the Board.

5.3.4 CONTROL SELF-ASSESSMENT AUDIT (CSAA)

The Corporation has additionally put in place a Control Self-Assessment Audit (CSAA) system (peer review) whereby officers of the Corporation are required to conduct audit of areas with which they are not functionally associated.

5.4 TRAINING AND SKILL ENHANCEMENT

In order to upgrade the skills of human resources, the Corporation deputes its staff to various training programmes, conferences, seminars and workshops. These programmes are mostly conducted by various training establishments of Reserve Bank, reputed training institutes in India as well as abroad, International Association of Deposit Insurers (IADI) and other foreign deposit insurance institutions. During 2012-13, 30 employees comprising 27 officers and 3 class III staff were deputed to Reserve Bank of India's training establishments and external training institutes in India. Nine officers were deputed to participate in trainings / conferences organised by IADI and other foreign deposit insurance institutions. One officer was deputed for Collaborative Management Development Programme arranged by Reserve Bank of India.

5.5 STAFF STRENGTH

The entire staff of the Corporation is on deputation from Reserve Bank of India. The Staff strength of the Corporation as on March 31, 2013 stands at 84 against 88 as on March 31, 2012. Category-wise position of staff is as under :

Of the total staff, 55 per cent were in Class I, 26 per cent in Class III and the remaining 19 per cent in Class IV. Of the total staff, 14.3 per cent belonged to Scheduled Castes and 9.5 per cent belonged to Scheduled Tribes as on March 31, 2013 (Table 6).

Table 6: Category-wise Position of Staff

Category	Number	of which		Percentage (%)	
		SC	ST	SC	ST
1	2	3	4	5	6
Class I	46	6	6	13.0	13.0
Class III	22	2	1	9.0	4.5
Class IV	16	4	1	25.0	6.3
Total	**84**	**12**	**8**	**14.3**	**9.5**

SC: Scheduled Castes. ST: Scheduled Tribes

5.6 THE RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

Government of India enacted the Right to Information Act, 2005 in June 2005. The Act came into effect from October 12, 2005. The Corporation, as a public authority, as defined in the Act, is obliged to provide information to the members of public. During the year 2012-13, a total of 43 requests were resolved including 4 cases under Appellate Authority.

5.7 PROGRESSIVE USE OF HINDI

During the year 2012-13, the Corporation continued with its efforts to promote the use of Hindi in its working. The Corporation ensures compliance of Section 3(3) of the official Languages Implementation Act. The Head Office of the Corporation has been notified under Rule 10(4) of the Official Languages Rules, 1976. The Corporation prepares quarterly progress reports on use of Hindi. The Corporation also organizes 'Hindi Fortnight' every year. Many programmes including competitions were conducted at the time of Hindi fortnight observed in the second fortnight of September 2012. The Official Languages implementation Committee meets regularly once a quarter to monitor and promote the use of Hindi in the day-to-day functioning of the Corporation.

5.8 CUSTOMER CARE CELL IN THE CORPORATION

The Corporation is a public institution and its main function is to settle the claims of depositors of failed insured banks. The Corporation operates a customer care cell for prompt redressal of complaints from the members of public against the Corporation.

5.9 FSB'S PEER REVIEW ON RESOLUTION REGIMES

The Financial Stability Board (FSB) undertook a peer review on resolution regimes with the objective to evaluate FSB jurisdictions' existing resolution regimes and any planned changes to those regimes using Key Attributes (KAs) as a benchmark. The Peer Review Report was released by FSB in April 2013. The peer review found that, while major legislative reforms have taken place in some jurisdictions, implementation of the KAs remains at an early stage. Further work is needed to implement robust resolution regimes, capable of addressing failing institutions, including Systemically Important Financial Institutions (SIFIs). The recommendations of peer review mainly include review and revision of resolution regimes for banks to ensure that resolution powers are consistent with KAs, adopting necessary reforms for adequacy and effectiveness of resolution regimes for Non-Bank Financial Institutions, extending scope of resolution regimes, enhancing mandates and capacity of resolution authorities and empowering supervisory or resolution authorities to require financial institutions to adopt changes to improve their resolvability.

Among others, the resolution regime in India, which is one of the FSB members, was also evaluated and a number of areas for reform were identified. These include introduction of resolution regimes for insurers and securities firms, extended powers to resolution regimes to address failures of banks and SIFIs, SIFI resolution mechanism comprising extended tools and powers for supervisors to develop their own recovery and resolution plans for each SIFI.

5.10 ROLE IN IADI

5.10.1 Shri Jasbir Singh, Executive Director, DICGC attended the Annual General Meeting and Annual Conference of the IADI held in London, UK in October 2012 and meeting of the Executive Council of IADI in Ottawa, Canada in February 2013.

5.10.2 DICGC has been providing support through participation in trainings/workshops being organised by IADI. During 2012-13, support was provided to workshops held at Arlington, VA, USA; Langkawi, Malaysia; Seoul, South Korea; Nairobi, Kenya and Kuala Lumpur, Malaysia.

5.11 IADI-DICGC TECHNICAL SEMINAR ON 'INVESTMENT MANAGEMENT FOR DEPOSIT INSURANCE AGENCIES'

The Corporation hosted an international technical seminar in collaboration with International Association of Deposit Insurers (IADI) on "Investment Management for Deposit Insurance Agencies" from February 20 to 22, 2013 at Mumbai. The theme of the technical seminar had been identified as an important area for upgrading skills of officials of deposit insurance agencies during the 10th Annual Meeting of the Asia Pacific Regional Committee (APRC) of the IADI at Moscow, Russia.

The speakers at the technical seminar included Executive Director, DICGC, Director, DICGC, senior investment-side representatives of deposit insurance agencies from Canada, Japan, Malaysia and Philippines, and private sector

investment and risk-management professionals from India. The seminar was attended by around 35 participants from deposit insurance agencies of 19 countries and senior officials from DICGC. The seminar was divided into five sessions spread over two days.

5.12 AUDITORS

In terms of Section 29(1) of the DICGC Act, 1961, M/s. Sarda & Pareek, Chartered Accountants, Mumbai were re-appointed as Auditors of the Corporation for the financial year 2012-13 with approval of the Reserve Bank.

The Board appreciates the efforts put in by the staff of the Corporation for maintaining its operational efficiency.

For and on behalf of Board of Directors

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION, MUMBAI

(Urjit Patel)
Chairman

Dated: **June 11, 2013**

ANNEX - I

BANKS COVERED UNDER THE DEPOSIT INSURANCE SCHEME: NUMBER

Year/Period	At the beginning of the year/ period	Registered during the year/ period	De-registered during the year/period where Corporation's Liability			At the end of the year/ period (2+3-6)
			was attracted	was not attracted	Total (4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
2012-13	2,199	12	12	32	44	2,167
2011-12	2,217	7	11	14	25	2,199
2010-11	2,249	3	22	13	35	2,217
2009-10	2,307	10	26	42	68	2,249
2008-09	2,356	13	33	29	62	2,307
2007-08	2,392	10	18	28	46	2,356
2006-07	2,531	46	24	161	185	2,392
2005-06	2,547	3	17	2	19	2,531
2004-05	2,595	3	47	4	51	2,547
2003-04	2,629	9	39	4	43	2,595
2002-03	2,715	10	29	7	36	2,629*
2001-02	2,728	15	18	10	28	2,715
2000-01	2,676	62	9	1	10	2,728
1999-2000	2,583	103	8	2	10	2,676
1998-99	2,438	149	4	0	4	2,583
1997-98	2,296	145	1	2	3	2,438
1996-97	2,122	176	1	1	2	2,296
1995-96	2,025	99	1	1	2	2,122
1994-95	1,990	36	0	1	1	2,025
1993-94	1,931	63	1	3	4	1,990
1992-93	1,931	3	2	1	3	1,931
1991-92	1,922	14	2	3	5	1,931
1990-91	1,921	8	5	2	7	1,922
1986 to 1990	1,837	102	8	10	18	1,921
1981 to 1985	1,582	280	8	17	25	1,837
1976 to 1980	611	995	9	15	24	1,582
1971 to 1975	83	544	0	16	16	611
1966 to 1970	109	1	5	22	27	83
1963 to 1965	276	1	7	161	168	109
1962	287	0	2	9	11	276

* Net of 60 banks deregistered in past years, but not reckoned in the respective years.

ANNEX - II

A. INSURED BANKS: CATEGORY-WISE

Year (as at end March)	No. of Insured Banks				
	Commercial Banks	RRBs	LABs	Co-operative Banks	Total
2012-13	89	67	4	2,007	2,167
2011-12	87	82	4	2,026	2,199
2010-11	82	82	4	2,049	2,217

RRBs: Regional Rural Banks LABs: Local Area Banks

B. INSURED CO-OPERATIVE BANKS: STATE WISE
(AS AT END MARCH 2013)

Sr. No.	State / Union Territory	Apex	Central	Primary	Total
1	Andhra Pradesh	1	22	103	126
2	Assam	1	0	8	9
3	Arunachal Pradesh	1	0	0	1
4	Bihar	1	21	3	25
5	Chhattisgarh	1	6	11	18
6	Goa	1	0	6	7
7	Gujarat	1	18	234	253
8	Haryana	1	19	7	27
9	Himachal Pradesh	1	2	5	8
10	Jammu & Kashmir	1	3	4	8
11	Jharkhand	0	8	2	10
12	Karnataka	1	21	266	288
13	Kerala	1	14	60	75
14	Madhya Pradesh	1	38	53	92
15	Maharashtra	1	31	517	549
16	Manipur	1	0	2	3
17	Meghalaya	1	-	3	4
18	Mizoram	1	-	1	2
19	Nagaland	1	-	-	1
20	Orissa	1	17	11	29
21	Punjab	1	20	4	25
22	Rajasthan	1	29	39	69
23	Sikkim	1	0	1	2
24	Tamil Nadu	1	24	129	154
25	Tripura	1	0	1	2
26	Uttar Pradesh	1	50	67	118
27	Uttarakhand	1	10	7	18
28	West Bengal	1	17	46	64
Union Territory					
1	NCT Delhi	1	0	15	16
2	Andaman & Nicobar Islands	1	0	0	1
3	Daman & Diu	0	0	0	0
4	Puducherry	1	0	1	2
5	Chandigarh	1	-	-	1
TOTAL		**31**	**370**	**1,606**	**2,007**

ANNEX - III

BANKS REGISTERED/ DE-REGISTERED DURING THE YEAR 2012-13

Bank Type / State	Sr.No.	Name of the Bank
A. REGISTERED (12)		
Commercial Banks (2)	1	Westpac Banking Corporation, Mumbai
	2	Sumitomo Mitsui Banking Corporation, New Delhi
Co-operative Banks (0)	Nil	
Regional Rural Banks (10)	1	Central Madhya Pradesh Gramin Bank,Madhya Pradesh
	2	Aryavrat Kshetriya Gramin Bank, Uttar Pradesh
	3	Bihar Gramin Bank, Bihar
	4	Kavery Grameena Bank, Karnataka
	5	Madhyanchal Gramin Bank, Madhya Pradesh
	6	Narmada Jhabua Gramin Bank, Madhya Pradesh
	7	Uttarkhand Gramin Bank, Uttarakhand
	8	Utkal Grameen Bank, Odisha
	9	Odisha Gramya Bank, Odisha
	10	Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank, Rajasthan
B. DE-REGISTERED (44)		
Commercial Banks (0)	Nil	
Co-operative Banks (19)		
Andhra Pradesh (2)	1	Ongole Co-op. Bank Ltd., Ongole (Merged with Visakhapatnam Co-op. Bank Ltd., Visakhapatnam)
	2	Sri Balaji Urban Co-op. Bank Ltd., Tirupati (Merged with Visakhapatnam Co-op. Bank Ltd., Visakhapatnam)
Gujarat (5)	1	Shree Bhadran Mercantile Co-op. Bank Ltd., Bhadran
	2	The Khedbrahma Nagarik Sahakari Bank Ltd., Khedbrahma (Merged with Junagadh Commercial Co-op. Bank Ltd.,Junagadh)
	3	The Madhavpura Mercantile Co-op. Bank Ltd., Ahmedabad
	4	The Sachin Industrial Co-op.Bank Ltd.,Surat (Merged with The Sutex Co-op. Bank Ltd.,Surat)
	5	The Borsad Nagrik Sahakari Bank Ltd., Borsad
Maharashtra (10)	1	Krishna Valley co-op. Bank Ltd.,Kupwad,Sangli
	2	The Bhusawal People's Co-op. Bank Ltd.,Bhusawal,Jalgaon
	3	Bhimashankar Nagari Sahakari Bank Ltd.,Ausa, Latur
	4	Premier Automobiles Employees co-op. Bank Ltd.,Kurla
	5	Rajiv Gandhi Sahakari Bank Ltd.,Latur
	6	Amravati Peoples Co-op.Bank Ltd., Amravati (Merged with The Cosmos Co-op. Bank Ltd.,Pune)

ANNEX - III *(Contd.)*

Bank Type / State	Sr.No.	Name of the Bank
	7	Priyadarshini Mahila Co-op.Bank Ltd.,Mumbai (Merged with Mahanagar Co-op.Bank Ltd., Mumbai)
	8	Sant Motiram Maharaj Nagari Sahakari Bank Ltd. (Merged with Deendayal Nagarik Bank Ltd.,Ambajogai)
	9	Swami Samarth Sahakari Bank Ltd.,Akkalkot,Solapur
	10	Abhinav Sahakari Bank Ltd.,Rahuri, Ahmednagar
Orissa (1)	1	Chatrapur Co-op.Bank Ltd., Chatrapur, Odisha
Uttar Pradesh (1)	1	Ghaziabad Urban Co-op. Bank Ltd., Ghaziabad
Regional Rural Banks (25)	1	Satpura Narmada Kshetriya Gramin Bank, Madhya Pradesh (Amalgamated with Vidisha Bhopal Kshetriya Gramin Bank & Mahakaushal Kshetriya Gramin Bank)
	2	Vidisha Bhopal Kshetriya Gramin Bank, Madhya Pradesh (Amalgamated with Satpura Narmada Kshetriya Gramin Bank & Mahakaushal Kshetriya Gramin Bank)
	3	Mahakaushal Kshetriya Gramin Bank, Madhya Pradesh (Amalgamated with Satpura Narmada Kshetriya Gramin Bank & Vidisha Bhopal Kshetriya Gramin Bank)
	4	Aryavrat Gramin Bank, Lucknow (Amalgamated with Kshetriya Kisan Gramin Bank, Manipuri)
	5	Kshetriya Kisan Gramin Bank, Manipuri (Amalgamated with Aryavrat Gramin Bank, Lucknow)
	6	Samastipur Kshetriya Gramin Bank, Samastipur (Amalgamated with Bihar Kshetriya Gramin Bank, Monghyr)
	7	Bihar Kshetriya Gramin Bank, Monghyr (Amalgamated with Samastipur Kshetriya Gramin Bank, Samastipur)
	8	Chikmagalur Kodagu Grameen Bank, Chikmagalur (Amalgamated with Visveshvaraya Grameena Bank & Cauvery Kalpataru Grameena Bank)
	9	Visveshvaraya Grameena Bank, Mandya (Amalgamated with Chikmagalur Kodagu Grameen Bank & Cauvery Kalpataru Grameena Bank)
	10	Cauvery Kalpataru Grameena Bank, Mysore (Amalgamated with Chikmagalur Kodagu Grameen Bank & Visveshvaraya Grameena Bank)
	11	Madhya Bharat Gramin Bank, Saugor (Amalgamated with Sharda Gramin Bank & Rewa Sidhi Gramin Bank)
	12	Sharda Gramin Bank,Satna (Amalgamated with Madhya Bharat Gramin Bank & Rewa Sidhi Gramin Bank)
	13	Rewa Sidhi Gramin Bank,Rewa (Amalgamated with Madhya Bharat Gramin Bank & Sharda Gramin Bank)

ANNEX - III *(Concld.)*

Bank Type / State	Sr.No.	Name of the Bank
	14	Narmada Malwa Gramin Bank,Indore (Amalgamated with Jhabua Dhar Kshetriya Gramin Bank)
	15	Jhabua Dhar Kshetriya Gramin Bank, Jhabua (Amalgamated with Narmada Malwa Gramin Bank)
	16	Uttaranchal Gramin Bank,Dehradun (Amalgamated with Nainital Almora Kshetriya Gramin Bank)
	17	Nainital Almora Kshetriya Gramin Bank, Haldwani (Amalgamated with Uttaranchal Gramin Bank)
	18	Rushikulaya Gramya Bank,Berhampur (Amalgamated with Utkal Gramya Bank)
	19	Utkal Gramya Bank,Bolangir (Amalgamated with Rushikulaya Gramya Bank)
	20	Neelachal Gramya Bank,Bhubaneshwar (Amalgamated with Kalinga Gramya Bank & Baitarni Gramya Bank)
	21	Kalinga Gramya Bank,Cuttack (Amalgamated with Neelachal Gramya Bank & Baitarni Gramya Bank)
	22	Baitarni Gramya Bank, Baripada (Amalgamated with Neelachal Gramya Bank & kalinga Gramya Bank)
	23	Hadoti Kshetriya Gramin Bank, Kota (Amalgamated with Baroda Rajasthan Gramin Bank & Rajasthan Gramin Bank)
	24	Baroda Rajasthan Gramin Bank, Ajmer (Amalgamated with Hadoti Kshetriya Gramin Bank & Rajasthan Gramin Bank)
	25	Rajasthan Gramin Bank, Alwar (Amalgamated with Hadoti Kshetriya Gramin Bank & Baroda Rajasthan Gramin Bank)

ANNEX - IV

DEPOSIT PROTECTION COVERAGE

Year	Fully Protected Accounts (number in millions)*	Total Accounts (number in millions)	Percentage of Fully Protected Accounts to Total Accounts	Insured Deposits* (₹ billion)	Assesable Deposits (₹ billion)	Percentage of Insured Deposits to Total Deposits
1	2	3	4	5	6	7
2012-13	1,393	1,482	94.0	21,584	66,211	32.6
2011-12	996	1,073	92.8	19,043	57,674	33.0
2010-11	977	1,052	92.9	17,358	49,524	35.1
2009-10	1,267	1,424	89.0	16,824	45,880	36.7
2008-09	1,204	1,349	89.3	19,090	33,986	56.2
2007-08	962	1039	92.6	18,051	29,848	60.5
2006-07	683	717	95.3	13,726	23,444	58.5
2005-06	506	537	94.1	10,530	17,909	58.8
2004-05	620	650	95.4	9,914	16,198	61.2
2003-04	519	544	95.4	8,709	13,183	66.1
2002-03	578	600	96.3	8,289	12,132	68.3
2001-02	464	482	96.4	6,741	9,688	69.6
2000-01	432	446	96.9	5,724	8,063	71.0
1999-00	430	442	97.4	4,986	7,041	70.8
1998-99	454	464	97.9	4,396	6,100	72.1
1997-98	371	411	90.4	3,705	4,923	75.3
1996-97	427	435	98.2	3,377	4,507	74.9
1995-96	482	487	99.0	2,956	3,921	75.4
1994-95	496	499	99.2	2,667	3,641	73.3
1993-94	350	353	99.1	1,684	2,490	67.6
1992-93	340	354	95.8	1,645	2,444	67.3
1991-92	317	329	96.4	1,279	1,863	68.7
1990-91	298	309	96.5	1,093	1,569	69.7
1962	6	7	78.5	4	17	23.1

* Number of accounts with balance not exceeding ₹1,500 from January 1, 1962 onwards, ₹5,000 from January 1, 1968 onwards, ₹10,000 from April 1, 1970 onwards, ₹20,000 from January 1, 1976 onwards, ₹30,000 from July 1, 1980 onwards and ₹ 1,00,000 from May 1, 1993 onwards.

Note: Data from 2009-10 are as per new reporting format.

ANNEX - V

DEPOSIT PROTECTION COVERAGE : BANK - CATEGORYWISE

Year	Category of Banks	Insured Banks (in nos.)	Insured Deposits (₹ billion)	Assessable Deposits (₹ billion)	Percentage of Insured Deposits to Assessable Deposits
1	2	3	4	5	6
2012-13	I. Commercial Banks (i to v)	89	17,635	59,707	29.5
	i) SBI Group	6	5,365	13,513	40.0
	ii) Public Sector	20	9,286	31,521	29.5
	iii) Foreign Banks	43	235	2,851	8.0
	iv) Private Banks	20	2,749	11,822	23.0
	v) Local Area Banks	4	5	12	41.0
	II. RRBs	67	1,324	1,889	70.0
	III. Co-operative banks	2,007	2,619	4,602	57.0
	TOTAL (I+II+III)	**2,167**	**21,584**	**66,211**	**33.0**
2011-12	I. Commercial Banks (i to v)	87	15,405	52,119	29.6
	i) SBI Group	6	4,046	11,546	35.0
	ii) Public Sector	20	8,797	27,956	31.5
	iii) Foreign Banks	41	221	2,650	8.4
	iv) Private Banks	20	2,336	9,958	23.5
	v) Local Area Banks	4	5	10	51.9
	II. RRBs	82	1,120	1,522	73.6
	III. Co-operative banks	2,026	2,518	4,033	62.4
	TOTAL (I+II+III)	**2,199**	**19,043**	**57,674**	**33.0**
2010-11	I. Commercial Banks (i to v) (i to v)	86	13,979	44,530	31.4
	i) SBI Group	6	3,695	9,929	37.2
	ii) Public Sector	19	7,867	22,309	35.3
	iii) Foreign Banks	35	240	2,464	9.8
	iv) Private Banks	22	2,172	9,819	22.1
	v) Local Area Banks	4	4	8	54.6
	II. RRBs	82	1,019	1,305	78.0
	III. Co-operative Banks	2049	2,360	3,689	64.0
	TOTAL (I+II+III)	**2,217**	**17,358**	**49,524**	**35.1**

ANNEX - VI

DEPOSIT INSURANCE CLAIMS SETTLED DURING 2012-13

Sr. No.	Name of the Bank	Main Claim/ Supplementary Claim	No.of Depositors	Amount of Claims (₹ thousand)
1	2	3	4	5
	Co-operative Banks			
	Andhra Pradesh (2)			
1	Krushi Urban Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (1)	1	25.00
2	National Co-operative Bank Ltd.	Main	3,042	4,317.79
	Total (Andhra Pradesh)	**Main-1, Supplementary-1**	**3,043**	**4,342.79**
	Gujarat (28)			
3	Ahmedabad Peoples Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (4)	26	1,115.04
4	Anand Peoples Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (3)	55	2,675.42
5	Ankaleshwar Nagrik Sahakari Bank Ltd.	Supplementary (1)	26	71.06
6	Anyonya Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (7)	23	1,084.59
7	Boriavi Peoples Co-operative Bank Ltd.	Main	5,396	45,422.09
8	Charotar Nagrik Sahakari Bank Ltd.	Supplementary (2)	172	2,902.27
9	Dabhoi Nagrik Sahakari Bank Ltd.	Supplementary (4)	21	401.77
10	Janta Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (5)	21	274.06
11	Metro Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (1)	1	47.56
12	Natpur Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (14)	478	1,218.15
13	Petlad Nagrik Sahakari Bank Ltd.	Supplementary (1)	4	92.08
14	Sabarmati Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (1)	5	86.01
15	Seth B. B. Shroff Bulsar Peoples Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (4)	56	1,806.88
16	Shree Bhadran Mercantile Co-operative Bank Ltd.	Main	6,579	44,712.78
17	Shree Laxmi Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (3)	91	1,839.31
18	Shree Swaminarayan Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (3)	28	395.52
19	Shree Vitrag Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (1)	1	100.00
20	Suryapur Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (7)	337	8,742.77
21	The Baroda Peoples Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (1)	12	245.12
22	The General Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (10)	65	2,121.58
23	The Nadiad Mercantile Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (6)	125	2,535.69
24	The Navsari Peoples Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (2)	69	1,376.58
25	The Pragati Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (3)	43	697.98
26	The Royale Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (2)	4	11.74
27	The Sabarmati Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (1)	2	49.60
28	The Sahayog Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (1)	12	154.55
29	The Visnagar Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (19)	814	17,973.10
30	Vaso Co-operative Bank Ltd.	Main	34,672	72,219.38
	Total (Gujarat)	**Main-3, Supplementary-106**	**49,138**	**210,372.68**

ANNEX - VI *(Contd.)*

Sr. No.	Name of the Bank	Main Claim/ Supplementary Claim	No.of Depositors	Amount of Claims (₹ thousand)
1	2	3	4	5
	Madhya Pradesh (2)			
31	Deendayal Sahakari Bank Ltd.	Supplementary (1)	6	95.01
32	Maharashtra Brahmin Sahakari Bank Ltd.	Supplementary (6)	36	1,735.83
	Total (Madhya Pradesh)	**Main-0, Supplementary-7**	**42**	**1,830.84**
	Maharashtra (26)			
33	Achalpur Urban Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (2)	4	223.37
34(a)	Bhandari Co-operative Bank Ltd.	Main	42,553	548,827.62
34(b)	Bhandari Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (1)	1	100.00
35	Bharat Urban Co-operative Bank Ltd.	Main	5,696	20,904.79
36	Bhimashankar Nagrik Sahakari Bank Ltd.	Main	3,437	4,102.06
37	Bhusawal Peoples Co-operative Bank Ltd.	Main	12,152	100,513.47
38	Dadasaheb Dr. N M Kabre Nagrik Sahakari Bank Ltd.	Supplementary (5)	21	1,598.00
39	Dnyanopasak Urban Co-op. Bank Ltd.	Supplementary (1)	53	451.16
40	Ichalkaranji Urban Co-op. Bank Ltd.	Supplementary (7)	63	3,157.67
41	Indira Sahakari Bank Ltd.	Supplementary (2)	15	621.89
42	Indira Shramik Mahila Sahakari Bank Ltd.	Main	6,950	31,386.55
43	Krishna Valley Co-operative Bank Ltd.	Main	809	13,527.80
44	Memon Co-operative Bank Ltd.	Main	85,990	237,520.12
45	Miraj Urban Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (3)	65	1,833.92
46	Pariwartan Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (1)	15	1,087.47
47	Parmatma Ek Sevak Nagrik Sahakari Bank Ltd.	Supplementary (1)	29	300.24
48	Rajlaxmi Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (1)	40	760.40
49	Shri B J Khatal Janata Sahakari Bank Ltd.	Supplementary (1)	1	37.70
50	Shri Balaji Co-operative Bank Ltd.	Main	927	9,476.72
51	Shri Laxmi Sahakari Bank Ltd.	Supplementary (1)	1,195	8,417.88
52	Siddhartha Sahakari Bank Ltd.	Main	18,465	239,957.66
53	Solapur Nagari Audyogik Sahakai Bank Ltd.	Main	64,629	457,648.56
54	The Chopada Urban Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (1)	1	0.10
55	The Goregaon Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (2)	21	444.21
56	The Samata Sahakari Bank Ltd.	Supplementary (3)	240	18,417.58
57	Vasantdada Shetkari Sahakari Bank Ltd.	Supplementary (2)	31	228.85
58	Yashwant Sahakari Bank Ltd., Miraj	Supplementary (2)	4	31.40
	Total (Maharashtra)	**Main-10, Supplementary-36**	**243,407**	**1,701,577.21**

ANNEX - VI *(Concld.)*

Sr. No.	Name of the Bank	Main Claim/ Supplementary Claim	No.of Depositors	Amount of Claims (₹ thousand)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
	Odisha (1)			
59	Dhenkanal Urban Co-operative Bank Ltd.	Main	14,899	77,760.16
	Total (Odisha)	**Main-1,**	**14,899**	**77,760.16**
	Tamil Nadu (2)			
60	Kotagiri Urban Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (1)	6	427.50
61	Madurai Urban Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (1)	2	200.00
	Total (Tamil Nadu)	**Main-0, Supplementary-2**	**8**	**627.50**
	Uttar Pradesh (2)			
62	Indian Co-operative Development Bank Ltd.	Supplementary (1)	41	965.18
63	Urban Co-operative Bank Ltd., Tehri	Supplementary (1)	10	192.78
	Total (Uttar Pradesh)	**Main-0, Supplementary-2**	**51**	**1,157.96**
	Total (All States)	**Main-15, Supplementary-154**	**310,588**	**1,997,669.15**

Note: Figures in bracket indicate the number of claims.

ANNEX - VII

INSURANCE CLAIMS SETTLED AND REPAYMENT RECEIVED - ALL BANKS LIQUIDATED /AMALGMATED / RECONSTRUCTED UPTO MARCH 31,2013

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors #	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 – Col 5)
1	2	3	4	5	6
I	**COMMERCIAL BANKS**				
	i) Full repayment received (A)				
	1) Bank of China, Kolkata (1963)		925.00	925.00	–
	2) Shree Jadeya Shankarling Bank Ltd., Bijapur (1965)*		11.51	11.51	–
	3) Bank of Behar Ltd., Patna (1970)*		4,631.66	4,631.66	–
	4) Cochin Nayar Bank Ltd., Trichur (1964)*		704.06	704.06	–
	5) Latin Christian Bank Ltd., Ernakulam (1964)*		208.50	208.50	–
	6) Bank of Karad Ltd., Mumbai (1992)		370,000.00	370,000.00	–
	7) Miraj State Bank Ltd., Miraj (1987)*		14,659.08	14,659.08	–
	TOTAL 'A'		**391,139.79**	**391,139.79**	**–**
	ii) Repayment received in part and balance due written off (B)				
	8) Unity Bank Ltd., Chennai (1963)*		253.35	137.77	–
				(115.58)	
	9) Unnao Commercial Bank Ltd., Unnao (1964)*		108.08	31.32	–
				(76.76)	
	10) Chawla Bank Ltd., Dehradun (1969)*		18.28	14.55	–
				(3.74)	
	11) Metropolitan Co-op Bank Ltd., Kolkata (1964)*		880.08	441.55	–
				(438.53)	
	12) Southern Bank Ltd., Kolkata (1964)*		734.28	372.93	–
				(361.35)	
	13) Bank of Algapuri Ltd., Algapuri (1963)*		27.60	18.07	–
				(9.53)	
	14) Habib Bank Ltd., Mumbai (1966)*		1,725.41	1,678.00	–
				(47.40)	
	15) National Bank of Pakistan, Kolkata (1966)*		99.26	88.12	–
				(11.13)	
	16) Parur Central Bank Ltd., North Parur, Maharashtra (1990)*		26,021.36	23,191.65	–
				(2,829.71)	
	TOTAL 'B"		**29,867.69**	**25,973.96**	–
				(3,893.73)	
	iii) Part repayment received (C)				
	17) National Bank of Lahore Ltd., Delhi (1970)*		968.92	968.92	–
	18) Bank of Cochin Ltd., Cochin (1986)*		116,278.09	116,278.46	(0.38)
	19) Lakshmi Commercial Bank Ltd., Banglore*		334,062.25	91,358.30	242,703.95

ANNEX - VII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors #	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 – Col 5)
1	2	3	4	5	6
	20) Hindustan Commercial Bank Ltd., Delhi (1988)*		219,167.10	105,374.96	113,792.14
	21) United Industrial Bank Ltd., Kolkata (1990)*		350,158.05	32,631.51	317,526.54
	22) Traders Bank Ltd., Delhi (1990)*		30,633.77	13,482.20	17,151.57
	23) Bank of Thanjavur Ltd., Thanjavur, T.N (1990)*		107,836.01	100,227.00	7,609.01
	24) Bank of Tamilnad Ltd., Tirunelveli, T.N (1990)*		76,449.75	75,897.32	552.43
	25) Purbanchal Bank Ltd., Guwahati (1990)*		72,577.39	9,760.37	62,817.02
	26) Sikkim Bank Ltd., Gangtok (2000)*		172,956.25	–	172,956.25
	27) Benares State Bank Ltd., U.P (2002)*		1,056,442.08	513,206.34	543,235.74
	TOTAL 'C'		**2,537,529.66**	**1,059,185.38**	**1,478,344.28**
	TOTAL (A+B+C)		**2,958,537.15**	**1,476,299.14 (3,893.73)**	**1,478,344.28**
II	**CO-OPERATIVE BANKS**				
	i) Full repayment received (D)				
	1) Malvan Co-op. Bank Ltd., Malvan (1977)		184.00	184.00	–
	2) Bombay Peoples Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1978)		1,072.00	1,072.00	–
	3) Dadhich Sahakari Bank Ltd., Mumbai (1984)		1,837.46	1,837.46	–
	4) Ramdurg Urban Co-op. Credit Bank Ltd., Ramdurg (1981)		218.99	218.99	–
	5) Bombay Commercial Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1976)		573.33	573.33	–
	6) Metropolitan Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1992)		12,500.00	12,500.00	–
	7) Hindupur Co-operative Town Bank Ltd., A.P. (1996)		121.97	121.97	–
	8) Vasundhara Co-op. Urban Bank Ltd.,A.P. (2005)		629.80	629.80	–
	TOTAL 'D'		**17,137.55**	**17,137.55**	**–**
	ii) Repayment received in part and balance due written off (E)				
	9) Ghatkopar Janata Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1977)		276.50	–	–
			–	(276.50)	
	10) Bhadravati Town Co-operative Bank Ltd., Bhadravati (1994)		26.10	–	–
			–	(26.10)	
	11) Aarey Milk Colony Co-op. Bank Ltd, Mumbai (1978)		60.31	–	–
			–	(60.31)	
	12) Armoor Co-op. Bank Ltd., A.P. (2003)		708.44	527.64	–
			–	(180.80)	
	13) Ratnagiri Urban Co-op. Bank Ltd., Ratnagiri, Maharashtra (1978)*		4,642.36	1,256.95	–
			–	(3,385.41)	
	14) The Neelagiri Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2005)		2,114.71	549.18	–
			–	(1,565.53)	
	TOTAL 'E'		**7,828.42**	**2,333.77 (5,494.65)**	–

ANNEX - VII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors #	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 – Col 5)
1	2	3	4	5	6
	iii) Part repayment received (F)				
	15) Vishwakarma Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1979)*		1,156.70	604.14	552.56
	16) Prabhadevi Janata Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1979)*		701.51	412.14	289.37
	17) Kalavihar Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1979)*		1,317.25	335.53	981.72
	18) Vysya Co-operative Bank Ltd., Bangalore, Karnataka (1982)*		9,130.83	1,294.66	7,836.17
	19) Kollur Parvati Coop. Bank Ltd., Kollur, A.P (1985)		1,395.93	707.86	688.08
	20) Adarsh Co-operative Bank Ltd., Mysore, Karnataka (1985)		274.30	65.50	208.80
	21) Kurduwadi Merchants Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (1986)*		484.89	400.91	83.99
	22) Gadag Urban Co-op. Bank Ltd., Karnataka (1986)		2,285.04	1,316.05	968.99
	23) Manihal Urban Co-operative Bank Ltd., Karnataka (1987)		961.85	227.60	734.25
	24) Hind Urban Co-operative Bank Ltd.,Lucknow, U.P (1988)		1,095.23	–	1,095.23
	25) Yellamanchilli Co-operative Urban Bank Ltd., A.P (1990)		436.10	51.65	384.45
	26) Vasavi Co-operative Urban Bank Ltd., Gurzala, A.P (1991)		388.82	48.56	340.26
	27) Kundara Co-operative Bank Ltd., Kerala (1991)		1,736.62	943.64	792.97
	28) Manoli Shri Panchligeshwar Urban Co-operative Bank Ltd., Karnataka (1991)		1,744.13	1,139.44	604.69
	29) Sardar Nagarik Sahakari Bank Ltd.,Baroda, Gujarat (1991)		7,485.62	1,944.01	5,541.60
	30) Belgaum Muslim Co-op. Bank Ltd., Karnataka (1992)*		3,710.54	273.78	3,436.76
	31) Bhiloda Nagarik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (1994)		1,983.68	102.37	1,881.31
	32) Citizens Urban Co-operative Bank Ltd., Indore, M.P (1994)		22,020.57	1,009.00	21,011.57
	33) Chetana Co-operative Bank Ltd., Mumbai Maharashtra (1995)		87,548.52	758.00	86,790.52
	34) Bijapur Dist Industrial Co-op Bank Ltd., Hubli, Karnataka (1996)		2,413.42	1,474.44	938.99
	35) Peoples Co-operative Bank Ltd.Ichalkaranji, Maharashtra (1996)		36,545.52	–	36,545.52
	36) Swastik Janata Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1998)		22,662.97	–	22,662.97
	37) Kolhapur Zilha Janata Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1998)		80,117.45	–	80,117.45
	38) Dharwad Industrial Co-op. Bank Ltd., Hubli, Karnataka (1998)		915.79	915.79	0.00
	39) Dadar Janata Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1999)		51,803.37	49,313.08	2,490.29
	40) Vinkar Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1999)		18,067.90	–	18,067.90
	41) Trimoorti Sahakari Bank Ltd.,Pune, Maharashtra (1999)		28,556.47	23,970.53	4,585.94

ANNEX - VII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors #	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 – Col 5)
1	2	3	4	5	6
	42) Awami Mercantile Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2000)		46,239.88	5,500.00	40,739.88
	43) Ravikiran Urban Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2000)		62,157.36	260.58	61,896.78
	44) Gudur Coop. Urban Bank Ltd., A.P (2000)		6,736.99	964.46	5,772.53
	45) Anakapalle Co-operative Urban Bank Ltd., A.P (2000)		2,447.07	137.15	2,309.92
	46) Indira Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2000)		157,012.94	83.98	156,928.95
	47) Nandgaon Merchants Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2000)		2,242.01	–	2,242.01
	48) Siddharth Sahakari Bank Ltd., Jalgaon, Maharashtra (2000)		5,398.65	1,100.00	4,298.65
	49) Sholapur Zilla Mahila Sahakari Bank Ltd, Maharashtra (2000)		27,494.76	10,100.00	17,394.76
	50) The Sami Taluka Nagrik Sah Bank Ltd., Gujarat (2000)		2,017.30	–	2,017.30
	51) Ahilyadevi Mahila Nagrik Sahakari, Kalamnuri, Maharashtra (2001)		1,696.09	–	1,696.09
	52) Nagrik Sahakari Bank Ltd. Sagar., M.P (2001)		7,013.59	–	7,013.59
	53) Indira Sahakari Bank Ltd., Aurangabad, Maharashtra (2001)		21,862.77	465.72	21,397.05
	54) Nagrik Co-op. Commercial Bank Maryadit,Bilaspur, M.P (2001)		26,135.83	15,000.00	11,135.83
	55) Ichalkaranji Kamgar Nagarik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2001)		5,068.09	3,358.92	1,709.18
	56) Parishad Co-op. Bank Ltd., New Delhi (2001)		3,946.61	3,781.44	165.18
	57) Sahyog Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2002)		30,107.38	1,704.55	28,402.83
	58) Madhavpura Mercantile Co-op. Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2001)*		4,009,400.00	–	4,009,400.00
	59) Krushi Co-operative Urban Bank Ltd., Secunderabad, A.P (2001)		232,429.22	28,506.13	203,923.09
	60) Jabalpur Nagrik Sahakari Bank Ltd., (Dergd), M.P (2002)		19,486.49	15,071.90	4,414.59
	61) Shree Laxmi Co-op. Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2002)		140,578.56	24,250.28	116,328.28
	62) Maratha Market Peoples Co-op Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2002)		37,959.73	–	37,959.73
	63) Latur Peoples Co-operative Bank Ltd., (Dergd), Maharashtra (2002)		3,048.95	–	3,048.95
	64) Sri. Lakshmi Mahila Co-op Urban Bank, (Dergd), A.P (2002)		7,821.24	–	7,821.24
	65) Friends Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2002)		48,456.66	120.02	48,336.64
	66) Bhagyanagar Co-operative Urban Bank Ltd. Drgd, A.P (2002)		9,697.12	9,363.62	333.50

ANNEX - VII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors #	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 – Col 5)
1	2	3	4	5	6
	67) Aska Co-operative Urban Bank Ltd., (Dergd), Orissa (2002)		7,032.61	–	7,032.61
	68) The Veraval Ratnakar Co-op. Bank Ltd., (Degrd), Gujarat (2002)		26,553.64	–	26,553.64
	69) Shree Veraval Vibhagiya Nagrik Sah Bank(Dergd), Gujarat (2002)		25,866.18	–	25,866.18
	70) Sravya Co op. Bank Ltd., A.P (2002)		74,376.82	2,421.29	71,955.53
	71) Majoor Sahakari Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2002)		14,779.44	427.30	14,352.14
	72) Meera Bhainder Co-op. Bank Ltd, (Dergd), Maharashtra (2003)		22,448.41	–	22,448.41
	73) Shree Labh Co-op Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2003)		47,507.25	341.41	47,165.84
	74) Khed Urban Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2003)		46,368.34	500.00	45,868.34
	75) Janta Sahakari Bank Maryadit.,Dewas, M.P (2003)		71,741.71	66,141.14	5,600.57
	76) Nizamabad Co-operative Town Bank Ltd., A.P (2003)		11,289.66	10,038.32	1,251.34
	77) The Megacity Co-op. Urban Bank Ltd., A.P (2003)		16,197.58	14,678.15	1,519.43
	78) Kurnool Urban Co-operative Credit Bank Ltd., A.P (2003)		47,432.57	46,556.10	876.46
	79) Yamuna Nagar Urban Co-op. Bank Ltd., Hariyana (2003)		30,046.64	2,800.00	27,246.64
	80) Praja Co-op. Urban Bank Ltd., A.P (2003)		9,254.48	8,614.31	640.17
	81) Charminar Co-op. Urban Bank Ltd., A.P (2003)		1,432,344.30	844,844.30	587,500.00
	82) Rajampet Co-operative Town Bank Ltd., A.P (2003)		16,345.12	7,325.00	9,020.12
	83) Shri Bhagyalaxmi Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2003)		34,033.48	3,600.00	30,433.48
	84) Aryan Co-op Urban Bank Ltd., A.P (2003)		46,781.03	43,631.77	3,149.27
	85) The First City Co-op. Urban Bank Ltd., A.P (2003)		12,873.23	11,243.66	1,629.57
	86) Kalwa Belapur Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2003)		48,880.14	25.00	48,855.14
	87) Ahmedabad Mahila Nagrik Sah. Bank Ltd., Gujarat (2003)		33,329.35	955.83	32,373.53
	88) Theni Co-operative Urban Bank Ltd., Tamil Nadu (2003)		33,177.94	6.98	33,170.96
	89) The Mandsaur Commercial Co-op. Bank Ltd., M.P (2003)		141,139.81	115,798.15	25,341.65
	90) Mother Theresa Hyderabad Co-op. Urban Bank., A.P (2003)		57,245.59	1,400.00	55,845.59
	91) Dhana Co op. Urban Bank Ltd., A.P (2003)		23,855.34	–	23,855.34
	92) Ahmedabad Urban Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2003)		37,343.88	2,203.57	35,140.31
	93) The Star Co-op. Urban Bank Ltd., A.P (2003)		2,626.79	–	2,626.79
	94) The Janata Commercial Co-op. Bank Ltd.,Ahmedabad, Gujarat (2003)		41,125.98	–	41,125.98
	95) Manikanta Co-op. Urban Bank Ltd., A.P (2003)		21,677.67	17,300.00	4,377.67
	96) Bhavnagar Welfare Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2003)		35,508.21	–	35,508.21
	97) Navodaya Sahakari Bank Ltd., Karnataka (2003)		3,038.47	2,521.79	516.67
	98) Pithapuram Co-operative Urban Bank Ltd., A.P (2003)		7,697.97	7,691.33	6.64
	99) Shree Adinath Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2003)		42,971.17	24,815.27	18,155.90

ANNEX - VII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors #	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 – Col 5)
1	2	3	4	5	6
	100) Santram Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2003)		115,872.42	2,818.21	113,054.22
	101) Palana Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2003)		22,952.19	21,790.57	1,161.61
	102) Nayaka Mercantile Co-op Bank Ltd., Gujarat (2004)		25,531.20	–	25,531.20
	103) General Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2004)		713,219.55	21,278.27	691,941.28
	104) Western Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2004)		44,086.21	57.31	44,028.90
	105) Charotar Nagarik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2004)		2,063,549.84	104,282.04	1,959,267.80
	106) Pratibha Mahila Sahakari Bank Ltd., Jalgaon, Maharashtra (2004)		34,192.33	10,019.00	24,173.33
	107) Visnagar Nagarik Sahakari Bank Ltd.,Gujarat (2004)		3,841,518.17	33,862.75	3,807,655.42
	108) Narasaraopet Co-op. Urban Bank Ltd., A.P (2004)		1,794.45	130.00	1,664.45
	109) Bhanjanagar Co-operative Urban Bank Ltd., Orissa (2004)		9,799.51	–	9,799.51
	110) The Sai Co-op. Urban Bank Ltd., A.P (2004)		10,170.18	6,170.18	4,000.00
	111) The Kalyan Co-op Bank Ltd., A.P (2005)		13,509.83	900.00	12,609.83
	112) Trinity Co-op. Urban Bank Ltd., A.P (2005)		19,306.12	6,198.81	13,107.31
	113) Gulbarga Urban Co-operative Bank Ltd., Karnataka (2005)		25,441.21	793.11	24,648.10
	114) Vijaya Co-op Urban Bank Ltd., A.P (2005)		12,224.74	9,500.00	2,724.74
	115) Shri Satya Sai Co-op. Bank Ltd., A.P (2005)		7,387.17	2,000.00	5,387.17
	116) Sri Ganganagar Urban Co-op. Bank Ltd., Rajasthan (2005)		4,787.55	4,787.55	(0.00)
	117) Sitara Co-op Urban Bank Ltd., Hyderabad, A.P (2005)		3,741.01	–	3,741.01
	118) Mahalaxmi Co-op Urban Bank Ltd., Hyderabad, A.P (2005)		41,999.65	394.50	41,605.15
	119) Maa Sharda Mahila Nagri Sahakari Bank Ltd., Akola, Maharashtra (2005)		13,351.57	450.00	12,901.57
	120) Partur People's Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2005)		15,836.61	–	15,836.61
	121) Sholapur District Industrial Co-op. Bank, Maharashtra (2005)		107,561.91	10,354.83	97,207.08
	122) Baroda People's Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		584,017.06	22,032.18	561,984.87
	123) The Co-operative Bank of Umreth Ltd., Gujarat (2005)		49,437.88	2,924.37	46,513.51
	124) Shree Patni Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		86,530.52	2,604.19	83,926.34
	125) Classic Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		5,725.86	500.00	5,225.86
	126) Sabarmati Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		318,925.24	32,730.58	286,194.65
	127) Matar Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2005)		30,892.41	4,388.28	26,504.13
	128) Diamond Jubilee Co-op. Bank Ltd., Surat, Gujarat (2005)		606,403.31	606,403.31	–
	129) Petlad Commercial Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2005)		73,741.11	8,001.43	65,739.68
	130) Nadiad Mercantile Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		298,772.00	12,009.45	286,762.56
	131) Shree Vikas Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		223,150.28	10,256.27	212,894.01
	132) Textile Processors Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2005)		53,755.25	2,554.76	51,200.49
	133) Pragati Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		130,437.03	16,314.57	114,122.46

ANNEX - VII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors #	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 – Col 5)
1	2	3	4	5	6
	134) Ujvar Co-op Bank Ltd., Gujarat (2005)		15,706.37	–	15,706.37
	135) Sunav Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2005)		17,573.42	719.22	16,854.20
	136) Sanskardhani Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Jabalpur, M.P (2005)		3,031.51	–	3,031.51
	137) Citizen Co-operative Bank Ltd., Damoh, M.P (2005)		8,501.09	–	8,501.09
	138) Darbhanga Central Co-operative Bank Ltd., Bihar (2005)		18,999.84	–	18,999.84
	139) Bellampalli Co-op. Urban Bank Ltd., A.P (2005)		7,503.14	–	7,503.14
	140) Shri Vitthal Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		79,730.09	850.00	78,880.09
	141) Suryapur Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2005)		579,896.95	32,783.03	547,113.93
	142) Shri Sarvodaya Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		10,898.73	–	10,898.73
	143) Petlad Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2005)		24,482.93	3,830.42	20,652.51
	144) Raghuvanshi Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2005)		120,659.85	100.00	120,559.85
	145) Sholapur Merchants Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2005)		30,697.47	–	30,697.47
	146) Aurangabad Peoples Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2005)		29,932.80	8,932.80	21,000.00
	147) Urban Co-operative Bank Ltd. Tehri., Uttaranchal (2005)		16,479.04	1,913.89	14,565.15
	148) Shreenathji Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		40,828.18	727.69	40,100.49
	149) The Century Co-op. Bank Ltd., Surat (2006)		67,283.31	6,942.80	60,340.50
	150) Jilla Sahakari Kendriya Bank Ltd., Raigarh, Chhattisgarh (2006)		181,637.44	–	181,637.44
	151) Madhepura Supaul Central Co-op. Bank Ltd., Bihar (2006)		65,053.51	–	65,053.51
	152) Navsari Peoples Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2006)		301,587.75	28,200.24	273,387.51
	153) Sheth Bhagwandas B. Shroff Bulsar Peoples Co-op. Bank Ltd., Valsad, Gujarat (2006)		266,452.45	52,636.90	213,815.55
	154) Maharashtra Brahman Sahakari Bank Ltd., M.P (2006)		303,695.84	19,519.89	284,175.95
	155) Mitra Mandal Sahakari Bank Ltd., Indore, M.P (2006)		145,661.51	31,431.51	114,230.00
	156) Chhapra District Central Co-op. Bank Ltd., Bihar (2006)		82,529.94	–	82,529.94
	157) Shri Vitrag Co-op. Bank Ltd., Surat, Gujarat (2006)		92,989.37	1,746.86	91,242.50
	158) Shri Swaminarayan Co-op. Bank Ltd., Vadodara, Gujarat (2006)		434,217.98	21,635.42	412,582.56
	159) Janta Co-operative Bank Ltd., Nadiad, Gujarat (2006)		323,239.87	37,576.90	285,662.97
	160) Natpur Co-operative Bank Ltd., Nadiad, Gujarat (2006)		550,794.12	21,244.18	529,549.94
	161) Metro Co-operative Bank Ltd, Surat, Gujarat (2006)		120,678.25	204.73	120,473.53
	162) The Royale Co-op. Bank Ltd., Surat,Gujarat (2006)		91,577.38	1,100.44	90,476.94
	163) Jai Hind Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2006)		118,895.88	90,319.17	28,576.71
	164) Madurai Urban Co-operative Bank Ltd., Tamil Nadu (2006)		257,956.99	34,962.29	222,994.70
	165) Karnataka Contractors Sah. Bank Niyamith, Bangalore, Karnataka (2006)		29,757.64	614.27	29,143.37

ANNEX - VII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors #	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 – Col 5)
1	2	3	4	5	6
	166) Anand Peoples Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2006)		371,586.77	29,689.36	341,897.41
	167) Kotagiri Co-operative Urban Bank Ltd.,Tamil Nadu (2006)		25,021.00	3,480.19	21,540.82
	168) The Relief Mercantile Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2006)		11,397.85	–	11,397.85
	169) Cauvery Urban Co-operative Bank., Bangalore, Karnataka (2006)		4,846.70	–	4,846.70
	170) Baroda Mercantile Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2006)		12,825.48	612.28	12,213.20
	171) Dabhoi Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2006)		165,896.38	4,603.90	161,292.48
	172) Dhansura Peoples Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2006)		58,798.44	1,650.00	57,148.44
	173) Samasta Nagar Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2006)		116,051.52	13,236.66	102,814.85
	174) Prudential Co-operative Bank Ltd., Secunderabad, A.P (2007)		755,959.06	490,959.06	265,000.00
	175) Lok Vikas Urban Co-operative Bank Ltd., Jaipur, Rajasthan (2007)		6,606.11	–	6,606.11
	176) Nagrik Sahakari Bank Maryadit., Ratlam, M.P (2007)		20,393.50	–	20,393.50
	177) Sind Mercantile Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2007)		103,903.73	4,000.00	99,903.73
	178) Shriram Sahakari Bank Ltd., Nashik, Maharashtra (2007)		323,215.02	117,803.49	205,411.53
	179) Parbhani Peoples Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2007)		367,807.52	20.48	367,787.04
	180) Purna Nagri Sahakari Bank Maryadit., Maharashtra (2007)		47,576.03	25.70	47,550.34
	181) Yeshwant Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2007)		5,938.96	5,437.81	501.15
	182) The Kanyaka Parameswari Mutually Aided CUBL, Kukatpally, A.P. (2007)		29,749.48	765.66	28,983.82
	183) Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Khargone, M.P. (2007)		4,305.77	442.19	3,863.58
	184) Karamsad Urban Co-operative Bank Ltd., Anand, Gujarat (2007)		124,758.68	1,875.54	122,883.14
	185) Bharat Mercantile Co-op. Urban Bank Ltd., Hyderabad, A.P. (2007)		31,232.28	276.97	30,955.32
	186) Lord Balaji Co-op. Bank Ltd., Sangli, Maharashtra (2007)		27,287.76	305.00	26,982.76
	187) Vasundharam Mahila Co-op. Bank Ltd., Warangal, A.P (2007)		2,304.21	–	2,304.21
	188) Begusaray Urban Development Co-op Bank Ltd., Bihar (2007)		5,937.89	–	5,937.89
	189) Datia Nagrik Sahakari Bank., M.P (2007)		1,486.00	–	1,486.00
	190) Adarsh Mahila Co-operative Bank Ltd., Mehsana, Gujarat (2007)		12,974.81	76.52	12,898.29
	191) Umreth Peoples Co-operative Urban Bank Ltd., Gujarat (2007)		22,078.93	141.64	21,937.28

ANNEX - VII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors #	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 – Col 5)
1	2	3	4	5	6
	192) Sarvodaya Nagrik Sah. Bank Ltd., Visnagar, Gujarat (2007)		160,286.13	697.69	159,588.44
	193) Shree Co-op. Bank Ltd., Indore, M.P (2007)		2,476.52	–	2,476.52
	194) Onake Obavva Mahila Co-op. Bank Ltd., Chitradurga, Karnataka (2007)		54,847.11	58.36	54,788.76
	195) The Vikas Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2007)		10,262.36	344.00	9,918.36
	196) Shree Jamnagar Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2007)		11,238.00	5,465.00	5,773.00
	197) Anand Urban Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2008)	3,793	184,558.65	203.86	184,354.80
	198) Rajkot Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2008)	12,600	68,218.16	4,009.30	64,208.85
	199) Sevalal Urban Co-op. Bank Ltd.,Mandrup, Maharashtra (2008)	678	666.32	–	666.32
	200) Nagaon Urban Co-op. Bank Ltd., Assam (2008)	12,804	6,130.96	–	6,130.96
	201) Sarvodaya Mahila Co-op. Bank Ltd.,Burhanpur, M.P (2008)	4,117	8,391.32	–	8,391.32
	202) Chetak Urban Co-op Bank Ltd., Parbhani, Maharashtra (2008)	7,240	7,442.90	4,888.00	2,554.90
	203) Basavakalyan Pattana Sahakari Bank Ltd., Basaganj, Karnataka (2008)	1,787	2,673.13	177.00	2,496.13
	204) Indian Co-op. Development Bank Ltd., Meerut, U.P (2008)	10,418	38,553.70	330.02	38,223.67
	205) Talod Janata Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2008)	5,718	24,522.91	1,037.00	23,485.91
	206) Challakere Urban Co-op Bank Ltd., Karnataka (2008)	5,718	32,641.34	123.44	32,517.90
	207) Dakor Mahila Nagarik Sahakair Bank Ltd., Gujarat (2008)	1,865	6,375.13	1,587.85	4,787.28
	208) Zila Sahakari Bank Ltd., Gonda, U.P (2008)	67,098	454,367.84	255.92	454,111.91
	209) Maratha Co-operative Bank Ltd., Hubli, Karnataka (2008)	30,483	185,521.69	66,713.74	118,807.95
	210) Shree Janta Sahkari Bank Ltd, Radhanpur, Gujarat (2008)	8,841	47,517.84	1,094.67	46,423.18
	211) Parivartan Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2008)	11,350	184,735.21	17,152.98	167,582.22
	212) Indira Priyadarshini Mahila Nagarik Bank Ltd, Raipur, Chhattisgarh (2008)	20,793	164,573.59	32,868.99	131,704.61
	213) Ichalkaranji Jivheshwar Sah. Bank Ltd., Maharashtra (2008)	2,602	24,167.12	14,345.49	9,821.63
	214) Kittur Rani Channamma Mahila Pattana Sah. Bank Ltd., Hubli, Karnataka (2008)	6,499	22,849.90	721.82	22,128.08
	215) Bharuch Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2008)	12,778	99,663.78	28,151.46	71,512.32
	216) Harugeri Urban Co-op. Bank Ltd., Karnataka (2009)	5,605	36,446.49	4,436.43	32,010.07
	217) Varada Co-op. Bank Ltd., Haveri, Karjagi, Karnataka (2009)	2,613	25,242.02	1,277.72	23,964.30
	218) Ravi Co-operative Bank Ltd., Kolhapur, Maharashtra (2008)	25,627	169,225.78	1,726.52	167,499.26
	219) Shri Balasaheb Satbhai Merchants Co-op Bank Ltd., Koppergaon, Maharashtra (2008)	16,723	268,254.02	53,090.00	215,164.02

ANNEX - VII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors #	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 – Col 5)
1	2	3	4	5	6
	220) Jai Lakshmi Co-operative Bank Ltd., Delhi (2008)	16,467	1,242.00	1,242.00	–
	221) Urban Co-operative Bank Ltd., Siddapur, Karnataka (2009)	19,141	112,933.28	38,113.28	74,820.00
	222) Shri B. J. Khatal Janata Shahakari Bank ltd., Maharashtra (2009)	11,542	79,008.26	44,258.22	34,750.05
	223) Shree Kalmeshwar Urban Co-op. Bank Ltd., Hole- Alur, Karnataka (2009)	3,256	25,288.48	–	25,288.48
	224) The Laxmeshwar Urban Co-op Credit Bank Ltd., Karnataka (2009)	8,512	67,660.45	–	67,660.45
	225) Priyadarshini Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Latur,Maharashtra (2009)	11,129	65,792.83	20,201.81	45,591.02
	226) Sree Swamy Gnanananda Yogeeswara Mahila Co-op. Bank Ltd., Puttur, A.P (2009)	679	3,625.81	–	3,625.81
	227) Urban Co-operative Bank Ltd., Allahabad, U.P (2009)	3,225	10,030.16	2,450.73	7,579.43
	228) Firozabad Urban Co-op. Bank Ltd., U.P (2009)	514	4,015.07	–	4,015.07
	229) Siddapur Commercial Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2009)	8,512	37,184.46	2,591.76	34,592.69
	230) Nutan Sahakari Bank Ltd., Baroda, Gujarat (2009)	21,602	128,902.46	29,448.64	99,453.81
	231) Bhavnagar Mercantile Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2009)	35,409	374,288.63	169,001.41	205,287.22
	232) Sant Janabai Nagri Sahakari Bank Ltd., Gangakhed, Maharashtra (2009)	16,092	101,964.31	17,463.81	84,500.50
	233) Shri S. K. Patil Co-op Bank Ltd., Kurundwad, Maharashtra (2009)	9,658	133,059.30	6,896.56	126,162.75
	234) Shree Vardhman Co-op. Bank Ltd., Bhavnagar, Gujarat (2009)	13,521	51,821.99	29,985.78	21,836.21
	235) Dnyanopasak Urban Co-op Bank Ltd., Parbhani, Maharashtra (2009)	4,746	16,670.80	451.16	16,219.64
	236) Achelpur Urban Co-op Bank Ltd., Maharashtra (2009)	4,641	53,127.98	12,477.76	40,650.22
	237) Rohe Ashtami Sahakari Urban Bank Ltd., Rohe, Maharashtra (2009)	38,913	370,674.45	21,410.17	349,264.28
	238) South Indian Co-operative Bank Ltd.,Mumbai, Maharashtra (2009)*	56,816	359,773.78	19,540.16	340,233.62
	239) Ankleshwar Nagric Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2009)	26,364	238,314.86	164,908.02	73,406.85
	240) Ajit Co-operative Bank Ltd., Pune, Maharashtra (2009)	26,286	292,978.03	95,748.12	197,229.90
	241) Shree Siddhi Venkatesh Sahkari Bank Ltd., Maharashtra (2009)	1,892	20,818.79	20,818.79	–
	242) Hirekerur Urban Co-operative Bank Ltd., Karnataka (2009)	16,539	137,345.44	–	137,345.44
	243) Shri P. K. Anna Patil Janata Sah. Bank Ltd., Nandurbar, Maharashtra (2009)	67,738	564,816.13	10,000.00	554,816.13
	244) Chalisgaon People Co-operative Bank Ltd., Jalgaon, Maharashtra (2009)	21,503	300,915.66	211,118.10	89,797.56
	245) Deendayal Nagrik Sahakari Bank ltd., Kandwa, M.P (2009)	15,453	97,541.55	27,096.16	70,445.39
	246) Suvarna Nagrik Sahakari Bank Ltd., Parbhani, Maharashtra (2009)	3,923	19,584.61	10,595.04	8,989.57

ANNEX - VII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors #	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 – Col 5)
1	2	3	4	5	6
	247) Vasantdada Shetkari Saha. Bank Ltd., Sangli, Maharashtra (2009)	141,317	1,672,059.89	682,059.89	990,000.00
	248) The Haliyal Urban Coop Bank Ltd., Karnataka (2009)	8,684	43,375.25	17,967.18	25,408.07
	249) Miraj Urban Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2009)	32,756	420,138.55	99,529.94	320,608.60
	250) Faizpur Janata Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2009)	2,803	33,463.64	17,061.40	16,402.23
	251) Daltonganj Central Co-op. Bank Ltd., Jharkhand (2010)	23,933	93,927.24	53.33	93,873.91
	252) Indira Sahakari Bank Ltd., Dhule, Maharashtra (2010)	14,598	125,438.26	885.55	124,552.71
	253) The Akot Urban Co-opeerative Bank Ltd., Maharashtra (2010)	18,349	143,907.42	16,385.28	127,522.14
	254) Goregaon Co-operative Urban Bank Ltd.,Mumbai, Maharashtra (2010)	43,933	436,091.27	49,063.15	387,028.12
	255) Anubhav Co-op Bank Ltd., Basavakalyan, Karnataka (2010)	10,590	8,748.57	–	8,748.57
	256) Yashwant Urban Co-op. Bank Ltd., Parbhani, Maharashtra (2010)	9,082	116,808.19	25,056.26	91,751.94
	257) Prantij Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat, (2010)	11,446	70,159.19	32,798.40	37,360.79
	258) Surendranagar Peoples Co-op. Bank Ltd., Gujarat, (2010)	56,767	487,007.46	179,654.08	307,353.38
	259) Bellatti Urban Co-op. Credit Bank Ltd., Karnataka, (2010)	56	58.72	–	58.72
	260) Shri Parola Urban Co-operative Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	5,289	51,243.07	686.88	50,556.19
	261) Sadhana Co-op. Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	3,386	15,629.02	592.14	15,036.88
	262) Primary Teachers Co-op Credit Bank Ltd., Karnataka, (2010)	3,710	64,921.83	7,338.10	57,583.73
	263) Shri Kamdar Sahakari Bank Ltd., Bhavnagar, Gujarat, (2010)	14,263	54,165.54	–	54,165.54
	264) Citizen Co-operative Bank Ltd., Burhanpur, M.P, (2010)	27,119	232,075.66	232,075.66	–
	265) Yeshwant Sahakari Bank Ltd., Miraj, Maharashtra, (2010)	21,235	115,186.90	85,263.53	29,923.37
	266) Urban Industrial Co-operative Bank Ltd., Assam, (2010)	2,400	4,314.54	–	4,314.54
	267) Ahmedabad Peoples Co-op. Bank Ltd., Gujarat, (2010)	36,651	448,046.46	202,722.88	245,323.58
	268) Surat Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat, (2010)	44,393	260,370.86	102,014.25	158,356.61
	269) Katkol Co-operative Bank Ltd., Karnataka, (2010)	39,912	146,202.60	34,905.85	111,296.76
	270) Shri Sinnar Vyapari Sahakari Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	35,219	403,741.10	93,741.10	310,000.00
	271) Nagpur Mahila Nagari Sahakari Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	54,031	476,560.44	305,136.26	171,424.18
	272) Rajlaxmi Nagari Sahakari Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	3,415	25,671.83	3,985.31	21,686.52
	273) Bahadarpur Urban Co-operative Bank Ltd., Gujarat, (2010)	4,866	49,312.44	6,951.39	42,361.05
	274) Sri Sampige Siddeswara Urban Co-op Bank, Karnataka, (2010)	3,479	49,352.46	655.71	48,696.75
	275) Vizianagaram Co-operative Urban Bank Ltd, A.P, (2010)	6,948	71,141.10	26,062.14	45,078.96
	276) Oudh Sahakari Bank Ltd., U.P, (2010)	5,198	23,259.95	797.07	22,462.88

ANNEX - VII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors #	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 – Col 5)
1	2	3	4	5	6
	277) Annasaheb Patil Urban Coop. Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	6,296	27,996.78	1,175.28	26,821.50
	278) Kupwad Urban Cooperative Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	12,946	113,999.08	43,623.38	70,375.69
	279) Rahuri Peoples Co-operative Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	13,833	167,648.97	90,790.59	76,858.38
	280) Raibag Urban Co-operative Bank Ltd., Karnataka, (2010)	4,501	14,769.68	–	14,769.68
	281) Champavati Urban Co-op Bank Ltd., Maharashtra, (2011)	14,809	145,534.50	70,944.72	74,589.78
	282) Shri Mahesh Sahakari Bank Mydt., Maharashtra, (2011)	9,208	84,041.98	28,062.91	55,979.06
	283) Rajwade Mandal People's Co-op Bank Ltd., Maharashtra, (2011)	26,414	133,718.36	–	133,718.36
	284) Sri Chamaraja Co-operative Bank Ltd., Karnataka, (2011)	174	179.27	–	179.27
	285) Anyonya Co-op Bank Ltd., Gujarat,2011	70,850	579,321.54	259,522.24	319,799.30
	286) Cambay Hindu Mercantile Co-op Bank Ltd., Gujarat, (2011)	9,336	86,764.47	5,593.14	81,171.34
	287) Rabkavi Urban Co-op. Bank Ltd., Karnataka (2011)	10,462	67,393.38	33,135.21	34,258.17
	288) Sri Mouneshwara Co-op. Bank Ltd., Karnataka (2011)	1,640	2,569.75	–	2,569.75
	289) The Chadchan Shree Sangameshwar Urban Co-op. Bank Ltd.,Karnataka (2011)	6,075	38,149.77	12,751.77	25,398.00
	290) The Parmatma Ek Sewak Nagarik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	54,918	402,851.37	89,242.23	313,609.13
	291) Samata Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	33,474	422,139.63	53,749.12	368,390.51
	292) Hina Shahin Nagrik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	9,798	112,964.84	4,681.29	108,283.56
	293) Shri Laxmi Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	2,292	34,970.91	923.42	34,047.49
	294) Dadasaheb Dr. N M Kabre Nagarik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	16,324	199,311.58	30,497.68	168,813.90
	295) Vidarbha Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2011)	11,304	159,537.12	10,832.19	148,704.93
	296) Ichalkaranji Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2011)	43,785	556,166.44	114,191.75	441,974.69
	297) Suvidha Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Madhya Pradesh (2011)	2,729	12,248.09	11,735.35	512.74
	298) Asansol Peoples Co-op. Bank Ltd., West Bengal (2011)	1,012	4,158.75	1,136.33	3,022.41
	299) Shri Jyotiba sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2012)	7,596	22,002.44	–	22,002.44
	300) Raichur Zilla Mahila Pattan Sahakari Bank Ltd., Karnataka (2012)	6,021	11,159.42	6,526.92	4,632.51
	301) Chopda Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2012)	10,264	71,269.83	38,423.79	32,846.04
	302) The Sidhpur Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2012)	6,706	33,508.26	5,379.45	28,128.81
	303) Shri Balaji Co-op. Bank Ltd.,Maharashtra (2012)	927	9,476.72	9,476.72	–
	304) Siddhartha Sahakari Bank Ltd.,Maharashtra (2012)	18,465	239,957.66	–	239,957.66
	305) Boriavi Peoples Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2012)	5,396	45,422.09	30,005.55	15,416.54

ANNEX - VII *(Concld.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors #	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 – Col 5)
1	2	3	4	5	6
	306) Memon Co-op. Bank Ltd.,Maharashtra (2012)*	85,990	237,520.12	–	237,520.12
	307) National Co-op. Bank Ltd., Andhra Pradesh (2012)	3,042	4,317.79	–	4,317.79
	308) Bhandari Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2012)	42,553	548,927.62	286,187.54	262,740.08
	309) Bharat Urban Co-op. Bank Ltd.,Maharashtra (2012)	5,696	20,904.79	6,879.40	14,025.39
	310) Indira Shramik Mahila Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2012)	6,950	31,386.55	16,174.32	15,212.23
	311) Shree Bhadran Mercantile Bank Ltd.,Gujarat (2012)	6,579	44,712.78	24,190.75	20,522.03
	312) Dhenkanal Urban Co-op. Bank Ltd.,Odisha (2012)	14,899	77,760.16	23,359.16	54,401.00
	313) Bhimashankar Nagari sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2012)	3,437	4,102.06	–	4,102.06
	314) Bhusawal Peoples Co-op. Bank Ltd.,Maharashtra (2012)	12,152	100,513.47	34,491.03	66,022.44
	315) Solapur Nagari Audyogik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2012)	64,629	457,648.56	132,859.00	324,789.56
	316) Vaso Co-op. Bank Ltd.,Gujarat (2012)*	34,672	72,219.38	–	72,219.38
	317) Krishna Valley Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2013)	809	13,527.80	13,527.80	–
	TOTAL 'F'	**2,126,614**	**42,061,161.76**	**8,382,947.21**	**33,678,214.55**
	TOTAL (D+E+F)	**2,126,614**	**42,086,127.72**	**8,402,418.52 (5,494.65)**	**33,678,214.55**
	TOTAL (A+B+C+D+E+F)	**2,126,614**	**45,044,664.87**	**9,878,717.66 (9,388.38)**	**35,156,558.83**

* Scheme of Amalgmation & Scheme of Reconstruction.

\# Number of depositors is available for claims settled from 2008 onwards.

Notes:

1. The year in which original claims were settled are given in brackets.
2. Figures in brackets under repayment column indicate amount written off up to March 31, 2013.
3. Repayments received are inclusive of Liquid Fund Adjusted at the time of sanction and approval of claims.
4. Accuracy of number of depositors ensured up to hundredth place.

ANNEX - VIII

PROVISION FOR DEPOSIT INSURANCE CLAIMS - AGE-WISE ANALYSIS (AS ON MARCH 31, 2013)

Sr. No.	Date of de-registration/ liquidation of the Bank	Name of the Bank	Amount (₹ million)	Banks which have slipped to higher time bucket (w.r.t. March 31, 2012)
A	**More than 10 years old**			
1	August 3, 1999	Jhargram People's Co-op. Society Ltd.	29.23	
2	May 27, 2002	Madhepura Urban Development Co-op. Bank Ltd.	0.54	√
3	July 22, 2002	Nalanda Urban Co-op. Bank Ltd.	6.86	√
4	August 6, 2002	Pranabananda Co-op. Bank Ltd.	225.71	√
5	September 23, 2002	Manipur Industrial Co-op. Bank Ltd.	18.13	√
6	September 28, 2002	Federal Co-op. Bank Ltd.	13.69	√
7	December 16, 2002	Silchar Co-op. Bank Ltd.	18.14	√
	Total (A)	**(7 Banks)**	**312.29**	6
B	**Between 5 and 10 years old**			
1	June 3, 2003	Lamka Urban Co-op. Bank Ltd.	0.27	
2	June 19, 2003	Sibsagar Dist Central Co-op. Bank	188.67	
3	March 7, 2006	Hyderabad Co-op. Urban Bank Ltd.	6.48	
4	December 29, 2006	Guwahati Co-op. Town Bank Ltd.	82.43	
5	April 10, 2007	Rohuta Urban Co-op. Bank Ltd.	145.68	√
	Total (B)	**(5 Banks)**	**423.54**	**1**
C	**Between 1 and 5 years old**			
1	September 25, 2008	Bhadrak Urban Co-op. Bank Ltd.	27.24	
2	March 31, 2010	Dhanashri Mahila Sahakari Bank Ltd.	26.60	
3	April 9, 2010	Rajeshwar Yuvak Vikas Sah Bank Ltd.	26.29	
4	June 17, 2010	Ramkrishnapur Co-op. Bank Ltd.	750.24	
5	December 16, 2010	Golghat Urban Co-op. Bank Ltd.	5.22	
6	January 4, 2011	Dadasaheb Rawal Co-op. Bank Ltd.	436.61	
7	February 15, 2011	Agrasen Urban Co-op. Bank Ltd.	94.42	
8	November 11, 2011	Gujarat Industrial Co-op. Bank Ltd.	5,212.96	
9	December 30, 2011	The Veerashaiva Co-op .Bank Ltd.	1,480.46	√
	Total (C)	**(9 Banks)**	**8,060.05**	**1**
D	**Less than 1 year old**			
1	July 23, 2012	Premier Automobiles Employees' Co-op. Bank	39.25	
2	August 30, 2012	Rajiv Gandhi Sahakari Bank Ltd.	16.96	
3	December 28, 2012	Swami Samarth Sahakari Bank Ltd.	143.69	
4	February 7, 2013	Abhinav Sahakari Bank Ltd.	57.51	
	Total (D)	**(4 Banks)**	**257.41**	0
	Grand Total (A+B+C+D)	**(25 Banks)**	**9,053.29**	**8**

ANNEX – IX

CREDIT GUARANTEE FEES / CLAIMS PAID

(₹ million)

Year	Credit Guarantee Fees	Credit Guarantee Claims	Credit Guarantee Claims Paid	Gap (2)-(3)	Gap (2)-(4)
1	2	3	4	5	6
1991-92	5,659	6,272	4,623	(-) 614	(+) 1,036
1992-93	7,028	11,433	6,436	(-) 4,405	(+) 692
1993-94	8,461	14,908	8,900	(-) 6,447	(-) 439
1994-95	8,291	17,268	11,790	(-) 8,977	(-) 3,499
1995-96	7,046	23,652	10,423	(-) 16,606	(-) 3,376
1996-97	5,640	21,124	3,786	(-) 15,484	(+) 1,854
1997-98	1,649	4,973	3,714	(-) 3,324	(-) 2,065
1998-99	1,232	2,522	6,019	(-) 1,290	(-) 4,787
1999-00	220	2,455	4,031	(-) 2,235	(-) 3,811
2000-01	0.7	361	473	(-) 360	(-) 473
2001-02	0.2	12.4	13.3	(-) 12.2	(-) 13.1
2002-03	2.1	2.6	1.4	(-) 0.5	(-) 0.7
2003-04	0.2 *	-	-	-	-
2004-05 to 2012-13	-	-	-	-	-

Note: Presently, no credit institution is participating in the various credit guarantee schemes operated and administered by the Corporation. Subsequent to 2003-04, no guarantee fees on guarantee claims have been received and no claims have been paid. Guarantee fees received after stipulated period were refunded to bank during 2003-04.

Mahavir Apartments, Third Floor, 598, M. G. Road,
Near Suncity Cinema, Vile Parle (East), Mumbai 400 057
☎ 91 22 2610 1124-26,
91 22 26134015, ✉ spca@sardapareek.com
Braches at MADGAON, INDORE, BHARUCH

SARDA & PAREEK
CHARTERED ACCOUNTANTS

Auditors' Report

To,
Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation
Mumbai

Report on the Financial Statements

1. We have audited the attached Balance Sheet of **Deposit Insurance Fund, Credit Guarantee Fund and General Fund of the Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation** (hereinafter referred to as The Corporation) as at 31st March, 2013 and annexed Revenue Accounts, Cash Flow Statements and a summary of significant accounting policies and other explanatory information of the said three Funds of the Corporation for the year ended on that date.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. The Corporation's Management is responsible for the preparation of these financial statements that gives a true and fair view of the financial position and financial performance in accordance with the provisions of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, Regulations of The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations 1961 and expenditure rules as given by Reserve Bank of India; This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Corporation's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

We report that:

5. (a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
   (b) In our opinion proper books of accounts have been maintained by the Corporation so far as it appears from our examination of those books;
   (c) The Balance Sheets and Revenue Accounts have been drawn up under Regulation 18 and set out in the manner prescribed by Act;

   Subject to the above, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us,
   (a) (i) The said Balance Sheets give a true and fair view of the state of affairs of the Corporation as at 31st March, 2013.
       (ii) The Revenue Accounts give a true and fair view of the financial performance of the corporation for the financial year ended 31st March, 2013.
   (b) The Financial Statements have been prepared in accordance with the requirements of the Act to the extent applicable and in the manner so required.
   (c) The Accounting policies adopted by the Corporation are appropriate and are in compliance with the applicable Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the Act whereby applicable.

For **SARDA & PAREEK**
Chartered Accountants
F.R. No. 109262W

SARDA & PAREEK MUMBAI CHARTERED ACCOUNTANTS

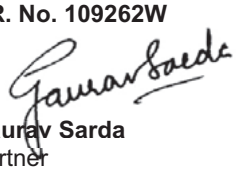

Gaurav Sarda
Partner
Membership No.: 110208

Date: 11/6/2013
Mumbai

DEPOSIT INSURANCE AND
(Established under the Deposit Insurance
(Regulation 18 -
Balance Sheet at the close
I. DEPOSIT INSURANCE FUND (DIF)

Previous Year		LIABILITIES	Deposit Insurance Fund		Credit Guarantee Fund	
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund					
Amount	Amount		Amount	Amount	Amount	Amount
47,677.60	-	**1. Fund** (Balance at the end of the year as per Actuarial Valuation)		52,649.60		
		2. Surplus as per Revenue Account:				
209,299.94	3,103.30	Balance at the begining of year	253,252.71		3,000.61	
0.00	0.00	Add:Transferred (to) / from other Fund/s	0.00		0.00	
43,952.77	(102.69)	Add: Transferred from Revenue Account	55,301.10		250.34	
253,252.71	3,000.61	Balance at the end of year		308,553.81		3,250.95
		3. (a) Investment Reserve				
8,675.53	398.27	Balance at the begining of year	13,662.60		495.20	
4,987.07	96.93	Less/Add:Transferred from Revenue Account	(8,435.64)		(88.64)	
13,662.60	495.20	Balance at the end of the year		5,226.96		406.56
		(b) Investment Fluctuation Reserve				
10,285.32	278.99	Balance at the begining of year	11,572.32		278.99	
1,287.00	0.00	Transferred from Revenue Account	2,971.07		0.00	
11,572.32	278.99	Balance at the end of the year		14,543.39		278.99
949.52		**4. Claims intimated and admitted but not paid**		987.35		
5,744.39		**5. Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted**		7,912.22		
1,141.07		**6. Insured Deposits in respect of Banks De-registered**		1,141.07		
995.93		**7. Insured Deposits remaining unclaimed**		1,440.59		
		8. Other Liabilities				
286.44	0.00	(i) Sundry Creditors	541.51			
52,647.06	431.41	(ii) Provision for Income Tax	80,640.13		551.68	
81.94	0.00	(iii) Sundry Deposits	81.92			
386.99	0.00	(iv) Securities Deliverable	9.99			
53,402.43	431.41			81,273.55		551.68
388,398.57	**4,206.21**	**Total**		**473,728.54**		**4,488.18**

As per our report of date

For M/s Sarda and Pareek
Chartered Accountants
Regn. No. 109262W

Gaurav Sarda
Partner (M No. 110208)

Mumbai
11th June, 2013

Dr. Urjit R. Patel
Chairman

Jasbir Singh
Executive Director

Kamlesh S. Vikamsey
Director

CREDIT GUARANTEE CORPORATION
and Credit Guarantee Corporation Act, 1961
Form 'A')
of business on 31st March 2013
AND CREDIT GUARANTEE FUND (CGF)

(₹ in million)

Previous Year						
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund	ASSETS	Deposit Insurance Fund		Credit Guarantee Fund	
Amount	Amount		Amount	Amount	Amount	Amount
6.08	0.36	**1. Balance with the Reserve Bank of India**		285.41		0.48
		2. Cash in Transit				
		3. Investments in Central Government Securities				
388.22	0.00	Treasury Bills	3,373.71		0.00	
319,815.47	3,803.97	Dated Securities	371,618.35		3,941.86	
320,203.69	3,803.97			374,992.06		3,941.86
320,133.35	3,639.99	Face Value	*375,076.49*		*3,761.55*	
306,858.74	3,309.41	Market Value	*373,959.21*		*3,535.29*	
6,370.34	98.18	**4. Interest accrued on investments**		7,675.14		98.64
		5. Other Assets				
300.87	0.00	(i) Sundry Debtors	245.96		0.20	
60,525.01	303.70	(ii) Advance Income Tax / TDS	90,152.58		447.00	
387.21		(iii) Reverse Repo/Reverse Repo interest receivable	9.99			
386.99		(iv) Seciruties purchased under Reverse Repo	9.99			
218.38		(v) Service Tax Refundable A/c	357.41			
61,818.46	303.70			90,775.93		447.20
388,398.57	4,206.21	**Total**		473,728.54		4,488.18

G. Siva Kumar
Director

B. L. Patwardhan
Director

Shashank Saksena
Director

V. K. Maurya
Dy. Gen. Manager

DEPOSIT INSURANCE AND
(Form
Revenue Account for the
I. DEPOSIT INSURANCE FUND (DIF)

Previous Year		EXPENDITURE	Deposit Insurance Fund		Credit Guarantee Fund
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund				
Amount	Amount		Amount	Amount	Amount
		1. To Claims:			
2,873.12	-	(a) Paid during the year		1,997.67	
(570.46)	-	(b) Admitted but Not paid		37.83	
		(c) Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted			
5,744.39		At the end of the year	7,912.22		
(4,038.03)		Less: at the end of the previous year	(5,744.39)		
1,706.36				2,167.83	
		(d) Insured Deposits in respect of Banks De-registered			
1,141.07	-	At the end of the year	1,141.07		
(1,577.68)	-	Less: at the end of the previous year	(1,141.07)		
(436.61)				0.00	
3,572.41		**Net Claims**		4,203.33	
47,677.60		**2. To Balance of Fund at the end of the year (as per Actuarial Valuation)**		52,649.60	
4,987.07	96.94	**3. To Provision for diminution in the value of investments credited to Investment Reserves**			0.00
2,681.63		**4. To Service Tax**		0.00	
60,009.42	173.23	**To Net Surplus Carried Down**		86,265.24	370.61
118,928.13	**270.17**	**TOTAL**		**143,118.17**	**370.61**
		To Provision for Taxation			
19,473.06	56.21	Current Year		27,993.07	120.27
0.00	219.71	Earlier Years - Short (Excess)		0.00	0.00
1,287.00	0.00	To Investment Fluctuation Reserve (IFR)		2,971.07	0.00
43,952.77	(102.69)	To Balance Carried to Balance Sheet		55,301.10	250.34
64,712.83	**173.23**			**86,265.24**	**370.61**

As per our report of date

For M/s Sarda and Pareek
Chartered Accountants
Regn. No. 109262W

Gaurav Sarda
Partner (M No. 110208)

Mumbai
11th June, 2013

Dr. Urjit R. Patel
Chairman

Jasbir Singh
Executive Director

Kamlesh S. Vikamsey
Director

CREDIT GUARANTEE CORPORATION
'B')
year ended 31st March 2013
AND CREDIT GUARANTEE FUND (CGF)

(₹ in million)

Previous Year				
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund	INCOME	Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund
Amount	Amount		Amount	Amount
37,736.00	-	**1. By Balance of Fund at the beginning of the year**	47,677.60	
56,397.44	-	**2. By Deposit Insurance Premium (including interest on overdue premium)**	57,182.42	
-	-	**3. By Guarantee Fees (including interest on overdue guarantee fees)**	-	-
820.96	3.29	**4. By recoveries in respect of claims paid / settled (including interest on overdue repayment)**	2,131.24	1.72
		5. By income from Investments		
23,917.70	267.59	(a) Interest on Investments	28,095.59	279.40
(391.83)	(3.81)	(b) Profit (Loss) on sale / redemption of securities (Net)	(479.15)	0.65
3.42	–	(c) By Reverse Repo Interest Income Account	63.56	0.00
23,529.29	263.78		27,680.00	280.05
		6. Other Incomes		
444.44	3.10	(a) Interest on Refund of Income Tax	11.27	0.20
		(b) Depreciation in value of investments written back	8,435.64	88.64
118,928.13	**270.17**	**TOTAL**	**143,118.17**	**370.61**
60,009.42	173.23	By Net Surplus Brought Down	86,265.24	370.61
4,703.41		By Income tax refund for earlier years	0.00	0.00
		By balance transferred from Surplus Account	0.00	0.00
64,712.83	**173.23**		**86,265.24**	**370.61**

G. Siva Kumar
Director

B. L. Patwardhan
Director

Shashank Saksena
Director

V. K. Maurya
Dy. Gen. Manager

DEPOSIT INSURANCE AND
(Established under the Deposit Insurance
(Regulation 18 -
Balance Sheet as at the close
II. GENERAL

Previous Year Amount		LIABILITIES	Amount	Amount
500.00	1.	**Capital : Provided by Reserve Bank of India (RBI) as per Section 4 of the DICGC Act, 1961 (A wholly owned subsidiary of RBI)**		500.00
	2.	**Reserves**		
		A) General Reserve		
4,382.78		Balance at the beginning of the year	4,303.15	
0.00		Transferred from Credit Guarantee Fund	0.00	
(79.63)		Surplus /(Deficit) transferred from Revenue Acount	270.15	
4,303.15				4,573.30
		B) Investment Reserve		
519.62		Balance at the beginning of the year	631.50	
111.88		Transferred from Revenue Account	(164.72)	
631.50				466.78
		C) Investment Fluctuation Reserve		
304.90		Balance at the beginning of the year	304.90	
0.00		Transferred from Revenue Surplus	0.00	
304.90				304.90
	3.	**Current Liabilities and Provisions**		
0.00		Outstanding Employees' Cost	0.00	
8.07		Outstanding Expenses	8.69	
0.88		Sundry Creditors	0.55	
57.36		Provision for Income Tax	184.57	
66.31				**193.81**
5,805.86		**Total**		**6,038.79**

As per our report of date

For M/s Sarda and Pareek
Chartered Accountants
Regn. No. 109262W

Gaurav Sarda
Partner (M No. 110208)

Mumbai
11th June, 2013

Dr. Urjit R. Patel
Chairman

Jasbir Singh
Executive Director

Kamlesh S. Vikamsey
Director

CREDIT GUARANTEE CORPORATION
and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)
Form 'A')
of business on 31st March 2013
FUND (GF)

(₹ in million)

Previous Year Amount		ASSETS	Amount	Amount
	1.	**CASH**		
0.01		(i) In hand	0.01	
2.32		(ii) With Reserve Bank of India	3.05	
2.33				3.06
	2.	**Investments in Central Government Securities (At Cost)**		
0.00		Treasury Bills		
4,927.94		Dated Securities	5,007.01	
482.15		Dated Securities deposited with CCIL (Face Value 4500.00)	448.00	
5,410.09				5,455.01
5,348.52		*Face Value :*	*4,979.16*	
4,778.59		*Market Value :*	*5,032.35*	
111.25	**3.**	**Interest accrued on Investments**	141.63	141.63
	4.	**Other Assets**		
4.04		Furniture, Fixtures & Equipment (less depreciation)	5.70	
0.68		Stock of Stationery / Lounge Coupons	0.78	
14.66		Staff Advances	14.22	
2.95		Interest Accrued on Staff Advances	3.33	
0.39		Sundry Debtors	0.87	
50.00		Margin Deposit with CCIL	50.00	
209.46		Advance Income Tax / TDS at source pending final assessment/adjustment	364.19	
282.19				439.09
5,805.86		**Total**		**6,038.79**

G. Siva Kumar
Director

B. L. Patwardhan
Director

Shashank Saksena
Director

V. K. Maurya
Dy. Gen. Manager

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(Form 'B')
Revenue Account for the year ended 31st March 2013
II. GENERAL FUND (GF)

(₹ in million)

Previous Year Amount	EXPENDITURE		Amount	Previous Year Amount	INCOME		Amount	Amount
80.34	**To Payment / Reimbursement of staff cost**		76.00		**By Income from Investments**			
0.03	**To Directors' and Committee Memebrs' Fees**		0.06	358.32	(a) Interest on Investments		429.74	
0.20	**To Directors' / Committee Members' Travelling & other allowances / expenses**		0.11	(95.07)	(b) Profit (Loss) on sale / redemption of investments		(50.71)	
				263.25				379.03
9.77	**To Rents,Taxes, Insurance , Lightings etc.**		9.80					
34.77	**To Establishment, Travelling and Halting Allowances**		37.70		**By** Depreciation in value of investment written back		164.72	
6.82	**To Printing, Stationery and Computer Consumables**		0.63					164.72
2.07	**To Postage, Telegrams and Telephones**		2.07		**By Miscellaneous Receipt**			
0.28	**To Auditors' Fees**		0.31	0.65	Interest on advances to staff		0.73	
2.85	**To Legal Charges**		0.66	0.00	Profit / Loss on sale of dead stocks (Net)		0.15	
0.17	**To Advertisements**		0.56	0.27	Interest on Refund of Income Tax		0.22	
111.88	**To Provision for diminution in the value of investments credited to Investment Reserve**		0.00	1.14	Other Misc. Receipts		0.20	
				2.06				1.30
	To Miscellaneous Expenses							
2.50	Professional Charges	2.41						
2.49	Service Contract / Maintenance	3.96						
0.37	Books, News Papers, Periodicals	0.34						
0.24	Book Grants	0.27						
0.02	Repair of Office Property-Dead Stock	0.05						
2.30	Transaction Charges-CCIL	2.77						
6.42	Others	7.49						
14.34			17.29					
1.16	To Depreciation		1.97					
0.63	To Balance being excess of income over expenditure for the year carried down		397.89	0.00	By Balance being excess of Expenditure over Income for the year carried down			0.00
265.31	**Total**		**545.05**	**265.31**	**Total**			**545.05**
0.00	To balance being excess of Expenditure over Income - b/d		0.00	0.63	By balance being excess of income over expenditure for the period b/d			397.89
	To Provision for Income Tax				By Refund of Income Tax earlier years			1.37
0.20	Current Year		129.11					
80.06	Earlier Years - Short (Excess)		0.00					
0.00	To Investment Fluctuation Reserve (IFR)		0.00	79.63	**By General Reserve**			0.00
0.00	To General Reserve Account		270.15					
80.26	**Total**		**399.26**	**80.26**	**Total**			**399.26**

As per our report of date

For M/s Sarda and Pareek
Chartered Accountants
Regn. No. 109262W

Gaurav Sarda
Partner (M No. 110208)

Mumbai
11th June, 2013

Dr. Urjit R. Patel
Chairman

Jasbir Singh
Executive Director

Kamlesh S. Vikamsey
Director

G. Siva Kumar
Director

B. L. Patwardhan
Director

Shashank Saksena
Director

V. K. Maurya
Dy. Gen. Manager

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
I. Deposit Insurance Fund (DIF) & Credit Guarantee Fund (CGF)
Cash Flow Statement for the Year Ended 31st March, 2013

(₹ in Million)

Previous Year DIF Amount	Previous Year CGF Amount			DIF Amount	CGF Amount
		Cash Flow from Operating Activities			
60,009.42	**173.23**	Excess of Income over Expenditure	(a)	**86,265.24**	**370.61**
		Adjustments to reconcile excess of income over expenditure to net cash from operations :			
(23,921.11)	(267.59)	Interest on Investments		(28,159.15)	(279.40)
391.83	3.81	Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities		479.15	(0.65)
9,941.60	0.00	Increase in Fund balance (Actuarial Valuation)		4,972.00	0.00
4,987.07	96.94	Transfer to Investment Reserve		(8,435.64)	(88.64)
444.44	3.10	Interest on IT Refund received		11.27	0.20
(51,626.40)	(1,906.65)	Taxes		0.00	0.00
(59,782.57)	(2,070.39)		**(b)**	(31,132.37)	(368.49)
		Changes in Operating Assets and Liabilities :			
		ASSETS :			
		Decrease (Increase) in			
31,534.42	1,847.98	Advance Income Tax / TDS		(29,638.84)	(143.50)
(142.14)	0.00	Sundry Debtors		54.91	(0.20)
(605.58)	0.00	Other Assets		625.18	0.00
30,786.70	1,847.98		**(c)**	(29,693.80)	(143.70)
		LIABILITIES :			
		Increase (Decrease) in			
707.27	0.00	Increase in Estimated Liability for claims intimated not admitted		2,205.66	0.00
395.35	0.00	Increase in Unclaimed Deposits		444.66	0.00
107.84	0.00	Sundry Creditors		(131.92)	0.00
81.70	0.00	Sundry Deposit Accounts		(0.01)	0.00
1,292.16	0.00		**(d)**	2,518.39	0.00
32,305.71	(49.19)	**Net Cash Flow from Operating Activities:** (a+b+c+d)	**(A)**	28,692.51	(141.58)
		Cash Flow from Investment Activities			
22,473.78	264.88	Interest Received on Investments		26,854.34	278.94
(391.83)	(3.81)	Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities		(479.15)	0.65
0.00	0.00	Transferred to General Fund		0.00	0.00
(54,387.04)	(211.73)	Increase in Investments in Central Government Securities		(54,788.37)	(137.89)
(32,305.09)	49.34	**Net Cash Flow from Investing Activities**	**(B)**	(28,413.18)	141.70
0.00	0.00	**Cash Flow from Financing Activities**	**(C)**	0.00	0.00
0.62	**0.16**	**Net Increase in Cash**	**(A+B+C)**	279.33	0.12
5.46	0.21	Cash Balance at Beginning of period		6.08	0.36
6.08	**0.36**	**Cash Balance at End of period**		**285.41**	**0.48**

Note : Cash Equivalent Investments are not segregatable, hence not included in Cash Balance

For M/s Sarda and Pareek
Chartered Accountants
Regn No. 109262W

Gaurav Sarda
Partner (M No.110208)
Mumbai
11 June 2013

SARDA & PAREEK ★ MUMBAI ★ CHARTERED ACCOUNTANTS

Jasbir Singh
(Executive Director)

V K Maurya
(Dy. Gen. Manager)

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
II. General Fund
Cash Flow Statement for the Year Ended 31st March, 2013

(₹ in million)

Previous Year Amount			Amount
	Cash Flow from Operating Activities		
0.63	Excess of Income over Expenditure	**(a)**	397.89
1.16	Depreciation		1.97
(358.32)	Interest on Investments		(429.74)
95.07	Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities		50.72
111.88	Transfer to Investment Reserve		(164.72)
0.00	Excess Provision written back		0.00
(0.65)	Interest on Advances to Staff		(0.73)
(0.00)	Profit/(Loss) on Sale of Dead Stock		(0.15)
(1.41)	Income tax / FBT		(0.52)
(145.63)	Others –Misc Receipts		(0.52)
(297.90)		**(b)**	**(543.69)**
	Changes in Operating Assets and Liabilities :		
	ASSETS :		
	Decrease (Increase) in		
(0.03)	Stock of Stationery/Officers Lounge Coupons		(0.10)
(0.53)	Advances for Staff Expenses/allowances receivable from RBI etc.		0.44
130.03	Advance Income Tax & TDS		(154.83)
0.00	Margin Deposit with CCIL		0.00
0.37	Interest accrued on Staff Advances		(0.38)
1.30	Advance Fringe Benefit Tax		0.00
3.15	Sundry Debtors		(0.28)
134.29		**(c)**	**(155.15)**
	LIABILITIES :		
	Increase (Decrease) in		
0.00	Outstanding Employees' Cost		0.00
(10.70)	Outstanding Expenses		0.62
(3.55)	Sundry Creditors		(0.33)
0.00	Other Deposits		0.00
(14.25)		**(d)**	**0.29**
(177.23)	**Net Cash Flow from Operating Activities:** (a+b+c+d)	**(A)**	**(300.66)**
	Cash Flow from Investment Activities		
371.23	Interest Received on Investments		399.36
(95.07)	Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities		(50.72)
0.65	Interest on Advances to Staff		0.73
0.00	Funds received from DIF		0.00
1.41	Others		0.42
	Decrease (Increase) in		
(3.48)	Fixed assets		(3.48)
	Investments in Central Government Securities :		
0.00	Treasury Bills		0.00
(99.12)	Dated Securities		(79.07)
0.00	Dated Securities deposited with CCIL		34.15
175.64	**Net Cash Flow from Investing Activities**	**(B)**	**301.39**
0.00	**Cash Flow from Financing Activities**	**(C)**	**0.00**
(1.59)	**Net Increase in Cash**	**(A+B+C)**	**0.73**
	Cash Balance at Beginning of period		
0.00	In Hand		0.01
3.92	With RBI		2.32
2.33	**Cash Balance at End of period**		**3.06**

Note : Cash Equivalent Investments are not segregatable, hence not included in Cash Balance

For M/s Sarda and Pareek
Chartered Accountants
Regn No. 109262W

Gaurav Sarda
Partner (M No.110208)
Mumbai
11 June 2013

SARDA & PAREEK ★ MUMBAI ★ CHARTERED ACCOUNTANTS

Jasbir Singh
(Executive Director)

V K Maurya
(Dy. Gen. Manager)

Significant Accounting Policies

Basis of Accounting

The financial statements have been prepared in accordance with requirements prescribed under the Regulation 18 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1961. The accounting policies used in the preparation of these financial statements, in all material aspects, conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), the Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable and practices generally prevalent in the country. The Corporation follows the accrual method of accounting, except where otherwise stated, and the historical cost convention.

2. Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements particularly in respect of claims under Deposit Insurance. Claim liabilities are estimated by an approved Actuary. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

3. Revenue Recognition

Items of income and expenditure are accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

(i) Premium:

(a) Deposit insurance premia are recognised as per Regulation 19 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1961.

(b) In case premia payment by an insured bank is in default for two consecutive periods, in view of uncertainty of collection of income, premia income are recognised on receipt basis. Provision is made for uncollected premia income, if any, already recognised for such insured banks.

(c) Penal interest for delay in payment of premia is recognised only on actual receipt.

(ii) Deposit Insurance Claims

(a) Provision for the liability towards fund balances as at the end of the year is made on the basis of Actuarial Valuation.

(b) Provision for claims liability is made on deregistration of insured bank based on best estimate.

(c) In respect of liquidated banks where the Corporation is liable for claim settlement in terms of Section 16 of the DICGC Act, 1961, the provisions for deposit insurance claim liabilities are made and held till the actual claim is fully discharged by the Corporation in terms of Section 19 of the DICGC Act, 1961 or the end of liquidation process, whichever is earlier.

(d) Separate provisions held in terms of Section 20 of the DICGC Act, 1961 towards depositors not found or not readily traceable, are held till the claim is paid or end of the liquidation process, whichever is earlier.

(iii) Repayments

The recovery by way of subrogation rights in respect of deposit insurance claims settled & paid is accounted in the year in which it is confirmed by the liquidators. Recoveries in respect of claims settled and subsequently found not eligible are accounted for when realized/ adjusted.

(iv) Interest on investments is accounted for on accrual basis.

(v) Profit/Loss on sale of investment is accounted on settlement date of transaction.

4. Investments

(i) All investments are current investments. Government Securities are valued scrip-wise at weighted average cost or market value whichever is lower. For the purpose of valuation, rates provided by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) are taken as market rates. Treasury Bills are valued at carrying cost

(ii) Provision for diminution in the value of securities is not deducted from investments in the balance sheet, but such provision is retained by way of accumulation to Investment Reserve Account in conformity with the prescribed format for statement of accounts.

(iii) The Investment Fluctuation Reserve (IFR) is maintained to meet the market risk arising on account of the diminution in the value of portfolio in future. The adequacy of IFR is assessed on the basis of market risk of the investment portfolio, as on the balance sheet date. The IFR in excess of the market risk, if any, is retained and carried forward. Whenever the IFR amount falls below the required size, credits to IFR are made as an appropriation of excess of income over expenditure before transfer to Fund Surplus / General Reserve.

(iv) Inter fund transfer of securities is made at book value as on the date of the transfer.

(v) Repo and Reverse Repo Transactions are treated as Collaterised Borrowing / Lending Operations with an agreement to Repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investments. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

5. Fixed Assets

(i) Fixed assets are stated at cost less depreciation.

(ii) Depreciation on assets is provided in the following manner:

a. Computer & Computer accessories, electronic communication equipment and electrical office equipment : 33.33 per cent on Straight Line method.

b. Furniture & fixtures and other office equipment: 20 per cent on Straight Line method.

c. Depreciation on addition to the assets is provided for the full year on Computer and Computer accessories even if used for less than six months and for other assets depreciation is provided for full if in use over six months and no depreciation is provided on assets sold/disposed off during the year.

6. Leases

Assets acquired under leases where the significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor are classified as operating leases and lease rentals are charged to the profit and loss account on accrual basis.

7. Employees' Benefits / Cost

Employees' cost such as salaries, allowances, compensated absences, contribution to Provident Fund and Gratuity Fund is being incurred as per the arrangement with Reserve Bank of India, as the employees of the Corporation are on deputation from the Reserve Bank of India.

8. Taxation on Income

Liability in respect of taxation is provided for in accordance with the provisions of the Income Tax

Act, 1961 and rules framed there under. Deferred Tax Asset and Liability are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as on the Balance Sheet date and recognized, if material.

9. Impairment of Assets

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to the estimated current realizable value. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognized is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds estimated current realizable value of the asset.

10. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

(i) In conformity with AS 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, the Corporation recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

(ii) Provisions are not discounted to its present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date.

(iii) Reimbursement expected in respect of expenditure required to settle a provision is recognised only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.

(iv) Contingent Assets are not recognized.

NOTES TO ACCOUNTS

1. Contingent Liabilities not provided for:

(a) The, Commissioner of Central Excise and Service Tax, Large Taxpayer Unit (LTU), Mumbai has passed an order on January 10, 2013 requiring the Corporation to pay

(i) the service tax amounting ₹ 20,756.47 million and ₹ 2,831.53 million for the period from 1-05-2006 to 31-03-2011 and 01-4-2011 to 30-09-2011, respectively;

(ii) penalty of ₹ 20,756.47 million and ₹ 2,831.53 million,

(iii) Penalty @2 per cent p.m. or ₹ 200 per day (whichever is higher) on the service tax starting after the due date till the date of actual payment for the period from May 1, 2006 to May 15, 2008 not exceeding ₹ 6,500.09 million;

(iv) penalty of ₹ 5000/- for not taking registration and filing return;

(v) Interest under Section 75 of the Finance Act, 1994.

The Corporation has filed an appeal challenging the above order with the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) on April 8, 2013. The Management is confident of the favourable outcome of the case.

(b) The Large Taxpayer Unit has also served a show cause cum demand notice dated January 31, 2013 advising the Corporation to show cause as to why

(i) Interest amounting to ₹ 19,17,54,309/- on the delayed payment of service tax should not be charged under Section 75 of the Finance Act, 1994 for the period from November 6, 2011 to March 30, 2012.

(ii) Penalty for non-payment of service tax in time under section 68 of the Finance Act, 1994.

(iii) Penalty for failure to take registration in time, as required under Section 69 of the Act.

Management has replied to the show cause notice. Based on the advice of the Service Tax Consultants, the management is confident that the final outcome will be in favour of the Corporation.

2. Share in recoveries by way of subrogation right in respect of a re-structured bank amounting to ₹ 0.76 million (previous year ₹ 0.76 million) was held in the bank account jointly with the re-structured -bank in accordance with the Scheme of Reconstruction. The same has been realized and the escrow account has been closed on May 2, 2013, as the bank was declared under liquidation w.e.f. November 11, 2013.

3. The investments in respect of the three Funds include securities with Face Value of ₹8,000 million earmarked by RBI towards Intra Day Liquidity (IDL) facility under RTGS extended to the Corporation.

4. Repo transactions (As per RBI prescribed format)

Disclosure:

In Face Value Terms (₹ in million)

	Minimum outstanding during the Year	Maximum outstanding during the Year	Daily Average outstanding during the year	As on March 31, 2012
Securities Sold under Repo				
i. Government Securities	908.20	908.20	3.60	NIL
ii. Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities Purchased under Reverse Repo				
i. Government Securities	10.00	4810.00	752.24	9.70
ii. Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL

5. **Related Party Disclosure :**

(a) Key Management Personnel:

(i) Shri. G. Gopalakrishna, Executive Director, Reserve Bank of India was in-charge of the affairs of the Corporation from April 1, 2012 to August 13, 2012. He drew his salary and perquisites from Reserve Bank of India.

(ii) Shri. Jasbir Singh, Executive Director, Reserve Bank of India was in-charge of the affairs of the Corporation from August 13, 2012 to March 31, 2013 and he drew his salary and perquisites from Reserve Bank of India.

Segment Reporting

6. The Corporation is at present primarily engaged in providing Deposit Insurance to Banks / Credit Institutions at a uniform rate of premium irrespective of location of the Bank / institutions. Thus in the opinion of the management, there is no distinct reportable segment, either Business or Geographical.

7. The Significant Accounting Policies of the Corporation have been reviewed and modified by the Board of Directors with effect from financial year 2012-13. There is no effect of such review on the financial results of the Corporation.

8. The figures of previous year have been recast / regrouped / rearranged, wherever necessary, to make them comparable with those of current year.

Note on Currency Unit

- The reference / conversion rate for Indian Rupee (₹) with respect to major foreign currencies can be observed from www.rbi.org.in.
- ₹ 1 lakh = ₹ 100,000.00 or ₹ 0.10 million
- ₹ 10 lakh = ₹ 1 million
- ₹ 1 crore = ₹ 10 million
- ₹ 100 crore = ₹ 1 billion